दशम माला, खंड 29, अंक 14

बुधवार, 16 मार्च, 1994

25 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 11 से 15 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

16 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	नीचे से 3	नासिका	नासिक
विषय सूची	नीचे से 5	आवश्यकत	आवश्यकता
[illegible]	4	अवार	अवसर
8	14	डा॰के॰डो॰जेस्वाणी	डा॰ खुशीराम जेस्वाणी
112	3	डा॰ रवि मल्लू	डा॰ आर॰ मल्लू
147	नीचे से 10	श्री के॰डो॰ सुल्तानपुरी	श्री कृष्ण दत्त पुरी
169	7	डा॰ रवि मल्लू	डा॰ आर॰ मल्लू
177	2	श्री जो॰ शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
205	17	श्री छेदो पासमान	श्री छेदो पासवा
231	7	डा॰ के॰डो॰ जेस्वाणी	डा॰ खुशीराम जेस्वाणी
340	17	श्री एन॰जे॰जेठवा	श्री एन॰जे॰ राठव

16 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	नीचे से 3	नालिका	नालिक
विषय सूची	नीचे से 5	आवश्यकत	आवश्यकता
(i)	4	अवार	अवसर
8	14	डा॰के॰डो॰जेस्वाणी	डा॰ खूबो राम डूंगरोमल जेस्वाणो
112	3	डा॰ रवि मल्लू	डा॰ आर॰ मल्लू
147	नीचे से 10	श्री के॰डो॰ सुल्तानपुरो	श्री कृष्ण दत्त सुल्तान-पुरो
169	7	डा॰ रवि मल्लू	डा॰ आर॰ मल्लू
177	2	श्री जो॰ शोभनाद्रोश्वर राव जाड्डे	श्री शोभनाद्रोश्वर राव वाड्डे
205	17	श्री छेदो पासमान	श्री छेदो पासवान
231	7	डा॰ के॰डो॰ जेस्वाणो	डा॰ खूबो राम डूंगरोमल जेस्वाणो
340	17	श्री एन॰जे॰जेठवा	श्री एन॰जे॰ राठवा

विषय-सूची

दशम माला, खंड 29, नवां सत्र, 1994/1915(शक)

अंक 14, बुधवार, 16 मार्च 1994/25 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रपति का संदेश	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1-27**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 261 से 264 और 266	1-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 265 और 267 से 280	28-134
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2910 से 2927, 2929 से 3007, 3009 से 3015, 3017 से 3063, 3065 से 3090, और 3093 से 3107	134-358
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**359-365**
परिवहन ओर पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
(एक) पांचवां प्रतिवेदन–सभा पटल पर रखा गया	365
(दो) साक्ष्य–सभा पटल पर रखा गया	365
नियम 377 के अधीन मामले	**365-368**
(एक) बरहामपुर (उड़ीसा) में एक उच्च शक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकत श्री गोपी नाथ गजपति	365
(दो) नासिका (महाराष्ट्र) में खेल–कूद परिसर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता डा. वसंत पवार	366

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) रांची क्षेत्र (बिहार) में कतिपय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 366

(चार) संत राघव दास की वर्षगांठ मनाने तथा इस अवार पर स्मारक टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 367

(पांच) देश में सूती धागे की कीमतों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता

डा॰ (श्रीमती) के.एस॰ सौन्द्रम 367

(छः) कर्नाटक में नलमंगला और टुमकुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का दोहरीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता

श्री सी.पी॰ मुदाल गिरियप्पा 367

(सात) मुंबई दूरदर्शन से कार्यक्रमों का बाधा रहित प्रसारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता

डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरौदे 368

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प-जारी

और

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक जारी **368**

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री भोगेन्द्र झा 369

श्री बलराम सिंह यादव 374

श्री गुमान मल लोढा 376

श्री रमेश चेन्नित्तला 380

श्री सैयद शहाबुद्दीन 383

श्री प्रेम चन्द्र राम 389

श्री विजय कुमार यादव 391

मेजर डी.डी॰ खनोरिया 393

विषय	पृष्ठ
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	395
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	398
श्री नीतीश कुमार	402
श्री वोल्ला बुल्ली रामटया	408
श्री शिवाजी पटनायक	409
श्री चित्त बसु	412
श्री दाऊ दयाल जोशी	414
श्री श्रीकान्त जेना	416
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	424
श्री हाराधन राय	425
श्री नवल किशोर राय	427
श्री तेज नारायण सिंह	428
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	429
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	430
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	431
श्री के.एच. मुन्नियप्पा	432

खान ओर खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांवधिक संकलप-अस्वीकृत

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक

खंड 2 से 13 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बलराम सिंह यादव	433
श्री वसुदेव आचार्य	488
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	491
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	493

विषय	पृष्ठ
बैंककारी विनियमन (संशोधन), अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और बैंककारी विनियमन (संशोधन), विधेयक संकल्प	**502-509**
राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजदीर सिंह	502
डा. अबरार अहमद	504

लोक सभा

बुधवार, 16 मार्च 1994/25 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति का संदेश

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि मुझे दिनांक 15 मार्च, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

> "मुझे लोक सभा के सदस्यों द्वारा उसी अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो मैंने 21 फरवरी, 1994 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सभाओं के समक्ष दिया था, और मुझे इससे अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई है।"

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

*261. **श्री मुमताज अंसारी :**
+**श्री एस.एम. लालजान बाशा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत विभिन्न गावों और उपगांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिये क्या मानदंड अपनाये गए हैं;

(ख) देश में राज्यवार पेयजल की कमी वाले गांवों/उपगांवों की संख्या कितनी है;

(ग) इस मिशन के अंतर्गत राज्यवार अब तक ऐसे कितने गांवों/उप गांवों को शामिल किया गया है; और

(घ) शेष गांवों/उप-गांवों को इसके अंतर्गत कब तक लाया जायेगा ?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

(क) गांवों/उप गांवों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराए जाने के मानक/मानदंड निम्नानुसार हैं :

(1) पेयजल रोगजनित बैक्टीरिया और रासायनिक संदूषण से मुक्त होना चाहिए।

(2) पेयजल स्रोत मैदानी क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए।

(3) मनुष्यों के लिए पेयजल की मात्रा 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए।

(4) प्रति 250 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक हैंडपम्प या स्टैंड पोस्ट होना चाहिए।

(5) मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्र में पेयजल की पशुओं के लिए 30 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन की अतिरिक्त मात्रा होनी चाहिए।

यदि एक उपगांव/बस्ती में जनसंख्या 250 से कम है और मैदानी क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर की दूरी तथा पहाड़ी क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी पर कोई जलस्रोत नहीं है तो ऐसी स्थिति में गांव/उपगांव में जनसंख्या के मानदंड को नजरअंदाज करते हुए एक जलस्रोत की व्यवस्था की जाती है। उपगांव की जनसंख्या 50 या इससे अधिक होने पर भी जलस्रोत उपलब्ध कराने की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ख) व (ग) 1-4-1985 में पता लगाए गए समस्याग्रस्त/अपर्याप्त मात्रा वाले गांवों और 31-1-1994 तक ऐसे गांवों को कवर करने संबंधी सूचनाएं अनुबंध में दी गई हैं।

(घ) 1-2-1994 को शेष 540 समस्याग्रस्त गांवों को चालू वर्ष में आंशिक रूप से एवं शेष को 1994-95 में कवर किए जाने की संभावना है।

अनुबंध

1-4-85 तक कवर किए गए और कवर करने के लिए शेष रह गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1-4-85 से समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	1-4-85 से 31-1-94 तक कवर किए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	1993 94/94 95 में कवर किए जाने वाले शेष समस्याग्रस्त गांव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15834	15834	
2.	अरुणाचल प्रदेश	391	391	
3.	असम	9570	9563	7
4.	बिहार	9199	9199	
5.	गोआ	31	31	
6.	गुजरात	4911	4902	
7.	हरियाणा	2314	2314	
8.	हिमाचल प्रदेश	3539	3539	
9.	जम्मू और कश्मीर	2959	2758**	187
10.	कर्नाटक	5410	5410	
11.	केरल	88	88	
12.	मध्य प्रदेश	14714	14714	
13.	महाराष्ट्र	5174	5152	22
14.	मणिपुर	862	862	
15.	मेघालय	3658	3462	196
16.	मिजोरम	595	595	

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	623	623	
18.	उड़ीसा	14443	14430*	2
19	पंजाब	2254	2254	
20.	राजस्थान	7310	7264	46
21.	सिक्किम	121	121	
22.	तमिलनाडु	4882	4882	
23.	त्रिपुरा	2893	2890	3
24.	उत्तर प्रदेश	43906	43838	68
25.	पश्चिम बंगाल	5930	5930	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	40	40	
27.	दमन व द्वीव	7	7	-
28.	लक्षद्वीप	11	11	-
29.	पांडिचेरी	53	53	-
30	दिल्ली	0	0	
31	दादरा व नागर हवेली	0	0	
32	चंडीगढ	0	0	
	कुल	161722	161127	540

*11 बिना बसावट वाले गांवों को छोड़कर
**14 बिना बसावट वाले गांवों को छोड़कर

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, यह राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अब तक अधिकतर गांवों में रह रहे 78.4 प्रतिशत ग्रामीण जनता और कुल 85 प्रतिशत शहरी जनता को इस मिशन में शामिल कर लिया गया है। यह बहुत उत्साहवर्द्धक है, लेकिन साथ ही साथ 22 प्रतिशत ग्रामीण जनता को छोड़ दिया गया है, जो समस्याग्रस्त क्षेत्र में रह रहे हैं।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पीने के पानी की आपूर्ति के लिए स्थानों का चयन इन मापदंडों पर आधारित है कि वह जगह रासायनिक प्रदूषण एवं अन्य किसी प्रदूषण से रहित हो। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि पानी को गिनी कृमि मुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों में अत्यधिक पाये जाते हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न काल में प्रश्न पूछना चाहिए। आपको वक्तव्य देते हुए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

श्री मुमताज अंसारी : इसी के साथ-साथ महोदय खारेपन अथवा लौह तत्व को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो कि विभिन्न राज्यों में विद्यमान है। विशेष रूप से दक्षिण बिहार में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जहां मृदु जल बिल्कुल नहीं है। दक्षिण बिहार में केवल भारी तथा अशुद्ध जल है। इस योजना के अन्तर्गत, माननीय मंत्रीजी द्वारा पिछड़े हुए राज्यों में रह रहे गरीब लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, जो 540 गांव बाकी हैं, उनका हमने नया सर्वेक्षण भी कराया है, उन सब का हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर तक पानी की समस्या हल करने का निर्णय ले लिया है।

जो दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने किया है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस चीज का पहले से पता लगाया जाता है और जहां शुद्धिकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है, वहां पर शुद्धिकरण किया जाता है। इस कार्य के लिए हर राज्य में प्रयोगशालाएं खोली गई हैं और उन राज्यों में बराबर यह काम चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 496 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव था, जबकि वास्तव में 271 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। सामान्यतः लघु मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 19.6 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव था, जबकि केवल 9.6 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

इसलिए माननीय मंत्री जी द्वारा उन सब राज्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं, जो कार्यक्रम की उपेक्षा कर रहे हैं और जो पेयजल की आपूर्ति के लिए इन सब महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, नियमों की अवहेलना की कोई बात नहीं है। इस कार्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1206 करोड़ रुपया रखा गया था और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5600 करोड़ रुपया रखा गया है। यह पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता है और सारा कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जहां पर कार्यान्वयन ठीक तरह से नहीं

होता है, उन स्थानों का जायजा लेकर उस राज्य के मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : लघु मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

...**(व्यवधान)**...*

डा. कृपासिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में भारत सरकार के अधीन तीन प्रकार की योजनाएं हैं, जिससे संरक्षित क्षेत्र तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

जब प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव ने कालहान्डी जिले का दौरा किया, तो उन्होंने इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। उसके बाद में निस्संदेह, ग्रामीण विकास विभाग ने राष्ट्रीय संदूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद की मदद ली थी, फिर क्षेत्रों के नाम बोलन्गीर, कालहान्डी, सुन्दरगढ़, कोरापुट, फूलबनी और सम्बलपुर उप-प्रभाग के पदमपुर क्षेत्रों का पता लगाया गया था।

यहां पर आपको एन.आर.एस.ए. के अन्तर्गत संरक्षित पेयजल प्राप्त नहीं हो सकता। इन क्षेत्रों में जब तक केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड द्वारा गहरे नल-कूपों की मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक शुद्ध जल मिलना बहुत कठिन है। इस आधार पर, माननीय मंत्रीजी का उत्तर क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसके लिए उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय को एक सूची प्रस्तुत की है!

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : जहां बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, वहां पर विशेष प्रकार से मदद की जाती है। पिछली बार प्रधान मंत्री उड़ीसा गए थे, तब 2.57 करोड़ रुपया उन्होंने उड़ीसा के लिए दिया था और यह पैसा रिलीज भी कर दिया गया है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केवल मात्र ऐसा राज्य है, जहां फ्लोराइड के कारण लोग कुबड़े हो जाते हैं। सब प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद यह समस्या वहां पर बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न फ्लोराइड के बारे में नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। मेरा कहना है कि राजीव गांधी योजना के तहत जिन गांवों को लिया गया था, उनको भी अभी तक कवर नहीं किया गया है और उन गांवों में अभी तक फ्लोराइड मिश्रित जल प्राप्त होता है। क्या मंत्री महोदय राजस्थान की समस्या

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाय।

को देखते हुए कुछ विशेष अनुग्रह राशि उस रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रदान करेंगे, ताकि वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था हो सके और यदि करेंगे तो कब तक ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं तो दें।

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : फ्लोराइड के संबंध में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि शुद्धीकरण के 40 संयंत्र राजस्थान में लगाए गए हैं, 64 संयंत्र हैंडपंप सहित लगाए गए हैं। इस तरह से राजस्थान का विशेष ध्यान रखा जाता है और पैसे से भी अधिक मदद की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि एक मानदंड यह है कि पीने के पानी का स्रोत मैदानों क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर की दूरी पर और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की उर्ध्वाकार दूरी पर विद्यमान होने चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा यह जानना चाहता हूं कि दूरी का यह मानदंड किस तरह तय किया गया है, क्योंकि सरकार ने स्वयं भी यह स्वीकार किया है कि देश में ऐसे गांव हैं, जिनमें पानी का कोई स्रोत ही नहीं है और ऐसा ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी है ? इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे अपने मानदंड में यह दूरी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या यह भी सही है कि बड़ी संख्या में 'स्रोत विहीन गांव' फिर से अस्तित्व में आ रहे हैं ? क्या सरकार ने इसका कारण जानने के लिए उसकी जांच की है ? यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ? इसे ठीक करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों में जल आपूर्ति को कायम रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, 1991 में नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है, अभी काम चल रहा है और पूरा हो जाएगा तथा सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएगी, मापदंड का कोई सवाल नहीं है और पीने का पानी हर व्यक्ति को मिले, तो ऐसी व्यवस्था हमको करनी है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों के लिए अन्य विशेष विचारणीय बातें क्या हैं, जहां पीने का पानी 1.6 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध नहीं है ?

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी एरिया के लिए यह दूरी 100 मीटर तक है और इससे भी कम हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री दिलीप भाई संघाणी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गुजरात के हैं, इसलिए उनसे गुजराती में पूछना चाहता हूं **(व्यवधान)** गुजरात सरकार पेयजल की व्यवस्था करने में विफल रही है, इस कारण राजीव गांधी पेयजल योजना के अंतर्गत गुजरात के सौराष्ट्र में पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका है। मैं अपने क्षेत्र अमरेली के कैरियाचाड़ गांव में गया था। वहां मुझे बताया गया कि यहां पर पानी में फ्लोराइड नहीं है और जिस एरिया में खारापानी था वहां पर फ्लोराइड आ चुका है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कराने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में खारे पानी को मीठा करने के लिए बारह संयंत्र नदी के किनारे पर लगे हैं और सौराष्ट्र के लिए कल मीटिंग थी तो वहां हमने कहा है कि जहां पर जरूरी है तो वहां पानी के लिए योजना बनाएं तो हम पैसा देंगे और जब नर्मदा योजना पूरी हो जाएगी तक कच्छ और सौराष्ट्र का सवाल हल हो जाएगा।

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योग

*262. **+डा. के.डी. जेस्वाणी :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा उद्योग का सुधार और विकास करने और उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) हमारे चमड़ा उद्योग को सहायता प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों का ब्यौरा क्या है और वे किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत में चमड़ा उद्योग के समेकित विकास के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" नामक एक व्यापक योजना तैयार की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से प्राप्त सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को स्थापित तथा कार्यान्वित किया गया है :

क्र. सं.	भारतीय संस्थान का नाम	विदेशी एजेंसी का नाम	विषय
1	2	3	4
1.	फुटवियर डिजाइन एंड	1. मेलबोर्न कॉलेज ऑफ	फुटवियर टेक्नोलोजी

1	2	3	4
	डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा यू.पी.	टेक्सटाइल्स, ऑस्ट्रेलिया	
		2. बैली इंटरनेशनल, स्विट्जरलैंड	अंतर्राष्ट्रीय स्टैण्डर्ड टैस्टिंग केन्द्र की स्थापना
		3. एटम-वाइकैम, यू.के. ।	कंप्यूटर की सहायता से फुटवियर के डिजाइन
		4. टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, विएना	फुटवियर टेकनोलोजी
2.	सेन्ट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास	1. ऑप्टिमर, हंगरी	भारतीय लोगों के लिए पैर के माप हेतु मानकों का विकास
		2. साटरा, यू.के. (ब्रिटेन)	अंतर्राष्ट्रीय स्टैण्डर्ड और टेस्टिंग सैन्टर
		3. ब्रिटिश लैदर फैडरेशन, यू.के.* (ब्रिटेन)	हारनैस लैदर प्रोसेसिंग का सुधार
		4. ए.एफ.पी.आई.सी., फ्रांस	फुटवियर चमड़े के परिधान और चमड़े की वस्तुएं बनाने के काम में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम
3	चमड़ा निर्यात परिषद	मैक किनसले एंड कं., यू.एस.ए. (अमेरिका)	अमेरिका में भारतीय चमड़ा उत्पादों का विपणन और छवि निर्माण
4.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का आद्यरूप (प्रोटोटाइप) विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास	ब्रुग्गी, इटली	यूनिट बिक्रियों के लिए मशीनों के आद्यरूपों का विकास
5.	केन्द्रीय फुटवियर तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास और आगरा	वस्त्र संस्थान, यू.के.	फुटवियर प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आधा ही दिया गया है, क्योंकि मैं देश में चमड़ा उद्योग के विकास और सुधार के लिए बनाई गई योजना के बारे में जानना चाहता हूं।

एक मूर्ति समिति बनाई गई थी, जिसनें अनेक क्षेत्रों का सुझाव दिया है और मुख्य दबाव घरेलू क्षेत्र पर डाला गया है। विश्व में पशुओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है और हमारे पास चमड़े की टेक्निक और परिष्कृत करने की तथा चमड़े के उत्पादों को बनाने का पारम्परिक कौशल एवं कला है, क्योंकि ये कम मजदूरी वाले उत्पाद हैं। यही कारण है कि हमारे पास विदेशी बाजार को आकर्षित करने की काफी संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पर आइए।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं, महोदय लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी-सी भूमिका देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : हमारे पास विदेशी बाजार को आकिर्षत करने की काफी संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मुझे सौ से भी अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षारित एक पत्र मिला है, जिसमें यह शिकायत की गई है कि हम सभा में काफी संख्या में प्रश्नों को नहीं निपटा सकते हैं। इसलिए मैं सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे प्रश्नों पर बहुत संक्षेप में बोलें और इसके साथ ही एक प्रश्न पर अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने पर ज़ोर न दें, ताकि हम अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए समय दे सकें।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मूर्ति समिति ने कुछ मानदंडों का सुझाव दिया है

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न तक ही सीमित रहें।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : जी हां, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं, महोदय। लाइसेंस राज तथा अन्य आधारभूत कठिनाइयों के कारण इस क्षेत्र में बहुत धीमी प्रगति है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने सभी आधारभूत समस्याओं के प्रति चिन्ता व्यक्त की है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सरकार इस कला तथा ग्रामीण संरचना को प्रोत्साहन देने पर मुख्य जोर देने जा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चमड़ा उद्योग विकास का है और इसका उद्देश्य या थर्स्ट यही है कि भारत में चमड़ा उद्योग का बहुमुखी और समग्र विकास किया जाये। इसके अन्तर्गत मैं यह कहना चाहती हूं कि इस उद्योग में लगे हुये व्यक्ति-श्रमिक, गरीब वर्ग के लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाये, यही प्रयास किया जा रहा है। चमड़े के जूते, कपड़े और हैंड बैग्ज इत्यादि में गुणात्मक सुधार हो। चमड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ भारतीय अनुसंधान सुदृढ़कारी हो, चमड़ा उद्योग के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाये और उसके उत्पादन का अधिक से अधिक निर्यात हो।

[अनुवाद]

जहां तक मूर्ति कमेटी की बात इनके द्वारा कही गयी है, उनकी बहुत सी अनुशंसायें हैं, जिनमें

जहाज के लदान पश्चात ऋण पर कम ब्याज दर और बॉडेड केयर गृहों को अमल में लाना कैसे हो।

[हिन्दी]

तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि बहुत जोर-शोर से गरीबों के उन्नयन के लिये थर्स्ट है। अम्बाला में 25 से 30 मोची परिवारों को ट्रेनिंग दी गयी है और पहले जहां उनको 60 रुपये मिलते थे, अब 160 रुपये कर दिये गये हैं। इससे एक्सपोर्ट द्वार खुल गये हैं। मार्किटिंग में उनकी कोई प्राब्लम नहीं है। इसके अलावा कोल्हापुरी और जयपुरी जूते-चप्पल की टैक्नालाजी अपग्रेड करना चाहते हैं या उसकी स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको मालूम होगा कि उड़ीसा में कालाहांडी में स्टारवेशन डेथ्स हुई है। वहां भी इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। यह ग्रामीण इलाके में भी चलाया जाता है।

क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग यहां आते हैं···**(व्यवधान)**···आप पहले मेरी बात तो सुनिये। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग आते हैं···**(व्यवधान)**

इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि जूता उद्योग में लगे श्रमिकों के प्रशिक्षण व उनके द्वारा जाने वाले उत्पादन में गुणात्मक सुधार हो, इसके बारे मे सरकार प्रयत्नशील है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ भी सदन में कहता हूं, वह दोनों सभाओं पर लागू होता है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मुझे सरकार का ध्यान दो मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। एक तो यह कि सरकार के पास कोई प्रभावशाली 'स्लॉटर पालिसी' नहीं है। दूसरी बात चमड़े के कारखानों से हो रहे बहिस्राव को साफ करने की सुविधाओं का अभाव है।

चमड़ा तथा खाल उद्योग के समाने ये दो कारण मुख्य रूप से बाधक हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस क्षेत्र की इन दो मुख्य समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : आप किन दो क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे हैं।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : सरकार की कोई : 'स्लॉटर पालिसी' नहीं है, जिसके कारण सारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि चमड़े के कारखानों से हो रहे बहिस्राव को साफ करने की सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में भी प्रदूषण की अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उनका प्रश्न तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि चमड़ा उद्योग से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय में अनेक विभाग हैं, जैसे वाणिज्य मंत्रालय आयात निर्यात का काम देखता हैं, साइंस एण्ड टैक्नोलोजी मंत्रालय हैं···**(व्यवधान)**

आप पहले मेरी बात तो सुनिये। वैसे ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, जो कि पौल्यूशन कंट्रोल के बारे में देखता है और नीति निर्धारित करता है। मेरा उद्योग मंत्रालय प्रशासनिक अवश्य है लेकिन उसके अलावा अनेक ऐसे विभाग हैं, जो इससे संबंधित है, अलग अलग प्रशासनिक विभागों के द्वारा सारा कार्य होता है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि प्रदूषण के लिये क्या काम किया गया है, राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कोई स्लॉटर पौलिसी हैं क्या ?

श्रीमती कृष्णा साही : जहां तक स्लॉटर पौलिसी का सवाल है, जिसकी वे चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग स्लॉटर पौलिसी नहीं डील करता है, स्लॉटर पौलिसी पर हम लोग यहां कैसे डिस्कशन करते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने पौल्यूशन के बारे में पूछा है, मैं कहना चाहूंगी कि कलकत्ता शहर के टैनरी उद्योग को शहर से 18-20 किलोमीटर दूर एक स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है और इन इकाइयों के लिये एक कौमन एफ्लूयेट कार्यक्रम भी स्थापित किया जायेगा।

[अनुवाद]

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय मंत्री उन्हें इसका उत्तर भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में लैदर इंस्टीट्यूट को डेवलप कराने के संबंध में जानकारी मांगी गयी है। इसी सदन में पिछली 28 तारीख को जब वित्त मंत्री जी ने वर्तमान वर्ष का बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें लैदर पर लगने वाली 50 परसेंट कस्टम ड्यूटी को घटाकर 20 परसेंट कर दिया गया है जिसके कारण मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की लैदर इंडस्ट्री मर जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस उद्योग को डेवलप करने के लिये सरकार अभी कौन-कौन से उपाय करने जा रही है।

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध हमारे विभाग से नहीं है बल्कि फाइनेंस मंत्रालय से है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : प्रश्न चमड़ा उद्योग के सुधार और विकस के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में है। राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम जिसका उल्लेख उत्तर में किया गया है इस योजना के अंतर्गत जिन संस्थानों को सहायता दी जा रही है, उनकी संख्या पांच के लगभग है तथा आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से अधिकतर मद्रास में स्थित हैं तथा एक या दो उत्तर प्रदेश में हैं।

यह उद्योग सारे देश में फैला हुआ है तथा विशेषकर धारवी, बम्बई में पिछले अनेक वर्षों से चमड़ा उद्योग काफी सघन है। इसलिए आप राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थाओं का चुनाव करने के लिए क्या विधि अपनाते हैं ?

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन संस्थाओं को शामिल करने के लिए आप किन नियमों का पालन करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, अधिकांशतः यह सहायता राष्ट्रीय संस्थाओं को दी जाती है और ये संस्थाएं अनेक मंत्रालयों और विभाग के अधीन हैं और वे देश के विभिन्न भागों में स्थापित हैं। जहां तक उन्होंने एक पर्टीकुलर संस्था के लिए कहा है, हम उसको स्पोंसर करते हैं और जो यू.एन.डी.पी. की सहायता मिलती है, उसकी मैंने 10 संस्थाओं की लिस्ट दी है, उनके द्वारा इसमें भागीदारी होती है। उद्योग विभाग तो प्रशासनिक विभाग है, उसके और संस्थाओं के सहयोग, अर्थात् दोनों के सहयोग से यह काम चलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये संस्थाएं राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो स्पोंसर करती हैं और दोनों के कोआर्डीशन से यह काम चलता है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, लैदर उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र आगरा है और जहां मैं समझता हूं कि देश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं और लैदर का काम करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण वहां का लैदर उद्योग बन्द हो रहा है। जब लैदर उद्योग छोटा रहता है तो वह अनुसूचित जाति और जनजाति के हाथ में रहता है और जब वह बड़ा हो जाता है, तो बड़े लोगों के हाथ में चला जाता है, बड़े लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जो इस एक्सपोर्ट के काम को कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इस काम के पेशेवर लोग हैं, और जो सरकार की उदारीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय नवीनीकरण की नीति है, उसके अन्तर्गत इन लोगों को लगाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही अपने उत्तर में कहा है कि हम लोगों ने अभी दो प्रोजैक्ट्स लगाए हैं और धीरे-धीरे आगे और लगाने की कोशिश होगी। मोचियों की कालोनी में 25 परिवारों को ट्रेनिंग दी गई है और मैं फिर कह रही हूं कि कालाहांडी में ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा थस्ट यही है कि जो लोग इस व्यापार में लगे हुए हैं, उनको स्किल और टैक्नोलॉजी अपग्रेड करने में सहायता मिले। इसीलिए हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वे अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकें तथा इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। पहले जहां उनको 60 रुपए मिलते थे, अब उनको 160 रुपए मिल रहे हैं, **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने मजदूरी के बारे में नहीं पूछा है।

जो मैंने पूछा है मंत्री महोदया उसका उत्तर नहीं दे रही हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती कृष्णा साही : आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आगरा में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में हमारा यूनिट है।

[अनुवाद]

सी.एफ.डी.सी. आगरा में भी है, जो कि समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों को प्रशिक्षण देता है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रोसैस होने से पहले का जो चमड़ा है वह फॉरेन ज्यादा भेजा जा रहा, इस कारण जो चमड़े के अच्छे कारीगर हैं, जिनको वह चमड़ा पहले सस्ता मिलता था लेकिन अब बाहर ज्यादा निर्यात होने और विदेशी मुद्रा कमाने की चाह में उनको बहुत महंगा मिल रहा है, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि उनको सस्ता चमड़ा मिल सके, ताकि उनका धंधा जो चौपट होता जा रहा है, वह बच सके।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं ढंग से सवाल को समझ नहीं पाई।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का पूछना यह है कि जो चमड़े के अच्छे कारीगर हैं, उनको सस्ता चमड़ा देने का और उनकी मदद करने का कोई कार्यक्रम या योजना है ?

श्रीमती कृष्णा साही : मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाई।

अध्यक्ष महोदय : छोटे कारीगर हैं उनको चमड़ा देने की और मदद करने की क्या कोई योजना है ?

श्रीमती कृष्णा साही : जी हां, योजना है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्लाटर हाउस में छोटे-छोटे लोग चमड़ा निकालकर दलालों के हाथ में बेच देते हैं। वे दलाल उसको बड़ी फैक्ट्रीज में बेच देते हैं। यह देखा जाता है कि इन तीनों स्थानों पर ये दलाल इन छोटे-छोटे लोगों का शोषण करते हैं। क्या सरकार के पास इसके लिए कोई योजना है कि उन छोटे-छोटे लोगों की रक्षा वह कर सके ?

श्रीमती कृष्णा साही : अलग-अलग जो समस्या बता रहे हैं, अगर स्पेसिफक बतायें तो हम उस पर कुछ करेंगे।

[हिन्दी]

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद

*263 +**श्री ललित उरांव** :
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने स्वयंसेवी संगठनों को ऋण तथा अनुदान देने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान तथा 1993-94 में जनवरी, 1994 तक "कापार्ट" योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए अनुदान/सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद

(क) कापार्ट, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 या उसके संगत राज्य अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में पंजीकृत, चैरिटैक्स (धर्मार्थ) एवं धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। प्रस्तावों पर विचाार करते समय निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जाती है

(1) स्वैच्छिक संगठन को पंजीकरण के बाद ग्रामीण विकास का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(2) स्वैच्छिक संगठन की जहां तक संभव हो एक व्यापक आधार वाली प्रबंध समिति होनी चाहिए।

(3) आमतौर पर एक स्वैच्छिक संगठन, जो अभी कापार्ट के लिए नया है, के लिए एक समय में एक छोटी परियोजना पर ही विचार किया जाता है। प्रथम परियोजना के संतोषजनक क्रियान्वयन के बाद ही ऐसी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दूसरी परियोजना, यदि कोई हो, तो उस पर विचार किया जाता है।

(4) स्वैच्छिक संगठन जिसकी कापार्ट के साथ अच्छे कार्य की साख हो और जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, की एक समय में एक से अधिक परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

जहां कहीं आवश्यक होता है स्वैच्छिक संगठन द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण से पूर्व भी मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना की प्रकृति और स्वीकृति की गई धनराशि के आधार पर परियोजनाओं का मध्यवर्ती मूल्यांकन भी किया जाता है।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष 1991 92, 1992 93 और 1993 94 (जनवरी, 1994 तक) प्रदान किए गए अनुदान सहायता की सूचनाओं से संबंधित राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

(करोड़ रु. में)

राज्य	1990-91				1991-92			
	परियोजनाओं की संख्या	एजेंसियों की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	एजें. की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	155	58	2.56	1.37	300	78	4.72	3.55
2. अरुणाचल प्रदेश	2	1	0.01	0.02	1	1	0.01	0.01
3. अंडमान व निकोबार	0	0		0.10				
4. असम	9	3	0.16	0.08	27	6	0.62	0.16
5 बिहार	149	29	1.68	1.15	237	46	4.35	2.45
6. दिल्ली	26	9	0.56	0.25	38	19	0.41	0.39
7 गुजरात	26	6	0.91	1.73	68	3	2.57	1.89
8. हरियाणा	21	8	0.14	0.09	48	9	0.97	0.26
9. हिमाचल प्रदेश	15	1	0.17	0.07	15	3	0.14	0.07
10. जम्मू व कश्मीर	3	1	0.07	0.05	2	2	0.06	0.11
11. कर्नाटक	43	11	0.46	0.45	109	13	2.73	0.87
12 केरल	19	3	0.20	0.63	98	30	2.30	0.85
13. मध्य प्रदेश	31	10	0.44	0.44	61	24	0.82	0.69
14. महाराष्ट्र	29	9	0.44	0.30	74	27	6.09	1.53
15. मणिपुर	22	5	0.24	0.06	62	7	1.10	1.00
16. नागालैंड	1	1	0.08	0.74				0.03
17. उड़ीसा	48	14	0.59	0.05	102	20	2.01	1.37
18. पंजाब	4	4	0.10	0.11	5	1	0.10	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. राजस्थान	46	13	0.66	1.02	100	24	1.74	1.30
20. तमिलनाडु	107	32	1.29	1.54	139	37	2.81	2.03
21. त्रिपुरा				-	3	3	0.11	-
22. उत्तर प्रदेश	260	52	3.11	2.26	580	102	6.11	4.62
23. पश्चिम बंगाल	135	18	3.20	2.69	467	61	7.34	4.91
24. मिजोरम	1	1	0.14	0.74	1	1	0.10	0.02
25. चंडीगढ	2	2	0.05	0.05	1	1	0.04	0.04
26. मेघालय	1	1	0.09	0.11	1	1	0.07	0.19
27. पांडिचेरी	1	1			1	1	-	
28. गोवा दमन							-	
योग	1156	293	17.35	16.15	2540	520	47.29	28.48

अनुबंध(करोड़ रु. में)

राज्य	1992-93				1993-94 (31-1-94 तक)			
	परियोजनाओं की संख्या	एजेंसियों की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	एजेंसियों की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1. आन्ध्र प्रदेश	200	50	4.18	3.00	131	111	3.38	3.48
2. अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.04		1	1	0.03	0.02
3. अंडमान व निकोबार	2	2	-	0.04	3	1	0.18	0.23
4. असम	11	6	0.15	0.74	8	7	0.20	0.17
5. बिहार	351	48	5.15	4.70	246	171	6.16	4.29
6. दिल्ली	64	11	1.25	0.60	36	27	0.86	0.67

1	10	11	12	13	14	15	16	17
7. गुजरात	56	10	2.21	2.70	33	15	2.90	2.23
8. हरियाणा	35	5	0.59	0.39	26	18	0.98	0.93
9. हिमाचल प्रदेश	29	6	0.71	0.30	16	10	0.60	0.78
10. जम्मू व कश्मीर	6	6	0.13	0.60	9	3	0.25	0.20
11. कर्नाटक	81	16	1.68	1.13	34	33	1.34	1.33
12. केरल	71	24	1.80	1.40	28	24	0.97	0.91
13. मध्य प्रदेश	41	15	0.53	0.90	28	21	0.83	0.45
14. महाराष्ट्र	46	10	1.39	1.90	34	29	1.40	0.88
15. मणिपुर	67	14	1.63	1.41	60	47	2.42	2.08
16. नागालैंड	3	3	0.11	0.01	5	5	0.27	0.22
17. उड़ीसा	91	18	2.05	1.58	43	40	1.44	1.59
18. पंजाब	7	7	0.11	0.17	1	1	0.01	0.15
19. राजस्थान	14	8	0.63	0.68	33	26	1.04	0.98
20. तमिलनाडु	154	32	3.82	2.00	81	69	2.56	1.73
21. त्रिपुरा	-				1	1	0.10	0.05
22. उत्तर प्रदेश	543	74	8.17	5.25	272	214	6.94	6.44
23. पश्चिम बंगाल	422	55	8.23	5.58	170	133	5.41	6.37
24. मिजोरम	13	7	0.93	0.66	8	6	0.71	0.59
25. चंडीगढ़		-			-	-	-	
26. मेघालय	-	-		0.30	-	-	-	0.01
27. पांडिचेरी				-	-	-	-	
28. गोवा दमन		-	-	-	1	1	0.05	0.02
योग	2316	428	45.49	36.04	1304	1014	41.03	36.80

श्री ललित उरांव : सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि कपार्ट योजना के तहत 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में बिहार में क्रमशः 46, 48 और 171 संस्थाओं को अनुदान की राशि दी गई है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इन वर्षों में जिलेवार अनुदान की कितनी-कितनी राशि प्रत्येक संगठन को दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह सारा बतायेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको लिखित में भेज देगें। दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री ललित उरांव : स्थानीय स्तर पर संगठनों के द्वारा किये गये कार्यों की जांच सरकार किन माध्यमों से करवाती है ?

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : ऐसे काम के लिए हमने लगभग 400 मानेटरिंग सेंटर तय किये हैं जो अलग-अलग जगह जाकर इसका जायजा लेते हैं।

श्री ललित उरांव : आप बिहार में कार्यरत किसी भी एक संगठन के बारे में बता दें कि उस बरस कितनी राशि उसको कार्य के लिए दी गई है ?

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : सारी लिस्ट मैं भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा : अध्यक्ष महोदय, जब हम 'कापार्ट' द्वारा विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता की तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि असम सहित उत्तर-पूर्व के राज्यों को अन्य राज्यों के समान सहायता नहीं दी गई है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के लिए परियोजनाओं हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि कम कर दी गई है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वयं-सेवी संगठनों को कापार्ट द्वारा पर्याप्त सहायता क्यों नहीं दे सका है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : जो स्वैच्छिक संगठन का प्रोजेक्ट आता है, तो हम उसको देखकर मंजूर करते हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आम तौर पर बिहार की उपेक्षा होती है लेकिन कापार्ट से स्वयंसेवी संस्थाओं को मदद देने के मामले में उपेक्षा का रुख हमें दिखायी नहीं देता है।

बिहार जैसे राज्य में यह उद्योग का रूप ले चुका है। ये स्वयंसेवी संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में रुचि नहीं रखती हैं, बल्कि कापार्ट से मुफ्त के धन को लूटने में अधिक दिलचस्पी रखती हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके उत्तरोत्तर विकास की तरफ आप गौर करे। 1990-91 में 1 करोड़ 68 लाख, 1991-92 में 4 करोड़ 35 लाख, 1992-93 में 5 करोड़ 15 लाख और 1993-94 में 6 करोड़ 16 लाख गये। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। संस्थांये 1990-91 में 29, 1991-92 में 46, 1992-93 में 48 और 1993-94 में 71 हुई। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सम्पूर्ण कापार्ट योजना के बारे में एक

विशेषज्ञ समिति गठित करके सरकार इसका पुनर्मूल्यांकन करायेगी और भारत सरकार की तरफ से जो धन पानी में फेंका जा रहा है, उसकी ठीक से मानिटरिंग हो सके, उसके बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, पानी में धन नहीं फेंका जाता है। मैं खुद बिहार गया था और मैंने वहां कई संस्थाओं से मुलाकात की थी। वहां चल रहे काम को भी मैंने देखा था। अगर माननीय सदस्य किसी खास मामले के बारे में मुझे बतायेंगे तो मैं उसकी विशेष जांच करा कर कदम उठाऊंगा। मॉनिटरिंग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग कराते है और रिपोर्ट मंगाते हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनका जवाब आने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अच्छा प्रश्न किया है। उसका जवाब आना चाहिये। बिना वजह इंटरफियरेस मत करिये।

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : मॉनिटरिंग होने के बाद ही हम दूसरी राशि रिलीज करते हैं। इसमें लगी स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में हमने मापदंड निर्धारित किया हुआ है। उनमें क्षमता है या नहीं, वे काम कर सकती है या नहीं, इन सबको हम देखते हैं। तीन बरस का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को ही हम चुनते हैं। जिन संस्थाओं के बारे में गड़बड़ होती पायी गई, उनको हमने ब्लैक लिस्ट में भी रखा है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कापार्ट योजना के अन्तर्गत जिन वालयंटरी आर्गनाईजेशन्स को आप स्वीकृत करते हैं, इनकी क्या राज्य सरकार को सूचना देते हैं या नही और जिस जिले में देते हैं, उसमें जिलाधिकारी का कोई हाथ जांच आदि में रहता है या नहीं ? आपने जो क्राइटीरिया बनाया है, उसके अन्दर आप कहते हैं कि ब्रॉड बेस्ड मीनेजिंग कमेटी वालयंटरी आर्गेनाइजेशन्स की होती है। क्या इस प्वाइंट पर कभी जांच की गई है या नहीं ? वालयंटरी आर्गेनाइजेशन्स को पिछले चार वर्षों में दिये गये अनुदान के बारे में पार्लियामेंट के मैम्बरों को अपने-अपने जिले के बारे में क्या सूची भेजेंगे ? स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें लगाया जाना चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसकी जांच करायी जानी चाहिये। आप जब अनुदान देने लगे तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट से पूछे कि किस तरह की आर्गेनाइजेशन है ? क्या इन सब पर आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : हम ऐसा करने को सोच रहे हैं कि ऐसी लिस्ट सभी सदस्यों को मिल जाये। हम ऐसी सूची भेज देंगे और राज्य सरकार को भी भेज देंगे।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवेश

*264. **श्री तरित वरण तोपदार :**
श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चौथी बार अनिवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश किए जाने वाले उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किस प्रक्रिया को अपनाया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 7 उपक्रमों के शेयरों की बिक्री का प्रथम चरण पूरा करने का निर्णय किया है। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वर्ष 1993-94 के समान होगी अर्थात नीलामी पद्धति ही अपनाई जाएगी। निम्नलिखित सात उपक्रमों के शेयर बेचे जाने हैं :

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
4. बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपो. लिमिटेड
7. नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि यह विनिदेश का यह पहला चरण है। मेरे विचार में विनिदेश का यह पहला चरण इन सात सार्वजनिक उपक्रमों के लिए है, परन्तु विनिदेश के तीन क्रमिक चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक उपक्रम में विनिदेश के तीन क्रमिक चरणों के माध्यम से सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई है। दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक उपक्रमों के आधुनिकीकरण, विस्तार तथा सुधार के लिए इस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि फर्स्ट राउंड ऑफ डिसइनवैस्टमैन्ट अभी नहीं हुआ है। 1991-92 में दो बार हुआ था और 1992-93 में तीन बार हुआ था। हर साल अलग-अलग होता है। ये टोटल मिलाकर बोल रहे हैं। 1993-94 के फोर्थ राउंड का प्रश्न नहीं उठता है। माननीय सदस्य ने टोटल इनवैस्टमैन्ट के बारे में जो पूछा है, मैं बताना चाहती हूं कि 1991-92 में 3038 करोड़ का रियलाईजेशन हुआ है, टारगैट 2500 करोड़ का ही था। 1992-93 में 1912 करोड़ का रियलाईजेशन हुआ है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसकी यूटिलिटी क्या होती है। जो डिसइनवैस्टमैन्ट से प्राप्त होता है वह तो सरकारी खजाने में जाता है, प्रायरिटी के अनुसार बजट ऐलोकेशन होता है और उसका हिसाब अलग-अलग होता है।

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शेयर घोटाले के सम्बन्ध

में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के इरादों तथा संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुये सरकार का विनिदेश की प्रक्रिया को ईमानदार बनाने के सम्बन्ध में क्या विचार है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जे.पी.सी. रिपोर्ट का सवाल है, बैंकों ने जो शेयर्स खरीदे थे, वह तो उससे संबंधित हैं और हमारे वित्त मंत्री ने बहुत बार लोक सभा और राज्य सभा में इसका उत्तर दिया है, इसके ऊपर कॉलिग अटैन्शन हुआ है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सीधा-सादा और संरल प्रश्न पूछा है कि इस प्रकार का घोटाला न हो, इसके लिए आपके पास क्या योजना है।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं–

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट बैंकों द्वारा खरीदे गये शेयरों के बारे में है। वित्त मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न बहुत अच्छा है और ऐसा प्रश्न पार्लियामेंट में पूछा जाएगा। ऐसा न हो, इसके लिए आपके पास क्या योजना है।

श्रीमती कृष्णा साही : इसमें एक रंगराजन कमेटी का गठन किया गया है जिस पर वित्त मंत्रालय का विचार विमर्श चल रहा है। इसके अन्दर बहुत सारे पहलू हैं।

जो यह कहा है कि कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए तो वह अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, प्रधान मंत्री के आने पर मैं इस पर चर्चा चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय, लिखित उत्तर में यह कहा गया है कि वर्ष 1993-94 में सात सार्वजनिक उपक्रमों में विनिदेश के अगले चरण में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो कि वर्ष 1992-93 में अपनाई गई थी। अर्थात् नीलामी की प्रक्रिया भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा इस सदन द्वारा की गई कड़ी आलोचना तथा विनिदेश के तरीके की आलोचना को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि शेयरों के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किस बात को आधार माना जायेगा, जिसके अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों में इक्विटी में विनिदेश किया जायेगा। दूसरी बात यह कही गई है कि सात उपक्रमों को चुना गया है। इन सात उपक्रमों को विशेष रूप से विनिदेश हेतु किस आधार पर चुना गया, क्योंकि इन उपक्रमों में वे उपक्रम भी शामिल हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि कौन-सा मैथडालॉजी

पब्लिक ऑक्शन से करने जा रहे हैं। पहले शुरू में पहली बार यह PSUs का ऐसा काम डिसइनवेस्टमेंट का हुआ, इसका अनुभव पहले नहीं था यह पहली बार किया गया, जिससे कुछ अनुभव लिया गया और उसके बाद जो मैथड होगा वह पब्लिक ऑक्शन से होगा। ···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय, यह क्या हो रहा है ? मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि विनिदेश के लिए नीलामी का वही तरीका अपनाया जायेगा, यह सर्वविदित है कि पहले जब यही नीलामी का तरीका अपनाया गया था, तो यू.टी.आई., जी.आई.सी., एल.आई.जी., तथा आई.डी.बी.आई. जैसी कुछ गिनी-चुनी संस्थाओं को इसके लिए आमंत्रित किया गया था तथा इसके परिणाम स्वरूप इन सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बाजार मूल्य की तुलना में सरकार को बहुत कम राशि मिली थी। बाद में यह बात भी सामने आई और समिति में भी उठी कि कुछ बैंकों तथा संस्थाओं ने, जिन्होंने ये शेयर खरीदे थे, बाद में अत्यधिक लाभ कमा कर उन्हें बाजार मूल्य पर बेच दिया, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे पुनः वही तरीका क्यों अपनाना चाहती हैं। वे सीधे इन्हें 'स्टॉक एक्सचेंज' क्यों नहीं भेजती, जहां सार्वजनिक उपक्रमों को अधिकतम कीमत मिलेगी ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जिन कम्पनियों में विनिदेश किया जायेगा, उनका इक्विटी प्रतिशत कितना होगा ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : 51 परसेंट शेयर होल्डिंग सरकार रखेगी।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : क्या आप 51 प्रतिशत शेयरों का विनिदेश कर रही हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : 51 परसंट सरकार रखेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे यह कह रही हैं कि 49 प्रतिशत विनिदेश किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो स्पष्टीकरण चाहिए, उनमें एक प्रश्न मुझे दोहराना होगा क्योंकि उसका उत्तर नहीं आया। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा यदि वे कृपा करके हमें बताएं कि आपने कौन-सा तरीका रिजर्व प्राइस या बेस प्राइस फिक्स करने का अपनाया है। ये सात कम्पनियां भारत की प्रमुख कम्पनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मंजगांव डाक भी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., महानगर टेलीफोन निगम लि. है और जो इसमें दी हुई

है तो ऐसा नहीं है कि साधारण सी कम्पनियां बेची जा रही हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने इनके शेयर्स की प्राइस लगाने के लिए, बेस पाइस या रिजर्व प्राइस लगाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया है। दूसरा मेरा कहना यह है जैसे कि मेरे मित्र ने पूछा कि आप कितने प्रशित शेयर अभी बेचेंगे।

अध्यक्ष महोदय : 49 परसंट बेचेंगे, 51 परसंट रखेंगे।

श्री जसवंत सिंह : 51 परसंट रखेंगे, यानी 49 परसंट बेचेंगे यह मैंने सुना है। तीसरी बात मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है और राष्ट्रीय सम्पत्ति को यदि बजट के रेवेन्यू घाटे की पूर्ति के लिए खर्च किया जा रहा है तो यह मामला कब तक चलेगा ? आप बजट का घाटा ठीक तरह से, रेवेन्यू डैफिसिट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप इन्हें बेचें तो इसको आप कब रोकेंगे और यह क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे। आपके पहले प्रश्न का जवाब ये देंगी।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, रिजर्व प्राइस की सिफारिश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के चाहने पर तथा आई.डी.बी.आई. तथा अन्य संस्थानों की सिफारिशों पर आई.डी.बी.आई. तथा आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा की जाती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह प्रश्न सही नहीं है। इस बार 49 प्रतिशत नहीं दिया जा रहा है, और न ही वित्त मंत्रालय इसका दावा करता है। तो 49 प्रतिशत में से कितना प्रतिशत इस समय बाजार में दिया जा रहा है कृपया इसका उत्तर दें। जो आलोचनाएं की गई थीं, उसमें एक यह भी थी कि इन उद्यमों के प्रबन्धकों द्वारा दी गई राय को अस्वीकार कर दिया गया। क्या इस बार कीमतों का निर्धारण करने के मामले में इन उद्यमों के प्रबन्धकों की राय ली गई है ? दूसरे, इन इकाइयों विशेष के शेयरों का वर्तमान मूल्य-अर्जन अनुपात क्या है ?

तीसरे आपने नीलामी का तरीका निधारित किया है। 1992-93 में बन्डलिंग की गई थी और 1992-93 में बन्डलिंग नहीं की गई।

श्री मुरली देवरा : यह बन्डलिंग है या गोलमाल ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस बन्डलिंग में गोलमाल भी होता है। इस बार यह बन्डलिंग कर रहे हैं, लेकिन कार्य किन को सौंपा जा रहा है ?

क्या इसमें विदेशी संस्थाएं, विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड, वित्तीय संस्थाएं और दलाल शामिल हैं ?

मैं इन तीन चीजों का उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक चीज के बारे में पूछ सकते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि इसका तरीका नीलामी है।

यूनियन कार्बाइड के शेयर

*266. +श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
डा. सुधीर राय :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने भारत में यूनियन कार्बाइड के शेयरों की बिक्री से हाल ही में प्रतिबन्ध उठा लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस निर्णय के लिये जाने में शामिल है;

(ग) क्या इस संबंध में गैस पीडित संगठनों की राय ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय ने समझौता राशि के संबंध में पुनरीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेते समय 3.10.91 के अपने आदेश में आशा और विश्वास व्यक्त किया था कि मै. यू.सी.सी. गैस प्रभावित लोगों के लिए भोपाल में 500 बिस्तरों के अस्पताल के लिए 50 करोड़ रु. देंगे और अस्पताल के निर्माण के लिए 18 महीने का समय दिया। मै. यू.सी.सी. 50 करोड़ रु. देने के लिए सहमत हो गये थे और इसने यू.सी.सी.आई.एल. में अपने शेयर 20.3.92 को लंदन स्थित एक ट्रस्ट के पास रेहन रख दिए थे और धनराशि शेयरों की बिक्री से उपलब्ध की जानी थी। सी.जे.एम., भोपाल ने मै. यू.सी.सी. के खिलाफ आपराधिक मामले में कंपनी प्राधिकारियों को उपस्थित कराने के लिए 30.4.92 को इन शेयरों की कुर्की कर दी थी। चूंकि मै. यू.सी.सी. ने अस्पताल के निर्माण के लिए निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं कराई अतः भारत सरकार ने 500 बिस्तरों के अस्पताल की पूंजीगत लागत और प्रचालन लागत के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण और सारी धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मै. यू.सी.सी. को निर्देश देने हेतु उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। जब 10.12.93 को मामला सुनवाई के लिए आया तो एकमात्र न्यासी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, और सुझाव दिया था कि अस्पताल के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए शेयरों की बिक्री के लिए कुर्की समाप्त की जाये और शेष धनराशि कुर्की के अन्तर्गत रखी जा सकती है। इसका पीड़ितों के संगठन द्वारा समर्थन किया गया था और न्यायालय ने इसे "पर्याप्तरूप से उचित" पाया था।

पार्टियों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने 14 फरवरी, 1994 को प्रतिभूतियों की बिक्री और बिक्री से होने वाली आय विभाजन के लिए एक प्रक्रिया का आदेश दिया और निर्देश दिया कि उक्त प्रयोजनार्थ व्यवहृत होने वाले अस्पताल न्यास के लिए 65 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की जाए। अनिवार्य भुगतान करने के पश्चात् बिक्री से प्राप्त होने वाली शेष राशि भारतीय स्टेट

बैंक में रखी जाएगी जो रुकी रहेगी और सी.जे.एम. भोपाल की अदालत द्वारा कुर्की के अन्तर्गत रहेगी। उपर्युक्त व्यवस्थाएं उच्चतम न्यायालय की देखरेख में होंगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है, उसमें यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय अपने अक्तूबर, 1991 में दिए आदेश में पहले ही 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने का आदेश यूनियन कारबाइड को दे चुका है। उस समय यू.सी.सी. ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। यह उस समय की बात है जब उसकी सम्पत्तियां कुर्क नहीं की गयी थीं। अब शेयरों की बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध हटाया जा रहा है, क्योंकि उस समय यू.सी.सी. ने अस्पताल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, जबकि उसके पास ऐसा करने का अवसर था, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बात की क्या गारंटी है कि अब यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय अवधि के भीतर, अपने शेयरों की कीमत वसूलने के बाद, इसका निर्माण कर देगा। सरकार इस बात की गारंटी कैसे दे सकती है।

[हिन्दी]

श्री रामलखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि कंपनी ने जो ऑफर किया है, मानवीय दृष्टिकोण से यह अस्पताल बनना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। हम लोग भी इस बात के लिए मुस्तैद हैं कि अस्पताल बने, लेकिन बीच में कई दफा अड़चने आ जाती है, जिनकी वजह से विलंब हो जाता है। पहले तो कंपनी ने अपने शेयर्स लंदन के किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए, उससे कुछ बखेड़ा पैदा हो गया। सारा कुछ क्लीयर होने के बाद दूसरा बखेड़ा यह पैदा हो गया कि इसकी एस्टीमेटेड कास्ट उस समय 50 करोड़ थी, जो अब बढ़ कर 100 करोड़ हो गई है। सारी चीजों को देखने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, जो सारी चीजों को देख रही है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी कंपनी द्वारा ऑफर किया हुआ अस्पताल बनेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मंत्री महोदय द्वारा दिए गये उत्तर में यह बात स्पष्ट नहीं है। यह अस्पताल उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाये, यह सुनिश्चित करने के लिए वे क्या करने जा रहे हैं ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें इस बात का ज्ञान है कि यद्यपि दिखावे के लिए इस घटना के शिकार लोगों पर करोडों रुपया खर्च किया गया है, परन्तु इस राशि का एक बड़ा हिस्सा भोपाल के सौन्दर्यीकरण जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च किया जा रहा है। जिस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उससे हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। अभी भी लागत बढ़ कर 100 करोड़ रुपए हो गई है। अगर इसे तीन वर्ष के भीतर पूरा न किया गया और मान लीजिए यह कार्य छः वर्ष तक चलता रहा, तो लागत बहुत अधिक बढ़ जायेगी। इसके कारण चाहे कुछ भी हो, हमारे लिये यह मात्र छलावा बन कर रह जायेगा।

मैं स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहती हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि यह सारी राशि अस्पताल के निर्माण पर लगे।

[हिन्दी]

श्री रामलखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई बातें एक साथ कह दी हैं ...(**व्यवधान**) समय के मुताबिक उन्होंने इच्छा जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि वह समय पर बनेगा। कंपनसेशन दिए जाने के बारे में 15 हजार मरने वालों की संख्या बताई गई है। इसके लिए एक जज नियुक्त हुए हैं जो देख रहे हैं...(**व्यवधान**) 15 हजार में से 10 हजार का निष्पादन हो चुका है और दस हजार में से पांच हजार लोगों को एक लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से टू-थर्ड का फैसला हो चुका है। बाकी पांच हजार रह गए हैं, इसको भी जज देख रहे हैं...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह ठीक नहीं है। वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। दो तिहाई काम नहीं हुआ है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्री महोदय को और अधिक जानकारी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामलखन सिंह यादव : 36 वार्ड के लोगों को प्रति व्यक्ति 200 रुपए के हिसाब से अब तक मिलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब तक इसको देते रहेंगे। उसने बंधन लगाया है कि जिसकी आमदनी अच्छी है, तो उसको नहीं दिया जायेगा। तीनों बात मैंने बता दी है कि जल्दी से जल्दी यह काम समाप्त हो जाएगा। यह इतनी बड़ी घटना है कि जिस पर कार्यवाही हो जाए तो इस पर सरकार की नजर है।

[अनुवाद]

डा. सुधीर राय : मुआवजा देने का काम कब पूरा होगा ? यू.सी.सी. के पूर्व महा-निर्देशक श्री एन्डरसन के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में क्या किया गया ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : कल्याण आयुक्त के अनुमान के अनुसार, यह कार्य तीन वर्षों के भीतर पूरा होगा। खैर, यह एक आशावादी आंकलन हो सकता है। वास्तविकता यह है कि आयुक्त तथा उनके साथ कार्य कर रहे अतिरिक्त आयुक्त वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत इस कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए उन्होंने सभी संभव प्रयास किए हैं।

फिर भी, वास्तविकता यह है कि यह कार्य बहुत बड़ा है। छः लाख लोग पहले ही दावा दाखिल कर चुके हैं, इसलिए हमने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री कतलीवाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, जो यह देखेगी कि क्या इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जा सकता है, ताकि इन अभागे लोगों को शीघ्र मुआवजा दिलवाया जा सके। जहां तक प्रकिया का सम्बन्ध है इसकी यह स्थिति है। हम इससे सहमत हैं कि इस कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए

सभी कदम उठाए जाने चाहिए और सभी प्रयास किए जाने चाहिऐ और यही हम कर रहे हैं।

श्री एन्डरसन के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में कार्यवाही का काम भोपाल में मुख्य न्यायिक न्यायाधीश देख रहे हैं। मामला न्यायालय के विचाराधीन है तथा सी.बी.आई. और गृह मंत्रालय इस मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार प्रत्यावर्तन सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 15 हजार को आइडेंटीफाई किया है और 10 हजार का निपटारा कर चुके है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग थे, जो मजदूर थे, अभी भी जिनकी एप्लीकेशंस पड़ी हैं। क्या आप कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे, जिससे इस केस में सब लोगों की पहचान हो सके और कितने लोग प्रभावित हुए है, कैसे मदद दी जाये, इस पर विचार हो सके ?

श्री रामलखन सिंह यादव : हमारे पास जितने सोर्सेज है, उनके हिसाब से हमने काम किया है, जो रिप्रेजेटेशंस आये हैं उनको हम काफी मानते हैं। 15 हजार में से 10 हजार लोगों का फैसला हुआ, आप समझ सकते है कि उसमें से पांच हजार लोग सही पाये गये। आगे और एप्लीकेशंस इनवाइट करे, ऐसी हमारी मंशा नही हैं। जितनी आनी थी वह आ चुकी है, अब उन्हीं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। बात केवल इतनी ही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

20 सूत्री कार्यक्रम

*265 **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविक जांच करने के लिए क्या विधि अपनायी गयी है;

(ख) नवीनतम समीक्षा के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 20

सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाता है। ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा साथ ही अन्य योजना स्कीमों के वास्तविक सत्यापन के लिए उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली विकसित की है।

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक प्रबोधन हेतु पता लगाई गई मदों की अप्रैल, 93-जनवरी, 1994 के दौरान राज्य/संघशासित क्षेत्रवार उपलब्धि का एक विवरण संलग्न है।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यक्रमों का एक पैकेज है जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए निधियों का अलग से आवंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

राज्य का नाम : आन्ध्र प्रदेश

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	204024	170020	209882	123
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	102562000	78630867	47330000	60
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	8330	6936	12704	183
4.	05 क	फालतू : भूमि का वितरण	एकड़	122810	94155	15800	17
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास समस्या (ग्राम)	संख्या	1000	713	370	52
6.	07 क	सुलझायी गई पेयजल	संख्या	1269	1015	1201	118
7.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	40	19	0	0
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	60	40	6	0

9.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	1684820	1291695	1384000	107
10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	600000	460000	449000	98
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	276778	212197	15415	70
12.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	183	183	192	105
13.	09 घ	आंगनबाड़ियां (संचयी)	संख्या	23703	23703	21442	90
14.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहाय़ता	संख्या	381000	294640	312360	106
15.	11 ख	अनु. जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	95000	75367	95680	127
16.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	100000	81333	113073	139
17.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	52900	43025	113976	265
18.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	49034	39881	17743	44
19.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	25000	20333	39971	197
20.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1240	1009	1071	106
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	225000	183000	235541	129

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	195000000	185900000	95334400	51
23.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वनभूमि	हेक्टेयर	70000	66733	32110	48
24.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	502	418	261	62
25.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	56000	39947	60646	152
26.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	170000	113333	142889	126
27	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	12800	8533	13057	153

राज्य का नाम : अरुणाचल प्रदेश

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	16630	13859	5351	39
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1001000	767433	383000	50

3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	180	180	114	63
4.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	150	121	45	37
5.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1	0	0	-
6.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	2	1	0	0
7.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	25434	19499	9899	51
8.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2700	2070	1082	52
9.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	1378	1057	833	79
10.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	38	38	38	100
11.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1723	1723	1201	70
12.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	2600	2115	577	27
13.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	222	181	30	17
14	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	1	0	0	
15.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	500000	476667	134400	28
17.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	7500	7150	191	3
18.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	60	50	36	72
19.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	150	75	23	31
20.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	5000	3333	816	24
21.	19 घ	बायो-गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	20	13	4	31

राज्य का नाम : असम

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	67158	55965	36382	65
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	22889000	17548233	9615000	55

3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	2536	1860	1517	82
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	30430	23330	5629	24
5.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	714	571	715	125
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	11	5	0	0
7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	48	31	14	45
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीसीटी, पोलियों एवं बीसीजी)	संख्या	605177	463969	375632	81
9.	(ii) क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	130000	99667	5746	6
10.	(ii) ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	25333	19422	8953	46
11.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	62	62	62	100
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	7303	7303	6829	94
13.	11 क	अनु. जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	31000	23973	13964	58
14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	40000	31733	9931	31

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	11920	9695	0	0
16.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	11920	9695	0	0
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	6209	5050	1833	36
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	1665	1355	75	6
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	24	19	0	0
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	7000	5693	4700	83
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	3000000	2860000	35405000	1238
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टे.	27500	26217	22843	87
23.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	110	55	0	0
24.	19 ग	उन्नत चूल्हे	"	60000	40000	8203	21
25.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	"	100	667	276	41

राज्य का नाम : बिहार

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण योजना कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	390585	325488	224190	69
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	146771000	11252433	104094000	93
3.	01 ग	लघु उद्योग इंकाइयां (पंजी.)	संख्या	10000	8000	6725	84
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	94000	72067	3892	5
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	391	278	164	59
6.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	6281	5024	1961	39
7.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	20	0	0	0
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	100	67	0	0
9.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	2807428	2152361	1228072	57

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	500000	383333	207945	54
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	193889	148648	50886	34
12.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड परिचालन (संचयी)	संख्या	245	245	245	100
13.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	22114	22114	19023	86
14.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	310000	239733	121502	51
15.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	125000	99167	87649	88
16.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	17299	14070	65970	469
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	37396	30415	50021	164
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	636	518	58	11
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1022	831	206	25

20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	25000	20333	2484	12
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	75000000	71500000	43400000	61
22.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	50000	47667	45855	96
23.	19 क	विद्युतीकरण ग्राम	संख्या	258	177	44	25
24.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	1500	1070	1217	119
25.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	150000	100000	24221	24
26.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)		4000	2667	1009	38

राज्य का नाम : गोवा

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	3446	2872	2558	89
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1013000	776633	721000	93

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	200	153	184	120
4.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	55	44	28	64
5.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	21170	17642	16561	94
6.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	4000	3067	3395	111
7.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	2222	1703	2060	121
8.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	11	11	11	100
9.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1100	1100	1079	98
10.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	2000	1547	241	16
11.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	200	163	0	0
12.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	200	163	1	1
13.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	276	225	55	24

14.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	100	81	0	0
15.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	50	41	0	0
16.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	150	123	0	0
17.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	3000000	2860000	3346000	117
18.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	1800	1716	1852	198
19.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	8000	5333	6075	114
20.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	200	193	70	53

राज्य का नाम : गुजरात

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	74900	62417	63597	102

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	21140000	16207333	14749000	91
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	8000	7200	10092	140
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	15140	11607	2726	23
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	500	400	364	91
6.	8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	5	2	5	250
7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	5	3	4	133
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	1198090	918536	897746	98
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	270000	207000	212070	102
10.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	210722	167687	187719	112
11.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	109	109	124	114
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	18422	18422	17903	97
13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	61000	47173	36427	77

14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	82000	65053	61214	94
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	30000	24400	27916	114
16.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	20000	16267	16110	99
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	6598	5323	5031	95
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	2400	1952	1658	85
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1000	813	2066	254
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	80000	65067	68201	105
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	150000000	143000000	149750000	105
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	68000	64827	65992	102
23.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	70	59	96	163
24.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसेट	संख्या	17000	12127	12498	103
25.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	50000	33333	33555	101
26.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	35000	23333	23005	99

राज्य का नाम : हरियाणा

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	17989	14990	17216	115
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	4633000	3551967	1289000	36
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	3720	3100	4455	144
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	4570	3504	202	6
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	700	560	250	45
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	7	3	0	0
7.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियों एवं बीसीजी)	संख्या	517398	396672	279045	70
8.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	110000	84333	66112	78
9.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	101944	78157	66218	85

10.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	49	49	97	198
11.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	5584	5584	10181	182
12.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	51000	39440	22228	56
13.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	300	244	6105	2502
14.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1600	1301	1576	121
15.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	1848	1503	316	21
16.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	531	432	178	41
17.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1347	1096	499	46
18.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	45334	36871	26409	72
19.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	30000000	28600000	19382000	68
20.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	37500	35750	33008	92
21.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	12500	8917	3743	42

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	75000	50000	19282	39
23.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	2000	1333	909	68

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	5863	4886	7491	153
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	3373000	2585967	2398000	93
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	650	477	439	92
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	2870	2201	0	0
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	570	457	370	81
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1	0	0	

7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	15	10	0	0
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	136166	104394	93756	90
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	40000	30667	26170	85
10.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	28389	21765	17767	82
11.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	34	34	34	100
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	3523	3523	3794	108
13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता	संख्या	21000	16240	12686	78
14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	2420	1919	2088	109
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	166	135	5	4
16.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	166	135	212	157
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	809	658	247	38
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	30	24	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	80	65	58	89
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	14000	11387	11402	100
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	7500000	7150000	1751000	24
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	35000	33367	23410	70
23.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	100	50	168	336
24.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	35000	23333	17396	75
25.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	3600	2400	1357	57

राज्य का नाम : जम्मू और कश्मीर

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	11193	9328	2547	27

2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	7275000	557750	33940	6
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	1400	1120	612	55
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	6000	4600	0	0
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	214	171	23	13
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	4	2	0	0
7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	20	13	0	0
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	242697	186068	111309	60
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	22000	16867	9791	58
10.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	10667	8178	3097	38
11.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	42	42	65	155
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	3072	3072	4566	149
13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	4100	3171	547	17

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	2000	1587	423	27
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	250	203	12	6
16.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	250	203	10	5
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	1084	882	172	20
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	900	732	1	0
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	50	41	0	0
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	18000	14640	4521	31
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	6000000	5720000	2504000	44
22.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	20000	19067	6681	35
23.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	10	5	0	0
24.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	200	100	161	161
25.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	50000	33333	26654	80
26.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	67	4	6

राज्य का नाम : कर्नाटक

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	136981	114150	142100	124
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	71801000	55047433	30345700	55
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	10000	8045	8041	100
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	84270	646007	542	1
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	500	357	654	183
6.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	5500	4400	30	1
7.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र	संख्या	10	5	14	280
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	50	33	49	148
9.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो और बी सी जी)	संख्या	1229367	942514	944656	100
10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	380000	291333	296258	102

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी- आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	135389	103798	100661	97
12.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	118	118	148	125
13.	09 घ	आंगनवाड़िया (संचयी)	संख्या	19105	19106	25579	134
14.	11 क	अनु. जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	127000	98213	85038	87
15.	11 ख	अनु. जनजाति के परिवारों की सहायता	संख्या	9600	7616	12713	167
16.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	50000	40667	52658	129
17.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	50000	40667	34295	84
18.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	14197	11546	4046	35
19.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	2500	2033	5352	263
20.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	2000	1627	731	45

21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	60000	488000	47630	98
22.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	45000000	42900000	27419100	64
23	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एव वन भूमि	हेक्टेयर	42500	40517	46536	115
24	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	32004	22829	31082	136
25.	19 ग	सुधरे चूल्हे	संख्या	130000	86667	47006	54
26.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	4500	3000	5607	187

राज्य का नाम : केरल

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	49836	41530	42101	101
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	11347000	8699367	7744000	89
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	11500	8833	10489	119

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	8240	6317	196	3
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	200	160	72	45
6.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी. पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	550113	428654	434565	101
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	115000	88167	92689	105
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आई.यू.डी. सीसी एवं ओपी	संख्या	60667	46511	39278	84
9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचगी)	संख्या	66	66	90	136
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचगी)	संख्या	8468	8468	10118	119
11.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	63000	48720	326007	97
12.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	5918	4695	3692	79
13.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	3000	2440	982	40

14.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	13245	10684	3872	36
15.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	11150	9069	12736	140
16.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	4200	3416	811	24
17.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	25000	20333	23648	116
18.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	30000000	28600000	11407000	40
19.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	15000	14300	567	4
20.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	4800	3424	8278	242
21.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	100000	66667	22304	33
22.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	2200	1467	901	61

राज्य का नाम : मध्य प्रदेश

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	ए.ग्रा.वि. कार्यक्रम (परि.)	संख्या	258521	215434	174604	81

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	01 ख	जवाहर रो. योजना (श्रमदिवस)	संख्या	78553000	60223967	52227000	87
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयो (पंजी.)	संख्या	17534	14613	13453	92
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड	64410	49381	543	1
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	54	39	24	62
6	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	5600	4480	4351	97
7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	2650	173	0	0
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	2360050	1809372	1549741	86
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	400000	306667	271075	88
10.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आई.यू.डी., सीसी और ओपी	संख्या	469778	360163	271679	75
11.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड परिचालन (संचयी)	संख्या	231	231	231	100
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	25212	25212	24145	96

13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	228000	176320	141030	80
14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	215000	170567	167449	98
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	18381	14950	13045	87
16.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	18381	14950	13914	93
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	28399	23098	34860	151
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	6000	4880	4759	98
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	3600	2928	3466	118
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	79237	64446	106607	165
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	40000000	38133333	43899795	115
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र– सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	125000	119167	125187	105
23.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	250	169	462	273
24.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसेट	संख्या	19000	13553	33086	244

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	200000	133333	172840	130
26.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5500	3667	8075	220

राज्य का नाम : महाराष्ट्र

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	ए.ग्रा.वि.का. (परिवार)	संख्या	222394	185329	132000	71
2.	01 ख	ज.रो.यो. (श्रम दिवस)	संख्या	137828000	1056681133	52500000	50
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	13000	11700	11972	102
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	29980	22985	868	4
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	1000	800	882	110
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र	संख्या	5	2	2	100
7.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियों एवं बीसीजी)	संख्या	2172573	1665640	1595947	96

8.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	525000	402500	422000	105
9.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओ.पी.	संख्या	311000	238433	211896	89
10.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	175	175	175	100
11.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	27522	27522	25826	94
12.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	132000	122080	73911	72
13.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	100000	79333	63269	80
14.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	1700	1383	0	0
15.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1700	1383	0	0
16.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	6974	5673	3395	60
17.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	2000	1627	3605	222
18.	14 ङ	निम्न आय वर्ग का आवास	संख्या	14300	11631	4948	43
19.	15	गंदी बस्तियों का आवास (जनसंख्या)	संख्या	250000	203333	1624000	80

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	16 क	निजी भूमि का वृक्षारोपण	संख्या	120000000	114400000	90452000	79
21.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	18000	1716000	100158	58
22.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	300	250	540	216
23.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	48000	34240	40599	119
24.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	170000	113333	90636	80
25.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	22000	14667	12261	84

राज्य का नाम : मणिपुर

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	ए.ग्रा.वि.का. (परिवार)	संख्या	1511	1260	3658	290
2.	01 ख	ज.रो.यो. (श्रम दिवस)	संख्या	1484000	1137733	733004	64
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	340	283	133	47
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	51	39	0	0

5.	07	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	170	137	42	31
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1	0	2	-
7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	2	1	6	100
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	39715	30448	21305	70
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	3500	2683	639	24
10.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	8167	6261	1783	28
11.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	25	25	25	100
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1907	1907	1562	82
13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	600	464	41	9
14.	11 ख	अनु. जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	4400	3491	2719	78
15.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	290	236	106	45
16.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	226	183	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	220	179	0	0
18.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	3560	2895	0	0
19.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	3000000	2860000	0	0
20.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र - सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	9500	9057	0	0
21.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	30	25	0	0
22.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	115	57	34	60
23.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	10000	6667	3174	48
24.	19 घ	बायोगैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	150	101	33	33

राज्य का नाम : मेघालय

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	ए.ग्रा.वि.का. (परिवार)	संख्या	4655	3879	1337	34

2.	01 ख	ज.रो.योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1689000	1294900	727000	56
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयों (पंजी.)	संख्या	140	117	126	108
4.	07 क	सुलझायी गयी पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	560	448	88	20
5.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	4	2	1	50
6.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)	संख्या	5	4	4	100
7.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियों एवं बीसीजी)	संख्या	56887	43613	12447	29
8.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	1000	767	414	54
9.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	889	682	409	60
10.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड परिचालन (संचयी)	संख्या	28	28	28	28
11.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1460	1460	1389	95
12.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	2760	2245	427	19
13.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	334	271	265	98
14.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	126	102	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	114	93	0	0
16.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	7600	6181	3433	56
17.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	12500000	11916667	1514000	13
18.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	19000	18113	11771	65
19.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	70	35	15	43
20.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	2000	1333	1000	75
21.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	67	0	0

राज्य का नाम : मिजोरम

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	6971	5810	2547	44

2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	524000	401733	353000	88
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	172	155	208	134
4.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	165	132	81	61
5.	8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1	0	0	-
6.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	3	2	0	0
7	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	17314	14429	13867	96
8.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	3000	2300	2919	127
9	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	1222	937	844	90
10.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	19	19	21	111
11.	09 घ	आंगनवाड़ियों (संचयी)	संख्या	926	926	1113	120
12.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	"	2200	1789	800	45
13.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1120	911	700	77

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	14 ग	इंदिरा आवास योजना मकान	संख्या	185	150	109	73
15.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	120	97	0	0
16.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	260	211	0	0
17.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	2000	1627	2000	123
18.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1000000	953333	36554400	3834
19.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	14000	13347	16750	125
20.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	10	8	18	225
21.	19 ख	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	50	25	18	72
22.	29 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	4000	2667	2000	75
23.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	67	73	109

राज्य का नाम : नागालैंड

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	7273	6061	697	11
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	1474000	1130067	0	0
3	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	250	209	204	98
4.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	141	112	49	44
5	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1	0	0	-
6	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	3	2	0	0
7.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	20823	15964	5941	37
8.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2500	1917	220	11

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	1456	1116	167	15
10.	09 ग	एकीकृत विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	26	26	26	100
11.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	1214	1214	1301	107
12.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	684	557	0	0
13.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	438	356	0	0
14.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	12000000	11440000	3800000	33
15.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	7500	7150	2798	39
16.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	84	70	0	0
17.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	20	10	63	630
18.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	2000	1333	150	11
19.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	67	5	7

राज्य का नाम : उड़ीसा

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	165479	137900	66440	48
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	55771000	42757767	27021000	63
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	1692	1409	1274	90
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	2690	2063	1791	87
5.	06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	26	20	10	50
6	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	2500	2000	2836	142
7.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	892293	684092	578416	85
8.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	144000	110400	100119	91

1	2	3	4	5	6	7	8
9	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी सीसी एव ओपी	संख्या	96556	74026	60948	82
10	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	218	218	218	100
11	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	18073	18073	15700	87
12	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	66000	51040	32469	64
13.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	66000	52360	61512	117
14.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	5000	4067	6299	155
15.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	7833	6371	9734	153
16	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	15700	12769	6257	49
17.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	1500	1220	1493	122
18.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	3000	2440	3160	130
19.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	9556	7772	8531	110

20.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	55000000	52433333	39004000	74
21.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	75000	71500	70819	99
22.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	150	125	369	295
23.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	235	158	48	30
24.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	3500	2457	928	37
25.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	120000	80000	92957	116
26.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	11000	7333	6770	92

राज्य का नाम : पंजाब

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	12792	10660	13634	128
2	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	2993000	2294633	1242000	54

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	5000	4167	2494	60
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	23040	17664	64	0
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	475	380	230	61
6.	08 क	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	556008	426273	488782	115
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	85000	65167	93943	144
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	194833	149672	156839	105
9	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	62	62	62	100
10	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	6806	6806	6908	101
11	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	56000	43307	24040	56
12.	14 क	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	5863	4810	480	10
13.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	2700	2196	0	0
14.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	500	407	448	110

15.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	-संख्या	40000	32533	0	0
16.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	8000000	7626667	2949000	39
17.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	18000	17160	16712	97
18.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	3500	2497	21100	845
19.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	90000	60000	0	0
20.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	2000	1333	1939	145

राज्य का नाम : राजस्थान

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	107400	89500	87030	97
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	42666000	32710600	28567000	87
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	2000	1733	1776	102

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	19380	14858	121	1
5.	06 क	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	151	102	104	102
6.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	2195	1756	1603	91
7.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	15	7	8	114
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	40	29	20	69
9	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	1437341	1101961	954630	87
10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	275000	210833	146060	69
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	127389	97665	75333	77
12.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	136	136	136	100
13.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	15326	15326	11943	78
14.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	137000	105947	82732	78
15.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	65000	51567	43276	84

16.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	30000	24400	36491	150
17.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	11000	8947	7412	83
18.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	11388	9262	9796	106
19.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	2000	1627	869	53
20.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1500	1220	828	68
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	57143	46476	38099	82
22.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	40000000	38133333	41168000	108
23.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	65000	61967	65484	106
24.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	350	291	345	119
25.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	650	438	541	124
26.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	22800	16264	15062	93
27.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	180000	120000	111686	93
28.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	3600	2400	2985	124

राज्य का नाम : सिक्किम

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	1352	1127	558	50
2	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	819000	627900	908460	145
3	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	65	52	17	33
4.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	139	112	35	31
5	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	1	0	0	-
6.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	10661	8173	5425	66
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	1100	843	312	37
8	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	606	465	442	95

9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	4	4	4	100
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	353	353	384	109
11.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	1700	1315	388	30
12.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	3030	2404	2140	89
13.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	452	367	0	0
14.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	142	115	89	77
15.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	50	41	35	35
16.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	1200	976	900	92
17.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1800000	1716000	21820000	1272
18.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	8500	8103	3161	39
19.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	5000	3333	3529	106
20.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	100	67	157	234

राज्य का नाम : तमिलनाडु

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	184436	153697	151292	98
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	104236000	79914267	59032900	74
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	13200	11000	11946	109
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	3210	2461	2767	112
5.	06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	67	48	2	4
6.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	3500	2800	2788	100
7	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	15	7	0	0
8	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	1184633	987194	959378	97
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	350000	268333	283747	106

10.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	156556	120026	120056	100
11	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	111	111	111	100
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	9688	9688	9122	94
13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	254000	196427	217624	111
14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	9000	7140	6652	93
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	275000	223667	209704	94
16.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	30000	24400	17030	70
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	18930	15396	24923	162
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	9848	8010	4754	59
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	8119	6604	4061	61
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	28000	22773	27195	119
21	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	100000000	95333333	101337000	106

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र- सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	114000	108680	73545	68
23.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	37400	26679	28083	105
24.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	140000	93333	94021	101
25.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	10000	76667	5568	84

राज्य का नाम : त्रिपुरा

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	15000	12500	504	4
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	2204000	1689733	1298000	77
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	600	500	409	82
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	53	41	0	0

5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	420	336	225	67
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	5	2	0	0
7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	10	7	01	0
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एव बीसीजी)	संख्या	67923	52074	24467	47
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	11000	8433	7832	93
10.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	1256	963	1124	117
11.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	19	19	19	100
12	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	2055	2055	1672	81
13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	7400	5723	1105	19
14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	10000	7933	1905	24
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	1000	813	0	0
16	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	4000	3253	587	18

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	सख्या	431	350	61	17
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	160	130	6	5
10.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	85	69	8	12
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	10000	8133	7500	92
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	5000000	4766667	2769000	58
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र- सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	17700	16870	7993	47
23.	18	उचित दर दुकान	संख्या	80	67	3	4
24.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	320	160	83	52
25.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	60	30	21	70
26.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	2000	1333	865	65
27.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	50	34	4	12

राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	4463544	346962	356733	103
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	177957000	13643370	128702000	9494
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	33000	27500	30654	111
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	52570	40304	2990	7
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	5084	4067	4633	114
6.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	17	8	0	0
7.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	15	10	0	0
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	4825324	3699415	3513000	95

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	(9) क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	700000	536667	279263	52
10.	(9) ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीरी एवं ओपी	संख्या	803000	6156333	588403	95
11.	(9) ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	353	353	361	102
12	(9) घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	29683	29683	27014	91
13.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	406000	313973	247132	79
14.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	4400	3491	2008	58
15.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	50000	40667	114638	282
16.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	100000	81333	44811	55
17.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	49509	40267	19440	48
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	5600	4555	1727	38
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	2350	1911	815	43
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	150000	122000	124129	102

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	320000000	305066667	277843000	91
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	85000	81033	94	98
23.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	650	438	333	76
24.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	12300	8717	17433	200
25.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	350000	233333	179335	77
26.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	12000	8000	6701	84

राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	182836	152363	16352	11
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	70117000	53756367	24835000	46
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	3500	2567	993	39

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	33330	25553	1000	4
5	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	2008	1607	811	50
6.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	1853885	1421312	1051524	74
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	400000	306667	230958	75
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	170722	130887	58404	45
9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	184	184	201	109
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	21665	21665	23256	107
11.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	289000	223493	10041	4
12.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	60000	47600	3051	6
13.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	960	781	1310	168
14	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1808	1471	0	0
15	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	19860	16153	4922	30

16.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	25	20	0	0
17.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	32	27	0	0
18.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	37000	30093	4804	16
19.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	80000000	76266667	76510000	100
20.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	45000	42900	32111	75
21.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	350	235	158	67
22.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	4700	3353	1458	45
23.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	75000	50000	64182	128
24.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	7000	4667	4056	87

राज्य का नाम : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	1726	1439	492	34

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	327000	250700	118511	47
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	50	41	37	90
4.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	20	16	14	88
5.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	6087	4666	4969	106
6.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2000	1533	1325	86
7.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	872	669	645	96
8.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	4	5	4	100
9.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	247	247	261	106
10.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	500	397	215	54
11.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	50	41	0	0
12.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	120	97	38	39
13.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	8	7	0	0

14.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	100	81	4	5
15.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	250	204	174	85
16.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	500000	476667	489160	103
17.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	3300	3146	3490	111
18.	19	उचित दर दुकानें	संख्या	16	13	22	169
19.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	6000	4000	2707	68
20	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	4	0	0

राज्य का नाम : चंडीगढ़

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	100	83	54	65
2.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	11848	9083	10619	117
3.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	2700	2070	2527	122
4.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	3956	3033	2586	85

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	2	2	2	100
6.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	200	200	212	106
7.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	500	387	287	75
8.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	1000	813	21	3
9.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	500	477	0	0
10	18	उचित दर दुकानें	संख्या	10	8	12	150
11.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	1300	867	1	0
12.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	4	0	0

राज्य का नाम : दादरा और नागर हवेली

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	372	310	268	86

2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	273000	209300	133000	64
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	"	15	13	20	154
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	1004	770	157	20
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	5	4	8	0
6.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	5016	3845	3504	91
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	600	460	297	65
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	133	102	123	121
9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	1	1	1	100
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	125	125	125	100
11.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	15	12	0	0
12.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	800	651	115	18
13.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)		71	58	10	17
14	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	5	4	5	125
15.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	1200000	1144000	1247000	109

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	1100	1049	1843	80
17.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	4	3	0	0
18.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	1000	667	678	102
19.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	4	2	50

राज्य का नाम : दमन और दीव

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	690	576	401	70
2	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	163000	124967	50400	40
3	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पजी.)	संख्या	45	38	95	259
4	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	25	20	22	110

5.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	1	0	0	-
6	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	2830	2170	2787	128
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	400	307	420	137
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	244	187	235	126
9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	2	2	2	100
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	79	79	79	100
11	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	संख्या	732	581	494	85
12.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	30	24	10	42
13.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	38	31	17	55
14.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	1	8	20	-
15.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1	0	0	-
16.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	100000	95333	75000	79
17.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	150	143	58	41

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	400	267	1	0
19.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	5	4	0	0

राज्य का नाम : दिल्ली

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	700	583	594	102
2.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड	75	58	0	0
3.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	224275	171944	157875	92
4.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	42000	32200	29100	90
5.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	68944	52857	44393	84
6.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	25	25	27	108
7.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	3036	3036	3177	105

8.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	10000	7733	3516	45
9.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	8300	6751	2087	31
10.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	42	34	4175122	79
11.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	133000	108173	56166	52
12.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	5000000	4766667	3772000	79
13.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	2000	1907	1372	72
14.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	20000	13333	14005	105
15.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	सख्या	10	7	6	86

राज्य का नाम : लक्षद्वीप

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993 94	अप्रैल, 93 जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	159	133	32	24

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	262000	200867	170200	85
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	40	33	30	91
4.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	2	1	1	100
5.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	17	0	0	-
6.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	1310	1005	3150	313
7.	09 ग	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	100	77	12	16
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	244	187	44	24
9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	1	1	1	100
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	60	60	60	100
11.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	400000	381333	409105	107
12.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	50	48	50	104
13.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	300	200	160	84

राज्य का नाम : पांडिचेरी

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाई	1993-94	अप्रैल, 93-जनवरी, 94		प्रतिशत
				वार्षिक लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	1407	1172	1099	94
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	516000	395600	319000	81
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	संख्या	275	228	188	82
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	440	337	0	0
5.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	25	20	14	70
6.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	15979	12251	13775	112
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	7000	5367	6800	127
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	2006	1538	1824	119
9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	5	5	5	100

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	677	677	536	79
11.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	2500	1933	1311	68
12.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परि.)	संख्या	1375	1118	1369	122
13.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	1696	1379	940	68
14.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	126	102	29	28
15.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	10000	8133	8709	107
16.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	400000	381333	51517	14
17.	16 ख	शमिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टेयर	200	191	54	28
18.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	20000	1333	555	42

[हिन्दी]

लघु उद्योग एकक

*267. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की वर्तमान नीति के कारण लघु उद्योग एककों के रुग्ण होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) राज्यवार इस समय कितने लघु उद्योग एकक रुग्ण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों को कितना ऋण और प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्णता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जबकि उद्यमियता विकास संस्थान, अहमदाबाद और भारतीय उद्योग महासंघ जैसे कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों ने इस संबंध में मूल्यांकन किया है, अन्य बातों के साथ-साथ लघु क्षेत्र में रुग्णता के बारे में उपचारात्मक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है, ताकि लघु क्षेत्र में रुग्णता संबंधी आर्थिक सुधारों और आर्थिक उदारीकरण उपायों के प्रभाव की जांच की जा सके।

(ग) मार्च, 1992 के अन्त में रुग्ण लघु एककों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जीव्य-क्षम एककों की संख्या और ऐसे एककों की संख्या जिन्हें उपचार कार्यक्रम के तहत रखा गया है और पिछले तीन वर्षों में जिनके पास ऋण बकाया पड़ा हुआ है, के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

— विवरण

	संभावित जीव्य-क्षम		उपचार के तहत	
	एककों की संख्या	बकाया ऋण (रुपये करोड़ में)	एककों की संख्या	बकाया ऋण (रुपये करोड़ में)
मार्च, 1990	16451	590	12160	471
मार्च, 1991	16140	693	13224	550
मार्च, 1992	19210	729	13289	559

(नवीनतम उपलब्ध)

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92, और 1992-93 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अपनी पुनर्वित्तीयन योजना के तहत संभावित जीव्य-क्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित धन राशि मुहैया की :

स्वीकृत	-	38.56 करोड़ रुपये
वितरण	-	21.60 करोड़ रुपये

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्णता को रोकने के लिए किये गये उपाय इस प्रकार हैं :

1) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को और आई.डी.बी.आई/सिडबी द्वारा राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं को रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का पता लगाने, जीव्यता-क्षमता का मूल्यांकन करने के मानदंडों और सहायता/रियायतों का स्वरूप व मात्रा जो उनके पुनर्वास हेतु दी जा सकती है, के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

2) संभावित जीव्य-क्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सिडबी द्वारा पुनर्स्थापना के लिए एक अलग पुनर्वित्त योजना चलाई जा रही है।

3) बैंकों और राज्य वित्त निगमों के क्षेत्राधिकार में आने वाले रुग्ण खातों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य स्तरीय अंतसंस्थागत समितियों का गठन किया गया है।

4) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों, जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत की मामूली वार्षिक दर से सेवा प्रभार लेकर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

विवरण

मार्च, 1992 के अंत तक रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के राज्यवार ब्यौरे।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रुग्ण एककों की संख्या
1	2
असम	5317
मेघालय	68
मिजोरम	1
बिहार	7823
अरुणाचल प्रदेश	50
पश्चिमी बंगाल	32022

1	2
नागालैण्ड	2039
मणिपुर	2277
उड़ीसा	8415
सिक्किम	75
त्रिपुरा	670
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22
उत्तर प्रदेश	34150
दिल्ली	4705
पंजाब	5485
हरियाणा	3467
चंडीगढ़	442
जम्मू और कश्मीर	769
हिमाचल प्रदेश	1481
राजस्थान	14420
गुजरात	6581
महाराष्ट्र	20153
दमन और दीव	41
गोवा	1066
दादरा और नागर हवेली	5
मध्य प्रदेश	22333
आन्ध्र प्रदेश	29586
कर्नाटक	17316
लक्षद्वीप	-
तमिलनाडु	9797
केरल	14883
पांडिचेरी	216
योग	245575

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

[अनुवाद]

महिला कल्याण योजनाएं

*268. **श्री गोपी नाथ गजपति :**
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के कल्याणार्थ कुछ योजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन योजनाओं के अन्तर्गत आवंटनों में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजनावधि की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्कीमों और परिव्ययों में वृद्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग महिलाओं के कल्याण के लिए स्कीमें क्रियान्वित कर रहे हैं। सातवीं और आठवीं योजनाओं के परिव्यय और आठवीं योजना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए क्रियान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें नीचे दी गई हैं। क्रम संख्या 1 से 17 तक की स्कीमें केवल महिलाओं के लिए लक्षित हैं और क्रम संख्या 18 से 22 तक की स्कीमों से भी महिलाओं को काफी लाभ होगा।

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम का स्वरूप केंद्रीय सेक्टर (सीएस)/ केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)	7वीं योजना परिव्यय	8वीं योजना परिव्यय	प्रतिशत वृद्धि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार्यरत महिलाओं के लिए लिए होस्टल	सीएस	30.00	35.00	16.60	
2.	महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का गठन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	सीएस	2.00	20.00	900.00	

1	2	3	4	5	6	7
3.	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम और व्यवसायिक प्रशिक्षण	सीएस	25.00	40.00	60.00	
4.	सामाजिक–आर्थिक-कार्यक्रम	सीएस	19.50	25.00	28.20	
5.	प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एस.टी.ई.पी.)	सीएस	45.00	57.00	26.60	
6.	सार्वजनिक सहकारिता में ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए परियोजनाएं	सीएस	0.97	7.50	673.00	
7.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋणनिधि (राष्ट्रीय महिला कोष)	सीएस	—	31.02	—	परिव्यय 1992-93 में उपलब्ध कराए गए थे।
8.	अल्प आवास गृह	सीएस	1.00	5.00	400.00	
9.	महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए शिक्षा कार्य	सीएस	0.50	2.25	350.00	
10.	महिला समृद्धि योजना	सीएस	—	60.50	—	परिव्यय 1993-95 में उपलब्ध कराए गए।
11.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.)	सीएसएस	20.30	150.00	638.91	
12.	लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा	सीएसएस	46.52	280.00	501.89	
13.	महिला संख्या	सीएस	3.02	51.00	1589.00	
14.	अनु.जा./अनु.ज.जा. की बालिकाओं के लिए होस्टल	सीएसएस	25.00	40.00	60.00	

1	2	3	4	5	6	7
15.	महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी	सीएस	2.00	5.00	150.00	
16.	महिला क्वायर योजना	सी एस	—	0.50	—	8वीं योजना में आरम्भ की गई
17.	महिला सहकारिता को	सीएसएस	—	5.00	—	8वीं योजना में आरम्भ की गइ
18.	एकीकृत ग्रामीण विकास	सीएसएस	1181.76	3350.00	183.47	ई.एफ.सी. मंजूरी मिलना
19.	जवाहर रोजगार योजना	सीएसएस	—	18400.00	—	8वीं योजना में आरंभ की गई
20.	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन	सीएसएस	1201.22	5100.00	324.56	
21.	ग्रामीण स्वच्छता	सीएसएस	4.00	380.00	9400.00	
22.	नेहरू रोजगार योजना	सीएसएस	—	227.00	—	7वीं योजना के बाद शुरू की गई

समुद्री ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा

*269. **श्री एन. डेनिस :**
डा. असीम बाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतः तमिलनाडु में समुद्री ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन करने के कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना खर्च आएगा;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु किन्हीं अन्य एजेंसियों ने भी पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात की कच्छ की खाड़ी में लहर ऊर्जा के दोहन के द्वारा लगभग 900 मे.वा. विद्युत के उत्पादन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट

में इस परियोजना की लागत लगभग 6000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। बहुत अधिक पंजीकृत लागत, केवल लगभग 21 प्रतिशत निम्न संयंत्र भार गुणक और लहरों के समय में परिवर्तन और इसलिए प्रतिदिन विद्युत उत्पादन में परिवर्तन के कारण इस परियोजना के प्रस्ताव को इस समय अन्य माध्यमों से उपलब्ध विद्युत की तुलना में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं समझा गया। तमिलनाडु तट पर लहर ऊर्जा की कोई संभाव्यता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्प विकसित राज्य

*270. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को आर्थिक और औद्योगिक रूप से अल्प विकसित पाया गया है;

(ख) देश में विकसित और अल्प विकसित राज्यों को योजनागत और गैर योजनागत धनराशि आबंटित करने के मानदंड क्या हैं; और

(ग) ऐसे राज्यों के सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार ने यदि कोई नीति बनायी है, तो वह क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) कमजोर संसाधन आधार वाले कुछ राज्यों को उनकी योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। राज्यों को योजना निधियों का आवंटन एन.डी.सी. द्वारा 1991 में अनुमोदित एक संशोधित फार्मूले के अनुसार किया जाता है। कमजोर संसाधन आधार वाले इन "विशेष श्रेणी राज्यों" की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त यह फार्मूला आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों के हक में उपयुक्त रूप से मापा गया है। राज्यों को पिछड़े इलाकों का विकास करने के लिए उनके प्रयत्नों में सहायक होने के लिए समर्थ बनाने हेतु निधियां विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी जारी की जाती हैं। गैर-योजना निधियां वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जारी की जाती हैं, जिसमें किसी राज्य के पिछड़ेपन पर भी ध्यान दिया जाता है।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, विकास केन्द्र स्कीम को चुम्बक के रूप में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार उद्योग स्थापित करने की कार्य पद्धति से संबंधित बाधाओं को उदार बनाने एवं दूर करने के लिए नई औद्योगिक नीति की पहले ही घोषणा कर चुकी है। उन राज्यों में जिनमें सभी जिलों को औद्योगिक पिछड़े जिले अधिसूचित किया गया है, उनमें स्थित नई औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्पादन के आरंभ से लेकर पांच-वर्षीय कर छूट की भी एक घोषणा की गई है।

कृषि पर आधारित उद्योग

*271. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों के विस्तार की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितने औद्योगिक लाइसेंस दिए गये हैं; और

(घ) राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने औद्योगिक नीति को उदार बना दिया है और कुछ मदों को छोड़कर इस क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में कुल 37 आशय पत्र और 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

मदें	1991		1992		1993	
	आ.प.	औ.ला.	आ.प.	औ.ला.	आ.प.	औ.ला.
1. कपड़ा	2	—	—	—	1	—
2. कागज और लुगदी	1	—	—	—	—	—
3. चीनी	—	—	2	—		3
4. फरमेंटेशन उद्योग	1	—	12	—	2	—
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	4	—	—	1	2	—
6. वनस्पति तेल और वनस्पति	9	—	1		—	—
योग	17	—	15	1	5	3

अन्य राज्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और संसद के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उद्योग मंत्रालय कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन नहीं देता है।

[हिन्दी]

संयुक्त उद्यम

*272. **श्री शिवलाल नागजीभाई : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया और पोलैंड ने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में कोई रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान फरवरी, 1994 तक इस प्रयोजनार्थ प्राप्त हुए और स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन प्रस्तावों में कुल कितनी पूंजी अंतर्ग्रस्त है।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। भारत में उद्योग लगाने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रस्तावों के ब्यौरे, जिनमें पिछले दो वर्षों के दौरान फरवरी, 1994 तक आस्ट्रेलिया और पोलैंड की कंपनियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कल्पना की गयी है और प्रत्येक मामले में अंतर्ग्रस्त विदेशी पूंजी निवेश की राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आस्ट्रेलिया और पोलैंड की फर्मों के साथ 1992 से 1994 (फरवरी तक) की अवधि में अनुमोदित वित्तीय सहयोग के मामलों की सूची

क्र. सं.	भारतीय कंपनी का नाम/ आवेदन संख्या	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	विनिर्माण की मद	राशि (रुपये लाख में	इक्विटी प्रति-शत
1	2	3	4	5	6
		भारत–आस्ट्रेलिया			
1.	पेस अलकॉट आटोमेशन लि. खलीली सेन्टर दूसरी मंजिल, 149 मोंटीएथ रोड, मद्रास–08 आवेदन सं.एफ.सी. 1.6(91)	मार्क सेंसिंग (आस्ट्रेलिया) प्रा.लि. आस्ट्रेलिया	थर्मल पेपर	68.00	20.00
2.	बीएमसीएच कोल टैक प्रा.लि. सी-23 फ्रैंडस कालोनी नई दिल्ली–110065 आवेदन संख्या 787	बल्क मैटीरियल (कोल हैंडलिंग) सेवाएं 77, रिच स्ट्रीट पी.बी. 314 गोर्डन एन.एस.डब्ल्यू. 2072		15.25	51.00
3.	इंडियन टैल्कोम (प्रा.लि.) तेरवीं मंजिल, 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 आवेदन संख्या 808	ओटीसीइंटल लि. आस्ट्रेलिया 231 एलिजाबेथ स्ट्रीट सिडनी एन.एस.डब्ल्यू.	साफ्टवेयर	1015.65	50.00
4.	दि इन्दूर लि. इन्दूर हाउस ग्रेटर कैलाश–II नई दिल्ली–110048 आवेदन संख्या एफ.सी.1.243/92	पीको वॉल्सेंट लि.	सलूरी पम्प	10.00	50.00

1	2	3	4	5	6
5.	कोएना रोकलापाइपस लि. 7, चिपलुंकर भवन लालबहादुर शास्त्री मार्ग पुणे–400030 आवेदन संख्या एफ.सी. 1352(91)	मै. अमेटक लि. आस्ट्रेलिया	प्रीटैंनशनड हाईप्रैशराइज्ड आर.सी.सी. पाइप	32.50	40.00
6.	इंडियन टैल्कॉम प्रा.लि. तेरवीं मंजिल हेमकुंड टावर 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली आवेदन संख्या एफ.सी. 1446(92)	ओ टी सी इंटर इंटरनैशनल लि. 231 एलिजास्ट्रीट सिडनी एन.एस.डब्ल्यू. आस्ट्रेलिया	वॉयस मेल	100.00	50.00
7.	गोकाक पटेल वोलकाट लि. 11वीं मंजिल फोर बेस बिल्डिंग चरणजीत राय मार्ग फोर्ट बम्बई आवेदन संख्या एफ.सी. 1418(92)	सिम्बा टैक्सटाइलस मिल प्रा.लि. आस्ट्रेलिया पी.बी.न. 13,12 किरनी स्ट्रीट, बेस वेटर विक्टोरिया 3153	टैरीटावल वैबारिक्स और एपेरल	195,00	26.00
8.	डा. कैलाश सी. जोशी आफ सांता कलारा, सीए 95054 मार्फत सी. 2/87 बापा नगर नई दिल्ली आवेदन संख्या एफ.सी. 1484(92)	लैक्समार्ग इंटरनैशनल इंक. आस्ट्रेलिया मार्फत 20 ब्रिज स्ट्रीट पायम्बल एन.एस.डब्ल्यू. 2073	आईबीएम प्रिंटर्स सहित लैक्समार्ग उत्पादों का निर्माण और विपणन	6076.00	100.00
9.	स्टीलबैने कैमिकलस लि. 401-405 स्वप्न लोक एस.डी. रोड़ सिकन्दराबाद 500003 आवेदन संख्या 826	कैमेट सिस्टम लि. 178 दि सैन्चुरी ड्राइव, लियोनार एन.एस.डब्ल्यू. 2750 आस्ट्रेलिया	हाइड्रोकार्बन	126.58	6.00
10.	नेचर रैमेडीज (प्रा.) लि. 21. डा. नैटेसन रोड़ अशोक नगर मद्रास आवेदन संख्या 857	पॉल स्वीनी एंड अदरस 360, वेवीयू स्ट्रीट पैराडाइज पांइट क्वीनस लैंड 4216 आस्ट्रेलिया	औषध और भेषज	9.76	50.00
11.	सुधा देवी भटनागर, 847/1, 100 फीट रोड, बंगलौर। आवेदन संख्या 859	डा.डोगलस कागी 23, हनेरी स्ट्रीट विन्टसर विक्टोरिया 3181	रसायन	0.92	25.00

1	2	3	4	5	6
12.	कोयना रोकला पाइप्स लि. पूणे। आवेदन संख्या 707	एमटेक लि. 6-8 कास्टवुड एन.एस.डब्ल्यू. आस्ट्रेलिया	हाईप्रेस आरसीसी पाइप	112.24	51.00
13.	स्टीलबैमे बैमिकल्स लि. 401-405 स्वप्न लोक एस.डी.रोड, सिकंदरा-500003 आंध्र प्रदेश आवेदन संख्या ई.ओ.बी/889(92)	मै. केमिट सिस्टम्स आस्ट्रेलिया	मैथलीन हाईड्रोकि-लोन डाई इन्टरमिजेट आदि	125.00	5.81
14.	जोर्ट इंजीनियर्स आई.लि. 504, विश्वानानक चाकला, अंधेरी(पूर्वी) बम्बई-99 आवेदन संख्या 1020	जोर्ड इंजिनीयर्स प्रा. लि. आस्ट्रेलिया	कागज लुगदी	39.65	8.00
15.	वरगोला आई.लि. 35, शरयास 180, मैडम कामा रोड, बम्बई.400020 आवेदन संख्या 1034	वोरमोला इन्टल प्रा. लि. आस्ट्रेलिया 13, वाटरवले ड्राई ग्रीन फील्ड एस.ए.5107	स्टील लवरी	21.35	15.00
16.	लाइफलाइन ड्रग्स लि., 1205-1206, अंतरीक्ष भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110058 आवेदन संख्या ई.ओ.184(92)	मै. कन्सलटेक, आस्ट्रेलिया	रेनीटिडाइन एच.सी.एल.	192.00	11.00
17.	स्टेलार मोडुलर सिस्टम्स प्रा.लि. 302, न्यू इंडिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी (पूर्वी) बंबई आवेदन संख्या 1176	एम. रुटी एण्ड कंपनी प्रा.लि. आस्ट्रेलिया 1/38, लेगीटन प्लेस, हवन्सबाई	इलेक्ट्रॉनिक स्वीचिंग	24.71	25.20
18.	सी सी आई सर्वेयंस लि. 7/1, सन्नी पार्क, भूतल, कलकत्ता–19 आवेदन संख्या 251	मै. सी सी आई होल्डिंगस लि., चौधी मंजिल, 62, पिट स्ट्रीट, सिडनी	कोयल और ओ टी का स्वतंत्र प्रमाणीकरण उपलब्ध कराना	2.55	51.00

1	2	3	4	5	6
19.	इक्विटोरियलन प्रोवेंडर्स प्रा.लि., यूनिट 105, मोटा चेम्ब., 9/1, कनिघंम रोड, बंगलौर-52 आवेदन संख्या 281	डॉन हाडसन एंड जान हॉडसन आस्ट्रेलिया	टमाटर और अन्य सब्जियां(तैयार)	5.00	50.00
20.	अंडमान ओशीन प्रोडक्टस प्रा.लि., संख्या 42 जालान बेंटारा, टमन उंगरू तुन अमीन, 81300 स्कूडंल जोहर मलेशिया आवेदन संख्या 412	हैमंड प्रोपर्टीज प्रा. लि. आस्ट्रेलिया	साल्टेड– डिगट्रेटेड सार्क मीट सेमी प्रोसेस्ड सार्क	90.00	100.00
21.	आस्ट्रेलएशिया केमिकल्स इंडिया प्रा.लि., 133, आर पी एस कालोनी, शेख सराय फेज, नई दिल्ली आवेदन संख्या 1393	आस्ट्रेलएशिया केमिकल्स प्रा.लि.	रसायन	5.10	0.00
22.	बाटा इंडिया लि. 30, शैक्सपियर सारा कलकत्ता.17 आवेदन संख्या 384	बाटा(बी.एन.) बी.वी. एमस्ट्रडम नीदरलैंड	सभी प्रकार के फुटवियर, फटवियर कंपोनेंट, चमड़ा	592.20	66.70
23.	मालपानी नर्सिंग होम, बंबई आवेदन संख्या 490	सिडनी आई वी एफ पी टी वाई लि., 187, मैक्वारी स्ट्रीट सिडनी एन.एस.डब्ल्यू. 2000	उपलब्ध कराने के लिए भारत में एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करना	8.00	40.00
24.	फोस्टर्ज ब्रीविंग ग्रुप मार्फत प्रोफेशनल तर ग्रुप लि., कॉनटीनेंटल चेम्बर्स मुंगाबक्कम हाई रोड आवेदन सं. 520	मै. फोस्टर्ज ब्रीविंग ग्रुप लि., आस्ट्रेलिया	प्रतिवर्ष 15,000 किलोलीटर बीयर	510.00	51.00
25.	बजाज न्यूट्रोनिक्स प्रा.लि., बजाज भवन, दूसरी मंजिल, नरीमान पाइंट बंबई आवेदन सं. 1447	न्यूट्रोनिक्स प्रा.लि., आस्ट्रेलिया 149-159, कैपल स्ट्रीट नार्थ मेलबार्न विक्टोरिया 3051	इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट	36.00	0.00

1	2	3	4	5	6
26.	प्रीसीजन फौयल्स प्रा.लि., 9, बंबई मुदुवान बिल्डिंग, पी.एम.रोड, बंबई। आवेदन सं. 1510	माइक्रो पैकेजिंग इंजी. प्रा.लि. 3, ईस्ट स्ट्रीट लिडकौम्ब एन.एस.डब्ल्यू. 2141 आस्ट्रेलिया	धातुकर्मी उद्योग	20.00	0.00
27.	आदित्य इंडस्ट्रीज लि. 6-3-655/2/2 सोमाजी गुडा, हैदराबाद-500482 आवेदन सं. 474	ब्रूएव एफ 1 ब्रैकेनिन एंड एसोशिएटस प्रा. आस्ट्रेलिया	सिन्थेटिक रूटायल	1711.25	48.00
28.	वेस्ट रिकबरी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड 6-3-655/2/2 सोमाजी गुडा हैदराबाद-500 482 आवेदन संख्या 475	डब्ल्यू आर एस पैसेफिक लि. आस्ट्रेलिया	आर्गेनिक एन पी के उर्वरक	165.62	38.00
29.	इंडो जर्मा प्रोडक्ट्स लि.न. 14 पार्टूलोज रोड मद्रास-600002 आवेदन सं. 564	ग्लाइडे रोल–ए–डोर्स प्रा.लि. 32, जैकेबसन क्रीसेंट होल्डन हिल ऐडीलेड-5088	डोर्स एंडफेम्स	12.50	25.00
30.	ओसिएनिक पैनिनशुला प्रा.लि. 323 एस एन एस आर्केट रबर फोर्ट रोड, बंगलौर-580017 कनार्टक आवेदन सं. 7	श्री सुजाने वे 6 आस्ट्रेलिया सेन्ट कम्पराडाउन एन.एस.डब्ल्यु. 2050	प्रसंशकृत तथा संरक्षित खीरा तथा अन्य सब्जियां	11.50	50.00
31.	आरकी स्पोर्ट्स प्रा.लि. माडल टाउन जालन्धर	आस्ट्रेलिया बैट कंपनी प्रा.लि. आस्ट्रेलिया	क्रिकेट बैट	2.70	44.6
32.	जय विनाइल्स लि. 402 विक्रमटावर, नई दिल्ली	डब्ल्यू आई वीकिन्स आस्ट्रेलिया	रसायन	240.00	–
		भारत–पोलैण्ड			
33.	इलेक्ट्रिम इंडिया लि., नई दिल्ली	इलेक्ट्रिम एस.ए. पोलैण्ड	इंजीनियर सर्विसेज एंड कन्ट्रटिंग	15.00	70.0

[अनुवाद]

कीटनाशक

*273. **डा. रवि मल्लू** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कीटनाशकों का कितना आयात किया गया;

(घ) क्या कीटनाशकों के उत्पादन में गिरावट के बावजूद इनके निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ड.) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में कीटनाशकों का निर्यात किया गया, और

(च) देश में जैव-उर्वरकों और जैवकीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ड़) पिछले तीन वर्षों के द्रौरान कीटनाशकों के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

(मात्रा : टनों में)

(मूल्य : रुपये लाख में)

	1990-91		1991-92		1992-93	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
उत्पादन	70947	-	72809	-	76933	-
आयात	2483	2891	1810	6457	1558	4141
निर्यात	8023	10456	9475	18929	8682	16873

(च) जैव-उर्वरकों और जैव-कीटनाशकों के प्रयोग को माल्टे सेन्ट्रिक गवर्नमेन्ट इन्टरएक्शन के माध्यम से पर्यावरण संबंधी बातों के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। जैव-कीटनाशकों के वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पंजीकरण कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन उदारतापूर्वक किया जाता है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

*274. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के विभिन्न उर्वरक संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र को हुए घाटे/लाभ का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में समग्ररूप से सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) सरकार द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के संयंत्रवार निष्पादन का पुनरीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता है। इन तिमाही पुनरीक्षणों के दौरान शिनाख्त किए गए समस्या क्षेत्रों के आधार पर इन संयंत्रों के समग्र निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय किये जाते हैं। एन.एफ.एल. द्वारा प्रचालित विभिन्न उर्वरक संयंत्रों के गत तीन वर्षों के दौरान हानि/लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(रुपये करोड़ों में)

लाभ/हानि	1991-92	1992-93	1993-94
विजयपुर	36.07	80.85	109.39
भटिण्डा	3.53	13.57	12.34
पानीपत	7.44	2.15	3.37
नंगल	(17.31)	(12.66)	(13.63)
समग्र कम्पनी के लिए	29.73	83.61	111.47

1992-93 के दौरान एन.एफ.एल. का समग्र क्षमता उपयोग 99.8 प्रतिशत था।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा–स्रोत

*275. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वाणिज्यिक आधार पर अब तक विकसित की गई पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों पर आधारित प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की ग्रामीण आबादी के लिये अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास में कितनी सफलता मिली है, और

(ग) वाणिज्यिक आधार पर इन्हें विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) अब तक भारत में विकसित की गई अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में सौर जल तापन प्रणालियां, सौर कुकर, पवन विद्युत जनित्र, लघु जल विद्युत यूनिटें, सह-उत्पादन

प्रणालियां, रोशनी, बैटरी चार्जिंग और दूर संचार अनुप्रयोगों के लिए प्रकाश-वोल्टीय विद्युत प्रणालियां वाणिज्यीकरण की अवस्था तक विकसित हो चुकी हैं। बायोगैस संयंत्र, उन्नत चुल्हा, सौर शुष्कक, प्रकाशवोल्टीय पम्पन प्रणालियां, पवन पम्पन प्रणालियां, बायोऊर्जा प्रणालियां आदि जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों को भी मुख्यतया देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण करने की दिशा में उठाए गए कदमों में प्रोत्साहन पैकेजों को शुरू करना शामिल है, जिनमें बढ़ा हुआ ह्रास, बिक्री-कर और उत्पाद शुल्क में छूट, सीमा शुल्क में रियायत, कर अवकाश, निजी उद्यमियों द्वारा उत्पादित विद्युत की वीलिंग, बैंकिंग और खरीद, उदार ऋण, सूचना और प्रचार, उद्यमिता विकास अभियान, उद्योग, वित्तीय बिचौलियों और सर्विस कम्पनियों आदि की सहभागिता के माध्यम से बाजार विकास करना शामिल है। उद्योग की सहभागिता के साथ विशिष्ट लक्ष्यों की दिशा में अनुसंधान एवं विकास के अभिविन्यास के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना के संबंध में 31-12-93 तक की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संचयी वास्तविक उपलब्धियां 31-12-93 को

क्र.सं.	कार्यक्रम	यूनिट	उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	संख्या	18,47,472
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	1,059
3.	उन्नत चूल्हा	संख्या	152,95,827
4.	सौर तापीय प्रणालियां (संग्राहक क्षेत्र)	वर्गमी.	2,64,380
5.	सौर कुकर	संख्या	3,10,371
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (समग्र क्षमता)	के.डब्ल्यू.पी.	3,424
	क. प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	के.डब्ल्यू.पी.	477.86
	ख. प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टी.वी. एवं सामुदायिक सुविधाए	संख्या	810
	ग. प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां/लालटेन	संख्या	16,034
	घ प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	29,313
7.	सिंचाई और अन्य उद्देश्य अनुप्रयोगों के लिए प्रकाशवोल्टीय पम्प	संख्या	103*

1	2	3	4
8.	पवन पम्प	संख्या	3,017
9.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	108
10.	पवन फार्म	मे.वा.	71
11.	मिनी-माइक्रो हाइड्रो	मे.वा.	105
12.	ऊर्जाग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	1,746
13.	ऊर्जाग्राम परियोजनाएं	संख्या	203
14.	बायोमास आधारित विद्युत का सह-उत्पादन	मे.वा.	6
15.	वायोमास गैसीफायर	मे.वा.	9.5
16.	बैटरी चालित वाहन	संख्या	250
17.	एल्कोहल चालित वाहन	संख्या	52

फरवरी, 94 तक

नई उर्वरक मूल्य नीति

*276. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई उर्वरक मूल्य नीति का स्वदेशी उर्वरक एककों पर प्रतिकूल पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) स्वदेशी उर्वरक उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) इस समय केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों अर्थात् यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड के मूल्यों को सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। सरकार द्वारा मूल्यांकित उत्पादन लागत और सांविधिक रूप से अधिसूचित मूल्यों पर बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों के बीच के अंतर का भुगतान प्रतिधारण मूल्य-सह-आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निर्माताओं को आर्थिक सहायता के रूप में किया जाता है। उपरोक्त नाइट्रोजनी उर्वरक सामग्री के रूप में कुल उर्वरक खपत का लगभग 63 प्रतिशत है और इन उर्वरकों का निर्माण कर रहे एकक मूल्य निर्धारण नीति से प्रभावित नहीं हुए हैं।

उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर

25-8-1992 से सभी फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों को अनियंत्रित कर दिया गया था। खुले बाजार में इन उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी तथा साथ ही साथ अपेक्षाकृत सस्ते आयातों की उपलब्धता से उठान और फास्फोरिक एककों में उत्पादन दोनों ही प्रभावित हुए। घरेलू फास्फेटिक निर्माताओं को आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार वर्ष 1993-94 के दौरान स्वदेशी रूप से उत्पादित डी.ए.पी. की बिक्री पर 1000 रुपए प्रति टन की विशेष रियायत और कम्पलैक्स उर्वरकों तथा एस.एस.पी. पर समानुपाती रियायत दे रही है। आयातित डी.ए.पी. पर इस तरह की कोई रियायत उपलब्ध नहीं है।

शहरी विकास योजनाएं

*277. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में शहरी विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में राज्यवार एवं योजनावार कितनी राशि आवंटित की गई और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया;

(घ) क्या राज्यों से स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ हुई छोटे और मझौले करबों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) स्कीम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की है। पुनरीक्षा के आधार पर वर्ष 1992-93 के दौरान आई.डी.एस. एम.टी. स्कीम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है।

निर्धनों के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित शहरी बुनियादी सेवा (यू.बी.एस.पी.) स्कीम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिए दिसम्बर, 1993 में एक राष्ट्रीय मंत्रणा हुई थी। इस मंत्रणा में की गयी सिफारिशों के आधार पर यू.बी.एस.पी. दिशा निर्देशों के संशोधन हेतु कार्यवाई आरम्भ की गयी है।

इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय शहरी विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करता है, जिसमें आई.डी.एस.एम.टी. यू.बी.एस.पी., सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत स्वच्छता (एल.सी.एस.) और शहरी रैन बसेरों की स्कीम तथा पटरी वासियों (एफ.डी.एस.) के लिए नियमित आधार पर स्वच्छता सुविधाएं सम्मिलित हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आठवीं योजना अवधि तथा 1991-92 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के लिए अन्तिम रूप से निर्धारित कस्बों की संख्या वास्तव में लाभान्वित कस्बों की संख्या और 11-3-94 तक राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को दी गई कुल केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	धनराशि (रुपये करोड़ में)	कस्बों की संख्या	
		लक्ष्य (1991-92 जमा आठवीं योजना)	वास्तव में लाभान्वित (11-3-1994 तक)
1991-92	13.44	250	135
1992-93	11.60		
1993-94	8.17		

(11-3-94 तक)

राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिये गये हैं।

यू.बी.एस.पी. के अर्न्तगत वर्षवार कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। यह बजट नियतनों पर निर्भर है। वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिये गये हैं।

एल.सी.एस. स्कीम में यह प्रस्ताव था कि प्रत्येक वर्ष 500 कस्बों को लाभान्वित किया जायेगा। तथापि, बजट की कमी के कारण कस्बों को इस सीमा तक लाभान्वित करना सम्भव नहीं हो पाया है। वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते तथा बजट नियतन तथा राज्य सरकारों द्वारा एल.सी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही राशि दी जाती है। एल.सी.एस. के तहत स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

एफ.डी.एस. स्कीम के तहत कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते तथा राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त स्कीमों के आधार पर स्वीकृतियां दी जाती हैं। इस योजना के तहत जारी की गई स्वीकृतियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–IV में दिये गये हैं।

(घ) से (च) संशोधित आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत प्राप्त हुये परियोजना प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे तथा अनुमोदन की स्थिति संबंधी सूचना संलग्न विवरण–V में दी गई है। नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. स्वीकृति समिति के विचारार्थ 28 परियोजना प्रस्तावों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है। समिति ने इनमें से 25 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। 3 मामलों में राज्य सरकारों को परियोजना रिपोर्टों में संशोधन करना है।

यू.बी.एस.पी. स्कीम के तहत यू.बी.एस.पी. दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकारो से प्राप्त कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा एल.सी.एस. के तहत हुडको का प्रस्तुत किये गये स्कीम प्रस्ताव इस प्रकार है :

राज्य का नाम	स्कीम का नाम	प्राप्त होने की तारीख	धन राशि (रुपये लाख में)
राजस्थान	7	11-2-94	16.35
तमिलनाडु	1	22-2-94	100.72
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	4-2-94	99.90
असम	1	15-1-94	57.15
योग	10		274.18

मंत्रालय में कोई स्कीम प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

एच.डी.एस. के तहत परियोजनाएं हुडको द्वारा स्वीकृत की जाती हैं और शहरी विकास मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण–I

छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास को केन्द्र प्रवर्तित स्कीम 1991–92 और आठवीं योजना अवधि के दौरान लाभान्वयन हेतु अनुमानित लक्षित कस्बों की संख्या

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (11-03-94) के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता और वास्तव में लाभान्वित कस्बों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कस्बों की संख्या		रिलीज की गई राशि		
		लाभान्वयन के लिए अनुमानित लक्ष्य (1991-92 जमा आठवीं योजना)	11-03-94 तक वास्तव में लाभांवित	1991-92	1992-93	1993-94 (11-3-94 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	18	80.00	89.215	305.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	20.00	-	15.00
3.	असम	4	1	65.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	18	1	15.00	-	-
5.	गोवा	2	1	20.00	-	-
6.	गुजरात	14	4	75.00	-	50.00
7.	हरियाणा	6	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	20.00	25.00	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	18	20	105.00	140.00	166.00
11.	केरल	10	5	36.50	25.00	40.00
12.	मध्य प्रदेश	21	7	75.00	60.00	-
13.	मणिपुर	2	4	15.00	103.08	-
14.	महाराष्ट्र	20	18	147.96	276.287	102.00
15.	मेघालय	2	1	15.00	-	-
16.	मिजोरम	2	-	-	-	-
17.	नागालैंड	2	1	44.99	-	-
18.	उडीसा	5	7	60.00	90.00	20.00
19.	पंजाब	7	1	48.62	-	-
20.	राजस्थान	13	18	100.00	105.00	22.25
21.	सिक्किम	2	-	-		
22.	तमिलनाडु	20	13	126.225	229.408	7.06
23.	त्रिपुरा	2	1	20.00	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	34	7	135.00	16.00	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	15	14	100.00	1.01	74.66

1	2	3	4	5	6	7
संघ राज्य क्षेत्र						
26.	लक्षद्वीप	1	-	-	-	-
27.	पांडिचेरी	1	1	20.00	-	-
28.	दमन एव दीव	2	-	-	-	-
		250	135	1344.295	1160.00	817.96

पाद टिप्पणी :

1. कस्बों की लक्षित संख्या और वास्तव में लाभान्वित कस्बों के संख्या के बीच भिन्नता के कारण कुछ राज्यों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण उन राज्यों के लिए तय कस्बों का अनुमानित नियतन बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को कर दिया गया था।

2. कई राज्यों के मामलों में, रिलीज की गई धनराशि में पिछले वर्ष में आई.डी.एस.एम.टी. के तहत लाभान्वित कस्बों में चल रही स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता की अतिरिक्त किश्तें भी शामिल हैं। उन राज्यों के मामलों में जहां वर्ष-विशेष में कोई नया कस्बा शामिल नहीं किया गया था, रिलीज की गई धनराशि चल रही स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता की अतिरिक्त किश्तें दर्शाती हैं।

विवरण–II

निर्धनों के लिए शहरी आधारभूत सेवाएं

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता			प्रस्तावित
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	189	180	91	132
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	13	9	11
3.	असम	26	21	11	16
4.	बिहार	169	150	81	117
5.	गोवा	13	14	9	11

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	106	103	45	65
7.	हरियाणा	27	26	13	18
8.	हिमाचल प्रदेश	17	21	9	11
9.	जम्मू व कश्मीर	15	17	9	11
10.	कर्नाटक	163	148	78	113
11.	केरल	78	73	35	51
12.	मध्य प्रदेश	167	150	83	119
13.	महाराष्ट्र	249	216	125	181
14.	मणिपुर	13	15	9	11
15.	मेघालय	12	14	9	11
16.	मिजोरम	13	13	9	11
17.	नागालैण्ड	13	13	9	11
18.	उड़ीसा	63	75	23	34
19.	पंजाब	56	59	24	35
20.	राजस्थान	104	95	48	69
21.	सिक्किम	12	13	9	10
22.	तमिलनाडु	238	206	118	171
23.	त्रिपुरा	14	16	9	11
24.	उत्तर प्रदेश	410	358	203	296
25.	पश्चिम बंगाल	189	166	92	133
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	11	11	15	18
27.	चण्डीगढ़	11	14	15	18

.1	2	3	4	5	6
28.	दमन तथा दीव	11	11	15	18
29.	दादरा व नागर हवेली	11	11	15	18
30.	दिल्ली	49	49	31	37
31.	पांडिचेरी	12	14	9	11
32.	लक्षद्वीप	11	-	-	-
	केन्द्रीय वेतन तथा मजदूरी	15	15	15	20
	योग	2500	2300	1275	1800

विवरण–III

अनुमोदित की गई कम लागत की सफाई व्यवस्था स्कीमें

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य	1991-92 परियोजना लागत	1992-93 परियोजना लागत	1993-94 परियोजना लागत	1993-94 तक लाभान्वित कस्बे (संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5164	-	1369	55
2.	असम	1056	-	1901	20
3.	बिहार	-	-	-	-
4.	गोवा	-	-	-	-
5.	हरियाणा	-	1505	-	42
6.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-
7.	कर्नाटक	2973	-	-	52
8.	केरल	394	-	-	15
9.	मध्य प्रदेश	-	-	-	57
10.	महाराष्ट्र	486	192	1104	150
11.	मणिपुर	-	-	10	3

12. मेघालय	143	-	-	1
13. उड़ीसा	571	-	94	60
14. पंजाब	1994	44	5614	38
15. राजस्थान	-	260	1665	20
16. तमिलनाडु	4393	-	39	76
17. त्रिपुरा	-	-	-	-
18. उत्तर प्रदेश	1808	627	-	59
19. पश्चिम बंगाल	-	865	3196	33
कुल योग	18982	3493	15083	681

कुल परिवर्तित शौचालय – 1037957

कुल निर्मित शौचालय – 932680

विवरण–IV

1991-92 से 31-1-94 तक संचयी रैन बसेरा स्कीमों का सारांश

(रुपये लाखों में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत (रूपये लाखों में)	ऋण राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2	311.17	213.58	2016
2.	असम	1	5.03	3.99	104
3.	बिहार	4	176.07	109.84	2746
4.	हिमाचल प्रदेश	3	31.91	10.00	250
5.	महाराष्ट्र	10	372.98	0.00	2306
6.	मध्य प्रदेश	1	366.91	0.00	5201
7.	उड़ीसा	2	25.20	13,12	328
8.	राजस्थान	6	36.58	27.84	860

1	2	3	4	5	6
9.	तमिलनाडु	4	107.56	40.02	804
10.	उत्तर प्रदेश	8	374.83	259.64	6404
11.	चण्डीगढ़	1	16.43	0.00	200
	योग	42	1824.67	670.03	21119

विवरण–V

आई.डी.एस.एम.टी. की संशोधित स्कीम के अन्तर्गत मिले परियोजना प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे और अनुमोदन की अवस्था की जानकारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त परियोजना रिपोर्टों की कुल संख्या	आठवीं योजना अवधि आंबटित कस्बों की अनुमानित संख्या	दिशा निर्देशों के अनुसार अधिक्रय परियोजना रिपोर्ट	लाभान्वित कस्बों की संख्या (11-3-94 तक)	संशोधन हेतु राज्यों का वापस भेजी गई परियोजना रिपोर्टों की सख्या	आठवीं योजना नियतन भीतर परियोजना रिपोर्टों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	33	17	16	13	-	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	-	-	1	-
3.	असम	-	3	-	-	-	-
4.	बिहार	2	15	-	-	2	-
5.	गुजरात	3	11	-	1	2	-
6.	गोवा	3	1	-	-	3	-
7.	हरियाणा	-	5	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	1	-	-	-	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	26	15	11	15	-	-
11.	केरल	2	8	-	2	-	-
12.	मध्य प्रदेश	5	18	-	3	2	-
13.	महाराष्ट्र	19	17	2	12	-	5
14.	मणिपुर	2	1	1	2	-	-
15.	मेघालय	1	1	-	-	1	-
16.	मिजोरम	1	1	-	-	1	-
17.	नागालैण्ड	-	1	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	8	4	4	4	-	-
19.	पंजाब	4	6	-	-	-	4
20.	राजस्थान	9	11	-	5	4	-
21.	सिक्किम	2	1	1	-	-	1
22.	तमिलनाडु	19	16	3	8	-	8
23.	त्रिपुरा	-	1	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	5	29	-	-	-	5
25.	पश्चिम बंगाल	11	11	-	9	1	1
संघ राज्य–क्षेत्र							
26.	दमन तथा दीव	2	1	-	-	2	-
27.	लक्षद्वीप	-	1	-	-	-	-
28.	पांडिचेरी	-	1	-	-	-	-
	योग :	158	200	38*	74	19	28

पाद टिप्पणी : हालांकि, सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से मिली परियोजना रिपोर्टों की कुल संख्या इकठ्ठी मिलाकर आठवीं योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए आवंटित कस्बों की कुल अनुमानित संख्या से कम है, आठ राज्यों और एक संघ राज्य-क्षेत्र के मामले में आधिक्य परियोजना रिपोर्टें (दिशा निर्देशों के अनुसार) मिली हैं, जिनकी कुल संख्या 38* है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

*278. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक उपक्रम को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) सरकार ने उनके निर्यात को और बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंजीनियरी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामान और सेवाओं के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सभी क्षेत्रों द्वारा निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपाय सरकारी क्षेत्र पर लागू होते हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	उद्यम का नाम	निर्यातित उत्पाद	वर्ष	सरणीकृत मदें	गैर-सरणीकृत मदें	सेवाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारी इंजीनियरी						
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	वाष्प उत्पादक,	1992-93	0	13315	4051	17366
		गैस टरबाइन	1991-92	0	12178	2785	14963
			1990-91	0	5658	517	6175
2.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.	स्किड माउण्टेड	1992-93	0	310	0	310
		एलपीजी/गैसोलीन	1991-92	0	0	0	0
		प्रणाली	1990-91	0	0	0	0
3.	ब्रेथवेट एण्ट कं. लि.	समग्र परियोजनाएं	1992-93	0	0	0	0
			1991-92	0	1501	0	1501
			1990-91	0	222	0	222
4.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी	सेवाएं	1992-93	0	0	150	150
	(इण्डिया) लि.		1991-92	0	166	102	268
			1990-91	0	462	0	462
5.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	इंजीनियरी उत्पाद	1992-93	50	0	0	50
			1991-92	56	0	0	56
			1990-91	43	0	0	43

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	जेसप एण्ड कंपनी लि.	क्रेन/रोड रोलर	1992-93	0	17	0	17
			1991-92	0	260	0	260
			1990-91	0	217	0	217
7.	लग्न जूट मशीनरी कं. लि.	जूट मशीनें, कलपुर्जे	1992-93	41	0	0	41
			1991-92	2	0	0	2
			1990-91	3	0	0	3
8.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	सेवाएं	1992-93	0	0	0	0
			1991-92	0	207	0	207
			1990-91	0	1205	0	1205
9.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	फैब्रीकेशन एण्ड इरैशन	1992-93	0	168	0	168
			1991-92	0	173	592	765
			1990-91	0	637	0	637
	मध्यम एवं हल्की इंजीनियरी						
10.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कं. लि.	चाय, कन्वेयर बैल्ट चाय मशीनरी	1992-93	0	407	0	407
			1991-92	0	233	0	233
			1990-91	0	80	0	80
11.	बॉमेर लॉरी एण्ड कं. लि.	मैराइन, फ्रेईट कंटेनर्स, रसायन और ग्रीस	1992-93	0	3897	401	3498
			1991-92	0	1839	213	2052
			1990-91	0	1433	119	1551

12.	भारत डायनामिक्स लि.	रक्षा उत्पाद	1992-93	0	56	0	56
			1991-92	0	0	0	0
			1990-91	0	0	0	0
13.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	सेमी कण्डक्टर,	1992-93	0	1288	0	1288
		स्काई गाड	1991-92	0	548	0	548
			1990-91	0	804	0	804
14.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	सिलैण्डर	1992-93	0	103	0	103
			1991-92	0	0	0	0
			1990-91	0	0	0	0
15.	इलेक्ट्रानिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	घटक और इलैक्ट्रानिक्स उत्पाद	1992-93	0	13	0	13
			1991-92	0	28	15	43
			1990-91	0	103	20	123
16.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	तारें	1992-93	0	0	0	0
			1991-92	0	5	0	5
			1990-91	0	1162	0	1162
17.	स्कूटर्स इण्डिया लि.	दोपहिया, तिपहिया कंल पुर्जे	1992-93	0	170	0	170
			1991-92	0	264	0	264
			1990-91	0	129	0	129
18.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.	टेलीफोन उपस्कर	1992-93	0	99	22	110
			1991-92	0	97	11	108
			1990-91	0	20	0	20
19.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	उपस्कर तथा सेवाएं	1992-93	0	147	4	151
			1991-92	104	0	5	109
			1990-91	744	0	41	785

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	प्रागा टूॅल्स लि.	सरफेस ग्राइण्डर	1992-93	0	112	0	112
			1991-92	0	82	0	82
			1990-91	0	401	0	401
	परिवहन उपस्कर						
21.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	उपस्कर	1992-93	0	6561	113	6674
			1991-92	0	1711	69	1780
			1990-91	0	476	19	495
22.	कोचीन शिपयार्ड लि.	जहाज मरम्मत	1992-93	0	0	1	1
			1991-92	0	0	190	190
			1990-91	0	0	1	1
23.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.	नौकाएं, पुल	1992-93	0	82	0	82
			1991-92	0	27	0	27
			1990-91	0	127	20	147
24.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	हवाई यान से संबंधित सहायक सामग्री	1992-93	0	1983	2	1985
			1991-92	0	1468	50	1518
			1990-91	0	1456	0	1456
25.	मझगांव डाक लि.	जहाज निर्माण एवं मरम्मत	1992-93	0	2054	54	2108
			1991-92	0	30	0	30
			1990-91	0	0	17	17

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

279. **श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग और विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु बनायी गयी मुख्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन प्रमुख प्रौद्योगिकियों का आयात किया गया तथा घरेलू उपयोग और निर्यात हेतु कौन-कौन सी प्रौद्योगिकियां विकसित की गई, और

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु हाल ही में हस्ताक्षरित संयुक्त उद्यमों संबंधी समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) मांग और विकास सम्भावनाओं को देखते हुए विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। आठवीं योजना के दौरान योजनाबद्ध की गई मुख्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियां हैं :

(1) मूलभूत अनुसंधान का उन्नयन और श्रेष्ठता,

(2) सामाजिक-आर्थिक रैक्टरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण,

(3) प्रौद्योगिकी मिशनें,

(4) उद्योग में अनुसंधान और विकास,

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा,

(6) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिक शक्ति का विकास और रोजगार तथा,

(7) राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना परिव्यय इस प्रकार है :--

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		आठवीं योजना परिव्यय (लाख रूपयों में)
1		2
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.00
3.	असम	462.00
4.	बिहार	782.00

1		2
5.	दिल्ली	30.00
6.	गोआ	300.00
7.	गुजरात	550.00
8.	हरियाणा	662.00
9.	हिमाचल प्रदेश	275.00
10.	जम्मू और कश्मीर	190.00
11.	कर्नाटक	800.00
12.	केरल	2193.00
13.	मध्य प्रदेश	641.00
14.	महाराष्ट्र	568.00
15.	मणिपुर	400.00
16.	मेघालय	193.00
17.	मिज़ो[illegible]	195.00
18.	नागालैण्ड	100.00
19.	उड़ीसा	4556.00
20.	पंजाब	750.00
21.	राजस्थान	700.00
22.	सिक्किम	250.00
23.	तमिलनाडु	1000.00
24.	त्रिपुरा	225.00
25.	उत्तर प्रदेश	1000.00
26.	पश्चिम बंगाल	1833.00
	कुल राज्य	18902.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	135.00
2.	चण्डीगढ़	15.00
3.	दादरा और नागर हवेली	38.00

1		2
4.	दमन और दीव	40.00
5.	लक्षद्वीप	127.61*
6.	पांडिचेरी	13.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	368.00
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	19270.00

* पर्यावरण सहित

(ग) पिछले तीन वर्षों में आयात की गई मुख्य प्रौद्योगिकियां वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा रिपोर्टों के रूप मे प्रकाशित तथा व्यापक रूप से परिचालित की गयी हैं।

(घ) अब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में द्विपक्षीय अथवा बहु-पक्षीय सहयोग अथवा एजेंसियों को छोड़ कर कोई विशिष्ट संयुक्त उद्यम नहीं है।

बड़े औद्योगिक एकक

*280 **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े औद्योगिक एककों को कम प्राथमिकता वाली मदों के निर्माण की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु एककों के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का विरोध किया है,

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ड) कुल मिलाकर लघु एककों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

ऐसी मदों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिनका निर्माण बड़े औद्योगिक एककों को करने की अनुमति नहीं है और जो लघु क्षेत्र में ही निर्माण के लिए आरक्षित हैं।

माननीय सदस्य संभवतया आयकर अधिनियम, 1961 की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कम प्राथमिकता वाली मदों का हवाला दे रहे हैं। पहले लघु एकक यदि कुछ क्षेत्रों में कम प्राथमिकता

वाली इन 28 मदों में से किसी एक का निर्माण करते थे तो वे आयकर में कुछ कटौती के हकदार थे। अब बड़े एककों को भी आयकर में इस कटौती का दावा करने की अनुमति दे दी गयी है।

(ग) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) कुल मिलाकर इस निर्माण से लघु एककों पर कोई बडा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति

2910. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार लोक अभियोजकों के उपलब्ध होने के बावजूद विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या आवश्यकता है और लोक अभियोजकों की तुलना में विशेष लोक अभियोजकों के चयन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनसार कुल कितने विशेष लोक अभियोजक थे, और

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विशेष लोक अभियोजकों पर कुल कितना खर्च किया गया ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

द्वारका में सामूहिक आवासी समितियों से भूमि का मूल्य वसूल किया जाना

2911 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका में सामूहिक आवासीय समितियों से वसूले गये भूमि की लागत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर आने वाले खर्च के कुछ भाग को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मदद मे खर्चे की व्यवस्था दिल्ली की वार्षिक योजनाओं में की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इन समितियों से इसे पुनः वसूल करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर

वर्गों के लिए डी.डी.ए. के मकानो के हेतु निर्धारित प्लाटों के विकास पर आने वाले खर्च को केवल सहकारी सामूहिक आवास समितियों से वसूल की गई भूमि दरों में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) डी.डी.ए. आवास के ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. आवंटियों के मामले में विकसित भूमि की समान दरों के 0.5 और 0.75 के फेक्टर को अपनाया गया है। इन श्रेणियों से संबंधित अधिग्रहण और विकास का व्यय अन्य सभी श्रेणियों जैसे डी.डी.ए. आवास के एस.एफ.एस. और एम.आई.जी. आंवटियों, सहकारी सामूहिक आवास समितियों, संस्थागत आवास और अन्य श्रेणियों द्वारा वहन किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी सामाजिक नीति के मामले मे दोहरी आर्थिक सहायता दी गई है।

(ग) से (घ) ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. श्रेणियों के लिए आवास हेतु निर्धारित भूमि के आन्तरिक व परिधीय विकास के लिए डी.डी.ए. ने दिल्ली प्रशासन से कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं।

संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशन के लिए भारतीय सैनिक

2912. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियान के अंतर्गत देशवार कितने भारतीय सैनिक कार्यरत हैं तथा उन्हें कब तैनात किया गया था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देशवार इन अभियानों में कितने भारतीय सैनिक मारे गये; और

(ग) उनके परिवारों को कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियान में तैनात भारतीय सैनिकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	देश का नाम	तैनाती की तारीख	तैनात सैनिकों की संख्या
1.	सोमालिया	अक्टूबर, 93	4976
2.	मोजाम्बिक	मई, 93	936
3.	कम्बोडिया	नवम्बर, 93	2
	(यू.एन.टी.ए.सी.के पश्चात)		
4.	लाइबेरिया	फरवरी, 94	20
5.	ईरान-कुवैत	जुलाई, 93	6
6.	अंगोला	अगस्त, 93	3
7.	एल साल्वाडोंर	अप्रैल, 93	2

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियान में तैनात किसी भी भारतीय सैनिक की विरोधी कार्यवाही में मृत्यु नहीं हुई। तथापि, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार छः सैनिकों की दुर्घटना/बीमारी आदि के कारण मृत्यु हुई :

संयुक्त राष्ट्र मिशन/देश का नाम	मृत्यु का कारण	मृतकों की संख्या
यू.एन.टी.ए.सी. कम्बोडिया	डूबने से/बीमारी से/दुर्घटना से	4
ओ.एन.यू.एम.ओ.जैड. मोजाम्बिक	रेल दुर्घटना से	1
यू.एन.ओ.एस.ओ.एम.-सोमालिया	हथियार दुर्घटना से	1

3. संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के दौरान हुई मृत्यु घायल या बीमारी के मामलों को युद्ध हताहतों के रूप में माना गया है और इन्हें उदारीकृत पेंशन लाभों के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसमें सैन्य कार्मिक की मृत्यु या अयोग्य ठहराए जाने के समय मिलने वाले अंतिम वेतन की दर से उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन, अफसरों के लिए 2000 रु. से 19,000 तक और जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों के लिए 450 रु. से 1600 रु. तक उनके रैंक के आधार पर निर्धारित दरों पर परिवार उपदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में मृत्यु उपदान इस प्रकार दिया जाता है :-

(1) *एक वर्ष से कम सेवा के लिए - 2 महीने का वेतन,

(2) *1 वर्ष से 5 वर्ष की सेवा के लिए - 6 महीने का वेतन,

(3) *5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से - 12 महीने का वेतन कम सेवा के लिए,

(4) *20 वर्ष और उससे अधिक की गई सेवा के लिए - प्रत्येक पूरे वर्ष में की गई सेवा के लिए एक महीने का वेतन किन्तु अधिकतम 33 महीने का वेतन अथवा 1 लाख रुपए जो भी कम हो।

*गणना करने के लिए कुल की गई सेवा में 5 वर्ष का लाभ जोड़ा जाता है।

इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिक के परिवार/आश्रितों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं :-

(क) सेना पत्नी कल्याण संघ निधि

दिवंगत अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और जवानों की पत्नियों को क्रमशः 5000/ रूपए, 4000/ रुपए और 3000/ रुपए की राशि एक बार अनुदान स्वरूप दी जाती है। पांचवीं कक्षा से ऊपर और स्नातक स्तर तक के दो बच्चों को 2 वर्ष के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

(ख) विकलांग सेना कार्मिक, विधवा एवं अनाथ निधि

दिवंगत अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों तथा अन्य रैंकों की पत्नियों को क्रमशः 2000/ रुपए, 1500/ रुपए और 1000/ रुपए की राशि एक बार अनुदान के रूप में दी जाती है।

(ग) सेना अफसर हितकारी निधि

दिवंगत अफसर की पत्नी को 20,000/ रुपए दिए जाते हैं।

साबुन उद्योग पर एकाधिकरण

2913. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीडियो तथा टेलीविजन पर साबुन के विज्ञापनों पर अत्यधिक व्यय को देखते हुए; बड़े उद्योगपतियों के एकाधिकार के रहते साबुन उद्योग में नये उद्यमियों के प्रवेश के लिए कोई गुंजाइश नहीं है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार साबुन उद्योग में चल रहे इस एकाधिकारवाद तथा उत्पादकों की इस चुनौती से उपभोक्ता का कैसे संरक्षण करेगी ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर.भारद्वाज) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे किसी उद्योग के विज्ञापन पर खर्च या बजट को विनियमित किया जाता हो, जिसमें साबुन भी है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 तथा 24 को एम.आर.टी.पी. (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा दिनांक 27.9.1991 से हटा दिया गया है। तथापि, एम.आर.टी.पी. आयोग को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना

2914. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना की उपयोगिता पर कोष की वित्तीय शक्तियों में कमी होने का प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निजी तथा सरकारी क्षेत्र में रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने हेतु अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना, औद्योगिक पुनर्गठन के समय श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु की गई थी। प्रथम चरण में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्रदान की गई है। इस प्रयोजन के लिए 1992-93 में 829.66 करोड़ रु. तथा 1993-94 में 830 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। बंद होने/पुनः स्थापना की स्थिति में श्रमिकों हेतु प्रतिपूर्ति पैकेज तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए 140.05 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि प्रदान

की गई है। वित्तीय वर्ष 1993–94 में श्रमिकों को सलाह देने तथा पुनः प्रशिक्षित करने तथा क्षेत्र पुनर्निमाण योजनाओं हेतु 50 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः रोजगार के लिए छह पायलेट परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। उपायों के इस पैकेज से रुग्ण औद्योगिक एककों की टर्न एराउंड नीति में सहायता मिलेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा धन जुटाना

2915. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभप्रद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विदेशी बाजार से धन जुटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र का उपक्रम विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अपनी योजनागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दीर्घावधिक संसाधन जुटाने के संबंध में विदेशी बाजारों से धन राशि एकत्रित करने की मांग की है।

रुग्ण लघु उद्योग

2916. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 में अब तक लघु उद्योग के कितने एकक रुग्ण हुए; और

(ख) ऐसे कितने एककों के विरुद्ध ऋण की वसूली के तहत मामले दर्ज किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से मिले नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1992 में रोगी हुए लघु उद्योग एककों की कुल संख्या 24,103 थी।

(ख) शून्य। वसूली ट्राइब्यूनलों को अभी अपना काम आरंभ करना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

2917. **श्री भगवान शंकर रावत** :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक वर्ष-वार किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटाये जाने वाले वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार के सुझाव के अनुसार सम-सुविधा वाले नगरों की स्वीकृति सूची में कुछ और नगरों को शामिल करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय योजना में 200 करोड़ रूपये की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है और इतनी ही राशि राज्य क्षेत्र हेतु 8वीं योजना निवेश कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अंशदान के रूप में जुटायी जानी है। ये स्कीम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा बाहर के चयनित समसुविधा सम्पन्न कस्बों में अवस्थापना विकास से सम्बन्धित हैं। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के सम्बन्ध में, भूतल परिवहन तथा संचार केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पहले ही लगभग 1148 करोड़ रुपये की राशि हेतु वायदा किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र में 8वीं योजना निवेश कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए एक व्यापक रणनीति पर सहमति हो चुकी है, जिसमें ऋण वित्त पर न करने की अपेक्षा कर तथा इमदाद प्रस्ताव को अपना कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेशों पर बल दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पूर्व निवेश

2918 **श्री बी. देवराजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के औद्योगिक क्षेत्र मे अन्य राज्यों की तुलना में कुल कितना केन्द्रीय निवेश किया गया, और

(ख) आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु को इस प्रयोजनार्थ कितना धन आवटन किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और तमिलनाडु में सकल परिसम्पत्ति के रूप में किये गये कुल निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपयों में)

	अखिल भारत (तमिलनाडु सहित)	तमिलनाडु
31-3-1991 की स्थिति के अनुसार	130655	6847
31-3-1992 की स्थिति के अनुसार	153893	7839
31-3-1993 की स्थिति के अनुसार	173501	8610

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र में बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए आठवीं योजना का परिव्यय 27,700 करोड़ रुपए है।

डी.डी.ए. में गैर-कानूनी नियुक्तियां

2919. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 9 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच-पडताल करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित 24 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किये हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के सात अधिकारियों को निलम्बित करने की अनुशसा भी की थी, जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में आवासों की आवश्यकता

2920. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के आवासीय इकाइयों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवासीय इकाइयों की आवश्यकता से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मकानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वे फ्लैटों का निर्माण कर रहे हैं तथा वैयक्तिक निर्माण हेतु सहकारी समितियों तथा सर्विस स्कीम आदि के लिए प्लाट के रूप में आवासीय इकाइयों के लिये विकसित भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। चूंकि विकास तथा आवास क्रियाकलापों में गैर-सरकारी भवन निर्माताओं तथा विकासकों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

[अनुवाद]

कार निर्माता

2921. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कई अग्रणी कार निर्माताओं ने भारत में आर्थिक सुधारों और भारी बाजार संभावना के कारण यहां अपना कार निर्माण आधार पाने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां।

सरकार ने देश में यात्री कारों के विनिर्माण हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अभी हाल में निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया है :

1. अमरीका के मै. जनरल मोटर्स के साथ वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग हेतु मै. हिन्दुस्तान मोटर्स का प्रस्ताव।
2. फ्रांस के मै. पीगॉट के साथ वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग हेतु मै. प्रीमीयर आटोमोबाइल्स लि. का प्रस्ताव।

[हिन्दी]

शुद्ध पेयजल

2922. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यमों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या ऐसे कुछ क्षेत्रों में रॉर "फोटो वाल्टेइक पम्पिंग' प्रणाली के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात के ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय साधन अपनाये गये हैं :

(1) उपग्रह छायांकन, भू-भौतिकीय और भू-गर्भ जलीय सर्वेक्षण आदि का इस्तेमाल करके उचित प्रौद्योगिकी अपनाना, ताकि बोर वाले कुओं की विफलता की दर को कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से जल स्रोतों का पता लगाने को सुनिश्चित किया जा सके !

(2) पेयजल में खारेपन और अधिक फ्लोराइड की समस्याओं को हल करने के लिए खारापन और फ्लोराइड दूर करने के सयंत्रों की स्थापना करना।

(3) जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की जाती है। गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का पता लगाया जाता है और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय तरीकों द्वारा उसे हल किया जाता है, ताकि स्वीकार्य गुणवत्ता वाले पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(4) हाइड्रोपैक्चरिंग तकनीकों का इस्तेमाल आदि।

(ग) जी, हां।

(घ) दो गावों, एक जामनगर जिले के धरौल ताल्लुक के खखैरा गाव और एक अन्य जिला बहराइच के सगहारा ताल्लुक के पानी दतवाड़ा गांव में सोलर फोटो वाल्टिक पंप लगाये गये हैं। दोनों पम्पों के संतोषजनक रूप से सामान्य संचलन की सूचना मिली है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में चांदमारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण

2923. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के रंगा रेड्डी क्षेत्र में राज्य में चांदमारी क्षेत्र के लिए कितने क्षेत्रफल भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आन्ध्र प्रदेश के उक्त जिलों में चांदमारी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम

2924. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए निर्धारित व्यय क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों के परिणामों का व्यय की तुलना में आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(करोड रुपये में)

1990-91	386.22
1991-92	460.10
1992-93	490.92

(ख) अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के लिए निर्धारित परिव्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है

(करोड़ रुपये में)

1993-94	718.07
1994-95	755.00

वर्ष 1995-96 के लिए परिव्यय का निर्धारण अभी किया जाना है।

(ग) और (घ) अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए निधि को न्यायोचित रूप में आबंटित और खर्च किया जाता है। भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य दूरसंचार, प्रसारण, मौसमविज्ञान के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक ससाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेदन के उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्रणालियों की स्थापना करना है। विविध उपयोग उपग्रहों, उनके नीतभारों और इन उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता का स्वदेशी विकास करना, इस उद्देश्य का अविभाज्य अंग है। यह उद्देश्य पूरा कर लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली लम्बी दूरी के संचार, दूरदर्शन प्रसारण, रेडियो नेटवर्क, मौसमविज्ञानीय आंकड़ा रिले, आपदा चेतावनी और खोज तथा बचाव जैसे क्षेत्रों में प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह प्रणालियां संसाधन प्रबन्ध के क्षेत्रों जैसे फसल का एकड़वार और पैदावार का आकलन, सूखा चेतावनी और आकलन, बाढ़ नियंत्रण और क्षति का आकलन, कृषि-जलवायवी आयोजना के लिए भूमि उपयोग, भू-आवरण, जल संससाधनों, जल-विभाजकों और कमाण्ड क्षेत्रों, महासागर तथा समुद्री संसाधनों, अन्तर्देशीय मत्स्य पालन, खनिजों का पता लगाना, वन संसाधनों का प्रबन्ध इत्यादि के क्षेत्र में प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

स्वदेशी उपग्रह प्रमोचन क्षमता के निर्माण के क्षेत्र में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उपग्रह प्रमोचन राकेट-3 (एस.एल.वी.3) और संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) कार्यक्रमों के माध्यम से पहले ही क्रमशः 50 किलोग्राम और 150 किलोग्राम भार की श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता स्थापित कर दी गई है। इसके साथ-साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) द्वारा आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन की स्वदेशी क्षमता संतोषप्रद रूप में प्रगति में है। पी.एस.एल.वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान 20-09-1993 को आयोजित की गई। इसके अन्तिम कक्षा में पहुंचने में असफल रहने के बावजूद, इस जटिल राकेट की सभी प्रमुख प्रणालियों और उपप्रणालियों को प्रमाणित करने में अर्जित सफलता उल्लेखनीय है। इन्सैट-2 श्रेणी के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का विकास पहले ही शुरू हो चुका है।

वर्षों के दौरान, अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से, देश ने भारतीय समाज के निम्नतर स्तर को लाभ पहुंचाते हुए राष्ट्रीय विकास के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग के लिए न केवल अन्तरिक्ष क्षमता का निर्माण किया है अपितु इसने कुछ अत्यन्त दक्षता वाले भारतीय उद्योगों के साथ-साथ अनेक उच्च प्रौद्योगिकियों के विकास को भी अग्रसर किया है। इस प्रकार आज, अन्तरिक्ष कार्यक्रम देश के अवसंरचना विकास का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। इसके साथ ही, भारत अब अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष बाजार में वाणिज्यिक रूप में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है।

विदेशी निवेश का प्रभाव

2925. **श्री नुरूल इस्लाम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजा उदारीकरण अभियान के अन्तर्गत घरेलू, निजी तथा विदेशी निवेश की गति से देश के केवल संपन्न राज्यों को लाभ हुआ है;

(ख) इस योजना से कौन-कौन से राज्यों को लाभ हुआ है तथा कौन-कौन से राज्यों को उपेक्षा हुई है;

(ग) ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु ऐसे निवेश की गति निश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) उद्यमी अधिकांशतः पूंजी निवेश के स्थापना-स्थलों का निर्णय वाणिज्यिक पहलुओं पर विचार करने के बाद करते हैं। कम औद्योगीकृत क्षेत्रों में उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए, सरकार चुनिंदा केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत, इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से वित्त की व्यवस्था की जाएगी।

विदेशी–निवेश

2926. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है;

(ख) इस अवधि के दौरान वास्तव में कुल कितना विदेशी निवेश हुआ;

(ग) इस अवधि के दौरान विदेशी निवेश पर आधारित कितनी नई औद्योगिक परियोजनाएं चलाई गईं; और

(घ) इस अवधि के दौरान विदेशी निवेश पर आधारित कितनी नई परियोजनाओं के लिए आधार तैयार किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अप्रैल, 1992 से जनवरी 1994 तक 1384 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 12160 करोड़ रु. के प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है।

(ख) 1992 से जनवरी 1994 तक कुल वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, अनुमानतः 2596.28 करोड़ रु. था।

(ग) तथा (घ) मंत्रालय में ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

बहुद्देशीय पहचान–पत्र

2927. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विकसित प्रौद्योगिकी की सहायता से बहु–उद्देशीय पहचान पत्र के संबंध में दक्षिण एशियाई भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी उपयोग सम्मेलन में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत पत्र की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास इस संबंध में कोई अन्य योजना अथवा प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 25–26 फरवरी, 1994 के दौरान कम्प्यूटर सोसायटी आफ इंडिया, डिवीज़न VIII तथा दिल्ली चैप्टर द्वारा नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में की गई सिफारिशों का उल्लेख करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सम्मेलन में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कम्प्यूटर प्रणालियों के उपयोग से संबंधित पत्र और प्रदर्शनियां दिखाई गईं।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास पहचान-पत्रों से संबंधित कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, यह अनेक वैज्ञानिक विषयों में विभिन्न अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है।

केरल के लिए जल आपूर्ति योजना

2929. **श्री थाइल जान अंजलोज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल.आई.सी. अथवा किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से केरल राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब से आरंभ कर दी जाएगी;

(ग) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) केन्द्र सरकार ने केरल राज्य के लिए जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से पेयजल सप्लाई हेतु कोई योजना तैयार नहीं की है। ऐसी योजनाओं को सीधे ही राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है और इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मारूति कारों का उत्पादन

2930. **श्री बारे लाल जाटव :**
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार कितनी मारूति कारों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या मारूति कारों के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मारूति कारों का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली मारूति कारों का मूल्य देश में विक्रय मूल्य की तुलना में कम रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मारूति वाहनों के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	संख्या
1990-91	123083
1991-92	121167
1992-93	128138

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत 3 वर्षों में निर्यात किए गए मारूति वाहनों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	संख्या
1990-91	4908
1991-92	22921
1992-93	14566

(ङ) और (च) मारूति उद्योग लिमिटेड के अनुसार इसकी मूल्य संरचना को बताना कंपनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

योजना परिव्यय

2931. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को केवल उन्हीं योजनाओं पर धनराशि व्यय करने के अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनके लिए उनके योजना परिव्यय में धन का प्रावधान किया गया है,

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार को इस धनराशि का अन्य योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से

(घ) राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों को अनुमोदित करते समय, कतिपय क्षेत्रकीय तथा उप-क्षेत्रकीय परिव्ययों के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्कीमों तथा परियोजनाओं के परिव्यय निश्चित किए जाते हैं। राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे नियत परिव्ययों में परिवर्तन न करें। वर्तमान प्रक्रिया के तहत राज्य सरकारें यदि परिवर्तन करना चाहती हैं, तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समायोजना प्रस्ताव में इसे समाविष्ट करें, जिसे योजना आयोग को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक भेजना होता है। इन समायोजन प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार किया जाता है तथा तथ्यों तथा परिस्थितियों के तदनुरूप प्रत्येक मामले में संशोधित अनुमोदन स्वीकृत किए जाते हैं।

एक स्कीम से दूसरी स्कीम को निधियां अन्तरित करने के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग

2932. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर, जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विधान सभा में सीटों की संख्या पर विचार और सिफारिश करने के लिए कोई नया परिसीमन आयोग नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आतंकवादी गतिविधियों के कारण कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन को ध्यान में रखते हुए सीटों के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) जम्मू-कश्मीर में 1981 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पहले ही परिसीमन किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का लक्ष्य से पीछे रहना

2933. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1993 के "टाइम्स आफ इंडिया' में "डी.डी.ए. व बिहाइन्ड टारगैट्स' शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे घटिया कार्य-निष्पादन के क्या कारण है और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लक्ष्य पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किये जाते हैं। लक्ष्यों की उपलब्धियों का वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही संभव हो सकता है।

तथापि, यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण लक्ष्यों की प्राप्ति में पीछे है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा :-

(1) 1993-94 के दौरान 8,543 फ्लैटों के आबंटन लक्ष्य की तुलना में 10-3-94 तक 15,138 फ्लैटों का कम्प्यूटर ड्रा निकाला जा चुका है।

(2) 1993-94 के दौरान 9,900 डी.डी.ए. फ्लैट पूरे करने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 8,662 फ्लैटों के पूर्ण होने की संभावना है। 1993-94 के दौरान निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने वाले फ्लैटों की संख्या 11,500 है, जिनके लिए निविदाएं अवार्ड कर दी गई हैं/मांगी गई हैं।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण में 1992-93 में 396.48 करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति की तुलना में 1993-94 में 28-2-94 तक कुल प्राप्ति 397.47 करोड़ रुपये है। 31-3-94 तक संभावित कुल प्राप्ति 484.25 करोड़ रुपये है, जो विगत वर्ष 1992-93 की तुलना में 22.2 प्रतिशत अधिक है।

(4) 1992-93 के पूरे वर्ष में 4.34 करोड़ रुपये की तुलना में 1993-94 में अब तक बढ़ी हुई मुआवजी राशि के भुगतान सहित भूमि अधिग्रहण के भुगतान के रूप में 70 करोड रुपये दिए गए हैं।

(5) 1181 व्यक्तियों को, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, प्रस्ताव पत्र जारी करने के लक्ष्य को 31-3-1994 तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है।

(6) 1993-94 के दौरान सामुदायिक सहकारी आवास समितियों को 148 प्रस्ताव पत्र जारी करने का लक्ष्य था। 10-3-94 तक जारी प्रस्ताव पत्रों की संख्या 156 है।

(7) लीज होल्ड को फ्री-होल्ड में परिवर्तन के 3,475 अनुमति पत्रों के लक्ष्य की तुलना में 28-2-94 की स्थिति के अनुसार अब तक भेजे आदेशों की संख्या 7,956 है।

(8) 8.75 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य की तुलना में अब तक 7.40 लाख वृक्ष लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त 19 फरवरी, 1994 से दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमुख पार्कों में दिल्ली का उद्यान महोत्सव मनाया गया।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मनोरोग औषध

2934. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्यतः एन.ए.ए.ए. नामक रसायन मनोरोग औषध "मैनड्रैक्स' के निर्माण में प्रमुख घटक है,

(ख) क्या एन.ए.ए.ए. के निर्माण, आयात अथवा वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार को मैनड्रैक्स के निर्माण हेतु एन.ए.ए.ए. के प्रच्छन्न प्रयोग पर रोक लगाने के लिए नियंत्रक उपाय करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वाप औषध नियंत्रण एजेन्सियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) एन-एसीटाइल एनथ्रानिलिक एसिड (एन.ए.ए.ए.) का प्रयोग मैंड्रेक्स के निर्माण में किया जा सकता है, किन्तु हमारे देश में हमें रिपोर्ट मिली है कि ऐसे निर्माण में एसिटिक एनहाइड्राइड प्रयुक्त किए जाने की ज्यादा संभावना है। इसलिए सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 4क के अन्तर्गत एसिटिक एनहाइड्राइड को नियंत्रित पदार्थ के रूप में अधिसूचित किया है और नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साकोट्रोपिक सब्स्टैंसेज(रेग्युलेशन आफ कन्ट्रोल्ड सब्स्टैंसेग) आर्डर 1993 भी अधिसूचित किया है। यह आदेश 15 अप्रैल, 1993 से प्रभाव में आ गया है और यह एसिटिक एनहाइड्राइड के निर्माण, बिक्री, दुलाई और प्रयोग, आदि का नियमन करता है।

नारकाटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्स्टैंसेज, 1988 पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्स्टैंसेज के निर्माण के लिए कुछेक रसायनों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के उपाय उठाना अपेक्षित है। एन.ए.ए.ए. भी 1988 सम्मेलन की सारणी-I में शामिल है। भारत ने सम्मेलन की पुष्टि की है। किन्तु अब तक एसिटिक एनहाइड्राइड पर ही नियंत्रण लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि वह यही रसायन है, जिसे मेथा क्वालीन (मैंड्रेक्स) के निर्माण के लिए भारत में व्यापकतः प्रयोग किया जाता है।

[हिन्दी]

जनशक्ति का साक्षर प्रतिशत

2935. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूद सम्पूर्ण जनशक्ति का कितना प्रतिशत साक्षर है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पुरुषों, महिलाओं की अखिल भारतीय साक्षरता दर तथा वर्ष 1991 में व्यक्तियों की कुल संख्या को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन में)

	साक्षर			निरक्षर		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1991**						
सभी क्षेत्र	362.17	230.40	131.77	332.29	130.15	202.14
	(52.1)	(63.9)	(39.4)	(47.9)	(36.1)	(60.6)
ग्रामीण क्षेत्र	228.01	151.59	76.42	287.82	114.51	173.31
	(44.2)	(57.0)	(30.6)	(55.8)	(43.0)	(69.4)
शहरी क्षेत्र	134.16	78.81	55.35	44.47	15.64	28.83
	(75.0)	(83.3)	(65.7)	(25.0)	(16.7)	(34.3)

** इसमें जम्मू व कश्मीर शामिल नहीं है, जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई थी। वर्ष 1991 के लिए साक्षरता दरें तथा निरक्षरों की संख्या 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित है।

(ख) और (ग) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार के अतिरिक्त, परिमाणात्मक रूप में 15 से 35 आयु समूह के 80 मिलियन निरक्षरों को वर्ष 1995 तक क्रियात्मक रूप से साक्षर बनाने हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मई, 1988 में आरभ किया गया था। प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण साक्षरता अभियान (टी.एल.सी.) की प्रमुख कार्यनीति के रूप में अंगीकार किया गया है। पूरे देश में अब तक पूर्ण/आंशिक रूप से 217 जिलों को मिलाकर कुल 187 साक्षरता परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

टी.एल.सी. परियोजनाओं के अलावा, 75 जिलों को मिलाकर 52 साक्षरता पश्चात अभियान (पी.एल.सी.) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्षर

बनाए जा रहे प्रौढ पुनः निरक्षरता की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि यह क्षेत्र विशिष्ट, लागत प्रभावी, समयबद्ध तथा परिणामोन्मुख है और यह स्वेच्छा पर आधारित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों में शहरीकरण में असंतुलन

2936. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न राज्यों में शहरीकरण में व्यापक क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों के लिए कोई अधिमान्य नीति बनायी है, जिनमें राष्ट्रीय औसत से कम शहरीकरण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में शहरीकरण की मात्रा में क्षेत्रगत और क्षेत्र-वार भिन्नताएं हैं, जो संलग्न विवरण में देखी जा सकती हैं। भिन्नताओं के कारण हैं :-

1. ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और जनांलिकी कारकों से राज्यों में देहाती-शहरी आबादी आधार, जन्म-दर व मृत्यु-दर तथा देहात से शहर व शहर से शहर बीच प्रवसन में अत्यधिक भिन्नताएं।

2. प्राकृतिक व निजी पूंजी निवेश आदि अन्य कारकों के कारण आर्थिक विकास (कृषि और औद्योगिक विकास) पद्धतियों में व्यापक भिन्नताओं से अन्तर क्षेत्रीय आय/मजदूरी में भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं जनसंख्या में सहज बढ़ोत्तरी और प्रव्रजन पैटर्न को काफी प्रभावित करती हैं।

(ग) राष्ट्रीय औसत से कम शहरीकरण सूचकांक वाले राज्यों के लिए भारत सरकार के पास कोई विशिष्ट वरीयता नीति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1981 और 1991 को राज्यों और संघ राज्यों की कुल शहरी आबादी

(जनसंख्या मिलियन में)

भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1981			1971-81	1991			
	कुल आबादी	शहरी आबादी	कुल शहरी आबादी की प्रतिशतता	दशकीय वृद्धि दर	कुल आबादी	शहरी आबादी	कुल शहरी आबादी की प्रतिशतता	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत	683.33	159.46	23.34	46.24	846.30	217.61	25.71	36.47
राज्य								
आन्ध्र प्रदेश	53.55	12.49	23.32	48.62	66.50	17.88	26.89	43.24
अरूणाचल प्रदेश	0.63	0.04	6.56	139.63	0.86	0.11	12.80	167.04
असम	18.04	1.78	9.88	38.25	22.41	2.48	11.10	39.58
बिहार	69.91	8.72	12.47	54.76	86.37	11.35	13.14	30.21
गोवा	1.01	0.32	32.03	58.82	1.17	0.48	41.01	48.63
गुजरात	34.08	10.60	31.10	41.42	41.31	14.25	34.49	34.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	12.92	2.83	21.80	59.47	16.46	4.05	24.63	43.41
हिमाचल प्रदेश	4.28	0.33	7.61	34.76	5.71	0.45	8.69	37.80
जम्मू एवं कश्मीर	5.99	1.26	21.05	46.86	7.72	1.84	23.83	45.94
कर्नाटक	37.14	10.73	28.89	50.65	44.98	13.91	30.92	29.62
केरल	25.45	4.77	18.74	37.64	29.10	7.68	26.39	60.97
मध्य प्रदेश	52.18	10.59	20.29	56.03	66.18	15.34	23.18	44.89
महाराष्ट्र	62.78	21.99	35.03	39.99	78.94	30.54	38.69	38.87
मणिपुर	1.42	0.38	26.42	165.36	1.84	0.51	27.52	34.67
मेघालय	1.34	0.24	18.07	63.98	1.77	0.33	18.60	36.76
मिजोरम	0.49	0.12	24.67	222.61	0.69	0.32	46.10	161.01
नागालैंड	0.77	0.12	15.52	133.95	1.21	0.21	17.21	73.18
उड़ीसा	26.37	3.11	11.79	68.54	31.66	4.23	13.38	36.16
पंजाब	16.79	4.65	27.68	44.51	20.28	6.00	29.55	28.95
राजस्थान	34.26	7.21	21.05	58.69	44.00	10.01	22.88	39.62
सिक्किम	0.32	0.05	16.15	159.73	0.41	0.0	9.10	-27.56
तमिलनाडु	48.41	15.95	32.95	27.98	55.86	19.08	34.15	19.07
त्रिपुरा	2.05	0.23	10.99	38.93	2.76	0.42	15.29	86.96

उत्तर प्रदेश	110.86	19.90	17.95	60.62	139.11	27.61	19.84	38.73
पश्चिम बंगाल	54.58	15.45	26.47	31.73	68.08	18.71	27.48	29.49
संघ राज्य क्षेत्र								
अंडमान व निकोबार	0.19	0.05	26.30	89.31	0.28	0.07	26.71	51.02
चंडीगढ़	0.45	0.42	93.63	81.52	0.64	0.58	89.69	36.18
दादर एवं नगर हवेली	0.10	0.01	6.67	0.00	0.14	0.01	8.47	69.58
दमन एवं दीव	0.08	0.03	36.75	23.34	0.10	0.05	46.80	63.81
दिल्ली	6.22	5.77	92.73	58.16	9.42	8.47	89.93	46.87
लक्षद्वीप	0.04	0.02	46.28	0.00	0.05	0.03	56.31	56.28
पांडिचेरी	0.80	0.32	52.28	59.39	0.81	0.52	64.00	63.58

टिप्पणी :
1. आसाम में 1981 में जनगणना नहीं हुई। अतः आसाम की 1981 की कुल आबादी और शहरी आबादी अनुमानतः है।
2. जम्मू व कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं की जा सकी। अतः जम्मू-कश्मीर की 1991 की कुल आबादी तथा शहरी आबादी का अनुमान जनसंख्या प्रायोजन पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति (अक्टूबर, 1989) के आकलन पर आधारित है।

स्रोत :
1. भारतीय जनगणना, 1991 अंतिम ाबादी जोड़ पेपर-2, ग्रामीण-शहरी वितरण, पृष्ठ-13
2. भारतीय जनगणना, 1991, पेपर-1, खंड-1, अन्तिम आबादी जोड़
3. भारतीय जनगणना, 1981, भाग-2-क(2), पृष्ठ-255

बोफोर्स तोप सौदे में दलाली

2937. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री रविराय :
श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स दलाली की जांच कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत तथा विदेश में मामले की जांच कार्य अभी चल रहा है। जांच कार्य के लिए स्विस प्राधिकारियों का सहयोग अपेक्षित था, जिसके लिए उन्हें अनुरोध-पत्र भेजा गया था। स्विस न्यायालयों में इन अनुरोध-पत्रों के विरुद्ध अपील दायर की गई थी। भारतीय न्यायालयों में विभिन्न याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अनुरोध-पत्र की वैधता को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं से संबंधित निर्णय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पक्ष मे गए। स्विस संघीय न्यायालय ने भी प्रभावित पक्षों की अपील को 20-7-1993 को अंतिम रूप से खारिज कर दिया तथा बोफोर्स मामले के जांच-कार्य में भारत को सहयोग देने की अनुमति दे दी है। बैंक दस्तावेज भेजने के संबंध में जांचकर्ता मजिस्ट्रट जेनेवा का निर्णय अभी प्राप्त होना है। अतः मामला जेनेवा में जांचकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्णयाधीन है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें

2938. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग ने कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदी हैं तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है,

(ख) क्या सम्पूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी और अधिक मशीनें खरीदने का कोई निर्णय लिया गया है, और

(ग) क्या इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का निकट भविष्य में होने वाले राज्य विधान सभाओं के चुनावों में प्रयोग किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) 1,50,444 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें अर्जित कर ली गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 75.25 करोड़ रुपए है।

(ख) संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी मशीनों के और अधिक उपापन के

संबंध में विनिश्चय, विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता का निर्वाचनों में परीक्षण हो जाने के पश्चात् किया जाएगा।

(ग) आगामी निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का यथासाध्य सीमा तक उपयोग किया जाएगा।

रक्षा सामग्री की खरीद

2939. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उत्पादित वस्तुओं, उपकरणों और "नॉन कम्बेट स्टोर्स' के मूल्य असैनिक औद्योगिक संस्थानों में उत्पादित इन्हीं वस्तुओं की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो केवल आयुध कारखानों द्वारा सशस्त्र सेनाओं को की जाने वाली सप्लाई के कारण रक्षा खर्च के रूप में अनुमानतः कितना घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सशस्त्र सेनाओं को "नॉन कम्बेट स्टोर्स' के लिए सीधे असैनिक औद्योगिक क्षेत्र को क्रयादेश देने की अनुमति है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान नीति को सुसंगत बनाने और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में निजी क्षेत्रों को अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं और विशेषकर जबकि सामान की गुणवत्ता और नियमितता को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) सशस्त्र सेनाओं द्वारा सिविल औद्योगिक क्षेत्र से गैर-योधी सामग्री की भी खरीद की जाती है।

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा आयात

2940. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारूति उद्योग लिमिटेड को सीमा शुल्क से मुक्त करोड़ों रुपये का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा विदेशी मुद्रा का व्यय इसके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991, 1992 और 1993 में मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा की तुलना में कितनी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) मारूति उद्योग लिमिटेड को सीमा शुल्क से मुक्त पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति देने का क्या कारण है, और

(ङ) क्या ऐसी ही सुविधाएं अन्य निर्माताओं को भी दी जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25(2) के अधीन तदर्थ छूट आदेश जारी किया है, जिसमें मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा आयात की जाने वाली 330 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं, औजारों तथा हिस्सों-पुर्जों पर सीमा शुल्क छूट प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) मारूति उद्योग लिमिटेड ने वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में कल-पुर्जों के आयात पर क्रमशः 82.07 मिलियन अमरीकी डालर तथा 60.21 मिलियन अमरीकी डालर खर्च किए हैं और क्रमशः 92.43 मिलियन अमरीकी डालर व 56.97 मिलियन अमरीकी डालर अर्जित किए हैं।

(घ) यह छूट निर्यात को बढावा देने के उद्देश्य से दी गई थी तथा इस शर्त पर दी गई है कि मारूति उद्योग लिमिटेड 1-4-1995 से शुरू आगामी 7 वर्ष की अवधि में 1,40,000 वाई.ई.2 कारों का निर्यात करेगा। निर्यात की जाने वाली वाई.ई.2 कारों का अनुमानित मूल्य 2100 करोड़ रुपये होगा।

(ङ) समान परिस्थितियों में अन्यों को भी ऐसी छूट देने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

डेनमार्क द्वारा निवेश

2941. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क की कुछ कंपनियों ने भारत में निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने प्रयोजनार्थ कोई शर्तें रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) क्या डेनमार्क सरकार ने अपनी कंपनियों के लिए कोई गारंटी मांगी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हा। डेनमार्क की फर्मों के साथ स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अंतर्ग्रस्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि (रुपये करोड़ में)
1991	5	11.17
1992	10	25.23
1993	8	31.99
1994(फरवरी तक)	1	12.50

(ग) से (ङ) जी, नहीं। 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना

2942. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए हाल ही में इनकी समीक्षा की है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों का किसी वर्ष के लिए राज्यवार आबंटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में किया जाता है। इस प्रकार 1994-95 के दौरान राज्यवार आबंटन अभी नहीं किया गया है। 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों का राज्यवार आबंटन विवरण-II में दर्शाया गया है। जैसा कि इस विवरण में देखा जा सकता है। 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए 37056.78 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गयी है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना को ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सृजन के लिए अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :-

1. कम से कम 2546 करोड़ रुपए, जो वर्ष 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के लिए संशोधित बजट आबंटन था, के आधार पर एक वर्ष में जवाहर रोजगार

योजना के तहत आबंटित निधियों की 75 प्रतिशत निधियां, अब निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार व्यापक रूप से देश भर में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु इस्तेमाल की जाएंगी।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम परिणामों के आधार पर नवीनतम उपलब्ध गरीबी आकलनों के अनुसरण में देश में कुल ग्रामीण आबादी और राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना के तहत निधियां आबटित की जानी जारी रहेंगी। तथापि, किसी जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात को समान तरजीह देने तथा कृषि मजदूरों के प्रतिव्यक्ति उत्पादन के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के अनुसार राज्य से जिलों को निधियों का आबंटन किया जाएगा।

3. जवाहर रोजगार योजना की उपयोजनायें अर्थात दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना जारी रहेगी। तथापि, दस लाख कुओं की योजना के लिये निधियों को वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब, छोटे तथा सीमान्त किसानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले कुल वित्तीय आबंटन के लाभ जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मकानों के निर्माण के लिए निधियों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा तथा इसमें गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों (मुक्त बंधुवा मजदूरों को छोड़कर) को मिलने वाले लाभ कुल आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक न हों।

4. कम से कम 700 करोड़ रुपए के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत निधियां देश के विभिन्न राज्यों के 120 जिलों, जिनमें बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी की अधिकता है, में गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इस प्रयोजन हेतु, संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां दी जाएंगी जो जिलों में अत्यधिक बेरोजगारी और अल्परोजगारी वाले क्षेत्रों का चयन करेंगी, ताकि इन क्षेत्रों में गहन जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जा सके।

5. अधिकतम 75 करोड़ रुपए के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की 5 प्रतिशत निधियां ऐसी योजनाएं शुरू करने के लिए निर्धारित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकना, महिला रोजगार में वृद्धि करना, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम जिनका उद्देश्य सूखे पर रोक लगाना तथा वाटरशेड विकास/बंजर भूमि विकास करना है, जिसके परिणामस्वरूप सतत् रोजगार प्राप्त होता है।

6. मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक के लिए खर्च को विद्यमान 60 : 40 के अनुपात में रखा गया है, लेकिन कुल मजदूरी के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के आधार पर कुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को मजदूरी घटक के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति है।

विवरण-II

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन		कुल
		जवाहर रोजगार योजना (प्रथम दौर)	गहन जवाहर रोजगार योजना (दूसरा दौर)	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	24620.09	6243.75	30863.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.51	0.00	322.51
3.	असम	8104.85	0.00	8104.85
4.	बिहार	48291.40	17231.25	65522.65
5.	गोवा	348.46	0.00	348.46
6.	गुजरात	9037.55	3887.50	12925.05
7.	हरियाणा	2170.94	0.00	2170.94
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.26	0.00	1107.26
9.	जम्मू व कश्मीर	1571.74	853.75	2425.49
10.	कर्नाटक	16531.33	4715.00	21246.33
11.	केरल	6238.34	0.00	6238.34
12.	मध्य प्रदेश	31197.24	15243.75	46440.99
13.	महाराष्ट्र	26839.28	10217.50	37056.78
14.	मणिपुर	413.36	0.00	413.36
15.	मेघालय	483.68	0.00	483.68
16.	मिजोरम	203.75	0.00	203.75

1 2	3	4	5
17. नागालैंड	518.46	0.00	518.46
18. उड़ीसा	19972.66	7143.75	27116.41
19. पंजाब	1634.30	0.00	1634.30
20. राजस्थान	1261.33	4568.75	5830.08
21. सिक्किम	188.76	0.00	188.76
22. तमिलनाडु	22256.18	3255.00	15511.18
23. त्रिपुरा	536.90	0.00	536.90
24. उत्तर प्रदेश	59998.40	8335.00	68333.40
25. पश्चिम बंगाल	22063.20	6125.00	28188.20
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	152.70	0.00	152.70
27. दादरा व नागर हवेली	82.89	0.00	82.89
28. दमन व दीव	48.83	0.00	48.83
29. लक्षद्वीप	76.55	0.00	76.55
30. पांडिचेरी	149.47	0.00	149.47
योग	306422.41	87820.00	394242.41

[हिन्दी]

कम्प्यूटर हार्डवेयरों का निर्यात

2943. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयरों का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (दिसम्बर, 1993 तक) निर्यात किए गए कम्प्यूटर हार्डवेयर, जिसमें डेस्क टॉप कम्प्यूटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क

ड्राइव, कुंजी पटल, विंचेस्टर डिस्क ड्राइव तथा मॉनीटर (एकवर्णी/रंगीन) शामिल है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	निर्यात (करोड रुपए में)
1990-91	300.00
1991-92	282.00
1992-93	294.39
1993-94 (दिसम्बर, 1993 तक)	292.37

(ख) कम्प्यूटर हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय-समय पर रियायतों की घोषणा कर रही है। उठाए गए कुछ विशिष्ट कदम निम्नलिखित हैं :-

(1) इकाइयों को अपनी उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने और एक ही लाइसेंस के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों का विर्निमाण करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीगत उपस्करों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

(2) प्रतिष्ठित निर्यातकर्ताओं को अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाते खोलने की अनुमति दी जाती है और निर्यातकर्ताओं को निर्यात संबंधी वस्तुओं के भुगतान के लिए बाहर से ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

(3) निर्यात उन्मुख इकाइयों (ई.ओ.यू.) तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी.जेड.) में स्थित इकाइयों द्वारा अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को मूल या सबद्ध कम्पनियों की आय के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे ऐसी कम्पनियों को निर्यात गृह/व्यापारिक गृह/स्टार व्यापारिक गृह का दर्जा मिल सके।

(4) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (मापगुनि) निदेशालय विनिर्माताओं को आई.एस.ओ. 9000 की अर्हता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(5) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली सहित पूंजीगत वस्तुओं का, निर्यात की बाध्यता के अंतर्गत, सीमा शुल्क की रियायती दर पर आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(6) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.) की एक योजना शुरू की गई है, जो निर्यातकर्ताओं को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है और मूल्य संवर्धन के आधार पर इन इकाइयों में विनिर्मित उत्पादों की बिक्री की अनुमति प्रदान करती है।

(7) शुल्क मुक्त रूप से कच्ची सामग्रियों तथा संपटक-पुर्जों का आयात करने के लिए निर्यातकर्ताओं को मात्रा पर आधारित और मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(8) कम्प्यूटर हार्डवेयर के निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन का न्यूनतम प्रतिशत घटाकर 15% कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तटरक्षक विकास योजना

2944. **श्री एस.बी. सिवनाल :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय 1992-97 की अवधि के लिए तटरक्षक विकास योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ग) अब तक कितना धन दिया गया; और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान कितना धन खर्च किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्ष 1992-97 की अवधि के लिए 1223 करोड़ रुपए के लागत की तटरक्षक विकास योजना पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

(ग) अभी तक 417.15 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान 233.06 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की आशा है।

दादरा और नागर हवेली में एककों को राज सहायता

2945. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली के पिछड़े क्षेत्रों में नये एककों की स्थापना हेतु उद्यमियों को राज सहायता दी गई है;

(ख) कितने एककों ने निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत राज सहायता देने के लिए आवेदन किया है; और

(ग) ऐसे कितने एकक हैं, जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है, परन्तु उन्हें राज सहायता नहीं दी गई है, इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र दादरा और नागर हवेली केन्द्रीय रूप से घोषित क्षेणी "क' पिछड़ा क्षेत्र है और यह योजना में निर्धारित शर्तों पर 25% की दर से राजसहायता पाने का पात्र था। भारत सरकार ने केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अधीन दादरा और नागर हवेली को अब तक 10.81 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। सरकार के पास दादरा और नागर हवेली का कोई पात्र दावा लंबित नहीं है।

जापानी निवेश

2946. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जनवरी, 1994 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान भारत में जापानी निवेश में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत में और अधिक जापानी निवेश आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारत और जापान की व्यापार वार्ता के अन्तिम दौर की बातचीत 6-7 जनवरी, 1994 के दौरान टोकियो में हुई थी। संसार की आर्थिक स्थिति भारत और जापान की अर्थ व्यवस्था, व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, निवेश तथा पर्यटन जैसे क्षेत्र वार्ता में शामिल थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत में जापान का कुल अनुमोदित निवेश वर्ष 1991-92 के दौरान 1507.80 मिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान 5585.25 मिलियन रुपये था।

(ङ) नई आर्थिक पहल से जापान सहित विदेशी निवेशकर्ताओं में यह विश्वास पैदा होने की आशा है कि भारत में विदेशी पूजी निवेश के बहुत ज्यादा अवसर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जापानी कम्पनियों का अधिक मात्रा में भारत में निवेश हो सकेगा।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक भंडारण सुविधायें

2947. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से सीमान्त कृषकों तथा कृषि के वैज्ञानिक तरीके अपनाने वाले व्यक्तियों को वैज्ञानिक भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेष रूप से-गुजरात में, गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने गोदामों का निर्माण किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हाजीभाई पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण गोदामों की स्थापना की योजना, जो 1979-80 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी, को राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(ग) पहली जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत देश में 113 गोदाम बनाए गए थे, जिनमें से 81 गुजरात में थे।

शिक्षा पर उपकर

2948. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को शिक्षा पर उपकर लगाने की सलाह दी है;

(ख) यह उपकर किस दर से लगाया जाएगा और इससे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल वार्षिक व्यय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के प्रसार की प्रथम प्राथमिकताओं वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद की साक्षरता संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों को शहरी तथा ग्रामीण राजस्वों/आयों/संपत्तियों पर शिक्षा उपकर लगाने की संभावना का पता लगाना चाहिए। चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले में अंतिम निर्णय लेना है, इसलिए कोई निश्चित दर/मात्रा नहीं दर्शायी जा सकती है।

(ग) सरकार की यह दृष्टिकोण है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जाए।

(घ) जी, हां।

दिल्ली में ग्रीन रिज

2949. **श्री केशरी लाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में ग्रीन रिज क्षेत्रफल के लगातार घटते जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत तीन वर्ष पहले ग्रीन रिज का क्षेत्रफल कितना था तथा इस समय इसका क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रीन रिज के क्षेत्रफल में कमी होने के संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार ने ग्रीन रिज के क्षेत्रफल को और कम होने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) ग्रीन रिज का अलग-अलग समय पर कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। एम.पी.डी.-2001 के अनुसार रिज का कुल क्षेत्रफल 7777 हेक्टेयर है। इनमें से कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 21 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध कब्जा है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं करायी गयी है। तथापि, दिल्ली रिज के लिए प्रबन्ध पद्धति हेतु सुझाव देने के लिए उप-राज्यपाल, दिल्ली ने 24-4-93 को एक समिति का गठन किया था। समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) ग्रीन रिज के क्षेत्रफल में और कमी को रोकने के लिए रिज क्षेत्र में किसी भी संस्थान को और आवंटन न करने और रिज क्षेत्र में किसी भी अवैध अतिक्रमण को नियमित न किये जाने का भी सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया गया है।

विस्थापित भारतीयों को फ्लैट

2950. **श्री मंजय लाल :**
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने म्यानमार, श्रीलंका आदि के विस्थापित भारतीयों के पुनर्वास उन्हें दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर आवासीय/वाणिज्यिक प्लाटों/मकानों/दुकानों का आवंटन करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के दिल्ली में पुनर्वास के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

औद्योगिक एल्कोहल

2951. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक एल्कोहल (स्प्रिट) का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान आयात किये गये औद्योगिक एल्कोहल का मूल्य कितना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) अल्कोहल का उत्पादन अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर-नवम्बर) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (अनुमानित) के दौरान निम्न प्रकार रहा है :

अल्कोहल वर्ष (दिस.-नव.)	अल्कोहल का उत्पादन (लाख लीटर में)
1990-91	10149
1991-92	10157
1992-93 (अनुमानित)	11396

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इथाइल अल्कोहल और किसी भी प्रबलता के अन्य डिनेचर्ड स्पिरिट और आयतन के अनुसार 80 प्रतिशत या अधिक अल्कोहल प्रबलता के अनडिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल के आयात का मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान 55.94 लाख रुपए था।

अनधिकृत कॉलोनियां

2952. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 तक दिल्ली में कितनी अनधिकृत कॉलोनियां हैं;

(ख) किन-किन कालोनियों को पहले ही गिराया जा चुका है; और

(ग) शेष अनधिकृत कालोनियों को कब तक गिरा दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए सरकार के 1977 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा 609 अनधिकृत कालोनियों की सूची तैयार की गई थी। इनमें से, 567 अनधिकृत कालोनियों को अभी तक नियमित किया जा चुका है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार, जून, 1977 और 31-8-1992 के बीच बसी अनधिकृत कालोनियों की संख्या अनुमानतः लगभग 600 है। अनधिकृत निर्माण को गिराना/हटाना एक सतत प्रक्रिया है और स्थानीय एजेंसियों द्वारा अपने क्षेत्रों से अनधिकृत निर्माण को गिराने के नियमित गिराऊ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे नए अतिक्रमण, जिनमें पूर्ण विकसित अनधिकृत कालोनियां बन सकती हैं, को ऐसे गिराऊ कार्यक्रमों के तहत हटाया जाता है।

[अनुवाद]

कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना

2953. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री शिवाजी पटनायक :
डा. सुधीर राय :
डा. रवि मल्लू :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :
श्री सुव्रत मुखर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की भारी कमी के कारण कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना के चालू होने में विलम्ब हो रहा है, जैसा कि 2 फरवरी, 1994 के इकानोमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस परियोजना के चालू होने में विलम्ब के कारण परमाणु ऊर्जा निगम को कितनी हानि होने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर 2×220 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना का सिविल-निर्माण कार्य प्रगति अवस्था में है और उपस्कर लगाए जा रहे हैं। इन दोनों यूनिटों द्वारा क्रमशः जून, 1996 और दिसम्बर, 1996 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने की योजना है। कर्नाटक विद्युत निगम द्वारा काली नदी पर बनाए जा रहे काद्रा बांध के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने से कुछ चिन्ता हुई है। निर्माण-कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का मामला राज्य प्राधिकारियों के सामने उठाया गया है, ताकि वह कैगा परमाणु विद्युत परियोजना को चालू करने संबंधी कार्यक्रम के अनुरूप चल सके। इस समय निर्माण के लिए और घरेलू उपयोग के लिए पानी की सप्लाई की कोई कमी नहीं है। संयंत्र को चालू करने में हुए विलम्ब के कारण हानि होने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

नए उद्योगों का पंजीकरण

2954. **श्री हाराधन राय :**
डा. परशुराम गंगवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्र सरकार के पास राज्यवार नए उद्योगों के पंजीकरण हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों में राज्यवार पंजीकृत किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति, 1991 के पश्चात केन्द्र सरकार के स्तर पर नये उद्योगों के पंजीकरण की योजना को समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजना

2955. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई अलग से व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानतः कुल कितना वार्षिक व्यय होने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस निगरानी तंत्र को और अधिक शक्तियां दी जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस तंत्र को दी जाने वाली अतिरिक्त शक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कोई अलग प्रबन्ध नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभावशाली निगरानी हेतु पहले ही प्रबन्ध किए हुए हैं। इन प्रबन्धों के अनुसार, प्रगति रिपोर्टों, रिलीज प्रक्रियाओं, गहन निरीक्षणों, कार्यक्रमों की निगरानी के लिए आवधिक समीक्षा बैठकों और कार्यशालाओं, समवर्ती मूल्यांकन आदि की मार्फत कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त हाल ही में तैयार की गई क्षेत्र अधिकारियों की योजना के अनुसार मंत्रालय में उप-सचिव और उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये अधिकारी समय-समय पर उन्हें आवंटित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का दौरा करते हैं और मौके पर कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं। वे राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में भी भाग लेते हैं, जिससे नीति निर्माताओं और कार्यान्वयन एजेन्सियों के बीच एक प्रभावी सम्पर्क स्थापित हो सके।

[अनुवाद]

विदेशी निवेशकों के लिए पैकेज

2956. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों को संतुष्ट करने हेतु एक मुश्त नए सुधार प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नए पैकेज के बाद देश में अनुमानतः कितना विदेशी निवेश होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) से (ग) : विदेशी निवेश नीति, जैसा कि 24 जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति के वक्तव्य में बताया गया है, एक सतत प्रक्रिया है और सरकार इस पर निरन्तर नजर रखती है ताकि विदेशी निवेशकों की वास्तविक आवश्यकताओं को तत्काल पूरा किया जा सके और उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बनाया जा सके। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद फरवरी, 1994 तक सरकार ने प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिसमें 13,967.66 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

2957. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग का विचार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है, जिसका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक संयुक्त रूप से वित्त पोषण करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर्नाटक में कैगा में तीसरे एवं चौथे यूनिट (2×200 मेगावाट) की स्थापना एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना के रूप में करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है।

[हिन्दी]

फास्फेट संयंत्र

2958. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी वांछित मांग पूरी करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में फास्फेट का उत्पादन करने के लिए नये संयंत्रों की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को निजी क्षेत्र में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी.पी.सी.एल.), भारत सरकार का एक उपक्रम, ने 7.59 करोड़ रुपए की लागत पर सलादीपुरा (राजस्थान) में 300 टन प्रतिदिन सुपर फास्फेट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कृभको का भी हजीरा (गुजरात) में 440.00 करोड़ रुपए की लागत पर 2,91,000 टन प्रति वर्ष नाइट्रोफास्फेट उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) उर्वरक उद्योग को 24-7-91 से अनियंत्रित कर दिया गया है। अतः सरकार ने पर्यावरणात्मक स्वीकृति के अध्यधीन निजी क्षेत्र के उद्यमी संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

सौर ग्रीन हाउस का उपयोग

2959. **श्रीर अनंतराव देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित कृतिक बल ने सौर ग्रीन हाउस का बड़े पैमाने पर उपयोग करने हेतु कार्य योजना के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कार्रवाई योजना की सिफारिश की है :

(1) सौर हरित गृह प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण, अवसंरचनात्मक सहायता कार्य-कलापों का सृजन, 5.56 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के साथ 3 वर्षों (वर्ष 1996-97 तक) की लघु अवधि में पहचान किए गए अंतरालों में वाणिज्यीकरण-उन्मुख अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना। 1.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ मध्यम अवधि में वर्ष 2000 तक देश में सभी 16 कृषि जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में बाजार की संभावना वाले क्षेत्रों में विस्तार सुविधाओं का विकास करना।

(2) कुल 22 करोड़ रुपये की राशि के प्रोत्साहन प्रावधान से वर्ष 1996-97 तक 246 हेक्टेयर पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य सौर हरित गृह प्रौद्योगिकी का विस्तार खेती करने वाले जन समुदाय के कमजोर वर्गों द्वारा अपनाई जाने वाली कम लागत की सौर हरित गृह प्रौद्योगिकी के साथ कार्रवाई आरंभ करके इन विस्तार कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा।

(3) मध्यम अवधि कार्यकलापों में पक्रिया सुधार करने और वर्ष 2000 के बाद किए जाने वाले विशिष्ट कार्यकलापों को परिभाषित करने के लिए आठवीं योजना अवधि के अंत में प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए।

निगमित क्षेत्र

2960. **श्री शरद दिघे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगमित क्षेत्र में विलप, प्रभार लेने और नीतिगत गठजोड़ कराने संबंधी दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) कम्पनियों के विलयन/समामेलन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391/394 के अन्तर्गत संबंधित उच्च न्यायालयों का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यावहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 व 24 को एम.आर.टी.पी. (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा दिनांक 27-9-1991 से हटा दिया गया है। तथापि, एम.आर.टी.पी. आयोग को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए हुडको योजना

2961. **श्री चिन्मयानंद स्वामी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कुछ योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) हुडको द्वारा प्रारम्भ से तथा 31-1-94 तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में विभिन्न उधार लेने वाली एजेंसियों की स्वीकृत स्कीमों के विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	उत्तर प्रदेश	हरियाणा
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	1139	260
स्वीकृत ऋण राशि (रुपये करोड़ों में)	1475.68	169.39
रिहायसी इकाइयों की संख्या	6,74,412	83149
गैर-रिहायशी भवनों की संख्या	8406	2
विकसित प्लाटों की संख्या	44,776	95

विकास योजनाएं

2962. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने योजना आयोग को कुछ विकास योजनाएं/परियोजनाएं स्वीकृत के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश दोनों के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया है तथा उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है। योजना आयोग में इन दोनों राज्यों की कोई स्कीम/परियोजना स्वीकृत हेतु लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम में हल्की रेल आवागमन प्रणाली

2963. **श्री रामकृष्ण कोंताला :**
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध प्रदेश के विशाखापत्तनम और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में हल्की रेल आवागमन प्रणाली आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन सी एजेंसियों इनके वित्त पोषण में सहभागी हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

लोक शिकायतें

2964. **डा. वसन्त पवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक मंत्रालय के शिकायत कक्ष को गत दो वर्षों के दौरान कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) अब तक उनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने मामलो में सकारात्मक और कितने मामलों में नकारात्मक कार्यवाही की गई; और

(घ) इनमें से प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए औसतन कितना समय लिया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में शिकायत निदेशक के अधीन कार्यरत शिकायत कक्ष को गत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान 359 अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

(ख) उपर्युक्त सभी अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की जा चुकी है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

आवास परियोजनाएं

2965. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों के लिए कुछ आवास परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत दे दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में परियोजना रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अन्य के साथ-साथ, राजधोगी कस्बों (रायपुर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इन्दौर) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकानों के निर्माणार्थ 109.50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की मांग की गई है। प्रस्ताव में कुछ कमियां बताते हुए राज्य सरकार को इस सलाह के साथ वापस भेज दिया गया है कि इस स्कीम को अपेक्षित लाभार्थियों के लिये उपयोगी और सस्ती बनाने हेतु परियोजना रूप रेखा पुनः तैयार की जाए।

बरौनी तथा सिंद्री उर्वरक संयंत्र

2966. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तथा सिंद्री संयंत्रों में उर्वरकों का उत्पादन बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन संयंत्रों के बन्द होने के कारण कितने श्रमिकों की छंटनी की जायेगी, और

(घ) सरकार ने इन उर्वरक संयत्रों के श्रमिकों के लिये क्या योजनायें बनायी है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) का बरौनी एकक इस समय मरम्मत कार्य के लिए बन्द पड़ा है। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) का सिन्दरी एकक संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) एफ.सी.आई. तथा एच.एफ.सी. दोनों को रुग्ण औद्योगिकी कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिकी तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रुग्ण कम्पनियां घोषित किया गया है और इन दोनों कम्पनियों का भविष्य, सिन्दरी और बरौनी एककों सहित, बी.आइ.एफ.आर. जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष पड़ी कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

शेयरों का आवंटन

2967 **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिक अधिमान्य दरों पर शेयरों का नया आबंटन अपने नाम करने की कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रमोटर प्रथा संबंधी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्देश है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं जहां प्रमोटरों ने बाजार मूल्य से कम प्रीमियम पर अतिरिक्त शेयर जारी करके अपने जोखिम को बढ़ा दिया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उप-धारा (क) के अन्तर्गत किसी कम्पनी को किसी भी व्यक्ति को (चाहे वर्तमान शेयर धारक या अन्य व्यक्ति) को किसी भी तरीके से और शेयर देने की शक्ति प्रदान करती है, यदि इस आशय का विशेष संकल्प कम्पनी द्वारा साधारण बैठक में पारित किया गया हो। वर्तमान उपबन्धों के अंतर्गत वर्तमान शेयरधारकों के किसी वर्ग सहित किसी भी व्यक्ति को शेयरधारकों द्वारा साधारण बैठक में यथा अनुमोदित कीमत पर अधिमानी आवंटन किया जा सकता है।

मिट्टी के मकान संबंधी प्रौद्योगिकी

2968. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिट्टी के मकान संबंधी प्रौद्योगिकी से आवासों की कमी की समस्या का समाधान हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कम लागत वाली निर्माण प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए कोई अनुसंधान कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) मकान निर्माण में मिट्टी का कुशल उपयोग एक किफायतकारी विकल्प है, इसकी सरकार को जानकारी है।

(ख) हडको, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तथा भवन निर्माण सामग्री व प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं और कई स्वैच्छिक संगठन विभिन्न स्वरूपों तथा क्षेत्रों में मिट्टी के मकान निर्माण की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार शोध अनुदान, निर्माण केन्द्रों प्रौद्योगिकी आवास योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता दे रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, संरचना इंजीनियर रिसर्च सेन्टर वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् की कुछ क्षेत्रीय अनुसंधान परिषद् की कुछ क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं तथा कई गैर सरकारी संगठन यथा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग (ए.एस.टी.आर.ए.) डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्ज, नई दिल्ली मिट्टी प्रौद्योगिकी सहित मितव्ययी निर्माण प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में लगे है। ऐसी प्रमाणिक किफायती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बी.एम.टी.पी.सी. की स्थापना की है।

मिट्टी के मकान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, परम्परागत पद्धतियों जैसे पक्की रंगीन मिट्टी, बोदा मिट्टी, मिट्टी की खपरैल और चिका मिट्टी और मिट्टी के ठोस तथा मजबूत ब्लाक, वायवीय रेम्ड मिट्टी आदि सहित नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास दल कार्य कर रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो मे मुद्रा आधारित ब्लाकों के लिए विशिष्टियां तैयार की हैं।

[हिन्दी]

निगरानी विमान

2969. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
प्रो. प्रेम धूमल :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगरानी विमान का विकास करने की योजना धन की कमी के कारण बंद कर गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस संगठन का नाम क्या है, जिसे निगरानी विमान का विकास करने का दायित्व सौंपा गया था और उस संबंध में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार का विमान विकसित करने में अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिनेरिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सक्षमता बढ़ाने के लिए केवल कतिपय अनुसंधान और विकास कार्य किए गए हैं। निगरानी विमान के विकास के लिए कोई योजना मंजूर नहीं हुई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास

2970. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, फरवरी 1994 तक विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण आवास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई,

(ख) क्या सरकार को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और

(ग) यदि हां, तो इसे कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) ग्रामीण आवास अर्थात आवास स्थल तथा निर्माण सहायता प्रावधान, एक राज्य क्षेत्रक स्कीम तथा इन्दिरा आवास योजना (जवाहर रोजगार योजना की एक उप स्कीम), एक केन्द्रीय स्कीम हेतु आवंटित राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो इस स्कीम का नोडल मंत्रालय है, को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से स्कीमें प्राप्त होती है। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट का एक विवरण-II संलग्न है।

आवास स्थल तथा निर्माण सहायता प्रावधान

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3625	1600	6587
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	237	120
3.	असम	515	352	332
4.	बिहार	293	529	556
5.	गोवा	12	20	23
6.	गुजरात	1305	1710	1800
7.	हरियाणा	155	166	386
8.	हिमाचल प्रदेश	20	35	50
9.	जम्मू व कश्मीर	20	56	16
10.	कर्नाटक	2060	530	12555
11.	केरल	270	200	225
12.	मध्य प्रदेश	670	800	600
13.	महाराष्ट्र	451	164.60	216
14.	मणिपुर	-	-	-
15	मेघालय	25	62	65
16	मिजोरम	58	22	15
17	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	235	300	300
19.	पंजाब	53	800	-
20.	राजस्थान	306	307	350
21.	सिक्किम	20	20	25

	1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	450	622	480
23.	त्रिपुरा	77	120	135
24.	उत्तर प्रदेश	1973	1850	1550
25.	पश्चिम बंगाल	100	81.40	37
26.	अंड. निको. व दीप समूह	10	20	-
27.	चंडीगढ	-	-	-
28.	दादरा व नागर हवेली	-	16	16
29.	दमन व दीव	3	0.20	3.81
30.	दिल्ली	15	30	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-
32.	पांडिचेरी	70	80	130
	जोड़	12891	10730.20	26572.81

इंदिरा आवास योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	1005.01	4745.54	2462.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.94	40.90	32.25
3.	असम	152.19	182.40	010.49
4.	बिहार	2075.88	2476.61	4829.14
5.	गोवा	1.23	1.33	34.85
6.	गुजरात	612.86	910.51	903.75
7.	हरियाणा	119.46	134.11	217.09
8.	हिमाचल प्रदेश	50.94	56.29	110.73

	1	2	3	4
9.	जम्मू व कश्मीर	29.66	28.93	157.17
10.	कर्नाटक	691.21	824.11	1653.13
11.	केरल	220.11	263.59	623.83
12.	मध्य प्रदेश	2319.72	2749.46	3119.72
13.	महाराष्ट्र	971.66	1390.96	2683.93
14.	मणिपुर	8.59	9.09	41.34
15.	मेघालय	65.25	63.64	48.36
16.	मिजोरम	32.73	38.30	20.38
17.	नागालैंड	56.87	67.16	51.85
18.	उड़ीसा	1197.91	1235.66	1997.26
19.	पंजाब	163.44	193.36	163.43
20.	राजस्थान	966.14	1143.71	1296.13
21.	सिक्किम	7.57	9.08	18.88
22.	तमिलनाडु	917.25	1073.16	2225.62
23.	त्रिपुरा	41.53	49.33	53.69
24.	उत्तर प्रदेश	2487.25	2936.61	5999.84
25.	पश्चिम बंगाल	1472.43	1752.09	2206.32
26.	अंड. निको. व दीप समूह	2.05	2.00	15.27
27.	चंडीगढ	0.61	0.00	-
28.	दादरा व नागर हवेली	7.77	8.32	8.29
29.	दमन व दीव	1.02	0.99	4.88
30.	दिल्ली	10.00	0.00	-
31.	लक्षद्वीप	2.05	2.00	7.66
32.	पांडिचेरी	6.14	7.05	14.95
	जोड़	15738.47	22396.29	31812.24

विवरण II

आवास स्थलों (परिवार) का आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	दिसंबर, 1993 तक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	100000	106425	100000	108928	100000	83970
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	0	-	0	-	0
3.	असम	11920	19200	11920	7778	6880	0
4.	बिहार	17299	20559	17299	21628	17299	52607
5.	गोवा	200	51	200	54	200	0
6.	गुजरात	30000	39796	30000	37184	30000	25598
7.	हरियाणा	300	120	300	0	300	3165
8.	हिमाचल प्रदेश	165	0	166	0	166	5
9.	जम्मू व कश्मीर	600	32	250	2	280	12
10.	कर्नाटक	49900	400544	50000	155663	50000	42742
11.	केरल	5200	3293	5000	2323	3000	955
12.	मध्य प्रदेश	3000	37443	19381	18013	19655	11649
13.	महाराष्ट्र	1700	1700	0	0	1700	0
14.	मणिपुर	-	0	-	0	-	-
15.	मेघालय	-	0	-	0	-	-
16.	मिजोरम	1800	3200	2200	2200	4000	0
17.	नागालैंड	-	0	-	0	-	-
18.	उड़ीसा	6000	17325	5000	12719	5000	5598
19.	पंजाब			0	-	0	-
20.	राजस्थान	3000	32693	30000	36302	30000	35356

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	-	0	-	0	-	-
22.	तमिलनाडु	220000	403450	275000	354833	230000	167446
23.	त्रिपुरा	6500	507	1000	876	1000	0
24.	उत्तर प्रदेश	50000	120481	50000	123115	50000	75651
25.	पश्चिम बंगाल	1000	4303	1000	3663	960	1295
26.	अंड. निको. व दीप समूह	0	0	0	0	-	-
27.	चंडीगढ़	1000	0	1000	1745	1090	21
28.	दादरा व नागर हवेली	-	0	15	15	15	0
29.	दमन व दीव	-	0	-	0	-	
30.	दिल्ली	250	0	250	0	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	-
32.	पांडिचेरी	550	571	750	854	1375	1369
	जोड़	551485	1715744	599731	897920	552830	507349

निर्माण सहायता (परिवार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	दिसंबर, 1993 तक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	52900	192517	52900	152667	52900	94667
2.	अरुणाचल प्रदेश	1700	1569	2600	1253	2600	429
3.	असम	11920	18200	11920	7778	3000	0
4.	बिहार	-	0	-	0	-	-

1 2	3	4	5	6	7	8
5. गोवा	200	43	200	33	200	1
6. गुजरात	20000	25112	20000	29248	20000	13599
7. हरियाणा	1600	1090	1600	1840	1600	1294
8. हिमाचल प्रदेश	165	255	166	0	500	155
9. जम्मू व कश्मीर	690	22	250	0	280	10
10. कर्नाटक	40000	29709	50000	17384	50000	27471
11. केरल	30706	14391	0	131435	-	-
12. मध्य प्रदेश	16100	29499	18381	18460	19655	12749
13. महाराष्ट्र	1700	1700	0	0	1700	0
14. मणिपुर	-	0	-	0	-	-
15. मेघालय	2760	630	2760	2784	3143	-149
16. मिजोरम	1040	1040	1120	1120	1280	700
17. नागालैंड	-	0	624	0	684	0
18. उड़ीसा	7833	6534	7000	9744	7833	9563
19. पंजाब	-	0	-	0	-	-
20. राजस्थान	18000	18344	18733	18594	11000	5430
21. सिक्किम	452	60	452	352	452	0
22. तमिलनाडु	30000	30000	3000	30000	10000	1716
23. त्रिपुरा	6500	896	3850	2650	4000	587
24. उत्तर प्रदेश	100000	105711	50000	103190	100000	25588
25. पश्चिम बंगाल	4090	22	4000	2559	1808	0
26. अंड. निको. व दीप समूह	50	0	50	0	-	-
27. चंडीगढ	-	0	-	0	-	-
28. दादरा व नागर हवेली	0	540	800	1075	800	0
29. दमन व दीव	30	4	30	0	20	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	100	0	100	0	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	-
32.	पांडिचेरी	-	377	1050	1436	1696	619
	जोड़	359116	479239	278552	573941	295161	194727

इन्दिरा आवास योजना

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94			
		लक्ष्य सं.	उपलब्धि सं.	लक्ष्य सं.	उपलब्धि सं.	लक्ष्य सं.	निर्मित आवासों की संख्या	ऐसे आवासों की संख्या जिसका कार्य प्रगति पर है (संख्या)	रिपोर्टिंग की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7913	10876	7719	10961	49034	17743	34113	जन. 94
2	अरुणाचल प्रदेश	289	233	282	218	222	30	121	दिसं. 93
3.	असम	1119	1231	1091	1037	6209	1095	93	दिसं. 93
4.	बिहार	14872	22541	14509	28189	37396	46136	85239	जन. 94
5.	गोवा	10	52	54	55	276	51	20	" "
6.	गुजरात	4661	4939	4546	4889	6598	5031	3579	" "
7	हरियाणा	941	969	917	1002	1848	387	265	" "
8.	हिमाचल प्रदेश	351	362	343	351	809	247	269	"

9. जम्मू व कश्मीर	205	495	201	425	1084	183	384	दिसं. 93
10. कर्नाटक	5443	5092	5309	7197	14197	4138	0	जन. 94
11. केरल	1733	5172	1690	4100	13245	3286	7568	जन. 94
12. मध्य प्रदेश	18266	40644	17816	47156	28390	34770	44705	जन. 94
13. महाराष्ट्र	7651	9027	6974	8778	6974	5148	6742	जन. 94
14. मणिपुर	59	140	58	213	290	94	119	जन. 94
15. मेघालय	450	389	439	432	334	265	84	दिसं. 93
16. मिजोरम	226	256	220	224	185	102	7	जन. 94
17. नागालैंड	392	1581	383	1603	438	1040	0	जन. 94
18. उड़ीसा	9110	17810	8985	11305	15700	6257	5440	जन. 94
19. पंजाब	1287	1191	1255	3359	5963	478	989	जन. 94
20. राजस्थान	7347	13174	7166	10541	11398	9754	18240	जन. 94
21. सिक्किम	52	166	51	140	142	89	53	जन. 94
22. तमिलनाडु	7222	40768	7044	14409	18930	25058	0	जन. 94
23. त्रिपुरा	286	472	279	343	431	78	477	जन. 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	उत्तर प्रदेश	18914	20262	19448	22219	49509	19440	3790	जन. 94
25.	पं. बंगाल	11594	8223	11308	133000	19860	5660	663	जन. 93
26.	अंड. निको. व द्वीप समूह	16	17	10	20	120	19	119	दिसं 93
27.	चंडीगढ	5	0	0	0	-	-	-	
28.	दादरा व नागर हवेली	61	52	60	52	71	10	58	" "
21.	दमन व दीप	8	25	8	21	38	0	29	जन. 94
30.	दिल्ली	79	9	0	9	-	-	-	
31.	लक्षद्वीप	16	0	16	0	0	0	0	
32	पांडिचेरी	48	22	47	47	29	29	5	जन. 94
	जोड़ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	120626	247733	117133	192595	289769	196618	212390	

औद्योगिक विकास के लिए केरल को भूमि का आबंटन

2971. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मण** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल के भारत सरकार प्रेस, केराल्टी की भूमि का कुछ हिस्सा राज्य औद्योगिक विकास के लिए केरल सरकार को आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अग्नि की परीक्षण उड़ान का स्थगन

2972. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :**
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्नि की तीसरी परीक्षण उड़ान को "ऑन बोर्ड सिस्टम" में खराबी के कारण 7 जनवरी, 1994 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रक्षेपास्त्र को छोड़े जाने से पहले उल्टी गिनती के समय पहले चरण के थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम में कंप्यूटर ने कुछ तकनीकी खराबी की सूचना दी। "अग्नि" प्रेक्षपास्त्र प्रणाली का 19 फरवरी, 1994 को सफल परीक्षण किया गया ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में उद्योग

2973 **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कितने संयुक्त उद्यम, प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) ये प्रस्ताव कुल कितनी धनराशि के हैं;

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है;

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(ङ) इन संयुक्त उद्यमों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) विदेशी निवेश से संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होना और इन पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। ये आवेदन सामान्यतः 40-45 दिन के भीतर निपटा दिए जाते हैं। 1 मार्च की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश से संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए दो प्रस्ताव विचारणा की विभिन्न अवस्थाओं में थे। इन प्रस्तावों में कुल 350 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है और पांच वर्षों की अवधि में 1258.49 करोड़ रुपये निर्यात आय का अनुमान लगाया गया है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले रोजगार के संभावित अवसर अवस्था-दर-अवस्था भिन्न-भिन्न होंगे, जब तक कि ये पूर्णतः कार्यान्वित नहीं हो जाती है।

सेना द्वारा हिमालय पर्वतारोहण

2974. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना का विचार विश्व के लोगों का ध्यान पर्यावरणीय मुद्दों की ओर आकृष्ट करने के लिए कुछ अन्य देशों के सैनिकों के साथ हिमालय पर्वतारोहण और पर्यावरण अभियान आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अभियान में कौन-कौन से देश भाग लेंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस मामले में अभी केवल छानबीन की जा रही है। इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विशेष श्रेणी के राज्य

2975. **श्री रवि राय** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए वार्षिक आवंटन में वृद्धि की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) राज्यवार कितना-कितना आवंटन किया गया ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वार्षिक योजना 1993-94 के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय, वार्षिक योजना 1994-95 के लिए सहमति प्राप्त परिव्यय तथा वर्ष 1993-94 के पश्चात् विशेष श्रेणी राज्यों के लिए वार्षिक योजना 1994-95 में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 1993-94 तथा 1994-95 मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय

(करोड रु.)

विशेष श्रेणी राज्य	वार्षिक योजना		कालम 2 के बाद कालम 3 में प्रतिशत वृद्धि
	1993-94	1994-95 स्वीकृत परिव्यय	
1	2	3	4
1. अरुणाचल प्रदेश	290.00	335.00	15.52
2. असम	1027.00	1051.00	2.34
3. हिमाचल प्रदेश	560.00	650.00	16.07
4. जम्मू और कश्मीर	880.00	950.00	7.95
5. मणिपुर	230.00	240.00	4.35
6. मेघालय	281.00	281.00	0.00
7. मिजोरम	185.00	207.00	12.25
8. नागालैंड	203.50	220.00	8.11
9. सिक्किम	120.00	135.00	12.50
10. त्रिपुरा	310.00	310.00	0.00
जोड़	4086.50	4379.66	7.17

120 जिलों में नई परियोजनाएं

2976. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए रोजगार के सृजन हेतु विभिन्न राज्यों में ऐसी विशेष और नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए, जिनका उद्देश्य श्रमिकों का पलायन रोकना, महिला रोजगार में वृद्धि करना, पनधारा तथा परतीभूमि का विकास करना है, 120 पिछडे जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो चुने गए जिलों की सूची क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां । वर्ष 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना को चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों में गहन बनाया गया है, जहां बेरोजगारी और अल्परोजगार की बहुतायत है। इस योजना के अंतर्गत निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिलों परिषदों को सौंपी जाएंगी, जो इन जिलों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार वाले खण्डों का पता लगाएगी, ताकि कार्यान्वयन हेतु निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य शुरू करेंगी। इस श्रेणी के अंतर्गत रोजगार को और अस्थायी बनाने तथा क्षेत्र से सूखे को दूर करने के लिए बारहमारी सड़कों, लघु सिंचाई निर्माण कार्यों, भूमि तथा जल संरक्षण कार्यों जल एकत्रीकरण ढांचों का निर्माण, बंजर भूमि का विकास, फार्म वानिकी आदि को शामिल किया जा सकता है। वे प्राथमिक स्कूलों, प्राथमिक मंडियों विशेष रूप से दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण ढांचों को सुदृढ़ बनाने की योजनाओं को अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों से उचित पूरक निधियों के साथ शामिल कर सकते हैं।

(ख) चयन किए गए जिलों का विवरण संलग्न है।

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र द्वारा अब तक 491.11 करोड रुपए की राशि रिलीज की गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 105.13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

विवरण

पता लगाए गए 120 पिछड़े जिलों की सूची

क्र.सं.	जिले
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	आदिलाबाद
2.	महबूबनगर
3.	वारंगल
4.	खम्मम
5.	पूर्वी गोदावरी
6.	नाल गोंडा
7.	प्रकाशम
8.	अनंतपुर

1	2
9.	कुरनूल
	बिहार
10.	पलामू
11.	पश्चिम सिंहभूम
12.	गुमला
13.	रांची
14.	दुमका
15.	गया
16.	हजारीबाग
17.	साहिबगंज
18.	गडवा
19.	गिरिडीह
20.	सहरसा
21.	मुंगेर
22.	वैशाली
23.	मुजफ्फरपुर
24.	दरभंगा
25.	सुपुल
26.	छपरा
27.	जमुई
28.	गोड्डा
29.	माधेपुरा
30.	भभुआ
31.	नवादा
32.	भागलपुर

1	2
	गुजरात
33.	पंचमहल
34.	बलसाड
35.	सूरत
36.	बड़ोदरा
37.	अमरेली
38.	सुरेन्द्र नगर
	जम्मू व कश्मीर
39.	दोदा
40.	उधमपुर
	कर्नाटक
41.	गुलबर्गा
42.	कोलार
43.	धारवाड़
44.	बीजापुर
45.	तुमकूर
46.	चित्रदुर्ग
47.	बेल्लारी
48.	बीदर
	मध्य प्रदेश
49.	बस्तर
50.	बिलासपुर
51.	झबुआ
52.	पश्चिमी निवाड़
53.	सरगुजा
54.	रायपुर

1	2
55.	माडला
56.	रायगढ़
57.	धार
58.	शाहडोल
59.	सिवनी
60.	सिंधी
61.	पूर्वी निवाड़
62.	जबलपुर
63.	बैतूल
64.	राजनन्दगांव
65.	दुर्ग
	महाराष्ट्र
66.	धुले
67.	नासिक
68.	थाणे
69.	यावतमल
70.	अमरावती
71.	नांदेड़
72.	भंडारा
73.	चंद्रपुर
74.	बुलदाणा
75.	अकोला
76.	पुणे
77.	अहमदनगर
78.	सांगनी
79.	सोलापुर

1	2
80.	बीड़
81.	औरंगाबाद
	उड़ीसा
82.	कोरापुट
83.	मयूरभंज
84.	कटक
85	सम्बलपुर
86.	सुन्दरगढ़
87.	कालाहाड़ी
88.	कवनझार
89.	गजम
90.	फूलबनी
	राजस्थान
91.	उदयपुर
92.	बांसवाडा
93.	डूंगरपुर
94.	सवाईमाधोपुर
95.	बाड़मेर
96.	अजमेर
	तमिलनाडु
97.	दक्षिणी आरकोट
98.	चगेलपट्टु
99.	चिदम्बरनार
100.	तंजावुर
101.	धर्मपुरी
102.	रामानाथपुरम

1	2
	उत्तर प्रदेश
103	इलाहाबाद
104.	सीतापुर
105.	गाजीपुर
106.	हरदोई
107	सोनभद्र
108	बलिया
109.	मिर्जापुर
110.	पिथौरागढ़
111.	पौड़ी गढ़वाल
112.	बांदा
113.	बहराइच
114.	अलमोड़ा
	पश्चिम बंगाल
115.	मेदिनीपुर
116.	कूचबिहार
117.	वर्धमान
118.	बांकुरा
119.	पुरुलिया
120.	वीरभूम

कम्प्यूटर पार्क

2977. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थानवार कितने कम्प्यूटर पार्क हैं;

(ख) ऐसे पार्कों की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के सुफल क्रियान्वयन के लिए आगे कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्ध कराई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की निगरानी राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों की मार्फत की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किए गया खर्च और रोजगार सृजन नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	किया गया खर्च (लाख रुपए में)	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)
1990-91	17087.49	506.01
1991-92	13206.41	387.63
1992-93	12246.06	339.09

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का सही उपयोग हो और कार्यक्रम को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित किया जाए, योजना की केन्द्र, राज्य, जिला, उप-प्रभाग और खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण की मार्फत सतत् निगरानी की जाती है। ग्रामीण विकास हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की भी निगरानी करती है।

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन, बंजरभूमि विकास विभागों, योजना आयोग और प्रशासनिक सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के दल गठित किए गए हैं। क्षेत्र अधिकारियों के इन दलों को, प्रत्येक को एक अथवा दो राज्य आबंटित किए गए हैं। ये क्षेत्र अधिकारी उन्हें आबंटित राज्य (राज्यों) का दौरा करते हैं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देते हैं।

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में ऐसे पार्कों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) देश में कम्प्यूटर पार्क स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। किन्तु, देश के विभिन्न भागों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) स्थापित किए गए हैं और ऐसा ही एक पार्क गुजरात के गांधीनगर में स्थापित है।

[हिन्दी]

परमाणु अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

2978. **श्री राजबीर सिंह :**
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहायता/ऋण से परमाणु अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यह केन्द्र कहां स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यह केन्द्र कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा और इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहर रोजगार योजना के निधि

2979. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गयी और रोजगार देने के लिए कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर राजस्थान में कितनी राशि व्यय की गई और इसके क्या परिणाम निकले;

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1990-91 से 1992-93 के दौरान रिलीज की गई निधियां (राज्य अंश सहित) और लक्ष्य

क्रमांक	राज्य/संघशासित प्रदेश	रिलीज की गई निधियां (केन्द्र + राज्य) (लाख रुपए में)			भौतिक लक्ष्य (लाख श्रम दिन)		
		1990–91	1991–92	1992–93	1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	19535.69	19124.26	21470.42	919.98	698.88	659.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	319.31	93.03	251.50	12.40	12.47	10.01
3.	असम	5099.69	4334.33	6194.14	122.75	100.94	119.72
4.	बिहार	36325.34	35825.21	46904.44	1125.86	893.77	937.94
5.	गोवा	214.36	353.49	406.13	11.91	10.96	8.36
6.	गुजरात	7416.84	8188.77	10244.79	242.72	244.25	236.73
7.	हरियाणा	2040.29	2352.21	2366.87	37.60	37.67	33.71
8.	हिमाचल प्रदेश	1085.66	1035.25	1182.09	33.68	30.47	29.77
9.	जम्मू व कश्मीर	2000.00	2491.13	2139.63	61.68	95.88	62.87
10	कर्नाटक	10934.61	10100.38	14252.56	570.87	418.36	441.08

11.	केरल	6076.38	6594.09	7899.60	244.83	138.98	138.63
12.	मध्य प्रदेश	23164.06	23885.31	33666.18	1156.31	812.43	643.77
13.	महाराष्ट्र	19924.41	17060.46	25049.79	859.99	654.72	838.77
14.	मणिपुर	463.98	141.28	645.13	9.83	3.87	9.84
15.	मेघालय	245.23	612.24	461.10	18.98	23.07	11.61
16.	मिजोरम	833.66	263.66	249.82	4.48	3.71	4.37
17.	नागालैंड	617.46	723.55	746.51	21.26	21.71	20.74
18.	उड़ीसा	12739.07	10438.69	16494.53	324.61	300.09	306.52
19.	पंजाब	1602.37	1785.37	1702.19	31.72	29.42	24.67
20.	राजस्थान	13150.40	9475.53	17066.97	392.43	242.64	340.62
21.	सिक्किम	155.96	344.68	394.60	7.91	9.58	6.66
22.	तमिलनाडु	20428.37	21336.44	23241.96	688.95	521.03	671.94
23.	त्रिपुरा	509.76	563.61	669.61	10.81	19.02	18.10
24.	उत्तर प्रदेश	48538.62	44549.52	58887.46	1703.11	1472.69	1389.00
25.	पश्चिम बंगाल	19821.15	12690.30	25220.33	643.16	544.08	557.24

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	78.29	52.16	62.58	4.44	2.68	4.47
27.	दादरा व नागर हवेली	81.54	80.67	91.02	3.43	3.51	3.55
28.	दमन व दीव	25.04	4.38	20.28	1.61	1.45	1.63
29.	लक्षद्वीप	92.67	28.18	60.08	2.62	2.64	2.55
30.	पांडिचेरी	241.40	120.36	315.82	5.87	3.37	3.32
	योग	253761.61	234648.92	318358.13	9284.84	7354.34	7537.95

शहरी विकास

2980. **डा. साक्षीजी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनमत जगगणना के अनुसार देश में कुल कितनी शहरी जनसंख्या है;

(ख) शहरी विकास योजनाओं पर इस तरह राष्ट्रीय आय की कितने प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है; और

(ग) शहरी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास योजनाओं पर अधिक व्यय करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंखा 217 मिलियन आंकी गई है।

(ख) 1992-93 में शहरी विकास योजनाओं के लिए परिव्यय 970 करोड़ (राज्य सेक्टर-855 करोड़ रुपये + केन्द्रीय सेक्टर -115 करोड़ रुपये) था। इस वर्ष की अनुमानित राष्ट्रीय आय 622; 583 करोड़ रुपये थी। प्रतिशत की गणना सार्थक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों सेक्टरों का उपयोग और निवेश खर्च शामिल होता है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान शहरी विकास योजनाओं के लिए 1,801 करोड़ रुपये (राज्य सेक्टर में 1,633 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सेक्टर में 168 करोड़ रुपये) रखे गये थे। आठवीं योजना के लिए कुल परिव्यय बढ़ाकर 4,692 करोड़ रुपये (राज्य सेक्टर में 3,985 करोड रुपये तथा केन्द्रीय सेक्टर में 707 करोड़ रुपये) रखा गया है।

[अनुवाद]

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

2981. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने कुछ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में गैस की खोज करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : जी, हां। पूर्वी कोयला क्षेत्र में कोल बेड मेथाने गैस का पता लगाने तथा विकास करने के लिए मै. मोदी मैकेंजी मेथाने लि. नई दिल्ली को मै. मैंकेंजी मेथाने इंडिया इंक., यू.एस.ए. के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई है जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

डी.डी.ए. फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण

2982. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डी.डी.ए. फ्लैटो के भूमि-तल और टेरेस पर किए जा रहे अवैध निर्माण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) डी.डी.ए. फ्लैटों के भूमि-तल पर टेरेस और आस-पास के स्थान पर निर्माण हेतु डी.डी.ए. फ्लैटों के आवंटितियों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं;

(ग) क्या इन निर्माणों से उन अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या इन फ्लैटों के कई निवासी मुख्तारनामें पर रह रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) फ्लैटों के निकटवर्ती स्थान और टेरेस पर आबंटियों के अधिकारों को अनुलग्नक "क" पर संलग्न दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है।

(ग) जी, हां। संलग्न विवरण में शामिल निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य परिवर्धन/निर्माण को मौजूदा अधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जब भी उल्लंघन का पता चलता है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई की जाती है। यदि कालोनी दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में हो तो इस कार्रवाई में उपयुक्त कारण बताओ नोटिसों के बाद पट्टा रद्द करना और तोड़-फोड़ से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना दोनों शामिल होते हैं। यदि कालोनी डिनोटिफाइड हो तो दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल पट्टे को रद्द करने की कार्रवाई करता है।

(ङ) इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं।

विवरण

फ्लैटों के आवंटियों के लाभार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों से उद्धृत अंश

8. सामलात भाग का उपयोग

8.1 फ्लैट का स्वामित्व :

स्पष्ट किया जाता है कि आवंटियों का स्वामित्व फ्लैट की बाहरी दीवारों के भीतर उपलब्ध स्थान और खुले आहते, बालकनियों और टेरेसों तक सीमित है। सभी बाहरी दीवारें सामलात परिसम्पत्तियां हैं।

8.2 सामलात भाग :

सभी जीने, पैदल रास्ते, मीटर रूम, खुले पार्किंग स्थल तथा भवनों के चारों ओर तथा परिसर में खुले क्षेत्र सामलता क्षेत्र होंगे, जिनके रख-रखाव की जिम्मेदारी कल्याण संघ की हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत उपयोग और लाभ के लिए उन सामलात स्थानों का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा।

8.3 छत के टेरेस :

छत के टेरेसों का उपयोग, जहां सुलभ हो, उपरी तल के आवंटियों की निगरानी और रख-रखाव में होगा। उन्हें गर्मी के दौरान बाहर सोने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति होगी। तथापि, उन्हें किसी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण करने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे किसी अन्य व्यक्ति को विज्ञापन बोर्ड लगाने सहित किसी भी रूप में इसका उपयोग करने की अनुमति देंगे। तथापि वे निचले तल के आवंटियों को टी.वी. एनटिना लगाने तथा सामुहिक सुविधाओं जैसे पानी के टैंकों आदि के रख-रखाव के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। इस सीमा तक इसे सामलात स्थान समझा जायेगा।

[हिन्दी]

बिहार में लघु और कुटीर उद्योग

2983. **श्री छेदी पासमान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लघु और कुटीर उद्योगों का आशानुरूप विकास नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन उद्योगों द्वारा कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया गया और इनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं; और

(घ) इनके विकास के लिये क्या प्रयास किये गये हैं और इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। लघु उद्योग विकास संगठन के क्षेत्र में आने वाले तथा बिहार सरकार, राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु एककों की संख्या जो दिसम्बर, 1990 के अन्त में 71,804 थी, बढ़कर 1991 के अंत में 76,779 तथा 31 दिसम्बर, 1992 के अंत में बढ़कर 83,782 हो गई है। यह लगातार वृद्धि विकास को दर्शाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में कुल उत्पादन की मात्रा तथा रोजगार के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, वर्ष 1989-91 के दौरान विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा किये गये लघु उद्योग एककों की दूसरी आल इंडिया गणना के परिणामों के आधार पर पंजीकृत एककों में 1985-86, 1986-87 और 1987-88 वर्षों के लिये कुल उत्पादन निम्न प्रकार था :

वर्ष	उत्पादन (मूल्य रुपये लाख में)
1985-86	54595
1986-87	67427
1987-88	87781

वर्ष 1987-88 में लघु उद्योग एकाकों में रोजगार 1,81,781 व्यक्ति था।

(घ) भारत सरकार समय-समय पर लघु तथा अति लघु क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न उपायों की घोषणा करती है। बिहार सरकार के लघु तथा अति लघु क्षेत्रों के विकास के लिये अपने अलग नीतिगत उपाय हैं, जिसमें विपणन सुविधाएं, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाएं, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन समिति और राज्य स्तरीय अन्तसंस्थात्मक समिति द्वारा रुग्ण एककों की पुनर्स्थापन करना शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों के लिये योजना आवंटन के तहत आवंटित की गई धनराशि निम्न प्रकार थी :

वर्ष	आवंटित धनराशि (मूल्य रुपये लाख में)
1991-92	720 (वास्तविक)
1992-93	2164 (परिव्यय)
1993-94	2135 (परिव्यय)

जवाहर रोजगार के काम का सर्वेक्षण

2984. **श्री राम पूजन पटेल :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की कार्यान्वयन मूल्यांकन समिति के गत वर्षों के दौरान कुछ राज्यों के कुछ विशेष जिलों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का कोई सर्वेक्षण किया है, और

(ख) यदि हां, तो किये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने 1991-92 के दौरान 10 राज्यों 20 जिलों की 40 ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना का तात्कालिक आध्ययन कराया। इस अध्ययन के ब्यौरे पी.ई.ओ. की "जवाहर रोजगार योजना एक तात्कालिक अध्ययन"

नामक रिपोर्ट में दिए गये हैं। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में काल/क्लास सं. 331.11. आर.एन.आई. पर उपलब्ध हैं। तथापि तात्कालिक हवाला के लिए अध्ययन की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

(योजना आयोग)

जवाहर रोजगार योजना

एक तात्कालिक अध्ययन

कार्य समीक्षा

योजना आयोग के अनुरोध पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का तत्काल एक अध्ययन कराया, ताकि यह पता चले कि किस सीमा तक लक्षित समूह के लोगों को रोजगार मिला है और साथ ही परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की व्यवस्था सहित सृजित परिसम्पतियों के प्रकार तथा योजना के क्रियान्वयन में सामने आई कठिनाइयों को भी जाना जा सके।

2. यद्यपि, जवाहर रोजगार योजना को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 43वें चक्र के सर्वेक्षण (1987-88) के विश्लेषण से पता चलता है कि 90 प्रतिशत से थोड़े अधिक ग्रामीण गरीब (गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या 10 प्रमुख राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में रहते हैं। 20 जिलों, 40 ग्राम पंचायतों तथा 598 लाभग्रहियों, जिन्हें जे.आर.वाई. के तहत रोजगार मिला, को मिलाकर इन 10 राज्यों में अध्ययन कराया गया। अध्ययन की सन्दर्भित अवधि 1 अप्रैल, 1989 से 30 दिसम्बर, 1991 थी।

3. अध्ययन का क्षेत्र सम्बन्धी कार्य नवम्बर, 1991 के अंतिम सप्ताह में आरम्भ हुआ तथा जनवरी, 1992 के प्रथम सप्ताह तक जारी रहा।

4. अध्ययन से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि जे.आर.वाई. के तहत रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या का किसी भी स्तर पर वस्तुतः रिकार्ड नहीं रखा गया है तथा 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान राज्य जिला तथा ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन के श्रमदिवसों के संदर्भ में प्रतिशत उपलब्धि उपलब्ध निधियों के प्रतिशत उपयोग से अधिक थी।

5. यद्यपि कुल सृजित रोजगार श्रमदिवसों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार श्रमदिवसों का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था, तथापि जिला स्तर तक महिलओं का हिस्सा 22 से 25 प्रतिशत रहा तथा ग्राम पंचायत स्तर पर यह केवल 15 से 18 प्रतिशत था।

6. 1991-92 (दिसम्बर, 91 तक) में प्रथम 9 महीनों के दौरान अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर पर वित्तीय उपलब्धियां 50 प्रतिशत से कम रहीं। इससे पता चलता है कि पिछली तिमाही के दौरान उपलब्ध निधियों का केवल 50 प्रतिशत से अधिक ही उपयोग में लाया जा सका तथा प्रमुख कार्यों को अन्तिम तिमाही के दौरान आरम्भ किया जाएगा।

7. चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से 1989-90 में दो तथा 1990-91 में छः ने निधियों का कोई उपयोग नहीं किया। 1991-92 की पहली छमाही में, 19 ग्राम पंचायतों ने निधियों के उपयोग की कोई सूचना नहीं दी।

8. जिन ग्राम पंचायतों ने निधियों का उपयोग किया उन्होंने उससे क्रमशः 1989-90 तथा 1990-91 में एक व्यक्ति को 11.44 तथा 15.68 दिनों का औसत रोजगार मुहैया हो सका।

9. अध्ययन के तहत वर्ष में सभी चुनिंदा लाभग्रहियों (598) को रोजगार नहीं मिल पाया।

10. चुनिंदा ग्राम पंचायतों के 75 प्रतिशत के मामले में यह पाया गया कि जे.आर.वाई. मैनुअल के अनुरूप कार्यों की निदर्शी सूची प्रचालनात्मक स्तर पर सुविस्तृत सूची बन गई है।

11. 56 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में परिसंपत्तियों की क्वालिटी सही स्तर की नहीं थी। 89 प्रतिशत चुनिंदा लाभग्रहियों का मत था कि सृजित परिसंपत्तियां लाभप्रद थीं। तथापि, परिसंपत्तियों के रख-रखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि केवल कुछ ही ग्राम पंचायतों में परिसंपत्तियों के रख-रखाव की क्वालिटी अच्छी पायी गई।

12. ग्राम पंचायत स्तर पर यह महसूस किया गया कि मजदूरी दैनिक अनुपात व्यावहारिक नहीं था। पंचायत सचिव के पास अत्यधिक कार्य था तथा ग्राम पंचायत द्वारा कार्ययोजना तैयार किए जाने के बजाए यह ब्लॉक एजेंसी द्वारा तैयार की गई, कुछ मामलों में, उनके द्वारा महसूस की जा सकने वाली क्षेत्र की आवश्यकताओं की अनदेखी भी की गई। यह देखा गया कि तकनीकी निदेशन, कार्यों की पहचान में देरी थी और अपर अभियंता का प्रचालन क्षेत्र अधिक विस्तृत था। ग्राम पंचायत स्तर पर बताई गई अन्य समस्याएं ये थीं : कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को काम लगाना, मस्टर रोल के उचित रख-रखाव में कमी और ग्राम पंचायतों में गुट-बाजी।

[अनुवाद]

अन्टार्कटिका अभियान खर्च

2985. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंटार्कटिका अभियानों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अभियानों पर प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाता है;

(ग) इन अभियानों में किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अंटार्कटिका में मात्स्यिकी एवं अन्य अधिकारों के लिए भारत के दावे के संबंध में नये कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, श्रीमान। अंटार्कटिका अभियान, महासागर विकास विभाग के कार्यक्रम का एक भाग है तथा इसकी लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

(ख) अंटार्कटिका अभियान पर किये गये व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी, भूचुंबकत्व, जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान, और शरीर क्रियाविज्ञान, संरचनात्मक इंजीनियरिंग एवं पर्यावरणीय पहलुओं के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलाप किये जा रहे हैं।

(घ) एवं (ङ) जहां तक अंटार्कटिका में समुद्री संसाधनों का संबंध है, भारत पहले ही अंटार्कटिका समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन के आयोग का सदस्य (सी.सी.ए.एम.एल.आर.) है, और तदनुसार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भारत को प्रमुख भूमिका अदा करनी है। खनिज संसाधनों के संबंध में, वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा, कोई क्रियाकलाप, अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणीय सुरक्षा पर नयाचारन द्वारा वर्जित है।

अंटार्कटिका संधि की व्यवस्था के अनुसार, जब तक संधि लागू है, कोई भी देश अंटार्कटिक में क्षेत्रीय दावे करना निषिद्ध है।

विवरण

अंटार्कटिक कार्यक्रम पर अब तक किया गया व्यय 112.66 करोड़ रुपये लगभग है

विभाजन	व्यय रुपयों में (करोड़ में)
अभियान	कुल
प्रथम	1.90
द्वितीय	1.95
तृतीय	5.70
चतुर्थ	6.20
पंचम	5.74
छठा	5.12
सातवां	6.50
आठवां	11.50
नौवां	12.90
दसवां	12.34
ग्यारहवां	13.90
बारहवां	14.91
तेरहवां*	14.00
कुल	112.66

*सम्भावित

[हिन्दी]

"मिलयन वेल्स स्कीम"

2986. **श्री रामबदन :**
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को "मिलयन वेल्स स्कीम" योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा इस राशि में से कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक गांव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उत्तर प्रदेश में दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत 1992-93 और 1993-94 के दौरान आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियां निम्न प्रकार हैं :

(लाख रुपए में)

वर्ष	आवंटन	उपयोग
1992-93	12064.32	12218.46
1993-94	17999.52	5889.16*

*(जनवरी, 94 तक)

(ख) दस लाख कुओं की योजना लक्षित समूह के लोगों के प्रत्यक्ष और निरन्तर लाभ के लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के सृजन का कार्यक्रम है। दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत आबंटन को हाल ही में बढ़ाकर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल आवंटन का 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें कम से कम 20 प्रतिशत को अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त बंधुओं मजदूरों के छोटे तथा सीमान्त किसानों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना है। राज्य सरकारें इन निधियों को कुओं द्वारा सिंचाई की सम्भाव्यता वाली असिंचित भूमि के संदर्भ में जिलों को आवंटित करती हैं। आठवीं योजनावधि के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत सभी पात्र ग्रामीण निर्धनों को एक सिंचाई कुआं उपलब्ध कराने पर बल दिया जाना है।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

विकास हेतु एजेंसियों को अतिरिक्त भूमि

2987. **श्री मोहन रावले** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में विकास और व्यापारिक उपयोग के लिए विभिन्न एजेंसियों को अतिरिक्त भूमि देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग में अनुसंधान और विकास इकाइयां

2988. **श्री पी.पी. कालियापेरुमल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुमानतः कितने जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इनमें से कितने उद्योगों के पास अपनी अनुसंधान और विकास इकाइयां हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) जैव-प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एड्स से निपटने के लिए स्वदेशी किट्स तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में विद्यमान जैव-प्रौद्योगिकी उद्योगों की अनुमानित संख्या लगभग 500 है। जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग में अनुसंधान एवं विकास के महत्व को अधिकांश उद्यमियों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी अनुसंधान एवं विकास इकाइयां स्थापित करने के कदम उठाए हैं।

(ग) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योगों को अन्य उद्योगों से अलग नहीं माना जाता। अन्य उद्योगों को उपलब्ध छूट इन्हें भी उपलब्ध है। तथापि प्रकाशसंश्लेषण वर्धकों, आनुवंशिक रूप से आशोधित मुक्त ढंग से रहने वाले सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सरों, फेरोमोनों, जैव कीट-नाशियों, प्रमाणित उच्च उत्पादक संकर बीजों तथा कृत्रिम बीजों, पादप ऊतक संवर्धन के माध्यम से विकसित प्रमाणित उच्च उत्पादक पादपकों जैसे क्षेत्रों को वर्तमान औद्योगिक नीति में निर्धारित शर्तों के अधीन, स्वचालित

विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी जानकारी के सृजन हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को भी सुदृढ़ किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय साऊथ कैम्पस, दिल्ली; राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा कैन्सर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है।

वैज्ञानिकों द्वारा आन्दोलन

2989. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने फरवरी, 1994 के दौरान अनुसंधान भवन, नई दिल्ली के सामने धरना दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कदम उठाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों और शोधार्थियों की कुछ मांगें पूरी करने का है; और

(घ) यह हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दिल्ली मैडिकोज एंड साइंटिस्ट्स फ्रंट के कुछ वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने 18-2-1994 को अनुसंधान भवन, सी.एस.आइ.आर. के सामने अपनी मांगों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 1-7-1991 से मूल्य सूचकांक के अनुसार फैलोशिप को संशोधन करके बढ़ाया जाना, पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने वाले सभी शोधार्थियों के लिए नौकरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान काडर का गठन और पी.एच.डी. करने और अनुसंधान परियोजनाओं में व्यतीत किए गए समय को सेवा में गिना जाना शामिल था, को पूरा किए जाने के लिए धरना दिया।

(ग) और (घ) सरकार ने इन मांगों पर पर्याप्त ध्यान दिया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नियतन

2990. **श्री के. प्रधानी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सामान्य जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपात में उनसे संबंधित योजनाओं के लिए योजना नियतन करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विकास के लिए वित्तीय नियतन सातवीं योजना की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्कीमें क्रियान्वित कर रही हैं और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित कर रही हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विकास स्कीमों के लिए निधियों के आवंटन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से तदनुसार पहले ही विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अंतर्गत विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) तथा आदिवासी उपयोजना को निधियां आवंटित करने के लिए कहा जा चुका है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गए वित्तीय आवंटन सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के आवंटनों से अधिक हैं। सातवीं (1985-90) तथा आठवीं (1992-97) योजना के दौरान राज्य योजना एस.सी.पी. तथा टी.एस.पी. के लिए आवंटनों के ब्यौरों को दर्शाने वाले विवरण-I तथा II संलग्न हैं।

विवरण I

सातवीं (1985-90) तथा आठवीं (1992-97) पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य योजनाओं तथा विशेष घटक योजना के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	7 योजना (1985–90)			8 योजना (1992–97)		
		राज्य योजना	टी.एस.पी. प्रवाह	टी.एस.पी. प्रवाह (एस.पी.) का %	राज्य योजना	एस.टी.एस.पी. प्रवाह	टी.एस.पी. एस.पी. का %
1.	आंध्र प्रदेश	6697 45	756.62	11.30	12186.47	1517.00*	11.51
2.	असम	2247.50	120.31	5.35	4353.00	281.80	6.47
3.	बिहार	6901 00	585.69	8.49	9573 07*	1918.21*	20.25
4.	गोवा	309.17	4.87	1.58	866.40	11.90	1.37
5.	गुजरात	5589.37	160.73	2.88	11500.00	371.45	3.23
6.	हरियाणा	2866.75	229.89	8.02	5700.00	733.56	12.87
7.	हिमाचल प्रदेश	1177 00	126.00	10.71	2502.00	302.15	12.08
8	जम्मू और कश्मीर	1632 88	76.97	4.71	4000.00	331.21	8.28
9.	कर्नाटक	4210.50	469 79	11.16	11000 00*	1006 87*	9.15
10.	केरल	2211 00	203.35	9.20	5460.00*	481.00*	8.81
11.	मध्य प्रदेश	7631 86	448.89	5.88	15000 00*	1800 00*	12.00

12.	महाराष्ट्र	11170.00	384.02	3.44	18520.00	1011.03	5.46
13.	मणिपुर	485.57	7.95	1.64	1632.22*	16.82*	1.03
14.	उड़ीसा	3429.00	354.73	10.34	9456.63*	1394.08*	14.74
15.	पंजाब	3314.00	144.69	4.37	8277.53	1463.50	17.68
16.	राजस्थान	3082.14	469.62	15.24	11500.00	1784.00	15.51
17.	सिक्किम	286.00	6.25	2.19	459.74*	32.17*	7.00
18.	तमिलनाडु	6093.60	771.12	12.65	10200.00	1593.85	15.60
19.	त्रिपुरा	624.12	63.38	10.16	1942.48	207.67	10.69
20.	उत्तर प्रदेश	12070.15	1458.12	12.08	28000.00*	2561.02*	9.14
21.	पश्चिम बंगाल	4379.00	419.52	9.58	4538.11*	1179.99*	26.00
22.	चण्डीगढ़	223.49	17.82	7.97	400.00	62.99	15.74
23.	दिल्ली	2545.34	113.12	4.44	4500.00	472.02	10.5
24.	पांडीचेरी	237.00	37.85	15.97	400.00	64.00	16.00
	जोड़ :	89413.89	7431.30	8.31	183867.65	36799.09	20.01

* यथा प्रस्तावित परिव्यय

विवरण-II

सातवीं (1985-90) तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान राज्य योजना तथा आदिवासी उप योजना के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	7 योजना (1985–90)			8 योजना (1992–97)		
		राज्य योजना	एस.सी.पी. प्रवाह	एस.सी.पी. प्रवाह का %	राज्य योजना	एस.सी.पी. प्रवाह	एस.सी.पी. प्रवाह का %
1.	आंध्र प्रदेश	5983.01	248.22	4.15	10500.00	350.05	3.33
2.	असम	2305.03	303.97	13.19	4352.00	464.20	10.66
3.	बिहार	6208.26	1642.79	26.46	13000.00	3335.96	25.66
4.	गुजरात	5819.44	612.70	10.53	11500.00	1147.94	9.98
5.	हिमाचल प्रदेश	1268.08	108.32	8.54	2502.00	225.18	9.00
6.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	कर्नाटक	3885.50	59.29	1.53	12300.00	148.70	1.21
8.	केरल	2169.50	40.35	1.86	5460.00	90.06	1.65
9.	मध्य प्रदेश	7171.59	1414.53	19.72	15000.00	3300.00	22.00
10.	महाराष्ट्र	10676.53	690.83	6.47	18520.00	1106.31	5.97
11.	मणिपुर	518.96	186.58	35.95	979.00	433.17	44.25

12.	उड़ीसा	3388.52	902.48	26.63	10000.00	2697.48	26.97
13.	राजस्थान	3196.97	339.97	10.63	11500.00	959.75	8.35
14.	सिक्किम	276.85	35.22	12.72	449.67	76.56	17.03
15.	तमिलनाडु	6011.48	39.57	0.66	10200.00	106.22	1.04
16.	त्रिपुरा	688.76	217.77	31.62	1130.00	400.00*	35.40
17.	उत्तर प्रदेश	10728.35	22.27	0.20	19900.00	9.60	0.05
18.	पश्चिम बंगाल	3373.10	173.58	5.15	9930.00	386.24	3.89
19.	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	264.64	35.21	14.28	685.00	117.69	17.18
20.	दमन और दीव	36.33	3.16	8.70	65.00	5.01	7.71
	जोड़	73958.35	7076.81	9.57	157973.67	15360.12	9.72

* अनंतिम आवंटन

औद्योगिक आधारभूत ढांचा विकास योजना

2991. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों की सक्रिय भागेदारी से गहन औद्योगिक आधारभूत ढांचा विकास हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) : सरकार ने राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की सक्रिय भागेदारी से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत आधारभूत ढांचा विकास (तकनीकी सेवाओं सहित) की योजना की कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

2992. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना के अन्तर्गत बहुत धीमी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां. तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख गतिविधियां क्या रहीं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहली बार राष्ट्रीय नवीकरण निधि से केन्द्र सरकार के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना कार्यान्वित करने के लिए सहायता दी गई थी। इस प्रयोजन के लिए 1992-93 में 829.66 करोड़ रुपये और 1993-94 में 830 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। बन्द होने/पुनर्वास करने की स्थिति में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की योजना और राज्य सरकार के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना चलाने के लिए 140.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान श्रमिकों को परामर्श देने, प्रशिक्षित करने तथा क्षेत्रीय रीजनरेशन स्कीमों के लिए भी 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षित करने और पुनः रोजगार देने के लिए छः पायलेट परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

अपनी पायलेट परियोजनाओं के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित नाम और क्षेत्र निम्नालिखित हैं :

1.	कनफैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.)	बम्बई
2.	लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस.आई.एस.आई.)	इंदौर
3.	गांधी श्रमिक संस्थान (जी.एल.आई.)	अहमदाबाद
4.	एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)	कानपुर
5.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.)	कलकत्ता

6. श्रम मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा चुनी गयी 15 संस्थाओं में युक्तिकृत श्रमिकों को प्रशिक्षण देगा।

राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा बोर्ड की स्थापना

2993. **श्री जी. माडेगौड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जैव-ऊर्जा के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, शहरी, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित उच्च दर बायोमैथेनेशन प्रणालियों पर एक यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यथापेक्षित नीति संबंधी मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश देने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय बायो ऊर्जा बोर्ड गठित किया गया है।

असम में नयी सैन्य-यूनिटें

2994. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषतः असम में कुछ नई सैन्य यूनिटों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) फील्ड फार्मेशनों की कार्यों को पूरा करने के वास्ते नई यूनिटें खड़ी करना/उनका पुनर्गठन करना एक सतत् प्रक्रिया है। नई यूनिटें सेना की मौजूदा नफरी से ही खड़ी की जाती है और ऐसा करते हुए कार्मिकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। नई यूनिटें खड़ी करने या उनके पुनर्गठन के बारे में ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

भारत-सिंगापुर औद्योगिक पार्क

2995. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत और सिंगापुर के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मद्रास में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसा पार्क स्थापित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने के लिए सिंगापुर और भारत के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, किन्तु 28 जनवरी, 1994 का दौरा कर रहे सिंगापुर के प्रधान मंत्री की उपस्थिति में बंगलौर में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के संबंध में सिंगापुर की कंपनियों के संघ, टाटा समूह एवं कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) से (च) ऐसा बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परामर्श-दाताओं की रिपोर्ट के संबंध में सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड के साथ विचार-विमर्श कर रही है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि खास तौर से पार्क के लिए नीति में परिवर्तन करना न तो उचित होगा और न ही व्यावहारिक होगा तथा यह भी सलाह दी है कि विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकार को अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के अच्छी तरह विकसित बुनियादी सुविधाओं की ओर केन्द्रित करना चाहिए।

आरक्षित सूची में आइस-क्रीम

2996. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइस-क्रीम उद्योग अभी भी लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित सूची में है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को आइस-क्रीम के बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार आइस-क्रीम को आरक्षित सूची से हटाने का है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) आइस-क्रीम का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिये जाने के बाद किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी और/अथवा बड़े औद्योगिक घराने को आइसक्रीम बनाने की अनुमति नहीं दी गयी है। चूंकि आइस-क्रीम विपणन का कार्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। अतः कुछ विदेशी साझेदारी वाले संयुक्त उपक्रमों और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों ने आइस-क्रीम का विपणन आरंभ कर दिया है।

(ग) इस संबंध में अभी हाल ही में कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी बड़ी कंपनियां आइस-क्रीम का विपणन कर सकती थीं।

(घ) जी, नहीं।

उर्वरक परियोजनाएं

2997. **श्री जी. देवराय नायक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय आवश्यकताआ का अध्ययन करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयी कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उर्वरकों का उत्पादन अपेक्षित सीमा तक नहीं हो रहा है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में उर्वरक एककों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्रों में उर्वरक उपक्रमों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण/विस्तार/आधारभूत संयंत्रों की परियोजनाओं के लिए निधियों का मूल्यांकन तथा मात्रा निर्धारित करने तथा उनके लिए संभव स्रोतों की शिनाख्त करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालय समिति मार्च, 1992 में स्थापित की गयी थी। यद्यपि समिति ने संयंत्रवार सूचना मंगवायी और एक बैठक आयोजित की, लेकिन उसने औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस बीच, उपक्रमों के आन्तरिक स्रोतों, वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधिक ऋणों, सार्वजनिक ऋणों तथा जहां कहीं व्यवहार्य है वहां द्विपक्षीय वित्त प्रबन्ध के आधार पर भी परियोजनाओं की आयोजना की गयी है।

(ग) और (घ) केवल दो उपक्रमों अर्थात् फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ.सी.आई.) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) को छोड़कर, जिन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रुग्ण कम्पनियां घोषित किया गया है, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन लगभग संतोषजनक है। एफ.सी.आई. तथा एच.एफ.सी. के एककों में उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कोई कार्यवाही बी.आई.एफ.आर., जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

सरकारी आवास

2998. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी आवास के रख-रखाव के लिये सरकारी कर्मचारियों से लाइसेंस फीस वसूल करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी आवास का रख-रखाव समुचित ढंग से किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सरकारी कर्मचारियों से लिए गये शुल्क की निर्धारित समान दर कर्मचारियों को आवंटित टाइप के कुर्सी क्षेत्र की निर्माण लागत तथा रिहायशी क्षेत्र पर आधारित होती है। बशर्ते कि किसी भी अधिकारी से ली गयी राशि उसके मासिक परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) और (ग) सरकारीवास का रख-रखाव उपलब्ध करायी गयी निधियों के भीतर उचित रूप से किया जा रहा है।

सेना अस्पताल

2999. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सेना अस्पताल कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषतः राजस्थान में कुछ और सेना अस्पताल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार ये अस्पताल कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(घ) ये अस्पताल कब तक खोल दिए जायेंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) देश में राज्यवार सेना अस्पतालों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) हालांकि राजस्थान में नए सेना अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कुपवाड़ा और कारगिल (दोनों जम्मू एवं कश्मीर में) तथा हिसार (हरियाणा) में तीन अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) यह बताना अभी सम्भव नहीं है कि ये परियोजनाएं तब तक पूरी होंगी, क्योंकि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

देश में/राज्यवार सेना अस्पतालों की सूची।

जम्मू एवं कश्मीर

1. लेह
2. श्रीनगर
3. उधमपुर
4. राजौरी
5. जम्मू
6. तंगधार
7. पुंछ
8. अखनूर
9. सांबा

पंजाब

1. पठानकोट
2. फिरोजपुर
3. गुरदासपुर
4. फरीदकोट
5. भटिंडा
6. अबोहर
7. अमृतसर
8. जालंधर
9. पटियाला
10. हलवाड़ा

उत्तर प्रदेश

1. आगरा
2. इलाहाबाद

3. बरेली
4. देहरादून
5. फैजाबाद
6. फतेहगढ़
7. झांसी
8. लखनऊ (2)
9. पिथौरागढ़
10. मथुरा
11. मेरठ
12. रानीखेत
13. रुड़की
14. वाराणसी
15. लैंसडाउन
16. कानपुर
17. कुन्दराघाट
18. हिन्डन
19. बबीना

हिमाचल प्रदेश

1. शिमला
2. कसौली
3. पालमपुर
4. धरमशाला
5. डलहौजी
6. बकलेह
7. सोल
8. डागशाई

हरियाणा

1. अंबाला (2)
2. चंडीमंदिर

दिल्ली

1. बेस अस्पताल
2. सेना अस्पताल

मध्य प्रदेश

1. भोपाल
2. ग्वालियर
3. जबलपुर
4. महू
5. पचमढ़ी
6. सागर

बिहार

1. दानापुर
2. गया
3. नमकुम
4. रामगढ़

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. बड़ौदा
3. भुज
4. धरांगधरा
5. जामनगर

महाराष्ट्र

1. लोनावाला
2. अहमदनगर

3. औरंगाबाद
4. देवलाली
5. काम्पटी
6. खड़कवासला
7. किरकी
8. पुणे (3)
9. बम्बई
10. पुलगांव

राजस्थान

1. अलवर
2. जयपुर
3. बाड़मेर
4. जोधपुर
5. कोटा
6. नसीराबाद
7. उदयपुर
8. गंगानगर
9. सूरतगढ़
10. बीकानेर

पश्चिम बंगाल

1. बिनागुडी
2. कलकत्ता
3. कलिमपांग
4. लेबांग
5. पानागढ़
6. बैरकपुर
7. सिलीगुड़ी

8. हाशीमार
9. कलई कोंडा

आंध्र प्रदेश

1. गोलकुंडा
2. सिकन्दराबाद
3. हैदराबाद
4. विशाखापट्टनम

तमिलनाडु

1. अवाद्री
2. मद्रास
3. वेलिंगटन
4. कोयम्बतूर

केरल

1. कण्णनूर
2. कोचीन
3. त्रिवेन्द्रम

कर्नाटक

1 बेलगांव

गोवा

1. पणजी

अंडमान निकोबार

1. पोर्ट ब्लेअर

उड़ीसा

1. चिल्का

असम

1. दिंजान
2. सिल्चर
3. गुवाहाटी

4. तेजपुर

5. जोरहाट

6. मिस्सामारी

मेघालय

1. शिलांग

त्रिपुरा

1. अगरतला

अरुणाचल प्रदेश

1. टेंगा

मिजोरम

1. आइजोल

सिक्किम

1. गंगटोक

नागालैंड

1. कोहिमा

2. दीमापुर

लघु औद्योगिक क्षेत्र

3000. **श्री नीतीश कुमार :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लघु औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के कितने प्रतिशत अवसर पैदा किये गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र द्वारा कितना निर्यात किया गया;

(ग) देश के कुल निर्यात की तुलना में इस क्षेत्र से कितने मूल्य का निर्यात किया गया, और

(घ) इस क्षेत्र में औद्योगिक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान लघु क्षेत्र में अनुमानित रोजगार की संख्या क्रमशः 125.30 लाख, 129.80 लाख और 134.06 लाख व्यक्ति है। पिछले वर्ष की तुलना में उपर्युक्त अवधि के लिए वृद्धि क्रमशः 4.8%, 3.6% और 3.3% थी।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के लिए मूल्य में लघु क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात सहित कुल निर्यात इस प्रकार था :

वर्ष	किया गया कुल निर्यात (मूल्य करोड़ रुपये में)	लघु उद्योग द्वारा किया गया निर्यात (मूल्य करोड़ रुपये में)	लघु उद्योग क्षेत्र के अंश का प्रतिशत
1990-91	32553.84	9664.15	29.68
1991-92	44041.81	13883.34	31.52
1992-93	53350.54	17784.82	33.34

(घ) भारत सरकार के एक शीर्ष निकाय के रूप में सीडो के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम को हाथ में लिया है, ताकि पिछले एक से दो दशकों के लिए लघु क्षेत्र में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी की नवीन पद्धतियों को अपनाया जा सके। अधिकतर लघु एककों की अलग-अलग रूप से प्रौद्योगिकी की उन्नति तक पहुंच नहीं हो सकती। अतः सीडो ने लघु क्षेत्र को जीवित रखने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और गुणवत्ता प्रबंध कार्यक्रम को हाथ में लिया है।

सीडो के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है :

(1) नये और उच्च तकनीकी क्षेत्रों का पता लगाना और इनके दस्तावेज तैयार करना।

(2) प्रौद्योगिकी जानकारी के प्रचार के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(3) प्रोटोटाइप विकास और तकनीकी परामर्श देना।

(4) प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए समझौतों का प्रबंध करना।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण आई.एस.ओ. 9000 इत्यादि को प्रकाश में लाना।

1993-94 के दौरान निम्नलिखित तकनॉलौजी उन्नयन और गुणवत्ता प्रबंध कार्यक्रम शुरू किए गए हैं :

(1) लघु उद्योग सेवा संस्थान के जरिए तकनॉलोजी उन्नयन के लिए जागरूकता कार्यक्रम

(2) क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र के माध्यम से आई.एस.ओ. 9000/बी.आई.एस. 14000 पर जागरूकता कार्यक्रम

(3) निम्नलिखित उद्योग समूहों के लिए सीडो तकनीकी अधिकारियों के आंतरिक विशेषज्ञों के माध्यम से बाह्य परामर्शियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन अध्ययन :

(1) री-रौलिंग उद्योग

(2) इलैक्ट्रीकल वायरिंग असैसरीज

(3) लाइटिंग ल्युमेनरीज

(4) मेडिकल तथा सर्जिकल रबड़ तथा प्लास्टिक के उत्पाद

(5) रबड़ पी.वी.ए. और पी.यू. पर एडहेब्जि वेस्ड

(6) वास्पीय एयर कूलर।

फ्रांस के साथ इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

3301. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में फ्रांस के साथ संबंध बढ़ाने का है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ फ्रांस के साथ किसी समझौता पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारत सरकार और फ्रांस के बीच इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में संबंध बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बेंगलौर इकाई

3002. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बेंगलौर की अब तक घाटे में चलने वाली इकाई हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस इकाई के संचालन कार्य को नया रूप देने तथा विपणन एवं वितरण तंत्र का विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर लाभ कमाने वाली एक कंपनी रही है। तथापि, वर्ष 1993-94 की प्रथम छमाही के दौरान, कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, अप्रचलित उत्पाद, श्रमशक्ति की उच्च लागत और अन्य ऊपरी खर्चों, मांग में कमी और वस्तु सूचियों में वृद्धि के कारण कंपनी का अनन्तिम घाटा 75.28 करोड़ रुपये है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान), अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार एच.एम.टी. एक रुग्ण इकाई नहीं है।

(ग) कंपनी ने जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने एच.एम.टी. लिमिटेड के पृथक व्यवसाय समूहों को अन्तर्राष्ट्रीय सहभागियों वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों में बदलने हेतु सिद्धान्त रूप से मंजूरी दे दी है। ये सहभागी अधिकांश इक्विटी शेयरों के धारक हो सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा करना एच.एम.टी. के हित में हो।

ऊर्जा के नए स्रोत

3003. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पन-बिजली और परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाओं की अधिक संभावना तथा अत्यधिक हानि का ध्यान में रखते हुए नए स्रोतों का उपयोग करने/पता लगाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, बायोमास, गैसीफायर, पवन पम्प और विद्युत जनित्रों, लघुजल विद्युत यूनिटों, भूतल परिवहन आदि के लिए वैकल्पिक ईंधन प्रणालियों जैसी अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों और हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित अन्य नई प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बढ़ा हुआ हास, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क में छूट, सीमा शुल्क में रियायत कर अवकाश, निजी उद्यमियों द्वारा उत्पादित विद्युत की वीलिंग, बैंकिंग और खरीद और इन प्रौद्योगिकियों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई प्रदर्शन परियोजनाओं जैसे अनेक प्रोत्साहनों को शुरू किया गया है। सूचना अभियान और जन जागृति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस मंत्रालय के अधीन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमि. (इरेडा) द्वारा विभिन्न प्रकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों के विनिर्माताओं और उपयोगकर्त्ताओं को उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इरेडा के माध्यम से उद्यमिता विकास अभियान, उद्योग, वित्तीय बिचौलियों और सर्विस कम्पनियों आदि की सहभागिता से बाजार विकास को अभी शुरू किया जा रहा है।

रंगीन टेलीविजन उद्योग

3004. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगीन टेलीविजन उद्योग की क्या स्थिति है;

(ख) इस उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) प्रत्येक रंगीन टेलीविजन निर्माता का उत्पादन कितना है तथा उनके ब्रांड नाम क्या हैं और 1993 के दौरान कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने स्वयं अथवा संयुक्त उद्यम में रंगीन टेलीविजन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में रंगीन टेलीविजन का उत्पादन नीचे दिए अनुसार रहा :

वर्ष	उत्पादन (नग)
1991	8.8 लाख
1992	8.3 लाख
1993	10.5 लाख

(ख) टी.वी. उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए/शुरू किए गए उपाय विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को दी गई सूचना के अनुसार, रंगीन टी.वी. (सी.टी.वी.) का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के नाम, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए ब्रांड तथा वर्ष 1992 के दौरान प्रत्येक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित रंगीन टी.वी. सेटों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

टी.वी. उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए/शुरू किए गए उपाय

I. सामान्य नीति तथा कार्य प्रणाली संबंधी उपाय

लाइसेंसिंग

(क) अन्य उद्योगों के मामले में लगाए गए स्थापना स्थल संबंधी शर्तों से समूचे इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को मुक्त रखा गया है।

(ख) विद्यमान इकाइयों को एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रणाली के अन्तर्गत किसी प्रकार के अतिरिक्त पूंजी निवेश के बिना किसी भी वस्तु के विनिर्माण की अनुमति कुछ शर्तों के अन्तर्गत दी गई है।

(ग) सरकार ने रंगीन टी.वी. उद्योग के मामले में आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस में अतिरिक्त शर्तें लगाने की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय किया है।

आयात तथा निर्यात नीतियां

(क) आयात-निर्यात नीति में प्रतिबंधित सूची में शामिल कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी उपादानों को मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) टी.वी. सेटों के निर्यातकर्ता अब प्रतिबंधित सूची में शामिल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस के पात्र हैं। आयात लाइसेंस का मूल्य निर्यात से प्राप्त होने वाली आय के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित होगा।

वित्तीय तथा कर संबंधी नीतियां

रंगीन टी.वी. तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबों (रंगीन टी.वी. का एक प्रमुख उत्पादन) पर सीमा–शुल्क को विभिन्न आकारों, किस्मों तथा विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित दरों के स्थान पर 20 प्रतिशत यथामूल्य के स्तर पर तर्कसंगत बना दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

अद्यतन प्रौद्योगिकी से विश्वव्यापी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी योजना की घोषणा की है। इससे भारतीय उद्यमों को प्रचालन के विश्वव्यापी स्तर को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार उनके उत्पाद तथा प्रक्रिया की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

व्यापार की गति

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में व्यापार की गति में सुधार लाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास की गति में तेजी लाने के लिए लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क, मूल संरचनात्मक सुविधाओं आदि से संबंधित प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना है।

II. मूल संरचनात्मक तथा अन्य सुविधाएं

इलेक्ट्रॉनिकी का अनुप्रयोग

(क) गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनमें से कुछ प्रयोशालाएं गुणवत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के निर्यात में अवश्य सहायता मिलेगी।

(ख) उपभोक्ताओं के लिए बढ़िया क्वालिटी के उत्पादन का सुनिश्चय करने के लिए श्याम तथा श्वेत टी.वी. और रंगीन टी.वी. की प्रमाणीकरण योजनाएं आरंभ की गईं।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा नई खोज, उत्पाद डिजाइन तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो किसी भी स्वस्थ उद्योग के विकास के मूल तत्व हैं।

(घ) भलीभांति चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है, जो आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार का विकास करने का एक उपाय भी है।

(ङ) देश के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिसका मूल उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण, विश्वसनीयता, अनुरक्षण आदि की दृष्टि से डिजाइन, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिक तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं पर बल देते हुए प्रशिक्षण देना है।

(च) सामान्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए 101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छमाही सेवा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विवरण-II

विनिर्माता का नाम	ब्रांड	मात्रा (संख्या में)
1	2	3
*1. असम इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि., गुवाहाटी	अमट्रॉन	300
2. बीपीएल लि., बंगलौर	बीपीएल-इण्डिया	235,226
3. बीपीएल लि. पालघाट	बीपीएल-इण्डिया	?
4. बीपीएल सैन्यो यूटीलिटीज एण्ड एप्लायन्स प्रा.लि. नई दिल्ली	बीपीएल-इण्डिया	28,186
5. कैल्कॉम विजन लि., नई दिल्ली		2,368
*6. कावेरी इलेक्ट्रॉनिक्स लि., बम्बई	बुश	910
7. सेन्ट्रल इलेक्टॉनिक्स लि. साहिबाबाद	सीईएल	900
8. डायनामिक इलेक्ट्रॉनिकी लि., बंगलौर	बीपीएल-इण्डिया	20,000
*9. डायनाविजन लि., मद्रास	डायनोरा	4,600
10. इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., हैदराबाद	ईसीआईएल	15,653
11. इन्स्टाविजन सिस्टम्स (इण्डिया) प्रा.लि., अहमदाबाद		8
12. जुपिटर रेडियोज (रजि.), नई दिल्ली	टेक्सला	10,917
13. कल्याणी शार्प इण्डिया लि., पुणे	ओपटोनिका	61,967
*14. केजरीवाल इलेक्ट्रॉनिक्स लि., कलकत्ता	ऑस्कर	1,300
*15. कोणार्क टेलीविजन लि., भुवनेश्वर	कोणार्क	2,100
16. मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लि., बम्बई	ओनिडा	106,371

1	2	3
17. मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स लि., नई दिल्ली	ओनिडा	43,650
18. ओनिडा साका लि., नई दिल्ली	ओनिडा	9,517
19. ओनिडा सवक लि., नोएडा	ओनिडा	26,687
20. पैनोरामा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., कलकत्ता	पैनोरामा	202
21. फिलिप्स इण्डिया लि., कलकत्ता	फिलिप्स	69,627
22. रा-वेल्ट्रॉनिक्स मद्रास	शक्ति	29
*23. रेलेक्ट्रॉनिक्स लि., बंगलौर	बुश	12
24. सलोरा इण्टरनेशनल लि., काशीपुर	सलोरा	4,803
*25. सलोरा इण्टरनेशनल लि., नई दिल्ली	सलोरा	3,800
*26. सालिडेयर इण्डिया लि., मद्रास	सालिडयेर	6,000
27. सुपर कैसेट इण्डस्ट्रीज लि., नोएडा	टी-सीरीज	एनए
*28. टेलीविजन एण्ड कम्पोनेंट्स लि., गांधीनगर	क्राउन	37,000
29. टेक्सला इलेक्ट्रॉनिक्स, लुधियाना	टेक्सला	28,293
30. सोलाराम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., बम्बई	पैनट्रॉनिक	1
31. यूनाइटेड डायमण्ड्स लि., भोपाल	यूनाइटेड	21
32. अप्ट्रॉन इण्डिया लि., जौनपुर	अप्ट्रॉन	11,000
33. अप्ट्रॉन इण्डिया लि., लखनऊ	अप्ट्रॉन	7,000
*34. वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स लि., साहिबाबाद	क्राउन	2,300
35. वीडियोकॉन, नई दिल्ली	वीडियोकॉन	43,588
36. वीडियोकोन इण्टरनेशनल लि., चित्तेगांवद	वीडियोकॉन	108,771
37. वीडियोकोन इण्टरनेशनल लि., गांधीनगर	वीडियोकॉन	17,872
38. वेणुगोपाल इंजीनियरिंग प्रा.लि., नोएडा	वीडियोकॉन	550
39. वीडियोकोन इण्टरनेशनल लि., भोपाल	वीडियोकॉन	8,628
40. वेणुगोपाल इंजीनियरिंग मोहाली	वीडियोकॉन	5,984
41. वीडियोकोन वीसीआर लि., भालगांव	वीडियोकॉन	14,850

1	2	3
42. वीडियोकोन इण्टरनेशनल लि., जयपुर	वीडियोकॉन	4,555
43. वीडियोकोन इण्टरनेशनल लि., बंगलौर	वीडियोकॉन	12,156
44. सोहन फाइनेन्स प्रा.लि., कलकत्ता	वीडियोकॉन	7,679
45. डोम येल इन्वस्टमेंट्स प्रा.लि., नोएडा	वीडियोकॉन	42,612
*46. वेबल निक्को इलेक्ट्रॉनिक्स लि., कलकत्ता	वेबल निक्को	900
*47. वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स लि., नई दिल्ली	वेस्टन	13,414

*इन इकाइयों का उत्पादन 9 महीने के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

ऑटोमोबाइल नीति

3005. **श्री बी. देवराजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर-कारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमोबाइल नीति की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) देश के बाजार में इनकी मांग की तुलना में मोटर-कारों की कुल लाइसेंसिंग क्षमता कितनी है;

(ग) क्या देश के मोटर-कार बाजार में मंदी आयी है; और

(घ) यदि हां, तो मोटर-कार निर्माताओं को राहत देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पहले ही पूर्णतः लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की उदारता से अनुमति दी जा रही है।

(ख) ऑटोमोबाइल उद्योग को लाइसेंस-मुक्त किए जाने से इस क्षेत्र में निर्माताओं के लिए कोई क्षमता संबंधी रुकावट नहीं है।

(ग) और (घ) जबकि 1991-92 और 1992-393 के दौरान मोटर-कारों के उत्पादन और बिक्री में थोड़ी कमी आई थी, चालू वर्ष के दौरान कारों के उत्पादन और बिक्री में काफी सुधार हुआ है। अप्रैल, 93 से जनवरी, 94 की अवधि के दौरान जैसा कि एसोसिएशन आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा सूचित किया गया है 1,72,636 कारों की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 1,33,652 थी।

अस्पतालों के लिए भूमि

3006. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.ए. ने दिल्ली/नई दिल्ली में कुछ और अस्पतालों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डी.डी.ए. द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली की वृहद योजना प्रावधानों के आधार पर जनरल अस्पतालों, मझौले अस्पतालों के लिए स्थलों की व्यवस्था डी.डी.ए. की भूमि विकास स्कीमों में की जाती है।

(ग) डी.डी.ए ने आगे यह भी सूचना दी है कि अस्पतालों के लिए भूमि चरणों में विकसित की जाती है और समय-समय पर आवंटन हेतु उपलब्ध की जाती है। जब कभी भी आवंटन हेतु अनुरोध किया जाता है, इस पर तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि

3007. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधि के वितरण हेतु कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विचारधीन, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप बन्द हो गई सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के श्रमिकों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि के माध्यम से मुआवजा देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (च) राज्य सरकार के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना के लिए और बंद/पुनर्वास होने की दिशा में कर्मचारियों को मुआवजा भुगतान योजना के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से 140.05 करोड़ रुपये की राशि/आबंटित की गयी है। तरीकों को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही राज्य सरकारों या औद्योगिक एककों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता देने का काम शुरू किया जाएगा।

केन्द्रीय भण्डार का निरीक्षण

3009. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय भण्डार के निरीक्षण के बारे में 25 अगस्त, 1923 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान भण्डारों का कितनी बार निरीक्षण किया गया;

(ख) जिन भण्डारों का निरीक्षण किया गया उनका माहवार ब्यौरा क्या है;

(ग) निरीक्षण अधिकारियों की टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रबन्धन ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ङ) इसमें जिन कमियों को दर्शाया गया है और फिर दूर किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि कमियां अभी भी मौजूद हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले 12 महीनों के दौरान प्रत्येक महीने में निरीक्षण अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों के निरीक्षणों की संख्या निम्नानुसार है :

मार्च, 93	33
अप्रैल, 93	51
मई, 93	43
जून, 93	51
जुलाई, 93	52
अगस्त, 93	38
सितम्बर, 93	52
अक्तूबर, 93	57
नवंबर, 93	38
दिसम्बर, 93	38
जनवरी, 93	39
फरवरी, 94	42

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भण्डार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभागीय निरीक्षण स्टोर की गतिविधियों तथा कार्य-निष्पादन को मानीटर करने और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सही कीमतों तथा पैंक की वस्तुओं का भार दर्शाया जाने, स्टोर के खुलने तथा बंद होने के समय का अनुपालन, शिकायत पुस्तिका तथा लेखा रिकार्डों का रख-रखाव, बैंक में जमा की गई नकदी की रसीदें और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या आदि की दृष्टि से किए जाते हैं। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सूचित

किए गए अन्य मामलों का संबंध स्टोर की सिविल तथा इलेक्ट्रिक सुविधाओं का अनुरक्षण, तौलने की मशीनों, नए उत्पादों की बिक्री किए जाने से होता है। अतः इस अवधि के दौरान निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों का संबंध उक्त मामलों से है।

निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां केन्द्रीय भण्डार व विभिन्न विभागों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं।

(च) निरीक्षणों के दौरान दिए गए सुझावों पर लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। यदि कोई खामियां प्रबंधकों के ध्यान में लाई जाती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों का निरीक्षण)

मार्च, 1993 से फरवरी, 1994 तक निरीक्षण किए गए केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों का माहवार ब्यौरा

1. मार्च, 1993 :

ए. ब्लाक, एन्ड्रयूज गंज, बापा नगर, सी.आर.पार्क, सी.जी.ओ. कम्प्लैक्स, सी.आर. बिल्डिंग, महिपालपुर (आई.ए.ए.आई.), काली बाड़ी मार्ग, कस्तूरबा नगर, लोधी रोड, जल विहार, माल रोड, मोती बाग-I, मोती बाग-II, मोती बाग (नार्थ-वेस्ट), नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., पुष्प बिहार-IV, प्रीतमपुरा, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति विहार, आर.के. पुरम-IV, आर.के. पुरम-V, आर.के.पुरम-VII, आर.के. पुरम-IXए, आर.के. पुरम-IXबी, आर.के. पुरम (वेस्ट), एस.एन. "बी" ब्लाक, एस.एन. "एच" ब्लाक, यू.पी.एस.सी. योजना भवन, एम.एस.यू-III, प्रेम नगर।

2. अप्रैल, 1993 :

एशिया हाउस, ए.एस.आई., बी.बी.एम. डिपो, कर्जन रोड, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, डी.आई., जैड, एफ.सी.आई, आई.एन.ए., महिपालपुर, आई.ए.आर.आई. (पूसा), कस्तूरबा नगर, किदवई नगर, कृषि विहार, कृषि कुंज, लोधी रोड, एन.टी.पी.सी., जल विहार, मोती बाग-I, मोती बाग-II, मोती बाग (नार्थ-वेस्ट), मानेसर, नेताजी नगर, एन.सी.ई.आर.टी, नानक पुरा, नौरोजी नगर, पंडारा रोड, पटेल धाम, पुष्प विहार-I, पुष्प विहार-II, प्रीतमपुरा, पेशवा रोड, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के. पुरम-I, आर.के. पुरम-II, आर.के. पुरम-III, आर.के. पुरम-IV, आर.के. पुरम-V, आर.के. पुरम-VII, आर.के. पुरम-IX, आर.के. पुरम-IXबी, एस.एन. "बी" ब्लाक, एस.एन. "एच" ब्लाक, सादिक नगर, तिमारपुर, यू.पी.एस.सी., वंसत विहार, एम.एस.यू-I, एम.एस.यू-III, एम.एस.यू-IV, प्रेम नगर।

3. मई, 1993 :

ए ब्लाक, एशिया हाउस, ए.एस.आई., बापा नगर, कर्जन रोड, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, सी.आर. बिल्डिंग, डी.आई.जेड., एफ.सी.आई., हरि नगर, आई.ए.आर.आई. (पूसा), काली बाडी मार्ग, कृषि कुंज, लोधी रोड, एन.टी.पी.सी., जल विहार, माल रोड, नार्थ ब्लाक,

एन.सी.ई.आर.टी., नानकपुरा, पंडारा रोड, पुष्पा भवन, पटेल धाम, प्रीतमपुरा, पेशवा रोड, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के. पुरम-IV, आर.के.पुरम-VII, आर.के. पुरम-VIII, आर.के. पुरम-IXए, आर.के.पुरम-IXबी, आर.के. पुरम (वेस्ट), एस.एन. "बी" ब्लाक, एस.एन. "एच" ब्लाक, यू.पी.एस.सी., वसंत विहार, योजना भवन, एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, एम.एस.यू.-III, प्रेम नगर।

4. **जून 1993 :**

ए. ब्लाक, एशिया हाउस, एन्ड्रयूज गंज, बापा नगर, बी.बी.एम. डिपो, कर्जन रोड, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, डी.आई.जैड. एरिया, एफ.सी.आई., हरि नगर, आई.एन.ए., आई.ए.आर.आई. (पूसा), काली बाड़ी, किदवई नगर, कालकाजी डिपो, कृषि विहार, कृषि कुंज, एन.टी.पी.सी., जल विहार, मोती बाग-I, मोती बाग-II, मोती बाग (एनडब्ल्यू), नेताजी नगर, नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., नानकपुरा, नौरोजी नगर, पटेल धाम, पुष्प विहार-I, पुष्प विहार-II, प्रीतमपुरा, पेशवा रोड, प्रगति विहार, आर.के.पी.-I, आर.के.पी.-II, आर.के.पी.-III, आर.के.पी.-IV, आर.के. पुरम-V, आर.के. पुरम-VII, आर.के. पुरम-IXए, आर.के. पुरम-IXबी, एस.एन. "बी" ब्लाक, एस.एन. "एच" ब्लाक, श्रीनिवास पुरी, तिमारपुर, यू.पी.एस.सी., वसंत विहार, योजना भवन, एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, प्रेम नगर।

5. **जुलाई, 1993 :**

ए. ब्लाक, एशिया हाउस, ए.एस.आई., बापा नगर, बी.बी.एम. डिपो, कर्जन रोड, सी.आर. पार्क, सी.आर.बिल्डिंग, डी.आई.जैड. एरिया, एफ.सी.आई., हरि नगर, आई.एन.ए., आई.ए.आर.आई. (पूसा), काली बाड़ी, कस्तूरबा नगर, कृषि विहार, कृषि कुंज, एन.टी.पी.सी., जल विहार माल रोड, मोती बाग-I, मोती बाग-II, मोती बाग (एनडब्ल्यू), नेताजी नगर, नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., नानकपुरा, नौरोजी नगर, पंडारा रोड, पुष्प भवन, पटेल धाम, पेशवा रोड, पटपड़ गंज डिपो, रायसीना रोड, आर.के.पी.-I, आर.के.पी.-II, आर.के.पी.-III, आर.के.पी.-IV, आर.के.पी.-V, आर.के.पी.-VII, आर.के.पी.-IXए, आर.के.पी.-IXबी, आर.के.पी. (डब्ल्यू), एस.एन. "बी" ब्लाक, एस.एन. "एच" ब्लाक, तिमारपुर, वसंत विहार, एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, एम.एस.यू.-III, प्रेम नगर।

6. **अगस्त, 1993 :**

ए.ब्लाक, ए.एस.आई., एन्ड्रयूज गंज, बापा नगर, बी.बी.एम. डिपो, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, सी.आर. बिल्डिंग, काली बाड़ी, कालका जी, लोधी रोड, एन.टी.पी.सी., जल विहार, माल रोड, मिन्टो रोड, नेताजी नगर, नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., नौरोजी नगर, पंडारा रोड, प्रीतमपुरा, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के.पी.-IV, आर.के.पी.-V, आर.के.पी.-VII, आर.के.पी.-IXए, आर.के.पी.-IXबी, एस.एन.-बी ब्लाक, एस.एन.-एच ब्लाक, श्रीनिवासपुरी, तिमारपुर, यू.पी.एस.सी., योजना भवन, एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, एम.एस.यू.-IV, प्रेम नगर।

7. **सितम्बर, 1993 :**

ए ब्लाक, एशिया, हाउस, ए.एस. आई., एन्ड्रयूज गंज, बापा नगर, बी.बी.एम. डिपो, कर्जन

रोड, सी.आर. पार्क, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, सी.आर.बिल्डिंग, डी.आई.जैड. एरिया, एफ.सी.आई., हरि नगर, आई.एन.ए., आई.ए.आर.आई. (पूसा), कालकाजी डिपो, कृषि कुंज, लोधी रोड, एन.टी.पी.सी., जल विहार, माल रोड, मिन्टो रोड, मोती बाग-I, मोती बाग -II, मोती बाग (नार्थ-वेस्ट), नेताजी नगर, नार्थ ब्लाक, एम.सी.ई.आर.टी., नानकपुरा, नौरोजी नगर, पंडारा रोड, पुष्पा भवन, पटेल धाम, प्रीतमपुरा, पेशवा रोड, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति रायसीना रोड, आर.के.पुरम-I, आर.के.पुरम-II, आर.के.पुरम-III, आर.के.पी.-IV, आर.के.पी.-V, श्रीनिवासपुरी, यू.पी.एस.सी., वसंत विहार, योजना भवन, एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, एम.एस.यू.-IV, प्रेम नगर।

8. **अक्तूबर, 1993 :**

ए ब्लाक, एशिया हाउस, एन्ड्रयूज गंज, बापा नगर, बी.बी.एम. डिपो, कर्जन रोड, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, सी.आर.बिल्डिंग, डी.आई.जैड. एरिया, एफ.सी.आई., हरि नगर, आई.एन.ए., आई.ए.आर.आई., (पूसा), काली बाड़ी मार्ग, कस्तूरबा नगर, किदवई नगर, कालका जी, कृषि विहार, कृषि कुंज, लोधी रोड, एन.टी.पी.सी., जल विहार, माल रोड, मोती बाग-I, मोती बाग-II, मोती बाग (नार्थ-वेस्ट), नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., नानकपुरा, नौराजी नगर, पटेल धाम, पुष्प विहार-I, पुष्प विहार-II, पेशवा रोड, पटपड गंज डिपो, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के.पुरम-I, आर.के.पुरम-II, आर.के.पुरम-III, आर.के.पुरम-IV, आर.के.पुरम-V, आर.के.पुरम-VII, आर.के.पुरम-IXए, आर.के.पुरम-IXबी, आर.के.पुरम (वेस्ट), एस.एन. "बी" ब्लाक, एस.एन. "एच" ब्लाक, सादिक नगर, श्रीनिवासपुरी, तिमारपुर, यू.पी.एस.सी. वसंत विहार, योजना भवन, एम.एस.यू-I, एम.एस.यू-II, प्रेम नगर।

9. **नवम्बर, 1993 :**

एशिया हाउस, ए.एस.आई., एन्ड्रयूज गंज, कर्जन रोड, सी.आर. पार्क, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, डी.आई.जैड., एरिया, एफ.सी.आई., हरिनगर डिपो, आई.एन.ए. कालोनी, आई.ए.आर.आई. (पूसा), किदवई नगर, कालका जी डिपो, कृषि कुंज, लोधी रोड, माल रोड, मिन्टो रोड, कृषि विहार, नेताजी नगर, एन.सी.ई.आर.टी., पंडारा रोड, पुष्पा भवन, प्रीतमपुरा, पेशवा रोड, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के. पुरम-I, आर.के.पुरम-II, आर.के.पुरम-III, आर.के.पुरम-IV, सादिक नगर, श्रीनिवासपुरी, यू.पी.एस.सी., एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, एम.एस.यू-III, एम.एस.यू-IV।

10. **दिसम्बर, 1993 :**

ए-ब्लाक, एशिया हाउस, एन्ड्रयूज, बापा नगर, सी.आर. पार्क, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, सी.आर. बिल्डिंग, हरि नगर डिपो, आई.ए.आर.आई. (पूसा) काली बाड़ी मार्ग, कालका जी डिपो, कृषि कुंज, लोधी रोड, माल रोड, मिन्टो रोड, मोती बाग-I, मोती बाग-II, मोती बाग (एन.डब्ल्यू.) नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., पंडारा रोड, पुष्प भवन, पटेल धाम, प्रीतमपुरा, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के.पुरम-I, आर.के.पुरम-II, आर.के.पुरम-III, आर.के. पुरम-IV, आर.के. पुरम-V, श्रीनिवास पुरी, वसंत विहार, योजना भवन, एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, एम.एस.यू.-IV।

11. जनवरी, 1994 :

ए-ब्लाक, ए.एस.आई., एन्ड्रयूज गंज, बापा नगर, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, सी.आर. बिल्डिंग, हरि नगर डिपो, काली बाड़ी मार्ग, किदवई नगर, कालकाजी डिपो, कृषि विहार, कृषि कुंज, लोधी रोड, एन.टी.पी.सी., जल विहार, माल रोड, मिन्टो रोड, नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., नानकपुरा, पटेल धाम, प्रीतमपुरा, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के. पुरम-I, आर.के. पुरम-II, आर.के. पुरम-III, आर.के. पुरम-IV, आर.के. पुरम-V, सादिक नगर, श्रीनिवासपुरी, यू.पी.एस.सी., वसन्त विहार, योजना भवन, एम.एस.यू.-I, एम.एस.यू.-II, एम.एस.यू.-IV, प्रेम नगर।

12. फरवरी 1993 :

ए-ब्लाक, एशिया हाउस, बापा नगर, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, सी.आर. बिल्डिंग, डी.आई.जेड. एरिया, हरि नगर डिपो, आई.ए.आर.आई. (पूसा), काली बाड़ी मार्ग, कस्तूरबा नगर, किदवई नगर, कालकाजी डिपो, कृषि विहार, कृषि कुंज, एन.टी.पी.सी., जल विहार, माल रोड, नार्थ ब्लाक, एन.सी.ई.आर.टी., नानक पुरा, पटेल धाम, पीतमपुरा, पेशवा रोड, पटपड़ गंज डिपो, प्रगति विहार, रायसीना रोड, आर.के.पुरम-I, आर.के.पुरम-II, आर.के.पुरम-III, आर.के. पुरम-IV, आर.के. पुरम-V, आर.के.पुरम-VII, आर.के. पुरम-IXए, आर.के. पुरम-IXबी, आर.के. पुरम (डब्ल्यू.), सादिक नगर, श्रीनिवास पुरी, यू.पी.एस.सी., वसन्त विहार, योजना भवन, एम.एस.यू.-IV, प्रेम नगर।

संक्षिप्त नाम इस प्रकार हैं :-

1	आर.के. पुरम	–	रामकृष्ण पुरम
2.	ए.एस.आई.	–	आर्किलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया
3.	बी.बी.एम. डिपो	–	बन्दा बहादुर मार्ग डिपो
4.	पी.आर. पार्क	–	चितरंजन पार्क
5.	एफ.सी.आई.	–	फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया
6.	एम.एस.यू.	–	मोबाइल सेल यूनिट
7.	एन.सी.ई.आर.टी.	–	नेशनल काउंसिल फार एज्यूकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग
8.	एन.टी.पी.सी.	–	नेशनल थर्मल कार्पोरेशन
9.	एस.एन.	–	सरोजनी नगर

"बार काउंसिल ऑफ इण्डिया" की सिफारिशें

3010. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बार काउंसिल ऑफ इण्डिया" ने न्याय प्रणाली में आम लोगों का विश्वास मजबूत करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आधारभूत क्षेत्र में निजी सहभागिता

3011. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत, जल-भूतल परिवहन और नागर विमानन, संचार, इस्पात, कोयला तथा भारी उद्योगों जैसे आधारभूत क्षेत्रों में निजी भागीदारी की अनुमति देने की नीति अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक प्राप्त प्रसंस्कृत और स्वीकृत प्रस्तावों का क्षेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार के विचारधीन कितने प्रस्ताव हैं और आठवीं योजना के दौरान आधारभूत क्षेत्र में विदेशी/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कितना निवेश किए जाने का अनुमान है।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विद्युत

सरकार ने ऊर्जा में निजी भागीदारी की अनुमति के लिए एक नीति निर्णय लिया है, राज्य निजी क्षेत्रक पर ऊर्जा के संबंध में परियोजनाओं सहित विवरण संलग्न है

25-1-1994 को यथास्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मेगावाट)	अनंतिम लागत अनुमान (रु. करोड़)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
	नई विद्युत परियोजनाएं				
1.	जेगुरुपादु जीबीपीपी/गोदावारी (आंध्र प्रदेश)	विदेशी (एनआरआई)	235.00 (गैस)	827.00	जीवीके उद्योग यूसए
2.	काकिनादा जीबीपीपी	विदेशी (एनआरआई)	208.00 (गैस)	748.43	स्पैक्ट्रम पावर जनरेशन लि.
3.	विशाखापतनम टीपीएस (आंध्र प्रदेश)	विदेशी भारतीय जेवी	1000.00 (2X500) (कोल)	3000.00	अशोक देलान और राष्ट्रीय ऊर्जा यूके
4.	कृष्णापतनम टीपीएस		1000,00 (2X500) (कोल)	3500.00	निविदाधीन
5.	रामगुंडम टीपीएस (आंध्र प्रदेश)		500,00 (2X500) (कोल)	1750.00	निविदाधीन
	कुल आंध्र प्रदेश		2943.00	9825.43	

6.	कार्मेंग एचईपी (अरुणाचल प्रदेश)	भारतीय/विदेशी	600.00 (हाईदल)	1000.00	इंटर कार्पोरेशन इंडस्ट्रीज लि. स्नोई माउटेन इंजी. आस्ट्रेलिया
7:	खारसंग बीबीपीपी (अरुणाचल प्रदेश)	भारतीय/विदेशी जेवी	48.00 (गैस)	168.00	इंटर कार्पोरेशन इंडस्ट्रीज लि. स्नोइ माउंटेन इंजी. आस्ट्रेलिया
	कुल अरुणाचल प्रदेश		648.00	1968.00	
8.	करबीलांगपी एचईपी लोजर बारापानी (असम)	भारतीय	100.00 (हाईडल)	300.00	भारत हाइड्रो पावर कार्पोरेशन सुभाष परियोजनाएं और मार्केटिंग लि.
9.	आमंपुरी जीबीपीपी/असम	विदेशी	360.00 (गैस)	1280.00	नार्वन इंजी. इंडस्ट्रीज यूएसए आगरा इंडस्ट्रीज
10.	अदामतिला ओपन साइकल/असम	भारतीय	15.00 (गैस)	52.50	डीएलएफ पावर कार्पोरेशन लि.
11.	बाशकंडी ओपल साइकल/असम	भारतीय	22.50 (गैस)	78.75	डीएलएफ पावर कार्पोरेशन लि.
	कुल असम		497.50	1711.25	
12.	चांदिल टीपीएस/बिहार	भारतीय	500.00 (2X250)	1637.00	आरपीजी उद्यम
	कुल बिहार		500000	1637.00	

1	2	3	4	5	6
13.	बवाना जीबीपीपी/दिल्ली		800.00 (गैस)	2000.00	निविदना मूल्यांकनाधीन
	कुल दिल्ली		800.00	2000.00	
14.	पावयान जीबीपीपी/गुजरात	विदेशी/भारतीय जेवी	654.70 (गैस)	2178.14	गुजरात टारैंट एनर्जी का. लि. सीमंस जर्मनी
15.	लिग्नाइट आधारित टीपीएस/गुजरात	विदेशी	250.00 (लिग्नाईट)	875.14	ईजनबर्ग ग्रुप आफ कंपनी इज्रायल
	कुल गुजरात		904.70	3053.14	
16.	हिसार टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	500.00 (2X250) (कोल)	1000.00	कोजैन्ट्रिक्स इंडस्ट्रीज यूएसए
17.	यमुना सागर टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	1000.00 (4X250)(कोल)	3500.00	ईजनबर्ग ग्रुप आफ कंपनी इज्रायल
	कुल हरियाणा		1500.00	4500.00	
18.	घानवी एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	22.50 (हाइडल)	40.00	पंजाब पावर जनरेशन मीशन्स लि.
19.	यू.एच.एल.-III एचईपी/ हिमाचल प्रदेश	भारतीय	70.00 (3X23.4) (हाइडल)	176.77	वल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि. दिल्ली

20.	बासपा एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	300.00 (हाइडल)	547.00	जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
21.	हिब्रा एचईपी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (हाइडल)	708.50	हर्जा इंजीनियरिंग कं. यूएसए
22.	धामबारी एचईपी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (हाइडल)	245.00	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
23.	कारछाम वामगट्/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	900.00 (हाइडल)	3150.00	ओम पावर कापोरेशन नई दिल्ली
24.	नियोगल एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	12.00 (हाइडल)	42.00	राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
25.	ऐलेन दुहानगन एचईपी/ हिमाचल प्रदेश	भारतीय	192.00 (हाइडल)	672.00	राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
26.	मलाना एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	86.00 (हाइडल)	301.00	कोजेन्ट्रिक्स इंडस्ट्रीज यूएसए
	कुल हिमाचल प्रदेश		1883.50	5882.27	
27.	मंगलोर टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोल)	5098.00	कोजेन्ट्रिक्स इंडस्ट्रीज यूएसए
28.	मंगालोर टीपीएस/कर्नाटक	भारतीय/विदेशी	300.00 (कोल)	900.00	जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. राष्ट्रीय ऊर्जा यूके

1	2	3	4	5	6
29.	अलमत्ती बांध एचईपी/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय जेवी	600.00 (हाइडल)	1800.00	एशिया पावर कं. लि. (टेपको) यूएसए कर्नाटक ऊर्जा निगम
30.	होसपेट टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1X500) (कोल)	1350.00	हॉक इन्टरकान्टीनेन्टल लि. यूएसए
31.	रायचूर चरण-V टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय जेवी	500.00 (2X250) (कोल)	1000.70	पब्लिक पावर इंट.इंक., (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यूएसए कर्नाटक ऊर्जा निगम
	कुल कर्नाटक		2900.00	10138.70	
32.	थीक्कारीपुर टीपीपी/केरल	विदेशी	420.00 (2X210) (कोल)	1480.00	एमए ए1 माजराऊ जनरल ट्रेडिंग एस्टेट यूएई सैपचर पावर कं. यूएसए
33.	कुयूंगल एचईपी/केरल	भारतीय	20.00 (हाइडल)	35.05	इंडसिल इलैक्टोस्मैल्ट्स लि.
34.	बृयायानकेट्टू एचईपी/केरल	भारतीय	16.00 (हाइडल)	25.00	सिलिकल मैटलर्जिक (पी) लि.
35.	उल्लूनकल एचईपी/केरल	भारतीय	6.00 (हाइडल)	13.55	ट्रावनकोर इलैक्टो कैमिकल इं. लि.

36.	कारीक्कयाम एचईपी/केरल	भारतीय	12.00	30.00	ट्रावनकोर इलैक्टो कैमिकल इं. लि.
37.	पारापोल एचईपी/केरल	भारतीय	9.00 (हाइडल)	12.21	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसिज प्रा. लि.
38.	वायकोट्टुनाडा-II केरल	भारतीय	7.00	4.94	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसिज प्रा. लि.
39.	अनाक्कयाम एचईपी/केरल	भारतीय	8.00	29.10	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसिज प्रा. लि.
40.	चेम्बूकादावु-II केरल	भारतीय	9.00 (हाइडल)	12.85	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसिज प्रा. लि.
41.	पालचुरम एचईपी/केरल	भारतीय	3.50 (हाइडल)	4.72	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसिज प्रा.लि.
42.	विलानगाद एचईपी/केरल	भारतीय	7.00	10.59	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सविसिज प्रा. लि.
43.	पश्चिमल कलार एचईपी/केरल	भारतीय	5.00 (हाइडल)	6.95	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसिज प्रा. लि.
	कुल केरल		522.50	1664.96	
44.	पैंच टीपीएस/मध्य प्रदेश	भारतीय	420.00 (2X210) (कोल)	1273.23	सैंचुरी पावर*
45.	माहेश्वरी एचईपी/मध्य प्रदेश	भारतीय	400.00 (10X40)(हाइडल)	1073.00	एस. कुमार

1	2	3	4	5	6
46.	कोरवा पश्चिम विस्तार यू-5 व 6 टीपीएस/मध्य प्रदेश	भारतीय	420.00 (2X210)(कोल)	977.57	मुकंद लि.
47.	भिलाई कैप्टिव टीपीएस/मध्य प्रदेश	भारतीय जेवी	500.00 (कोल)	1200.00	सेल**
48.	तावा एचईपी/मध्य प्रदेश	भारतीय	12.00 (हाइड्रो)	20.00	एचईजी लि.
	कुल मध्य प्रदेश		17.52.00	4542.80	** एनटीपीसी पहले जुड़ा हुआ था, उन्होंने परियोजना से अपने को अलग नहीं किया है। *सैंचुरी पावर परियोजना से अलग हो गई है।
49.	दाबहोल सीसीजीटी (एलएनजी)/महाराष्ट्र	विदेशी	2015.00 (एलएनजी)	9051.27	एनरोल पावर डेवलपमैन्ट का. एंड जनरल
50.	खापेरखेड़ाटीपीएस यू-5 व 6 महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2X350) (कोल)	1632.00	आरांको लाइन शिपिंग का. (मालटा सिंगापुर) आर आर एसोसिएट्स
51.	बारज/शिप माउंटिड महाराष्ट्र	भारतीय	110.00 (1X110) (एलसएचएस)	395.00	मेगापावर प्रा. लि. (कानफिडैंस शिपिंग कं. लि.) महाराष्ट्र

52.	भिवपुरी पीएसएस/महाराष्ट्र	भारतीय	90.00 (1X90) (हाइडल)	89.87	टाटा इलैक्ट्रिक कं.
53.	खापेरखेड़ा टीपीएस यू-3 व 4 महाराष्ट्र		500.00 (2X250)(कोल)	1750.00	आवेदन मूल्यांकनाधीन
54.	नागाथोन जीबीपीपी/महाराष्ट्र		410.00 (गैस)	1435.00	आवेदन मूल्यांकनाधीन
55.	उमरेद टीपीएस/महाराष्ट्र	विदेशी/भारतीय जेवी	1000.00 (कोल)	3000.00	इस्पात एलोय लि. मित्सूई (जापान)
	कुल महाराष्ट्र		4625.00	17353.14	
56.	तालचेर टीपीएच/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2X250)(कोल)	1500.00	स्पैक्ट्रम टैकनोलोजी यूएसए
57.	कमलांगा (धनकैलान टीपीएस/उड़ीसा)	विदेशी	500.00 (2X250)(कोल)	1500.00	इंटरनेशनल इक्विटी पार्टनर्स एलपी यूएसए
58.	I बी घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2X250)(कोल)	2025.60	एईएस कार्पोरेशन यूएसए
59.	I बी घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	3000.00	10500.00	आईजनबर्ग ग्रुप आफ कंपनीज इज्रायल
60.	दुबुरी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी/भारतीय	500.00 (2X250) (कोल)	1548.00	कलिंगा पावर का./नार्थ ईस्ट एनर्जी सर्विसीज इंक यूएसए

1	2	3	4	5	6
61.	लापांगा टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2X250)(कोल)	1750.00	पायनियर एनर्जी इंकु यूएसए ड्यूक इंजीनियरिंग इं.
62.	नाराज टीपीएस/उड़ीसा	भारतीय	1000.00 (4X250)(कोल)	3500.00	इस्पात लाय लि. कलकत्ता
	कुल उड़ीसा		6420.00	22323.60	
63.	बारसिंगसार टीपीएस/राजस्थान	विदेशी	240.00 (2X120)(लि॰)	585.73	कोलमैन एंड एसोसिएट आष्ट्रेलियन कन्सोरटियम
64.	चित्तौड़ग टीपीएस/ राजस्थान	भारतीय	500.00 (1X500) (कोल)	1036.20	सैन्युरी टैक्सटाइल एंड इंड. लि.
	कुल राजस्थान		740.00	1621.93	
65.	कुड्डालौर टीपीएस/तमिलनाडु	विदेशी	100.00 (2X500)(कोल)	2000.00	इंटरनेशनल कांट्रेक्टिंग्स एंड मार्किंग कार्पोरेशन यूएसए
66.	पिल्लईपेरुमालनाल्लूर सीसीजीटी/तमिलनाडु	विदेशी	300.00 (2X100+1+500)	429.49	पी.विजयकुमार रेड्डी माकोवस्की एसोसिएट यूएसए

67.	जीरो यूनिट एलएलसी/तमिलनाडु	विदेशी (एनएफआई)	210.00 (1X210)(लिग्.)	750.00	रसटी पावर सिस्टम इंक सीसीजीटी/तमिनाड यूएमए
68.	श्रीमश्राम लिग्नाईट टीपीएस/तमिलनाडु	भारतीय	250.00 (1X250) (लिग्.)	800.00	टिकैपको (जी एमस्वामी एसो.)
69.	जयामकोंडम लिग्नाईट टीपीएस/तमिलनाडु	भारतीय/विदेशी	1500.00 (3X500) (लिग्.)	4500.00	जयमकोंडम लिग्नाई पावर का. लि. टिडको/मोनाली भारत लि. व सिमंस जर्मन
	कुल तमिलनाडु		3260.00	8479.49	
70.	विष्णुप्रयाग एचईपी/उत्तर प्रदेश	भारतीय	360.00 (3X120) (हाइडल)	612.88	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
71.	रोजा टीपीएस/ उत्तर प्रदेश	विदेशी/ भारतीय	750.00 (3X250) (कोयला)	2625.00	इंडोगल्प फर्टिला इजर एंड केमिकल पावर जनरेशन यू. के.
	कुल उत्तर प्रदेश		1110.00	3237.88	
72.	सागर दीघीटीपीएस/ पश्चिम बंगाल	विदेशी/ भारतीय जेवी	1000.00 (2X500) (कोयला)	2000.00	डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्रा. लि. मि, सीएम एस, यूएसए जेनरेशन एंड डब्ल्यूवीएस ईवी

1	2	3	4	5	6
73.	डांकुनी जीवीपीपी/ पश्चिम बंगाल	विदेशी एनआईआई	200 (गैस)	40.00	स्पेकट्रम प्रौद्योगिकी यूएसए
74.	गोरीपुर टीपीएस/ पश्चिम बंगाल	भारतीय	135.00 (कोयला)	500.00	बिड़ला प्रौद्योगिकी सेवाएं
75.	बल्लागढ टीपीएस/ पश्चिम बंगाल	भारतीय	500.00 (2X250) (कोयला)	1671.48	सीईएससी लि. कलकत्ता
	कुल पश्चिम बंगाल		1655.00	42110.48	
	जोड़ – उत्तरी क्षेत्र		6033.50	17242.08	
	जोड़ – पश्चिमी क्षेत्र		7281.70	24949.08	
	जोड़ – दक्षिणी क्षेत्र		9625.50	30108.58	
	जोड़ – पूर्वी क्षेत्र		8575.00	28172.08	
	जोड़ – पूर्वोत्तर क्षेत्र		1145.50	3679.35	
	जोड़ – अखिल भारत		32661.20	104151.07	

सी. एंड आई. स्वीकृत परियोजना की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (रु. करोड़)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जेग्गुपदो जीवीपी/ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (एनआईआई)	235.00 (1X112 जी टी+ 1X60 एसटी) गैस	866.00	जीवीके उद्योग यूएसए
2.	गोदावरी जीवीपीपी/ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (एनआरआई)	200.00 (गैस)	654.85	स्वेक्ट्रम पावर जनरेशन लि. सीएमएस ऊर्जा, यूएसए एवं एनटीपीसी
3.	विशाखापतनम टीपीएस/ आंध्र प्रदेश	विदेशी/ भारतीय जेवी	1000.00 (2X500) (कोयला)	3000.00 (जुलाई, 92)	अशोक लेलैंड एवं राष्ट्रीय विद्युत यू. के.
4.	डबोल सीसीजीटी (एलएनजी)/महाराष्ट्र	विदेशी	1920.00 (गैस)	7800.00	एनएस विद्युत विकास निगम एवं जनरल एलेक्ट्रिक कारपोरेशन, यूएसए

1	2	3	4	5	6
5.	आईबीवैलीटीपीएस/ उड़ीसा	विदेशी	42000 (2X210) कोयला	1000.00	एईएस कारपोरेशन, यूएसए
6.	जीरो यूनिट (एनएलसी) तमिलनाडु	विदेशी (एनआरआई)	21000 (1X210) लिग्नाईट	750.00 (दिसम्बर 1991)	एसटीपावर सिस्टम यूएसए सहित
7.	मंगलौर टीपीएस	विदेशी	100000	3000.00	कोजेंट्रिक्स डेवलपमेंट कंपनी यूएसए

सड़क विंग

जहां तक भू-तल परिवहन पर संदर्भाधीन प्रश्न के भाग "क" के साथ-साथ अन्य बातों का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण, रख-रखाव और शुल्क पर आधारित सुविधाओं प्रचालन में सरकार की गैर सरकारी क्षेत्र को शामिल करने की मंशा है। हालांकि, इस मामले पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है। अतः प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में स्थिति दर्शाना अधूरा होगा। (ग) और (घ) भागों का उत्तर शून्य समझा जाये।

परिवहन विंग

योजना आयोग ने जब सड़क परिवहन क्षेत्रक की राज्य वार्षिक योजना तैयार की तब राज्य सरकारों को निम्नलिखित मार्गदर्शन की सिफारिश की :-

1. राज्य सडक परिवहन उपक्रमों की प्रचालन दक्षता में सुधार होना चाहिए।
2. उन क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्रक के आने की संभावना नहीं हैं, को छोड़कर राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में धीरे-धीरे निजी क्षेत्र को स्थान देना चाहिए।
3. राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कोई विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण से भारत सरकार सहमत है।

जहाजरानी विंग

जहां तक जहाजरानी सैक्टर का संबंध है, यह पहले से ही निजी क्षेत्रक के लिए खुला है। वर्तमान में 65 जहाजरानी कम्पनियां महानिदेशालय (जहाजरानी) बम्बई में पंजीकृत हैं। इनमें से 56 कम्पनियां निजी क्षेत्रक में हैं, जिनके पास कुल 51.23 लाख डी.डब्ल्यू.टी. के 246 जलयान हैं। सरकारी क्षेत्रक में जहाजरानी कम्पनिया, जिसमें भारतीय जहाजरानी निगम और अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं, इनके पास कुल 52.25 लाख डी.डब्ल्यू. टी. के 192 जलयान हैं। एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में निजी कम्पनियों से जहाज अर्जन के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, और इन पर जहाज अर्जन लायसैन्सिंग समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसकी सामान्यतया महीने में एक बार बैठक होती है।

पत्तन विंग

(क) और (ख) जहां तक भारतीय पत्तन का संबंध है, पत्तन विंग कार्य करने और आधारभूत संरचना के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में निजी भागीदारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने विनिश्चय कर लिया है।

(ग) और (घ) अब तक निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है :-

1. मैसर्ज टिस्को और मैसर्ज सेल कलकत्ता पोर्ट के हल्दियां डॉक सिस्टम के लिए दो गोदी पट्टे पर देना।
2. बम्बई पोर्ट पर निजी कम्पनी द्वारा दो वर्ष को पट्टे पर देने/प्रबंध की व्यवस्था करना।
3. जेएनपीटी पर निजी पार्टी द्वारा प्लावी यानों (फ्लेटिंग क्राफ्ट्ज) का रखरखाव और प्रचालन।

4. निजी उद्यमियों द्वारा शुष्क बंदरगाह स्थापित करने के लिए गोवा में जल और भू क्षेत्र को पट्टे पर देना।

5. कलकत्ता पोर्ट पर बंदरगाहों और साथ लगे हुए भू-भाग को पट्टे पर देना।

जे.एन.पी.टी. के कन्टेनर टर्मिनल को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर और कांडला पोर्ट पर निजी उपस्कर की व्यवस्था को एक अन्य प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पोर्ट ने निजी निवेश के लिए वैकल्पिक रूप से लगभग 3,000 करोड़ के लायक परियोजनाओं की पहचान की है। हालांकि ऐसे निवेशों के लिए वास्तविक अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसी सुविधाओं में भाग लेना निजी कम्पनियों की इच्छा पर निर्भर करेगा।

संचार-शून्य

इस्पात

(क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति और उसके संशोधन निम्नानुसार हैं :-

1. आयरन और स्टील को पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में से निकाल दिया गया है और उसे अनिवार्य लायसेंस की अपेक्षाओं से भी छूट दे दी गई है। अतः कतिपय स्थानों को छोडकर निजी क्षेत्र में किसी भी क्षमता के आयरन और स्टील प्लांट संस्थापित करने के लिंए किसी औद्योगिक लायसेंस की आवश्यकता नहीं है।

2. आयरन और स्टील उद्योग को "उच्च प्राथमिकता" की सूची में शामिल किया गया है। जहां 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी निवेश के लिए अपने आप अनुमोदन की व्यवस्था है, बशर्ते कि विदेशी इक्विटी आयतित पूंजी माल की लागत को कवर करता हो।

इसके अतिरिक्त मार्किट फोर्स के संबंध में उद्योग को अधिक प्रतियोगी और प्रतिक्रियात्मक बनाने कि लिए जनवरी, 1992 से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिए गए हैं।

आयरन और स्टील उद्योग में उद्यमियों के लिए "मार्गदर्शी सिद्धांत" का एक सैट अक्टूबर, 1992 में जारी किया गया था। मार्गदर्शी सिद्धांत की नीति के ढांचे/मांग प्रक्षेपण, आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, संभावित स्थान, देश के भीतर वर्तमान तकनीकी क्षमताओं आयरन और स्टील परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय क्लीचरेंस की अपेक्षाओं आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

(ग) आयरन और स्टील क्षेत्र को लायसेंस निरस्त करने को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्लांट स्थापित करने के लिए अपने हित को दर्शाते हुए भावी उद्यमियों द्वारा 1000 से अधिक भावी उद्यमी ज्ञापन फाइल किए गए हैं। कतिपय स्थापनों को छोड़कर ऐसे प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के लिए आयरन और स्टील क्षेत्र में विदेशी निवेश का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि विदेशी निवेश, जिसमें 863 रु. के एनआरआई (यूएसडालर 274 मिलियन) शामिल हैं, पर विचार किया गया है/किया जा रहा है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय इस्पात उद्योग में विदेशी इक्विटी सहभागिता दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं स्थिति	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण मद एवं क्षमता	विदेशी इक्विटी शेयर/एवं राशि व परियोजना लागत
1	2	3	4	5
	इस्पात (ईएएफ आधारित अथवा इस्पात संवर्धन)			
1.	मैसर्स मोनिकामेटल्स, लिमि. गुड़गांव, हरियाणा	मैसर्स वीएनआईईटीओ आल यूनियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एरिया	इलैक्ट्रोसेस मेल्टिंग हाई प्योरिटी की विशिष्ट एलायस्टील तथा परिशोधन संवर्धन क्षमता 600टीपीए	24 प्रतिशत (14.4 लाख रु.) परियोजना लागत 2.04 करोड़
2.	मैसर्स पीयूष इस्पात लि. बड़ोदरा, गुजरात	मैसर्स मुकेश के. पटेल एंड सि. हाई किशन एम. पटेल (एनआरआई) लंदन, यू.के.	लोकार्वन स्टील प्लेटरहित तार अथवा कोरेड क्षमता 50,000 टीपीए	12 प्रतिशत (120 करोड़ रु.) परियोजना लागत 2362 लाख रु.
3.	मैसर्स उषा मार्टिन उद्योग लिमि. रांची, बिहार	मैसर्स मरटेक लिमि. (पूर्व में, मार्टिन ब्लैक एंड कंपनी लिमिटेड यू.के.)	इस्पात के सभी प्रकार के तार तार के रस्से तार की जालियां, बाक्स काइल रस्से सहित	5.18 प्रतिशत (45.73लाख रु.) से 29.25 प्रतिशत (345.73 लाख) परियोजना लागत–मौजूदा इक्विटी को बढ़ाने का प्रस्ताव है।
4.	मैसर्स निप्पन डेनरो इस्पात, लिमिटेड, कलकत्ता	मैसर्स इस्पात मैक्सिकाना, मैक्सिको	एच-आर कोइल समता 2 मिलियन टीपीए	25 प्रतिशत (150 करोड़ रु.) परियोजना लागत 2500 करोड़ रु. (लगभग)

1	2	3	4	5
5.	मैसर्स तारा अंतर्राष्ट्रीय खोपली, जिला रायगढ, (महाराष्ट्र)	मैसर्स एफ.के.के.एल. जापान	संवर्धित स्क्रेप 1200 टीपीए	23.08 प्रतिशत (लाख रुपये) परियोजना लागत 87 लाख रु.
6.	मैसर्स वोल्वो स्क्रेपरिसाइक्लिंग (पी) लि., महुरा, भावनगर	एन.आर.आई. निवेश	संवर्धित स्क्रेप 12,000 टी.पी.ए.	25 प्रतिशत (6.25 लाख रुपये) परियोजना लागत 66 लाख रुपये
7.	मैसर्स फ्लोबार इंडिया लि. मराइमलाई नगर चिंगलपट्टु	एन.आर.आई. निवेश	संविर्धत स्क्रेन 35,000 टीपीए	3 प्रतिशत (10 लाख रुपये) एफ. आई.पी.बी. द्वारा इस मामले पर 12-2-94 को विचार किया गया एवं अनुमोदन किया गया
इस्पात (ब्लास्ट पर्नेस आधारित)				
8.	मैसर्स ओरिन्द इस्पात लि. क्योंझर, उड़ीसा	विदेशी निवेश करार में प्रवेश हेतु, यू.एस.ए. सहित मैसर्स गोल्ड स्टार इंवेस्टमेंट लि., दुबई, यू.एस.एक्स. इंजीनियर्स एंड कंसल्टैन्ट्स	हाट एंड कोल्ह कोइल्स/शीट्स आदि क्षमता–700000 टी.पी.ए. (सी.आर.सी. चरण I) 1,000,000 टी.पी.ए. (एच.आर.सी./सी.आर.सी. चरण II)	कुल सीलिंग का 44.44 प्रतिशत (400 करोड़ रुपये) परियोजना लागत 1650 करोड़ रुपये। (चरण 1, हेतु 646 करोड़ रुपये)
9.	मैसर्स कलिंग स्टील इंडिया लि., दैयतरी के समीप, जिला कटक, उड़ीसा	डा. स्वराज पाल, कपारो ग्रुप लिमिटेड लंदन	एच.आर. कोइल्स एंड पिग आयरन क्षमता–1.5 मिलियन टी.पी.ए. एच.आर.सी. पिग आयरन का 0.42 मिलियन टी.पी.ए. (संशोधित : 1.25 एम.टी.पी.ए. एच.आर.सी)	16.88 प्रतिशत (270 करोड़ रुपये) परियोजना लागत 6900 करोड़ रुपए (संशोधित : 4640 करोड़)

पिग आयरन

10.	मैसर्स मिड-ईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील्स लि. कलिंग यूनिट, नगर इंडस्ट्रियल	मैसर्स चाईना मैटलर्जीकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, चाहना उड़ीसा	पिग आयरन क्षमता--05 मिलियन टी.पी.ए.	5 प्रतिशत (625.81 लाख रुपये) एन.आर.आई. इस्पात होल्डिंग 15.02 प्रतिशत (1846.36 लाख रु.) परियोजना लागत 220 करोड रुपये (संशोधित 307 करोड़ रुपये) दूसरे चरण में इस्पात नियंत्रण प्रयोजनार्थ
11.	मैसर्स लैंको फैरो लि. गांव पंचगुनेरी, जिला- चित्तौड़ आंध्र प्रदेश	मैसर्स टाटा कार्फ इंजीनियर्स सर्विसेज लि.	पिग आयरन क्षमता-- 90,000 टीपीए *परियोजना लागत 54 करोड़ रु.	10.15 प्रतिशत (2.32 करोड़ रु.) मैसर्स एशियन फाइनंस एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. द्वारा कुल निवेश एवं एन.आर.आई. (प्रत्यावर्तनीय)7.32 करोड़ रु. होगा, जो कि कुल इक्विटी का 32.04 प्रतिशत है। 22-1-94 को एफ.आई.पी.बी. की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं स्वीकृत की गई। इसे अभी एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

1	2	3	4	5
स्पंज आयरन-हाट ब्रिक्विटेड आयरन				
12.	मैसर्स कल्यानी कोंकण स्पंज प्राइवेट लि.	(1) मैसर्स डेवी मैकी कारपोरेशन यू.एस.ए. (2) मैसर्स हैसिया एस.ए.डी.ई.सी.वी. मैक्सिको	स्पंज आयरन/हाट ब्रिक्विटेड आयरन क्षमता–7.5 लाख टी.पी.ए.	2.17 प्रतिशत (62 लाख रुपये) परियोजना अभी छोड़ दी गयी है।
रिफ्रैक्टरीज				
13.	मैसर्स एल्युमिना प्रोडक्ट्स इंडिया लि., 24 परगना, पश्चिम बंगाल	यू. एस. सहित मैसर्स एल्कोआ इंटरनेशनल, होल्डिंग कम्पनी,	टेबुलर एलुमिला मैगल स्पाइनल वैल्सीनेड एलुमिना टिएक्टिव एलुमिना 10,000 टीपीए	60 प्रतिशत (300 लाख रुपये) परियोजना लागता 840 लाख रुपये
14.	मैसर्स इंडिया मैग्नेशिया प्रोडक्ट लि., सलेम तमिलनाडु	मैसर्स लुरमग, ए.जी., स्विट्जरलैंड	हाई क्वालिटी सिन्डटर्ड मैग्नेशिया 30,000 टी.पी.ए.	1.6 प्रतिशत (2 करोड़ रुपये) परियोजना लागत 250 करोड़ रु.
			एन.आर.आई.निवेश सहित कुल विदेशी इक्विटी	862.68 करोड़ रुपये यू.एस. मिलियन डालर 273.8 मिलियन (यू. एस. मिलियन डालर परिवर्तन दर 31.5 रुपये)

कोयला

(क) आयरन और स्टील के लिए मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त विद्युत सृजन हेतु कैप्टिव खपत के लिए, किसी खान के प्राप्त कोयले को वाश करने और समय-समय पर अर्धसूचित किए जाने वाले अन्य एंड प्रयोगों के लिए कोयला खनन में निजी सेक्टर की भागीदारी को अनुमति देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में तारीख 9-6-93 से संशोधन किया गया हैं। इसमें अन्य अपेक्षाओं के पूरी होने पर विदेशी भागीदारी शामिल है।

(ख) विद्युत सृजन करने वाली कम्पनियों और आयरन और स्टील उत्पादन में लगी कंपनियों द्वारा उनके एंड प्रयोग के लिए कैप्टिव कोयला खनन के विकास के लिए अनुरोधों पर कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एक छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, इस्पात, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, सीआईएल, कोयला, कंपनियों आदि के सदस्य होते हैं।

(ग) विद्युत सैक्टर के संबंध में, कैपटिव ब्लॉकों का पता लगाने के लिए 15 विद्युत सृजन करने वाली कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन विद्युत सृजन कंपनियों में से 10 के लिए कैप्टिव ब्लॉकों की पहचान कर ली गई है। आयरन और स्टील सैक्टर में 10 कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन कंपनियों में से 3 के लिए कैप्टिव ब्लॉकों का पता लगाया गया है। खनन पट्टे की मंजूरी के लिये कंपनियां सर्वेक्षण, खनन योजना की तैयारी और अन्य औपचारिकताएं करेंगी।

(घ) खान विकास के संबंध में निजी पक्षों द्वारा खान योजनाओं के अंतिम रूप दिए जाने के कारण निवेश प्रस्तावों का अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

बड़े उद्योग

सरकार ने केवल एच.एम.टी. के एकल व्यावसायिक समूहों को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों संयुक्त उपक्रम कम्पनियों में बदलने के एचएमटी के प्रस्ताव के मामले में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। संयुक्त उपक्रम साझेदारों को अधिकांश इक्विटी शेयर रखने की अनुमति दी जाएगी। यदि यह एच.एम.टी. लिमिटेड के हित में होगा।

ऐसे अनुमोदन के अनुसरण में अभी तक किसी संयुक्त उपक्रम के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फ्लैटों/भूखंडों के आवंटितियों से बकाया राशि की वसूली

3012. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.ए. का विचार फ्लैटों/भूखंडों के आवंटितियों से बकाया राशि की वसूली के लिए केवल टी.वी. नेटवर्क का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के अंत में अनुमानतः कितनी राशि बकाया थी;

(ग) बकाया राशि की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) डी.डी.ए. द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए केबल टी.वी. नेटवर्क के उपयोग पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जाएगी और इसके फलस्वरूप कितनी बकाया राशि की वसूली होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि फ्लैटों के आबंटियों से वसूली में वृद्धि हेतु केबल टी.वी. के उपयोग सहित विभिन्न उपायों पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

(ख) दोषी आबंटियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को मिलने वाली धनराशि के वर्षवार अलग-अलग ब्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं हैं। योजनावार अभी भी वसूल की जाने वाली किराया-क्रय किस्तों की राशि इस प्रकार है :-

1. जनरल हाउसिंग स्कीम	-	लगभग 1194.00 लाख (31-12-93 की स्थिति के अनुसार)
2. न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम	-	न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ से ही कम्प्यूटर पर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, 31-03-92 की स्थितिनुसार किराया-क्रय किस्तों के बारे में 16326.00 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी थी।

(ग) बकाया धनराशि का वसूली न होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

1. समय पर भुगतान करने में आबंटियों की आम अरुचि;
2. व्यक्तिगत आबंटियों के खातों को अद्यतन करने में देरी;
3. वास्तविक आबंटियों के साधारण मुख्तारनामा धारकों को फ्लैटों का हस्तांतरण।

(घ) प्रारम्भिक जांच के अनुसार, केबल टी.वी. उपयोग करने की अनुमानित लागत 3.20 लाख होने की सम्भावना है। केबल टी.वी. के उपयोग के परिणाम स्वरूप न चुकायी गई धनराशि की वसूली का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

उर्वरकों को लाना-ले जाना

3013. **डा. सुधीर राय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक (लाने-ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1973 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियंत्रित उर्वरक को लाने-ले-जाने का मूल उत्तरदायित्व उर्वरक विभाग का है।

(ख) क्या सरकार को जमाखोरी आदि के कारण हो रही उर्वरकों की कृत्रिम कमी के बारे में पता है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जमाखोरी के कारण उर्वरक की कमी का कोई विशेष मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

प्रदूषण का खतरा

3014. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वैज्ञानिकों ने हाल ही में मद्यनिर्माणशालाओं से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों द्वारा उत्पन्न खतरे को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इससे बहुमूल्य पोटाश उपलब्ध कराई जाएगी तथा बिजली के उत्पादन में सहायता मिलेगी, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) मद्यनिर्माणशालाओं से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण खतरों के उन्मूलन की दिशा में 1980 के दशक से कई वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां विकसित की गयी हैं।

(ख) और (ग) हाल ही में कुछ प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं तथा इनमें बिजली पैदा करने की क्षमता है।

तथापि, इनमें पर्याप्त रूप में पोटाश उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं है।

वसन्त दादा शुगर इन्स्टीट्यूट, पुणे ने डी.आई.ई.जी. (ड्राइंग इन्सीनरेशन एंड एनर्जी जनरेशन) नामक एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसमें कोक जैसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसको बायलर में भाप पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

मैसर्स जुकर गैसीफिकेशन को-जनरेशन लिमिटेड, पुणे ने गैस पैदा करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ और खोई के मिश्रणों के गैसीकरण पर आधारित एक प्रक्रिया विकसित की है, जो बिजली पैदा करने के लिए गैस टरबाइन को चलाने में प्रयोग की जा सकती है।

मैसर्स कनसेफ साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड, पुणे द्वारा एक और प्रक्रिया विकसित की गई है, जिसमें कोक तैयार करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ को अण्डरप्रेशर थर्मली हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, जिसे फिर भाप को तैयार करने में प्रयोग किया जा सकता है।

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3015. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गठित एक विशेषज्ञ दल ने हिमालय में समन्वित विकास हेतु एक राष्ट्रीय नीति का विकास करने के लिए सिफारिशें की हैं,

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा हिमालय के समुचित विकास हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की मुख्य बातों तथा सिफारिशों पर योजना आयोग में विचार-विमर्श किया जा रहा है। सरकार ने रिपोर्ट पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है तथा कार्रवाई प्रक्रिया विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अतिरिक्त श्रमिक

3017. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कितने श्रमिक अतिरिक्त हो गए; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण निधि से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं अथवा लाभान्वित होंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अतिरिक्त घोषित किए गए कामगारों की संख्या के संबंध में कोई निश्चित आकलन नहीं किया जा रहा सकता, क्योंकि ऐसे आंकड़े किसी एक स्थान पर नहीं रखे जाते। बहरहाल 31-3-1993 को समाप्त वर्ष तक के पिछले चार वर्ष के दौरान 120 सरकारी उद्यमों में 88371 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 (28-2-94 तक आंकड़े उपलब्ध हैं और उसके अनुसार) के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले जिन कर्मचारियों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से लाभ हुआ है, उनकी संख्या 62,875 थी।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद

3018. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व-बैंक प्राक्कलन के अनुसार भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1991 और 1992 में गिरावट आई है;

(ख) क्या यह गिरावट माल उत्पाद में अधिक है अथवा सेवाओं में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या 1993 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई वृद्धि हुई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) विश्व बैंक प्रकाशन "वर्ल्ड बैंक एटलस" के अनुसार, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अमरीकी डालर के अनुसार वर्ष 1991 और 1992 में गिरावट आई है। वर्ष 1993 के लिए अमरीकी डालर में क्षेत्रीय उत्पाद और कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, रुपयों में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1991-92 और 1992-93 में वृद्धि हुई है और 1993-94 में भी वृद्धि की संभावना है।

सिंगापुर द्वारा निवेश

3019. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सिंगापुर का वर्तमान, क्षेत्रवार पूंजी निवेश स्तर क्या है;

(ख) जनवरी, 1994 में सिंगापुर के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा को ध्यान में रखते हुए इस निवेश में कितनी वृद्धि की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वर्ष 1993 के दौरान सिंगापुर से विदेशी निवेश के लिए 6674 लाख रुपये के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे। आमतौर पर सिंगापुर की कंपनियों ने औद्योगिक सूचना तकनोलोजी, शिप-ब्रेकिंग, री-रोलिंग, वेयर हाउसिंग वातानुकूलन और होटल उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने, विशेष रूप से सिंगापुर के प्रधान मंत्री द्वारा जनवरी, 1994 में दौरा किये जाने के परिणामस्वरूप सिंगापुर की कंपनियों को भरोसा हो गया है कि भारत में बहुत अवसर विद्यमान हैं और आशा है कि 1994-95 के दौरान निवेश का प्रवाह अधिक होगा।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन

3020. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "गैट" पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने अथवा उसे पूर्णतः निरस्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) चूंकि उरुग्वे राउन्ड समझौते के तहत इसके सदस्यों से अपने कानूनों तथा विनियमों को समझौते के अधीन अपने दायित्वों के अनुरूप बनाने की अपेक्षा की गयी है, इसलिए हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर किए गए समझौते के प्रावधानों के अनुसार पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करना होगा। ये मुख्यतया पेटेंटनीयता की गुंजाइश, संरक्षण की अवधि, अनिवार्य लाइसेंसीकरण प्रावधानों, आदि के संबंध में होंगे।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश

3021. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योगपतियों ने उनके साथ हुई अपनी हाल की बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां भव्य स्वागत करने की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति 1991 आर्थिक सुधारों के प्रमुख कार्यक्रम का एक ऐसा महत्वपूर्ण नींव का पत्थर है, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने योग्य बनाना, मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और भारत

को विकसित और विकासशील राष्ट्रों का एक प्रमुख साझेदार बनाना है। इस नीति के पक्ष और विरोध में अनेक क्षेत्रों, जिसमें भारतीय उद्योगपति भी सम्मिलित हैं, से सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त सुझावों की दृष्टि से नीतिगत ढांचे की निरन्तर समीक्षा करती रहती है।

औषधों का उत्पादन

3022. **श्री छीतूभाई गामीत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों में खोजी गई और उत्पादित नवीनतम औषधों को कुछ वर्ष बीतने के पश्चात् लोकल पेटेन्ट के रूप में भारत में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विकसित देशों में खोजी गई और उत्पादित उन नवीनतम जीवन रक्षक और फिजियोथेरेपी औषधों का ब्यौरा क्या है, जिनका अभी भारत में निर्माण नहीं किया गया है;

(ग) क्या औषधों में अनुसंधान कार्य गहन और परिणामोन्मुखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवार्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अनुसंधान और विकास में हजारों उत्पादों में से 40 से 60 नई औषधें (नये रासायनिक तत्व) प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में शुरू की जाती हैं। ये औषधें विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक श्रेणियों की हैं, इनमें से प्रमुख हैं संक्रामक रोग रोधी, तंजिका विज्ञान संबंधी, कार्डियोवस्कुलर, कैंसर रोधी आदि। स्थानीय निर्माता स्थानीय रोगों को मद्देनजर रखते हुए और विद्यमान औषधों की तुलना में उपचारात्मक लाभों के आधार पर देश में इन नई औषधों को शुरू करते हैं। भारत में नई औषधों की शुरुआत के लिए औषध नियंत्रक (भारत) की विशिष्ट स्वीकृति की जरूरत पड़ती है।

(ग) और (घ) भेषजों के अनुसंधान और विकास में मूल अनुसंधान प्रमुख कार्यकलाप हैं। यह अनुसंधान, जिससे अन्तोगत्वा नई औषध मालीक्यूल की खोज और विकास होता है, कठिन, बहु-विषयक, जोखिमवाला, खर्चीला और अधिक समय लेने वाला है।

[हिन्दी]

रासायनिक कीटनाशक

3033. **श्रीमती शीला गौतम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रासायनिक कीटनाशकों के कितने उत्पादक हैं और 1992-93 के दौरान उनके उत्पादों की मदवार उत्पादन मात्रा और मूल्य कितना-कितना है;

(ख) इन कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयोग किये जा रहे संघटनों का आयात मूल्य कितना है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने मूल्य के अन्य कीटनाशकों का आयात और निर्यात किया गया ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) देश में 700 से भी अधिक इकाइयों द्वारा रासायनिक पेस्टिसाइड्स उत्पादित और बनाए जाते हैं। 1992-93 के दौरान संगठित क्षेत्र में 76,933 टन तकनीकी ग्रेड के पेस्टिसाइड का उत्पादन हुआ था। मात्रा से संबंधित मदवार जानकारी संबंधी विवरण संलग्न है। उत्पादन के मदवार मूल्य के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विशेष रूप से पेस्टिसाइड्स के निर्माण के लिए प्रयोग किये जाने वाले रसायनों के आयात पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अतः ऐसे रसायनों के मूल्य के बारे में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) आयात और निर्यात संबंधी आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, (डी.जी.सी.आई.एस.) कलकत्ता द्वारा मंथली स्टैटिस्टिक्स आन फारेन ट्रेड प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण

पेस्टीसाइड्स और इन्सेक्टिसाइड्स

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	1992-93
1	2	3
	इन्सेक्टिसाइड्स	
1.	बी.एच.सी.	
	1. एच.आई.एल.	1985
	2. कनौरिया कैम	18042
	3. साउथ फर्टिलाइजर कारपोरेशन	1201
	4. टाटा कैम गुजरात	2623
	कुल	23851
2.	डी.डी.टी.	
	1. एच.आई.एल.	6722
	कुल	6722
3.	मेलाथियॉन	
	1. साइनामिड इंडिया	1976

1	2	3
	2. फिकोम आर्गे.	1091
	3. एच.आई.एल.	434
	4. इंडिया फारमर्स फर्टिलाइजर्स	27
	5. खटाऊ जुनकर	561
	6. शिवालिक रसायन	9
	कुल	4098
4	पेराथियॉन (मिथाइल)	
	1. बायर (आई)	2147
	2. वॉल्टास	0
	कुल	2147
5.	फेनिट्राथियॉन	
	1. बायर (आई)	16
	कुल	16
6.	ड्राइमेथोएड	
	1. खटाऊ जुनकर	231
	2. ऐलिस इंडिया	1335
	3. शा वाल्लेस एण्ड कं., कलकत्ता	432
	4. शिवालिक रसायन	180
	कुल	2178
7.	डी.डी.वी.पी.	
	1. हिन्द शीबा गायगी	755
	2. खटाऊ जुनकर	57
	3. नुसिल	168
	4. पेस्ट इंडिया	281
	5. सुदर्शन कैम	434
	कुल	1695

1	2	3
8.	क्वीनॉलौस	
	1. गुजरात इन्से.लि.	718
	2. सेण्डोज इंडिया	1015
	3. सुदर्शन कैम	184
	4. अर्लाब	273
	कुल	2190
9.	मोनोक्रोटोफोस	
	1. भारत पुलवेरीसिंग	0
	2. गुजरात इन्से. लि.	0
	3. एच.आई.एल.	54
	4. हिन्द शीबा गाएई	1294
	5. खटाऊ जुनकर	449
	6. लूपिन लैब	231
	7. नोसिल	1126
	8. पेस्ट इंडिया	309
	9. रेलिस इंडिया	229
	10. शा वालेस एण्ड कं. कलकत्ता	17
	11. सुदर्शन कैम	573
	12. यूनाईटेड फास्फोरब	419
	13. वेनटेक पेस्ट	054
	14. वॉल्टास	27
	15. नेशनल एग्रोकैम	429
	कुल	6211
10.	फास्फामिडोन	
	1. हिन्द शीबा गाएई	1307
	2. खटाऊ जुनकर	37
	3. नोसिल	414
	4. सुदर्शन कैम	420
	कुल	2186

1	2	3
11.	फोरेट	
	1. साइनामिड इंडिया	1363
	2. पेस्ट इंडिया	916
	3. वाल्टास	886
	कुल	3165
12.	इथियोन	
	1. पेस्ट इंडिया	37
	2. रेलिस इंडिया	160
	3. शा वालेस एण्ड क., कलकत्ता	235
	4. वाल्टास	145
	कुल	577
13.	इण्डोसुलफान	
	1. भारत पुलवरीसिंग	758
	2. एक्सल इंडिया	4951
	3. एच.आई.एल.	1114
	कुल	6823
14.	फेनवालारेट	
	1. भारत पुलवरीसिंग	36
	2. गुजरात इन्से. लि.	273
	3. रेलिस इंडिया	193
	4. सिअरल (आई)	330
	5. यूनाइटेड फास्फोरब	83
	6. अर्लाब	81
	7. सुमेक्स कैम	34
	कुल	1030
15.	साइपरमेथीरन	
	1. बी.ए.एस.एफ. इंडिया	

1	2	3
	2. भारत पुलवेरीसिंग	40
	3. धरड़ा कैम	325
	4. गुज. इन्से. लि.	90
	5. आई.सी.आई. इंडिया लि.	103
	6. नोसिल	103
	7. रेलिस इंडिया	102
	8. यूनाइटेड फास्फोरस	197
	9. सुमेक्स कैम	16
	कुल	976
16.	अनिलोफोस	
	1. धरड़ा कैम	340
	2. हैक्स्ट इंडिया	103
	कुल	443
17.	एसिफेट	
	1. रेलिस इंडिया	98
	2. शा वालेस एण्ड कं. कलकत्ता	234
	कुल	332
18.	क्लोरपाइरीफोस	
	1. लूपिन लैब	8
	2. वेनटेक पेस्ट	48
	कुल	56
19.	फोस्सलोन	
	1. वॉल्टास	568
	कुल	568

1	2	3
20.	मेटासिस्टोस्ट	
	1. बायर (आई)	346
	कुल	346
21.	अबेट	
	1. साइनामिड इंडिया	299
	कुल	299
	फंगीसाइड्स	
22.	केपटन एड केमाफोल	
	1. रेलिस इंडिया	685
	कुल	685
23.	थिरम (थियोकारबामेट)	
	1. जे.के.बी.एम.	22
	कुल	22
24.	जिरम (थियोकारबामेट)	
	1. हिन्द शीबा गाइगी	183
	कुल	183
25.	कारबेंडाजिम (टीन)	
	1. बी.ए.एस.एफ. इंडिया	281
	2. गुज. इन्से. लि.	195
	3. जे.के.बी.एम.	74
	4. पोषक लि.	158
	कुल	708
26.	कलिसिन	
	1. बेस्फ इंडिया	196
	कुल	196

1	2	3
27.	मंकोजेब	
	1. इण्डोफिल कैम	3599
	कुल	3599
	हरबीसिडेस्स	
28.	2 बी, 2, 4-डी	
	1. एग्रोमोरी प्रा.लि.	11
	2. अतुल प्रोक्टस	482
	3. गुजकैम डिस्ट.	43
	कुल	536
29.	बुटाक्लोर	
	1. गुज. नर्मदा बेली	151
	2. एच.आई.एल.	116
	3. सिअरल (आई)	457
	4. सुदर्शन कैम	53
	5. वेनटेक पेस्ट	00
	6. मुनियरी इण्ड.	203
	7. सिरिस इंडिया	516
	कुल	1496
30.	इबोप्रोट्रोन	
	1. घरड़ा कैम	1242
	2. हैक्स्ट इंडिया	573
	3. पोषक लि.	166
	4. अर्लाब	22
	5. मोनटरी इंडिया	107
	कुल	2110
31.	बेसेलिन	
	1. बेरफ इंडिया	128
	कुल	128

1	2	3
	2. यूनाइटेड फास्फोरब	168
	कुल	271
	फ्युमिजेंटस	
33.	एल्यूमिनियम फास्फाइड	
	1. एक्सल इण्ड.	362
	2. यूनाइटेड फास्फोरस	677
	कुल	1039
34.	गिथाइल बोमिडेस	
	1. टाटा कैम गुज.	51
	कुल	51

[हिन्दी]

चाणक्यपुरी में फ्लैटों का आवंटन

3024. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री खेलनराम जांगड़े :

क्या **शहरी विकास मंत्री** अतारांकित प्रश्न सं. 4506 के उत्तर के 25 अगस्त 1993 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाणक्यपुरी में प्रभावशाली व्यक्तियों के पुत्रों को आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टिप्पणी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से एक नोट मिला था, किन्तु इस मामले में कोई अन्तिम राय कायम नहीं की गई है। वह नोट अभी भी गृह मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है।

[अनुवाद]

इंडियन रेयर अर्थ्स, तमिलनाडु

3025. **श्री एन. डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के मनावलाकुरुचि स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स फैक्ट्री का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के मानवलाकुरुचि संयंत्र का करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जा चुका है। मानवलाकुरुचि के ज़र्कोनियम संयंत्र का मामूली-सा विस्तार शुष्क फ्रिट और अन्य उपयोगी मूल्यवर्धित ज़र्कोनियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

अंटार्कटिका अभियान

3026. **श्री बी.एस. विजयाराघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक दल के 13 अंटार्कटिका अभियानों से कोई आर्थिक लाभ हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का उद्देश्य वायुमण्डलीय विज्ञान, भूमण्डलीय जलवायु, पर्यावरण, जीवविज्ञान, समुद्रविज्ञान, हिमविज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी, भूचुम्बत्व, शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और सौर-पार्थिव प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। अंटार्कटिक संधि पर पर्यावरणीय नयाचार में वैज्ञानिक अनुसंधान के अतिरिक्त खनिज संसाधनों से सम्बन्धित कोई भी कार्यकलाप वर्जित है।

अतः अंटार्कटिक कार्यक्रम के अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ जो कि निम्नलिखित हैं :

(1) संरचनाओं के अभिकल्पन और निर्माण में जनशक्ति विकास और चरम शीत दशाओं के लिए आवश्यक समर्थन प्रणालियां।

(2) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अंटार्कटिक जलक्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले क्रिल संसाधनों के विदोहन की संभावना।

(3) चरम शीत और कठोर दशाओं में, हेलीकॉप्टर सहायता, स्थलमार्गीय परिवहन और संचार सुविधाओं सहित संभार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विकास।

(4) मानव शारीरिकी और उनके आचरण पर जलवायु और भूचुम्बकत्व के प्रभावों पर महत्वपूर्ण सूचना।

(5) महाद्वीप में नीति सम्मत उपस्थिति, जिसे केवल शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए तथा

सदस्य देशों में अन्तराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देने हेतु उपयोग में लाए जाने की घोषणा की गई है।

विज्ञान भवन को नया रूप देना

3027. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान भवन को नया रूप देने सम्बन्धी कार्य पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या इस परियोजना व्यय में वास्तविक अनुमानित लागत में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो आरम्भिक अनुमानित लागत क्या थी और लागत में की गई वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सम्पूर्ण परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विज्ञान भवन के जीर्णोद्धार के लिए 72.20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल और बागवानी सम्बन्धी कार्य पर हुआ खर्च भी शामिल है।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक अनुमानित लागत 12.02 करोड़ रुपये थी। लागत में वृद्धि, मूल आक्कलन में कम प्रावधान, विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी नयी मदों, सुरक्षा मदों को शामिल करने तथा बेहतर विशिष्टताए और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त मदों जैसे विभिन्न घटकों के कारण परियोजना की संशोधित स्वीकृत लागत 24.79 करोड रुपये थी। वास्तव में किया गया 27.20 करोड़ रुपये का कुल व्यय स्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत अनुमेय अन्तर के भीतर है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली का योजना व्यय

3028. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली के लिए कितना योजना व्यय नियत किया गया है, और

(ख) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए कितनी वार्षिक योजना राशि आवंटित की गई और खर्च की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और

(ख) आठवीं योजना के दौरान 1991-92 की कीमतों पर दिल्ली के लिए आवंटित योजना परिव्यय तथा चालू कीमतों पर 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के लिए आवंटित तथा प्रयुक्त परिव्यय निम्नानुसार हैं :

योजना	अनुमोदित परिव्यय	(करोड़ रुपये) व्यय
8वीं योजना (1992-97)	4500.00	-
क. योजना 1992-93	920.00	911.07
क. योजना 1993-94	1075.00	980.00*
क. योजना 1994-95	1560.00**	-

*प्रत्याशित

**स्वीकृत परिव्यय

सीमावर्ती सडकों का निर्माण

3029. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सारणी से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1993-94 के दौरान निर्मित सडकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में बद्रीनाथ से माणा तक की सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हा, तो इस कार्य पर कितना समय लग जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1993-94 की निर्माण योजना के अनुसार पहाड़ काटकर 700 कि.मी. लम्बी सड़क बनाने का कार्य, 1400 कि.मी. सड़क को समतल करने का कार्य, 100 करोड़ रुपए की लागत का स्थायी निर्माण-कार्य और 19 करोड़ रुपए की लागत का पुल-निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। फरवरी, 1994 के अन्त तक पहाड़ काटकर 477 कि.मी. लम्बी सड़क बनाने का कार्य, 1317 कि.मी. लम्बी सड़क को समतल करने का कार्य 92.13 करोड़ रुपए की लागत का स्थायी निर्माण-कार्य और 14.01 करोड़ रुपए की लागत का पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने 264.6 कि.मी. से 323.6 कि.मी. के बीच की सड़क, जिसमें बद्रीनाथ से माणा तक की सड़क भी शामिल है, के सुधार पर आने वाले खर्च के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समय पर धनराशि अगर उपलब्ध की जाती है, तो निर्माण कार्य 1997 के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

पश्चिमी राज्यों में उद्योग

3030. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिमी राज्यों में राज्यवार कितने उद्योग लगाये गये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य के विरुद्ध परिवहन तथा पूंजीगत सहायता के नाम पर दी गई बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्यवार कितनी राज सहायता दी गई है; और

(घ) शेष राज सहायता कब तक दे दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) किसी राज्य के औद्योगीकरण का प्राथमिक दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है और केन्द्र सरकार ऐसे प्रयासों में यथासंभव सहायता देती है। पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिमी राज्यों में स्थापित किये गये उद्योगों के ब्यौरे भारत सरकार द्वारा नहीं रखे गये हैं। किन्तु वर्ष 1992 और 1993 के दौरान पश्चिमी राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु आशय पत्रों (आ.प.) औद्योगिक लाइसेंसों (औ.ला.) और फाइल किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (औ.उ.ज्ञा.) की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य	1992			1993		
	आ.प.	औ.ला.	औ.उ.ज्ञा.	आ.प.	औ.ला.	औ.उ.ज्ञा.
1. गोवा	8	2	25	14	4	34
2. गुजरात	120	23	809	76	21	589
3. महाराष्ट्र	98	29	851	86	23	1347
4. राजस्थान	26	1	302	15	1	198

(ख) से (घ) भारत के पश्चिमी राज्यों में परिवहन राजसहायता योजना लागू नहीं है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 30.9.1988 से समाप्त कर दी गई थी। केन्द्रीय निवेश राज्य सहायता योजना के अधीन पश्चिमी राज्यों को दी गई राजसहायता की कुल राशि इस प्रकार हैं :

	राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)
1	गोवा	42.71
2.	गुजरात	62.73
3.	महाराष्ट्र	42.64
4.	राजस्थान	76.61

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के नाम पर गोवा और राजस्थान के संदर्भ में 38,84,427 रुपये के पात्र दावे लम्बित पड़े हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति धन उपलब्ध होने पर कर दी जायेगी।

3031. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गयी,

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना-वार कितनी-कितनी धन राशि आवंटित की गई, और

(ग) राज्य के किन-किन नगरों और शहरों के लिए इन योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 12 शहरी जलापूर्ति योजनाओं को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित किया गया था।

(ख) शहरी जलापूर्ति राज्य का विषय है और परियोजना प्रस्ताव, राज्य आयोजना निधियों से नियोजित बनाए तथा निष्पादित किए जाते हैं। अतः केन्द्र सरकार द्वारा निधियों को देने/नियत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में कस्बों तथा शहरों को दर्शाते हुए तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आयोजना राशि (रुपये लाखों में)	परियोजना अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4
1.	सागर जलापूर्ति योजना का संवर्धन-जिला–सागर	3709.00	05-04-90

1	2	3	4
2.	देवास कस्बे हेतु इन्टरिम जलापूर्ति योजना, नर्बदा परियोजना, जिला देवास	175.50	29-03-90
3.	बर्वाह कस्बा की जलापूर्ति संवर्धन परियोजना जिला-खारगोन	69.57	12-07-91
4.	बियोरा जलापूर्ति स्कीम, बियोरा जिला	598.00	29-07-91
5.	ग्वालियर कस्बे (फेज-1) हेतु जलापूर्ति सिस्टम के सुधार की परियोजना	1396.00	13-08-91
6.	संशोधित रेवा जलापूर्ति संवर्धन योजना, जिला रेवा	1583.00	09-09-91
7	ग्वालियर कस्बे (फेज-2) हेतु जलापूर्ति सिस्टम के सुधार की परियोजना	548.00	13-09-91
8.	सनवाद कस्बे हेतु जलापूर्ति योजना का संवर्धन, जिला खारगोन	53.00	03-10-91
9.	गुना जलापूर्ति संवर्धन स्कीम, जिला गुना	1535.00	10-01-92
10.	सिध नदी के शिवपुरी कस्बे को जलापूर्ति परियोजना	2013.50	13-03-92
11	सारंगपुर जलापूर्ति योजना, जिला-रामगढ़	60.00	15-10-91
12.	रायपुर जलापूर्ति सिस्टम के सवर्धन तथा सुधार की परियोजना, जिला-रायपुर	2805.00	07-09-93

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान

3032. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा इसके अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सस्थानों को दिए जा रहे बजट अनुदान में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में कमी आती जा रही है,

(ख) यदि हां, तो 1983-84, 1988-89 और 1993-94 मे स्थिर मूल्यो पर उन्हे दिये गये वास्तविक और संशोधित अनुदान की कुल राशि कितनी है,

(ग) सी.एस.आई.आर. को इसके प्रकाशनों, अनुसंधान, ठेकों और पेटेंट जैसे आंतरिक संसाधनों से होने वाली औसत वार्षिक आय कितनी है,

(घ) क्या सरकार ने सी.एस.आई.आर. के अनुसंधान कार्यों का व्यवसायीकरण करने के लिए माशेलकर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस व्यवसायीकरण से कितनी वार्षिक आय होने की संभावना है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान सी.एस.आई.आर. की औसत वार्षिक आय (प्राप्तियां) निम्नांकित है :

(रुपए करोड़ों में)

	1990-91	1991-92	1992-93
1 प्रकाशन	0.81	0.47	0.12
2. अनुसधान अनुबंध	62.64	75.85	81.26
3. पेटेंट	1.25	0.97	0.48
4. अन्य	27.62	33.47	48.62

(घ) और (ङ) यद्यपि सी.एस.आई.आर. के शासी निकाय द्वारा सी.एस.आइ.आर. के अनुसधान कार्यों का व्यवसायीकरण करने के लिए माशेलकर समिति की सिफारिशों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, तथापि उनमें से कुछ को कानूनी और कर संबंधी परिणामों के परिप्रेक्ष्य में, जो उन सिफारिशों को लागू करने पर सामने आ सकते हैं, अधिक गहनता से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि ये सिफारिशें हाल ही में स्वीकार की गई हैं अतः इस प्रकार के व्यवसायीकरण से होने वाली वार्षिक आय का आकलन किया जाना कठिन है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

3033. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राप्त की गई उपलब्धियों का कोई अध्ययन कराया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति का हाल ही में (23 फरवरी, 1994) अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। राज्यों/संघशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर अलग-अलग स्कीमों की स्वीकृति और केन्द्रीय शेयर को रिलीज करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों के बाबत कोई अध्ययन करने की अवस्था अभी नहीं आयी है। वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसे राज्यों/संघशासित प्रदेशों को वित्तीय वर्ष 31-03-94 के अन्त तक रिलीज कर दिया जाएगा। अभी तक कोई धनराशि रिलीज नहीं की है।

[हिन्दी]

समुद्र में औषधीय वस्तुएं

3034. **श्री धर्मण्णा मोंडटया सादुल :**
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में अनेक औषधीय वस्तुएं पाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके दोहन हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) समुद्री वनस्पतिजात तथा प्राणिजात के सतों से, प्रति कवक (एंटी कंगल) प्रतिशोध (एंटी इंफ्लामेंट्री) तथा प्रति जीवाणु (एंटी वायरल) इत्यादि शक्तिमान जैव सक्रियता की विशेष संभावनाएं हैं।

(ख) इस विभाग ने समुद्र से संभावित औषधियों पर नवम्बर 1990 में राष्ट्रीय परियोजना प्रारम्भ की। इसमें भाग लेने वाली 10 प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान को चुना गया था। भविष्य में औषधभेषजीय औषधियों के विकास के तथा जैव सक्रियता हेतु, विभिन्न समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात को एकत्रित कर उनकी पहचान की गई तथा उनके सतों की जांच की गयी।

परियोजना के पहले चरण में मार्च 1993 तक 646 समुद्री वनस्पतिजात (156 नमूने) एवं प्राणिजात (490 नमूने) की पहचान के बाद, जैव सक्रियता के लिए जांच गई। आशाजनक जैव सक्रियता दर्शाने वाले जीवों पर भविष्य में औषधियां बनाने हेतु शोध कार्य भी चल रहा है। इस वर्ष लगभग 100 समुद्री वनस्पतिजात एवं प्राणिजात की जैव सक्रियता की जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण कर्जदारी

3035. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ग्रामीण लोगों विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों को ग्रामीण कर्जदारी से बचाने हेतु कोई योजना है;

(ख) क्या छोटे तथा सीमान्त किसान विशेषकर अच्छी फसल न होने के कारण ऋण जाल में फंस रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे किसानों को बचाने हेतु कोई योजना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए केन्द्र सरकार के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित समूह में वे छोटे तथा सीमान्त किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8,500 रुपए की सीमान्त रेखा से कम है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए सरकारी सबसिडि और बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों की छोटी खपत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खपत ऋण हेतु जोखित निधि के रूप में सहायता प्रदान करने की एक योजना भी चलायी जा रही है। जोखिम निधि की स्थापना सभी समन्वित ग्रामीण विकास लाभार्थियों, अर्थात् छोटे तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों आदि के लिए खपत प्रयोजनों हेतु ऋण जारी करने के संबंध में वित्तीय बैंकों और सहकारी समितियों के स्तर पर की जाती है। उधार लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपए तक का ऋण लेने का पात्र है और इस योजना के खर्च को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त जवाहर रोजगार योजना भी केन्द्र सरकार का एक अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। जवाहर रोजगार योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। दस लाख कुओं की योजना जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है, के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुएं भी मुहैया कराये जाते हैं। 1993-94 से जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल आबंटन का 30 प्रतिशत अंश दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित किया गया है, ताकि छोटे तथा सीमान्त किसानों की मदद की जा सके।

[हिन्दी]

पेटेंट कानूनों के अन्तर्गत औषधियां

3036. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय औषध सूची के अनुसार पेटेंट कानूनों के अन्तर्गत कितनी आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियां हैं; और

(ख) पेटेंट कानूनों की अवधि कब तक समाप्त हो जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ सहायता

3037 **श्री रवि राय :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **शहरी विकास मंत्री** गह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ ने गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) मास्टर प्लान गतिविधियों 1991-95 के अन्तर्गत यूनिसेफ गरीबों के लिए शहरी आधार भूत सेवा कार्यक्रम के लिए, प्रशिक्षण, प्रबन्ध क्षमता सृजन, प्रचार और प्रसार, गैर-सरकारी संगठनों को मदद, शहरीकरण अध्ययन तथा नीति अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 9.00 मिलियन अमरीकी डालर देगा। 1993 तक, 3.1 मिलियन अमरीकी डालर की यूनिसेफ सहायता का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

सी-2 सरकारी आवास का आवंटन

3038. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस अधिकारियों सहित अनेक अनर्ह व्यक्तियों को सी-2 सरकारी आवासों का आवटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या बिनाबार के स्वीकृत किये गये किसी भी सी-2 आवास का आवंटन नही किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) चालू आवंटन वर्ष के दौरान ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी 9 स्वीकृतियां लम्बित हैं, जिन्हें उनकी बारी आने पर आबंटन किया जायेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में कृषि पर आधारित एकक

3039. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कृषि पर आधारित एककों की स्थापना के लिये गये दो वर्षों के दौरान प्राप्त हुए विदेशी निवेश प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक लागू किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) गुजरात में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए 1992 के दौरान अनुमोदित किये गये विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के ब्यौरे नहीं रखे गये थे, किन्तु गुजरात में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापनार्थ 1993 और जनवरी 1994 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के, जो प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे, उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण की मद	विदेशी सहयोग का स्वरूप
1.	मै. अनूप कोठारी, नई दिल्ली।	मै. दालसेम वेसिआप, हालैण्ड।	सफेद बटन खुम्बी	वित्तीय

यह परियोजना जनवरी, 1994 में ही अनुमोदित की गई है। इतनी जल्दी इसके कार्यान्वयन की आशा नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

3040. **डा. असीम बाला** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन में कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) गत पांच वर्ष (1988-89 से 1992-93 तक) के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के पोषकवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(000 मी. टन)

पोषकों का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
नाइट्रोजन (एन)	6712.0	6747.3	6993.1	7301.3	7330.3
फास्फेट (पी)	2252.0	1795.8	2051.9	2562.1	2306.2

1989-90 और 1990-91 के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट फास्फोरिक एसिड, जिसका अधिकांशत: आयात किया जाता है, की अनुपलब्धता के कारण हुई। 1992-93 में फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में कमी खुले बाजार में मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण कम उठान तथा आयातित डी.ए.पी. की स्वदेशी उत्पादन लागत की तुलना में बहुत सस्ते दरों पर उपलब्धता के कारण थी।

[हिन्दी]

भूमिगत जल का उपभोग

3041 **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुभूमि विकास परियोजना ने राजस्थान मे पशुओं के लिए भूमिगत जल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य हेतु नलकूप लगाने का है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलहाल भूगत जल की अत्यधिक निकासी की अनुमति नही है, क्योंकि ऐसा करने से पहले ही सूखते जा रहे भूजल स्रोतो का शोषण होता है। तथापि, इसके अन्तर्गत पशुओ और भेडो के लिए जल एकत्रीकरण और भण्डारण ढाचो के निर्माण, तथा पशुओं की पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटे तालाबों के निर्माण की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

पेनिसिलिन निर्माण की क्षमता

3042. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पेनिसिलिन की निर्माण क्षमता में वृद्धि करने तथा इसे सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय पेनिसिलिन का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। यद्यपि सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग करने में अपनी इच्छा प्रकट की है।

(ग) और (घ) पेनिसिलिन के आयात का विनियमन आयात और निर्यात नीति, 1992-97 के उपबन्धों द्वारा किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान पेनिसिलिन (फर्स्ट क्रिस्टल) के आयात का सी.आई.एफ. मूल्य निम्नलिखित था :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1990-91	20.96
1991-92	35.05
1992-93	35.82

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास कार्यक्रम

3043. **श्री राम बदन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इसमें कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दर्शायी गयी है :

वर्ष	लक्ष्य समूहों की संख्या	बनाये गये समूह
1990-91	1302	1335
1991-92	1350	1345
1992-93	1140	1281

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3044. **श्री मोहन रावले** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कुवैती दीनार में मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ.) को हुई क्षति की पूर्ति करने पर सिद्धान्त रूप में सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इसके कारण आर.सी.एफ. को अब तक कितनी हानि हुई है,

(घ) क्या आर.सी.एफ का विचार कुवैत से लिया गया कुवैती दीनार का ऋण ब्याज सहित वापस लौटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकार ने विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण कुवैती दीनार ऋण पर बढे हुए ब्याज और मूल राशि के भुगतान से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ.) को 150.88 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है।

(घ) और (ङ) आर.सी.एफ. ने ब्याज सहित कुवैती दीनार ऋण 16-12-1993 को चुकता कर दिया है।

लघु उद्योगों की रुग्णता

3045 **श्री उदय सिंह राव गायकवाडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 जनवरी, 1994 तक की स्थिति के अनुसार सरकार के पास पंजीकृत लघु उद्योग एककों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से रुग्ण घोषित किये गये लघु उद्योग एककों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) इस समय बन्द पड़े एककों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(घ) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनकी रुग्णता दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र उद्योग निदेशालयों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 31-12-1992 तक (नवीनतम उपलब्ध) पंजीकृत 16,37,812 लघु इकाइयां थी। लघु औद्योगिक विकास संगठन के अधीन आने वाली और अलग-अलग राज्य/संघ शासित क्षेत्र के पास पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संचयी संख्या का विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 1992 के अन्त में रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण-II में दिया गया है।

(ग) इस समय बंद पड़ी इकाइयों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या का पता लगाने के लिए विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। परन्तु 1989-91 के दौरान विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों की की गई दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों के आधार पर 31 मार्च, 1988 के अन्त में बन्द पाई गई इकाइयों की संख्या के बारे में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार स्थिति विवरण-III में दी गई है।

(घ) लघु औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता के मुख्य कारण, जैसा 1982-83 के दौरान किये गये लघु औद्योगिक इकाइयों के प्रथम अखिल भारतीय नैदानिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों से मालूम हुआ है, वित्त की कमी, विपणन समस्याएं, कच्ची सामग्री उपलब्ध न होना, बिजली तथा ऊर्जा के अन्य श्रोतों की कमी, श्रमिक गड़बड़ी त्रुटिपूर्ण/पुरानी प्रौद्योगिकी, करों की ऊंची दर, परिवहन बाधाएं व्यक्तिगत कारक तथा अन्य कारण थे।

(ङ) जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति तथा राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति के माध्यम से नियमित आधार पर उपाय किये जा रहे हैं। बैंक भी जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए नियमित आधार पर सहायता कर रहे हैं।

विवरण-I

राज्य/संग शासित क्षेत्र निदेशालयों के पास नियमित आधार पर पंजीकृत सीडो इकाइयों की संचयी संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-12-1992 को पंजीकृत सीडो इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	107372
2.	असम	14354
3.	बिहार	83782
4.	गुजरात	94879
5.	हरियाणा	79953

1	2	3	
6.	हिमाचल प्रदेश	12165	
7.	जम्मू तथा कश्मीर	22653	
8.	कर्नाटक	88513	
9.	केरल	86595	
10.	मध्य प्रदेश	184245	(अ)
11.	महाराष्ट्र	68003	
12.	मणिपुर	4310	(अ)
13.	मेघालय	1617	(अ)
14.	नागालैंड	642	
15.	उड़ीसा	16505	(अ)
16	पंजाब	134337	
17.	राजस्थान	64437	
18.	तमिलनाडु	133807	
19.	त्रिपुरा	5665	
20.	उत्तर प्रदेश	247907	
21.	सिक्किम	224	
22.	अरुणाचल प्रदेश	571	
23.	पश्चिम बंगाल	142508	(अ)
24.	मिजोरम	2638	
25.	गोवा	538	
26.	अंडमान और निकोबार	852	
27.	चंडीगढ़	2844	
28.	दादरा और नागर हवेली	306	
29.	दिल्ली	26606	(अ)
30.	लक्षद्वीप	184	
31.	पांडिचेरी	3517	
32.	दमन और दीव	440	(अ)
	योग :	1637812	

अ = अनुमानित

विवरण-II

मार्च, 1994 के अन्त में रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल रुग्ण इकाइयों की सं.
1	2	3
1.	असम	5317
2.	मेघालय	68
3.	मिजोरम	1
4.	बिहार	7823
5.	अरुणाचल प्रदेश	50
6.	पश्चिम बंगाल	32022
7.	नागालैंड	2039
8.	मणिपुर	2277
9.	उड़ीसा	8415
10	सिक्किम	75
11.	त्रिपुरा	670
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22
13.	उत्तर प्रदेश	34150
14.	दिल्ली	4705
15.	पंजाब	5485
16.	हरियाणा	3467
17.	चंडीगढ़	342
18.	जम्मू और कश्मीर	769
19.	हिमाचल प्रदेश	1481
20.	राजस्थान	14420
21.	गुजरात	6581

1	2	3
22.	महाराष्ट्र	20153
23.	दमन और दीव	41
24.	गोवा	1066
25.	दादरा और नागर हवेली	-
26	मध्य प्रदेश	22333
27.	आंध्र प्रदेश	29586
28.	कर्नाटक	17316
29.	लक्षद्वीप	-
30.	तमिलनाडु	9797
31	केरल	14883
32.	पांडिचेरी	216
	योग	245575

*इनमें सीडो से भिन्न एकक भी शामिल हैं।
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बंद पडे/पता न लग पाये एककों की संख्या*
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	15117
2	असम	3320
3	बिहार	17018
4	गुजरात	21623
5	हरियाणा	22319
6	हिमाचल प्रदेश	3378

1	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	4700
8.	कर्नाटक	17123
9.	केरल	11830
10.	मध्य प्रदेश	44436
11.	महाराष्ट्र	13894
12.	मणिपुर	361
13.	मेघालय	153
14.	नागालैंड	83
15.	उड़ीसा	5315
16.	पंजाब	39954
17.	राजस्थान	19433
18.	तमिलनाडु	25145
19.	त्रिपुरा	603
20.	उत्तर प्रदेश	41150
21.	पश्चिम बंगाल	44411
22.	सिक्किम	36
23.	अंडमान और निकोबार	106
24.	अरुणाचल प्रदेश	42
25.	चण्डीगढ़	640
26.	दादरा और नागर हवेली	33
27.	दिल्ली	7425
28.	गोवा	1000
29	मिजोरम	306
30.	पांडिचेरी	830
31.	दमन और ड्यू	46
	योग	361897

टिप्पणी - लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में 31-3-1988 को कोई पंजीकृत एकक नहीं था।

*ये एकक 15 वर्षों की अवधि मे अर्थात् 1-1-1973 से 31-3-1988 तक की अवधि में बन्द हुए हैं।

'भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड' का विस्तार

3046. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंध में कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 16,510।

(ख) और (ग) कम्पनी की नई उत्पादन यूनिटें खोलने की योजना नहीं है। तथापि, क्षमता का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से इसने यह योजना बनाई है कि उसके उत्पादों में विविधता लाई जाए और अर्थमूविंग, रेलवे, रक्षा, ऊर्जा तथा स्वाचालित क्षेत्रों में नई मदों का निर्माण किया जाए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

वाकिंग ड्रैगलाइन, रोप शोवेल, रोड हेडर, लांग वाल सिस्टम, रोबोट, क्रैशफायर टेन्डर, पी.एम.एस. ब्रिज, रेल, बस आदि। निर्यात और अपने घरेलू शेयर बढ़ाने के लिए कम्पनी ने अपने यहां अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करके और विदेशों से नए सहयोग करार करके अपनी तकनालॉजी को और उन्नत बनाने की योजना बनाई है।

उर्वरकों का उत्पादन

3047. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष से उर्वरकों के उत्पादन में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त होने वाले उत्पादन स्तर और पोषकों के रूप में उत्पादन के लक्ष्यों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

(लाख टनों में)

उर्वरक पोषक	उत्पादन लक्ष्य	संभावित उत्पादन
नाइट्रोजन	78.00	73.20
फास्फेट	22.00	18.30

नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से डी.ए.पी. और कम्पलैक्स उर्वरकों के माध्यम से नाइट्रोजन की कम उपलब्धता, गैस आपूर्ति पर प्रतिबंध और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. तथा फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के पुराने और रुग्ण एककों के घटिया निष्पादन के कारण आई है। फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में कमी 25-8-1992 से अनियंत्रण के पश्चात उनके मूल्यों में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप कम बिक्री और अपेक्षाकृत सस्ते दरों पर आयातित डी.ए.पी. की उपलब्धता के कारण हुई है।

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक क्षेत्र को पर्याप्त गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1993-94 के दौरान स्वदेशी डी.ए.पी. की बिक्री पर 1000 रुपए प्रति टन की विशेष रियायत और कम्पलैक्स उर्वरकों और एस.एस.पी. आनुपातिक रियायत दी जा रही है।

असम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन

3048. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत असम को कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) असम सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है/कुल कितनी राशि अप्रयुक्त है; और

(ग) राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान असम में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित परिव्यय निम्नानुसार हैं :

(लाख रु.)

वर्ष	एम.एन.पी. के तहत अनुमोदित परिव्यय	एम.एन.पी. के तहत संशोधित परिव्यय
1990-91	10338	11557
1991-92	14738	13558
1992-93	16507	16586
1993-94	17712	17142 (प्रस्तावित)

(ग) असम सरकार ने 1991-92 में गैर-योजना लेखा घाटे को पूरा करने के लिए आबंटित केंद्रीय सहायता में से 10 प्रतिशत तक के ही उपयोग की अनुमति दी है।

लघु उद्योग

3049. **श्री राम कापसे : क्या योजना और कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास हेतु महाराष्ट्र को और अधिक धनराशि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई धनराशि पिछली पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महाराष्ट्र सरकार का लघु उद्योगों के विकास के लिए और अधिक निधियां आवंटित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। आठवीं योजना में ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए अनुमोदित परिव्यय 22578 लाख रु. है, जबकि सातवीं योजना में यह 6300 लाख रु. था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3050. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) द्वारा स्थापित किये गये उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वे सभी संयंत्र लाभांश दे रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) के संयंत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रमांक	स्थान	मद	स्थापित क्षमता
1. उद्योगमण्डल,	केरल	1. अमोनियम सल्फेट	225.00
		2. फैक्टमफोस 20:20	148.50
2. कोचीन, केरल		1. कम्पलैक्स उर्वरक	485.00
		2. यूरिया	330.00

(ख) और (ग) फैक्ट ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया है और अर्जित लाभ का उपयोग गत वर्षों में कम्पनी द्वारा कार्यान्वित आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रमों के वित्त प्रबन्ध के लिए किया गया।

(घ) फैक्ट के निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, किए जा रहे हैं :-

(1) संयंत्र प्रचालन तथा रख-रखाव का बेहतर नियत्रण, जिससे उत्पादन और खपत क्षमता में सुधार हो रहा है।

(2) फैक्ट एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनी है। उन्होंने 1992-93 में श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त किया। सरकार भी तिमाही आधार पर कम्पनी के समग्र निष्पादन का पुनरीक्षण करती है।

(3) फैक्ट उद्योगमण्डल में 618.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अपनी 900 टन प्रतिदिन अमोनिया संयंत्र परियोजना कार्यान्वित कर रही है। यह पुराने और अदक्ष अमोनिया संयंत्र को प्रतिस्थापित करेगी।

(4) 12.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कोचीन प्रभाग में अमोनिया संयंत्र के लिए पुनरुद्धार परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

जैव-कीटनाशक दवाइयों का विकास

3051. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 1994 में मद्रास में हुए (1) "स्ट्रेन्थनिंग ऑफ आर एण्ड डी एकॉनोमी इन्टरफेस" पर दो दिन की विचार गोष्ठी और (2) सेंटरल लैदर रिसर्च इन्स्टीयूट्ट, मद्रास सांइस एसोसिएशन और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन के सहयोग से जहीर साइंस फाउन्डेशन द्वारा आयोजित सेमीनार में की गई सिफारिशों की तरफ गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार गोष्ठी और सेमीनार में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का सिफारिशों विशेषतः यथासम्भव कम समय में जैव-कीटनाशक दवाइयों के विकास, जीवों तथा पौधों का पेटेंट करने और अनुसंधान और विकास संस्थाओं के वित्त पोषण पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकार को मालूम है कि 25 और 26 फरवरी, 1994 को केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास में "स्ट्रेन्थनिंग ऑफ.आर. एण्ड डी. एकॉनोमी इंटरफेस" पर दो दिन के परिसंवाद और सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की उन्नयन, नवीन आर्थिक सुधारों, प्रतियोगी, औद्योगीकरण प्रौद्योगिक नवीनता और विज्ञान की लोक प्रत्यक्षता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किए जाने की सूचना है। जहीर साइंस फाउंडेशन सरकार, उद्योग और

अन्य एजेंसियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए पूर्ण सिफारिशों के साथ एक प्रलेख प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है।

केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

3052. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले के बारे में 9 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1988 से 31 जनवरी, 1994 के बीच केन्द्रीय भण्डार में माल की कमी के सम्बन्ध में हुए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) उपचारात्मक उपायों के बावजूद भी हुए मामलों के क्या कारण हैं;

(घ) इन मामलों को तुरन्त रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) दिल्ली दुकानों तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 26 (2) (तीन) का यथा संशोधित ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) 1 मार्च, 1988 से 31 जनवरी, 1994 के बीच केन्द्रीय भंडार में माल की कमी के संबंध में 225 मामलों का पता लगा, जिनमें 13.27 लाख रुपये की राशि लिप्त थी।

(ख) संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई है तथा 7.26 लाख रुपये की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है। शेष वसूली-योग राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) स्वयं सेवा स्टोरों में माल की चोरी या फिर मुख्यतः ग्राहकों द्वारा माल को उठाने-धरने के कारण कमी हो जाती है। माल में ऐसी कमी किसी भी खुदरा व्यापार में अक्सर होती है।

(घ) कमी तथ टूट-फूट भत्ते के रूप में कर्मचारियों के लिए किए गए कारोबार की 0.3 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है, किन्तु इस सीमा से अधिक हुई कमी तथा टूट-फूट के लिए केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस ओर भी कदम उठाए गए हैं कि स्टोरों में माल इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए कि कर्मचारी उस पर सीधे नजर रख सकें और ग्राहकों के निकासी बिन्दुओं को भी नियंत्रित किया गया है ताकि ऐसे मामलों को मौके पर ही पकड़ा जा सके।

(ङ) यथा संशोधित दिल्ली शाप एण्ड एस्टेबलिसमेंट एक्ट, 1954 की धारा 20 की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

दिल्ली शॉप एण्ड एस्टैबलिसमैंट एक्ट एण्ड रूल्स तथा संबंधित श्रम कानून, 1993

20. वेतन से की जाने वाली कटौतियां-(1) किसी नियुक्त व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाला वेतन, बिना किसी कटौती के उसे दिया जाएगा, सिवाय उसके जो कि उप-धारा 2 में विनिर्दिष्ट है।

स्पष्टीकरण : नियुक्त व्यक्ति द्वारा नियोक्ता अथवा उसके एजेन्ट अथवा प्रबंधक को किया गया प्रत्येक भुगतान इस अधिनियम (एक्ट) के प्रयोजन के लिए वेतन से कटौती समझा जाएगा।

(2) किसी कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कटौतियां निम्नलिखित प्रकार की एक अथवा अधिक कटौतियां होंगी अर्थात् :-

(1) जुर्माना;

(2) ड्यूटी से गैर-हाजिर होने पर कटौतियां;

(3) नियुक्त व्यक्ति को देखभाल के लिए स्पष्टतया सौंपे गए सामान की प्रति अथवा उसके खोने के लिए कटौतियां अथवा धन राशि के खो जाने के लिए, जिसका उसे हिसाब देना है तथा जहां ऐसी क्षति अथवा हानि सीधे तौर पर उसकी लापरवाही अथवा दोष के कारण हुई हो;

(4) नियोक्ता द्वारा उसे दिए गए मकान के लिए कटौतियां;

(5) नियोक्ता द्वारा दी गई ऐसी सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए जैसा कि सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश से प्राधिकृत करे, की जाने वाली कटौतियां;

स्पष्टीकरण : इस धारा में 'सुविधाएं तथा सेवाएं' शब्दों में रोजगार के प्रयोजन के लिए अपेक्षित औजार तथा प्रोटेक्टिव देना शामिल नहीं है।

(6) अग्रिम राशि अथवा वेतन के अधिक भुगतान के समायोजन के लिए कटौतियां, बशर्ते कि ऐसी अग्रिम राशियां नियुक्त व्यक्ति के दो कलैण्डर मास के वेतन के बराबर की राशि से अधिक न हो तथा किसी भी हालत में कटौती की मासिक किस्त उस मास में अर्जित वेतन के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी;

(7) नियुक्त व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले आयकर की कटौतियां;

(8) न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश से की जाने वाली कटौतियां;

(9) किसी भविष्य निधि जिस पर भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू होता है, के लिए अंशदान तथा भविष्य निधि के लिए गए अग्रिम की वापसी अथवा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 (38) में यथा-परिभाषित कोई मान्य भविष्य निधि अथवा ऐसे अनुमोदन के अनुक्रम में सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किसी भविष्य निधि के लिए कटौतियां;

(10) सहकारी समितियों को भुगतान अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा योजना के लिए कटौतियां।

3. कोई भी नियोक्ता नियुक्त व्यक्ति पर जुर्माना लगाना उसके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान या हानि के लिए कटौती करना चाहता है तो उसे व्यक्तिगत रूप तथा लिखित रूप से चूक अथवा क्षति या हानि जिसके लिए कटौती या जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है या लगाया गया है, सूचित करेगा तथा उसे किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा। उक्त जुर्माने या कटौती की राशि के बारे में उसे सूचित किया जाएगा।

4. उप धारा (3) में उल्लिखित जुर्माने या कटौती की राशि इस प्रकार होगी जैसे सरकार द्वारा विर्निदिष्ट की गई है। इस प्रकार की गई सभी कटौतियां तथा वसूलियां, निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखे गये रजिस्टर में दर्ज की जायेगी।

5. उप धारा (3) के तहत लगाये गये जुर्माने की राशि का प्रयोग सरकार के निर्देश के तहत किया जायेगा।

6. इस धारा में कही कोई भी बात, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1937 (1936 के 4) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं की हुई मानी जाएगी।

कम्पनी विधेयक, 1993 में फेरबदल

3053. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सहायक वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सरकार से कम्पनी विधेयक में उपयुक्त फेरबदल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परिवर्तनों की मांग की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार कंपनी विधेयक में उपयुक्त फेरबदल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संयुक्त मंडलों ने कम्पनी विधेयक, 1993 में परिवर्तन करने के लिए बहुत से सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनियों का वर्गीकरण, अन्तगम ऋणों तथा निवेश, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक, निदेशकों के नातेदारों को पारिश्रमिक देने, निदेशकों को ऋण, ह्रास की दर में संशोधन, लाभ का आरक्षितियों में अन्तरण, लाभांश की घोषणा, निक्षेप, ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना, निवेशक संरक्षण, न्यासियों के मताधिकार, शाख-निर्धारण, एक मात्र विक्रय अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति, शास्तियां, एकाधिकारी उपक्रमों आदि सम्मिलित हैं।

(ग) व (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में ह्रास की दरों में परिवर्तन किये

गये हैं, इसी प्रकार प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची 13 में भी क्रमशः दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 की अधिसूचना सं.-सा.का.नि. 756 (अ) तथा दिनांक 1 फरवरी, 1994 की अधिसूचना सं.-सा.का.नि. 48 (अ) द्वारा परिवर्तन किया गया है। अन्य सुझावों पर विचार किया जा चुका है तथा कम्पनी विधेयक, 1993 में आवश्यक परिवर्तन, यदि उचित समझे गये तो, किये जायेंगे।

राष्ट्रीय जनशक्ति उपयोग योजना

3054. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट फार डिफेंस एवलिसिस एफोडेबिल क्रेडिबल डिफेंस आफ इंडिया द्वारा कराये गए अध्ययन के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनशक्ति उपयोग योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिससे सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मचारियों को सेवा निवृत्त के बाद राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों और संगठनों में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान जो कि एक स्वायत्तशासी समिति है, ने अपनी "स्ट्रेटजिक अनेलिसिस" नामक मासिक पत्रिका के फरवरी, 1994 के अंक में "अफोर्डेबल क्रेडिबल डिफेंस आफ इंडिया" शीर्षक से संस्थान के निदेशक का लिखा लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। लेखक ने इसमें रक्षा नीति का ढांचा फिर से पूरी तरह बनाए जाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उस संदर्भ में और रक्षा नीति के ढांचे को नया रूप दिए जाने के एक हिस्से के रूप में लेखक का विचार है कि राष्ट्रीय जनशक्ति का पूरा उपयोग करने के लिए एक योजना बनाए जाने की सख्त जरूरत है, जिसके अन्तर्गत लोगों को शुरू में सेना में आरंभिक प्रशिक्षण और रोजगार दिया जा सके और फिर उन्हें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के विभागों एवं संगठनों में भेजा जा सके। ऐसे लेखों में दिए गए विचारों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने की परम्परा नहीं है। साथ ही, इस सुझाव को लेखक के अन्य विचारों और सुझावों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

3055. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के समक्ष वर्तमान में क्या-क्या समस्याएं हैं; और

(ख) समिति के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने अन्य बातों के

साथ-साथ सिफारिश की थी कि उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (उ.उ.स.स.) के कार्यकरण की विशेषज्ञों की समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। समिति की सिफारिशों के आधार पर मैसर्स मार्किटिंग एण्ड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स (एम.डी.आर.ए.) नई दिल्ली को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय के कार्यकरण का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

बायोगैस आधारित परियोजनाएं

3056. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ में 500 किलोवाट की बायोगैस आधारित परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के लिए कितनी केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जाएगी;

(घ) इससे प्रतिवर्ष कितनी बिजली का उत्पादन होने की संभावना है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी से प्राप्त एक प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में इस मंत्रालय ने गुजरात में कच्छ जिले में 500 किवा बायोमास गैसीफायर आधारित ग्रिड से जुड़ी विद्युत परियोजना की हार्डवेयर लागत के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु सिद्धान्ततः अनुमोदन दे दिया है। शेष लागत राज्य द्वारा वहन की जाएगी इस रूपरेखानुसार निश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त होना बाकी है।

(ग) केन्द्रीय सहायता का अन्तिम अनुमान 93.5 लाख रुपए है।

(घ) बिजली के प्रतिवर्ष लगभग 26 लाख यूनिट सृजित होने की आशा है।

(ङ) परियोजना के शुरू होने के बाद 18 माह में पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

टिटैनियम कारखाना

3057. **श्री एन. डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा देश में टिटैनियम कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कहां स्थापित करने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के पास इल्मेनाइट, रूटाइल,

ल्यूकॉक्सीन, आदि जैसे टाइटेनियम युक्त खनिजों के लिए उड़ीसा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और केरल राज्यों में खनन और सज्जीकरण संयंत्रों का विस्तार करने/स्थापित करने के प्रस्ताव हैं।

उर्वरकों के आयात/निर्यात के लिए समझौता

3058. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात/निर्यात के लिए अन्य देशों के साथ कुछ समझौते किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये समझौते किन-किन देशों के साथ किए गए हैं।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एजुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए निम्नलिखित द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं :

वर्ष	देश/समुदाय	वस्तु	मूल्य
1991	फ्रांस	एम.ओ.पी., एन.पी.के.	एफ.एफ. 150 मिलियन
1991	जापान	डी.ए.पी.	येन 600 मिलियन
1992	कनाडा	एम.ओ.पी.	कनाडियन डालर 72 मिलियन
1992	ई.ई.सी.	एन.पी.के.	ई.सी.यू. 28.70 मिलियन
1992	जर्मनी	एम.ओ.पी.	डी.एम. 50 मिलियन
1992	जापान	यूरिया	येन 600 मि.
1993	जर्मनी	एम.ओ.पी.	डी.एम. 60 मि.
1993	जापान	यूरिया	येन 700 मिलियन

उर्वरकों के निर्यात के लिए भारत सरकार द्वारा किसी देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

उर्वरक नीति

3059. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक के लिए एक दीर्घकालीन नीति आरम्भ की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) नियंत्रित उर्वरक सांविधिक रूप से निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाते हैं। अधिक कृषि उत्पादन के लिए उच्चतर उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निम्न रखे जाते हैं। प्रत्येक एकक के लिए सरकार द्वारा यथा मूल्यांकित उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य के बीच के अन्तर को राजसहायता के रूप में सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आयात किए जाने वाले नियंत्रित उर्वरकों के मामले में, आयातित मूल्य तथा बिक्री मूल्य के बीच के अन्तर को सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में पूरा किया जाता है। फिलहाल इस नीति में कोई परिवर्तन परिकल्पित नहीं है।

सुपर कम्प्यूटर

3060. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को सुपर कम्प्यूटर के लिए समानांतर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकसित करने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कौन-कौन से बड़े शोध संस्थान संलग्न हैं, और

(घ) इसका किस तरह उपयोग किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत पुणे स्थित उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) नामक एक संस्था ने एक 268 नोडीय समानांतर संसाधन सुपर कम्प्यूटर का विकास किया है, जो 1 गीगा फ्लॉप से अधिक उच्चतम क्षमता पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) हैदराबाद, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी), बम्बई टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट), बंगलौर तथा राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (नैल), बंगलौर ने भी समानांतर संसाधन मशीनों का विकास किया है।

(घ) देश में विकसित सुपर कम्प्यूटरों का इस्तेमाल विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किए जाने की संभावना हैं, जिनमें बहुत ही उच्च गति से बड़े पैमाने पर ऑकड़ों के संसाधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, प्रतिबिम्ब संसाधन, चिकित्सा प्रतिबिम्बन, अभिकलनात्मक सरल गतिकी, कम्प्यूटर सचित्र डिजाइन, आण्विक मॉडलिंग तथा ड्रग डिजाइन, संकेत संसाधन, खगोल-विज्ञान, ग्राफिक्स तथा वैज्ञानिक विजुअलाइज़ेन आदि।

कानूनी सहायता कार्यक्रम

3061. **श्री बी. देवराजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार उच्च-न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे कितने सिविल और आपराधिक मामले निपटाए जिनमें कानूनी सहायता प्रदान की गई थी;

(ख) ऐसे कितने मामले अभी तक लंबित हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने इस कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि व्यय की ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

3062. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों को 100% अनुदान दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ग) क्या इस योजना को 1994-95 के दौरान जारी रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ धनराशि में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां। तथापि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत मैचिंग प्रावधान/खर्च के अधीन राज्यों को दी जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियां विवरण दर्शाई गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई के अंतर्गत आबंटन को 1994-95 में 718.58 रुपए तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन		
		1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2301.00	2547.00	2547.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	417.00	462.00	462.00
3.	असम	1370.00	1370.00	1370.00
4.	बिहार	2710.00	2999.00	2999.00
5.	गोवा	50.00	55.00	55.00
6.	गुजरात	1464.00	1633.00	1633.00
7.	हरियाणा	867.00	999.00	999.00
8.	हिमाचल प्रदेश	640.00	642.00	642.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1913.00	1916.00	1916.00
10.	कर्नाटक	2116.00	2342.00	2342.00
11.	केरल	1076.00	1191.00	1191.00
12.	मध्य प्रदेश	2547.00	2819.00	2819.00
13.	महाराष्ट्र	3063.00	3390.00	3390.00
14.	मणिपुर	308.00	308.00	308.00
15.	मेघालय	420.00	420.00	420.00
16.	मिजोरम	117.00	129.00	129.00
17.	नागालैंड	422.00	422.00	422.00
18.	उड़ीसा	1206.00	1335.00	1335.00
19.	पंजाब	383.00	424.00	424.00
20.	राजस्थान	3666.00	4183.00	4183.00
21.	सिक्किम	372.00	372.00	372.00
22.	तमिलनाडु	1824.00	2019.00	2019.00
23.	त्रिपुरा	350.00	350.00	350.00
24.	उत्तर प्रदेश	4268.00	4724.00	4724.00
25.	पश्चिम बंगाल	1648.00	1824.00	1824.00
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	40.00	40.00	40.00

1	2	3	4	5
27.	दमन व दीव	20.00	22.00	22.00
28.	लक्षद्वीप	10.00	10.00	10.00
29.	पाण्डिचेरी	26.00	26.00	26.00
30.	दिल्ली	13.00	14.00	14.00
31.	दादरा व नागर हवेली	12.00	13.00	13.00
32.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
	योग	35639.00	39000.00	39000.00

औद्योगिक क्षेत्र के लिए योजनाएं

3063. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में सतत उच्च निष्पादन और उत्पादन के लिये और अधिक आर्थिक सुधारों और बेहतर आधारभूत समर्थन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। 1994-95 के बजट में जिन प्रमुख कार्यों को करने की अपेक्षा की गयी है उनमें सशक्त औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन देना भी शामिल है। जिन उपायों का प्रस्ताव किया गया है उनमें उच्चतम माल-भाड़े में कमी करना, सीमा-शुल्क संरचना को युक्तियुक्त बनाना, पूंजीगत माल क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन देना और आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधिक योजनागत परिव्यय शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश

3065. **श्री राम बदन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1992 से आज तक अनिवासी भारतीयों/विदेशी निवेशकों से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश से स्थापित किये गये उद्योगों के ब्यौरे नहीं रखे गये हैं, किन्तु 1993 से 28-2-94 तक सरकार द्वारा विदेशी निवेश के 20 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं जिनमें लगभग 27 करोड़ रु. की राशि अंतर्ग्रस्त है।

1-1-1992 से 28-2-94 तक सरकार द्वारा 27 ऐसे प्रस्ताव भी अनुमोदित किये गये हैं जिनमें अनिवासी भारतीयों के लगभग 56 करोड़ रु. का निवेश निहित है।

इस निवेश के अधीन जो क्षेत्र आते हैं उनमें मोटरगाड़ियों के पुर्जे, शेयरों तथा ऋण पत्रों में निवेश, चमड़े के जूते चप्पल, प्लास्टिक का ढला हुआ सामान, चीनी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर इत्यादि सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई में भूमि का अंतरण

3066. **श्री मोहन रावले** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में खारी भूमि को उद्योग मंत्रालय से शहरी विकास मंत्रालय को अंतरित करने का कोई निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) : जी, हा।

(ख) सचिवों की समिति द्वारा 1986 में लिये गये निर्णय के अनुसार लगभग 5356 एकड भूमि उद्योग मंत्रालय से शहरी विकास मंत्रालय को अन्तरित की गई थी। तथापि, इस भूमि पर अतिक्रमण है और स्वामित्व के बारे में मुकदमा चल रहा है, भवन निर्माण के लाइसेंस निरस्त करने तथा उसके उपयोग संबंधी कार्यवाही की जा रही है जिसकी उद्योग मंत्रालय द्वारा भवन विभाग के माध्यम से पैरवी की जा रही है। अब तक शहरी विकास मंत्रालय 98 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा ले सका है। शेष भूमि का कब्जा लेने और अदालती मामलों को निपटाने के लिये तथा कार्यविधि को अन्तिम रूप देने के लिए उद्योग मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ अनेक बार चर्चा की गई है।

उड़ीसा में "मिलियन वेल्स स्कीम"

3067. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में "मिलियन वेल्स स्कीम" लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में अब तक कितने कुएं खोदे गए;

(ग) उस योजना के अन्तर्गत कुएं खोदने के लिए राज्य को कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान इस कार्य के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) 1988-89 में इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक उड़ीसा में 76,536 कुंए खोदे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा को अब तक 149.77 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(घ) उड़ीसा सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु 1,17,845 रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

3068. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के कुछ वैज्ञानिकों को नये आविष्कारों के लिए गणतंत्र दिवस, 1994 के पुरस्कारों के लिए चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार इसका ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक ने किस प्रकार के आविष्कार किये;

(ग) क्या पुरस्कार में कोई नगद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी उपलब्धियों के लिए कुछ और ग्रुपों को प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, अनेक संगठनों के कई आविष्कारकों को नए आविष्कारों हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) गणतंत्र निवस, 1994 पुरस्कारों के लिए चुना गया है।

(ख) आविष्कारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	आविष्कारक का नाम	पता	राज्य	आविष्कार का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री सी.वी. सोलंकी श्री एच.वी. सोलंकी	मैसर्स सोलसंस 703, हेमकुंठ, अपोजिट कैपिटल कम्यूनिटी सेंटर, नियर नेहरू ब्रिज, आश्रम रोड, अहमदाबाद	गुजरात	ऑटोमैटिक सैल्फ एडजेस्टिंग स्पेनर/ रिन्च

1	2	3	4	5
2.	श्री जी.एस. भुवनेश्वर श्री ओ.एस. नीलकांतन श्री सी.वी. मुरलीधरन	श्री चित्रा तिरूनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसिस एंड टेक्नोलॉजी, पूजापुरम, त्रिवेन्द्रम	केरल	चित्रा हॉर्ट वॉल्व प्रोस्थेसिस
3.	श्री प्रकाश पी. गुप्ता श्री एस.सी. रस्तोगी	थर्मल टेस्टिंग इसरो, सेट्लाइट सेन्टर, बेंगलूर	कर्नाटक	स्पेसवर्दि पैसिव रेडिएन्ट कूलर फॉर वैरी हाई रिजोल्यूशन ऑफ पेलोड ऑफ इन्सेट-2 सेट्लाइट
	डा. इन्दिरा राजगोपाल	मेटेरियल्स साइंस डिविजन, राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, बेंगलूर	कर्नाटक	- वही -
	डा. ए.के. सक्सेना	ऑप्टॉनिक्स डिविजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स, कोरामंगला, बेंगलूर	कर्नाटक	- वही -
4.	श्री जे.पी. कौशिश श्री भगवान दास श्री एस.के. सैनी श्री डी.के. गौतम श्री महेन्द्र पाल	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	उत्तर प्रदेश	बिल्डर्स द्वारा रखी जा सकने वाली मिनी क्रेन
5.	श्री जी.आर. थॉमस	मैसर्स गिररार्ड प्लास्मा सिस्टम्स प्रा. लि., सामरोक प्लॉट नं. 70, टी.पी.एस.। पहली सड़क, बान्द्रा (वे) बम्बई।	महाराष्ट्र	एयर प्लास्मा कटिंग बैल्डिंग उपस्कर
6.	श्री एन. सिवासुब्रा-मणियन	बेरिलियम मशीनिंग फेसिलिटी, भाभा ऐटोमिक रिसर्च सेंटर, वशी काम्लेक्स, बम्बई	महाराष्ट्र	डेवलपमेंट ऑफ बेरिलियम कॉम्पोनेंट्स फॉर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन
7.	श्री एच. थॉमस	प्लास्मा कटिंग उपस्कर प्रा. लि., 7/3, मनोहर अपार्ट., फ्लैट नं. 6 आ. - कारवे रोड, पुणे	महाराष्ट्र	एयर प्लास्मा कटिंग कम टी.आइ.जी. कम एम.एम.ए. बैल्डिंग सिस्टम

1	2	3	4	5
8.	सुश्री एल. रामचन्द्रन श्री एस.के. आतितान श्री पी.एम. वर्के डा. वी.एन. कृष्णमूर्ति	पी.ई.डी./पी.पी.सी., विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनन्तपुरम	केरल	बिल्डिंग ब्लॉक टैक्नीक फॉर सॉलिड प्रॉपेलेन्ट ग्रेन्स
9.	डा. एस.सी. गुप्ता श्री आर. राजारमण श्री के.आर. सुलेमान शैरिफ	हाई वोल्टेज डिपार्टमेंट, बी.एच.ई.एल., कॉरपोरेशन, आर. एड डी. डिविजन विकासनगर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	स्पार्क गैप फॉर प्रोटक्शन ऑफ सिरिज़ कैपेसिटेंट इन 220 के.वी. ट्रांसमीशन सिस्टम्स
10.	डा. सी.के. गुप्ता श्री डी.के. बोस	मेटेरियल्स ग्रुप, भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेन्टर, ट्राम्बे, बम्बई	महाराष्ट्र	बोरॉन टेक्नोलॉजी

(ग) जी, हां, पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

(घ) इन पुरस्कारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) एन.आर.डी.सी. न केवल वैज्ञानिक व तकनीकी कार्मिकों तथा औद्योगिक कामगारों वरन् तकनीशियनों, कारीगरों, शिल्पकारों तथा इस समुदाय के उभरते युवा बल के लिए भी आविष्कार-कौशल की भावना को प्रदीप्त करने के लिए आविष्कार संवर्धन कार्यक्रम हेतु व्यापक प्रचार-प्रसारार्थ योजना बना रहा है। एन.आर.डी.सी. ने पुरस्कार हेतु अच्छे आविष्कारों को बढ़ाने हेतु पुरस्कार की अधिकतम राशि रुपए 50,000 से रुपए 75,000 भी कर दी है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए ही लघु तथा मध्यम उद्योग नवीन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखता है, ताकि ऐसी योजनाओं के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन हेतु नए उत्पादों/प्रक्रमों की उत्पत्ति के लिए लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके और उन प्रौद्योगिकियों का यथासंभव तेजी तथा प्रभावशीलता के साथ वाणिज्यीकरण बढ़ाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में योजनओं को उत्पाद/नई प्रौद्योगिकी में बदलने हेतु चयनित प्रस्तवों को रुपए 50,000 दिए जाने का प्रावधान है। द्वितीय चरण में प्रथम चरण के चयनित प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और अग्रिम विकास हेतु प्रत्येक को रुपए पाच लाख प्रदान किये जाएंगे। तृतीय चरण में पुरस्कार प्राप्तकर्ता सामान्यतया वित्तीय संस्थानों से उद्यम पूंजी या सामान्य सहायता प्राप्त करेगा।

इस योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

(अनुसंधान व विकास संस्थानों के समूहों के लिए गणतन्त्र दिवस 1994 पुरस्कार)

क्र.सं.	आविष्कारक का नाम	पता	आविष्कार का शीर्षक	राशि(रुपए)
1	2	3	4	5
1.	(क) श्री जी.एस. भुवनेश्वर (ख) श्री ओ.एस. नीलकांतन इंजीनियर "ई" (ग) श्री सी.वी. मुरलीधरन	श्री चित्रा तिरूनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकलसाइंसिस टेक्नोलॉजी, पूजापुरम, त्रिवेन्द्रम केरल–695012	चित्रा हॉर्ट् वॉल्व प्रोसथेसिस	75000.00 संयुक्त रूप से
2.	(क) श्री प्रकाश पी. गुप्ता प्रधान (ख) श्री एस.सी. रस्तोगी इंजीनियर "एस.एफ." (ग) डॉ. इन्दिरा राजगोपाल उप निदेशक (घ) डॉ. अजय कुमार सक्सेना प्रधान	थर्मल टेस्टिंग, इसरो सेट्लाइट सेन्टर, बेंगलूर–560017 कर्नाटक मेटेरियल्स साईस डिविजन, राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलूर–560017, कर्नाटक ऑप्टॉनिक्स डिविजन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, कोरामंगला, बेंगलूर–560 034 कर्नाटक	स्पेसवर्दि पैसिव रेडिएन्ट कूलर फॉर वेरी हाई रिज़ोल्यूशन ऑफ पे-लोड ऑफ इन्सेट–2 सैट्लाइट	40000.00 संयुक्त रूप से

3.	(क) श्री जे.पी. कौशिश वैज्ञानिक "एफ" (ख) श्री भगवान दास वैज्ञानिक "सी" (ग) श्री एस.के. सैनी वैज्ञानिक "सी" (घ) श्री डी.के. गौतम वैज्ञानिक (ङ) श्री महेन्द्र पाल एस.टी.ए.	केन्द्रीय भवन, अनुसंधान संस्थान, रुड़की–247667 उत्तर प्रदेश	बिल्डर्स द्वारा रखी जा सकने वाली मिनी क्रेन	30000.00 संयुक्त रूप से
4.	(क) श्री नागास्वामी सिवासुब्रामणियन प्रबन्धक (ख) श्री बेअंत प्रकाश शर्मा उप–प्रबन्धक (ग) श्री वेद प्रकाश शर्मा उप प्रबन्धक	बेरिलियम मशीनिंग फेसिलिटी, भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेन्टर, वशी काम्प्लेक्स, बम्बई–400705 महाराष्ट्र	डेवलपमेंट ऑफ बेरिलियम कॉम्पोनेंट्स फॉर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन	25000.00 संयुक्त रूप से
5.	(क) सुरी ललिता रामचन्द्रन (ख) श्री एस.के. आतितान (ग) श्री पी.एम. वर्के (घ) डॉ. वी.एन. कृष्णामूर्ति	पी.ई.डी./पी.पी.सी., वी.एस.एस.सी. तिरुवनन्तपुरम–695022, केरल	बिल्डिंग ब्लॉक टैक्नीक फॉर सॉलिड प्रॉपेलेन्ट ग्रेन्स	25000.00 संयुक्त रूप से

1	2	3	4	5
6.	(क) डॉ. एस.सी. गुप्ता वरिष्ठ प्रबन्धक	हाई वोल्टेज डिपार्टमेंट बी.एच.ई.एल., कॉरपोरेशन, अनुसंधान व विकास डिविजन, विकास नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	स्पार्क गैप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीरिज़ कैपेसिटेंट इन 220 के.वी. ट्रांसमीशन सिस्टम्स	15000.00 संयुक्त रुपये
	(ख) श्री आर. राजारमण प्रबन्धक			
	(ग) श्री के.आर. सुलेमान शैरिफ तकनीकी सहायक			
7.	(क) डॉ. सी.के. गुप्ता निदेशक	मेटेरियल्स ग्रुप, भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेन्टर, ट्रॉम्बे	बोरॉन टेक्नॉलोजी	15000.00 संयुक्त रूप से
	(ख) श्री डी.के. बोस प्रधान	बम्बई–400085 महाराष्ट्र		

विवरण-II

लघु तथा मध्यम उद्योग नवीन कार्यक्रम

प्रौद्योगिकी आयात के उदारीकरण, विनियमन तथा विनियंत्रण, बहु-राष्ट्रों को 51 प्रतिशत मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति की अर्थव्यवस्था के खुलेपन और पूर्व में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कई मदों के अपारक्षण वाली जुलाई, 1991 में नई उद्योग नीति के प्रारंभ किए जाने के कारण लघु उद्योगों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यदि लघु उद्योगों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त उपाय नहीं किए गए तो अगले कुछ वर्षों में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बहुराष्ट्रों के हमले का सामना करने के लिए लघु तथा मध्यम उद्योगों को सक्षम बनाने हेतु एक प्रस्तावित उपाय यह है कि तकनीकी दृष्टि से मजबूत, लागत की दृष्टि से प्रतियोगी तथा गुणता के प्रति जागरूक बनने के लिए ऐसे उद्योगों को सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाएं। इस उद्देश्य के लिए निगम के पास लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योंगों के लिए ही लघु तथा मध्यम उद्योग नवीन कार्यक्रम शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

कार्यविधि

लघु तथा मध्यम उद्योगों की दशा सुधारने के लिए निगम के पास 1994-95 के दौरान लघु तथा मध्यम उद्योग नवीन कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम तीन चरणों में प्रस्तावित है।

प्रथम चरण (फेज-I)

प्रथम चरण में निगम लघु मध्यम दर्जे के उद्योगों से नवीन योजनाओं पर प्रस्ताव मांगेगा। पहले दौर में इन प्रस्तावों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। तत्पश्चात् संवीक्षा किये गए प्रस्तावों का बाह्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन को एक उच्चाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या प्रस्तावित योजना तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य है।

पहले वर्ष में निगम का पुरस्कार हेतु 60 प्रस्तावों के चयन का प्रस्ताव है। प्रत्येक सफल प्रस्ताव को रुपये 50,000/- प्रदान किये जाएंगे।

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 12 महीनों का समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी योजनाओं को नई प्रौद्योगिकी/उत्पाद में बदल सकें, जिससे कि वे इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अर्न्तगत सहायतार्थ पात्र बन सकें।

द्वितीय चरण (फेज-II)

दूसरे वर्ष में प्रथम चरण के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाएंगे। इन प्रस्तावों में प्रथम चरण के पुरस्कार के सार तथा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण होगा जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या बृहतर द्वितीय चरण प्रयास का औचित्य सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रगति की गई है। यह मूल्यांकन प्रासंगिक क्षेत्रों के बाह्य विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा और इस आशय का निर्णय क्या फेज-II अवार्ड दिया जाये या नहीं, उसी उच्चाधिकार समिति द्वारा लिया जायेगा।

दूसरे वर्ष में निगम का फेज-II के लिए 10 प्रस्तावों को चयन करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सफल प्रस्ताव को 5 रु. लाख प्रदान किये जाएंगे।

तृतीय चरण (फेज-III)

इस कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्तकर्ता सामान्य तौर पर उद्यम पूंजी या सामान्य वित्तीय संस्थान सहायता प्राप्त करेगा। तथापि, निगम परियोजना की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर फेज-III में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को वित्तीय सहायता भी दे सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में अनाधिकृत निर्माण

3069. **श्री ताराचन्द्र खण्डेलवाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में लारेंस रोड तथा शालीमार बाग स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के कई मालिकों ने अपने फ्लैटों में अतिरिक्त कमरे तथा अन्य ढाँचों का अनाधिकृत निर्माण कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अतिरिक्त निर्माण कार्य/परिवर्तन, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपनियमों तथा आवंटन निगमों के अन्तर्गत किये जा सकते हैं;

(ग) यदि नही, तो क्या सरकार का ऐसे मालिकों तथा इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों से लापरवाह दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार मालिकों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है लारेंस रोड और शालीमार बाग में अनाधिकृत निर्माण के कुछ मामले डी.डी.ए. के नोटिस में आये हैं।

(ख) अतिरिक्त कमरों का निर्माण अनुमेय नहीं है। तथापि, कुछ छोटे परिवर्तन अनुमेय/क्षमनीय हैं।

(ग) और (घ) सभी डी.डी.ए. फ्लैटों का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए फील्ड स्टाफ सीमित है, जिन पर काफी बड़े क्षेत्र की निगरानी करने की जिम्मेवारी है। अनधिकृत निर्माण का पता चलते ही, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है। जब कभी भी एसे अनधिकृत निर्माण में डी.डी.ए. कर्मचारी के मिले होने/लापरवाही का पता चला है, समुचित विभागीय जाच प्रारम्भ की गई है।

महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता

3070. **श्री राम कापसे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के आर्थिक विकास हेतु केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने कितनी सहायता मांगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गयी है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1993-94 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य को और अधिक सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सहायता कब तक दे दी जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई शहर तथा बम्बई नगर निगम हेतु केन्द्रीय योजना सहायता के लिए अनुरोध किया है। 1992-93 राज्य योजना में बम्बई शहर हेतु आबंटित केन्द्रीय सहायता 20 करोड रु. थी। 1993-94 राज्य योजना में केन्द्रीय योजना सहायता में 50 करोड रु. बम्बई महानगर हेतु तथा 20 करोड रु. बम्बई नगर निगम के लिए शामिल थे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के पिछडे जिलों में पेयजल की समस्या

3071. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य के पिछड़े जिलों में पेयजल की समस्या के संबंध में कोई योजना प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को पेयजल हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री : (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) व (ख) मध्य प्रदेश से प्राप्त योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि/अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	विलासपुर जिले में बैगा अनुसूचित जन जातियों के 17 गावों के लिए स्वच्छ पेयजल	57.90
2.	सरगुजा जिले में पांडी जनजाति गांवों को पेयजल की आपूर्ति	122.93
३	बस्तर जिले हेतु पेयजल सप्लाई के लिए समन्वित परियोजना	1244.93
4.	उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए घटिया परियोजना	341.50
५	छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए तमिया/संसर परियोजना	439.11
6.	20,000 से कम की जनसंख्या वाले छोटे शहरों के लिए पेयजल सप्लाई हेतु 9 योजनाएं	800.60
7.	रायपुर जिले की जल सप्लाई में वृद्धि करना	3254.00

क्रम संख्या 1 से 3 और 7 पर दर्शाई गई योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। क्रम संख्या 4-5 पर दर्शाई गई योजनाओं को राज्य सरकार के पास उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अतर्गत तकनीकी अनुमोदन हेतु वापस कर दिया गया था। क्रम संख्या 6 पर दर्शाई गई योजनाएं शहरी विकास मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

(ग) गत दो वर्षों अर्थात 1991-92 और 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को रिलीज की गई राशि क्रमशः 4381.00 लाख रुपये और 3143.33 लाख रुपये थी।

उर्वरकों की कमी

3072. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी है, जिससे किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कदम उठाने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अनियमित तथा स्थानीय स्वरूप की कमियों को छोड़कर, देश में मुख्य उर्वरकों की उपलब्धि लगभग सतोषजनक रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में 1993-94 रबी के दौरान यूरिया की उपलब्धि, इन क्षेत्रों को आपूर्ति करने वाले कुछ संयंत्रों से उत्पादन बाधाओं तथा उनके अस्थायी रूप से बन्द रहने के कारण कुछ प्रभावित हुई। इन कमियों को पूरा करने के लिए, वैकल्पिक स्वदेशी स्रोतों तथा आयात से इन आपूर्तियों को बढाने की व्यवस्थाएं की गयी थी। उर्वरकों की उपलब्धि, विशेष रूप से नियंत्रित उर्वरको पर सरकार द्वारा उत्पादकों, संचालन अभिकरणों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से कड़ी निगरानी रखी जाती है। देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3073. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वार्षिक कारोबार कितना है,

(ख) क्या सरकार का इस उपक्रम का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम.एफ.एल.) का वार्षिक कारोबार 430.93 करोड़ रुपए का था।

(ख) और (ग) सरकार ने 1-1-1993 को 487.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एम.एफ.एल. के संयंत्रों के पुनरुद्धार को अनुमोतद किया था। पुनरुद्धार परियोजना के पूर्ण होने पर, ऊर्जा खपत में बचत के अतिरिक्त, अमोनिया की क्षमता 750 से बढकर 1050 मी. टन प्रतिदिन हो जाएगी और यूरिया की 885 से बढकर 1475 मी. टन प्रतिदिन हो जाएगी।

ब्रिटिश इंजीनियरी कंपनियां

3074. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की कुछ प्रमुख इंजीनियरी कंपनियों ने भारत में अपने कार्य-कलाप शुरू करने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कपनियों में से कुछ कपनिया विगत में पहले ही पूंजीनिवेश कर चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके कार्य-कलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय बाजारों में इन कंपनियों के प्रवेश पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) जी, हां। अन्य उद्योगों सहित इंजीनियरिंग उद्योग में ब्रिटेन की कंपनियों के साथ क्षेत्रवार मंजूर किये गये अनुमोदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

इन अनुमोदनों के ब्यौरे अर्थात भारतीय कंपनियों के नाम, ब्रिटेन की कंपनियों के नाम, विदेशी सहयोग का स्वरूप, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूजलैटर के परिशिष्ट में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

विवरण

1-8-91 से 31-12-93 तक की अवधि में सरकार द्वारा ब्रिटेन की कंपनियों के लिए अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों का उद्योगवार ब्यौरा

क्र. सं.	उद्योग का नाम	सहयोग			
		योग	तकनीकी	वित्तीय	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	23	14	9	30400.06
2.	ईंधन	5	1	4	2016.54
3.	बायलर तथा भाष्प जनित्रण संयंत्र	3	3	0	0.00
4.	विद्युत उपकरण	79	47	32	4592.58

1	2	3	4	5	6
5.	दूर-संचार	4	3	1	25.00
6.	परिवहन उद्योग	23	16	7	9415.02
7.	औद्योगिक मशीनरी	58	44	14	1118.58
8.	मशीनी औजार	4	3	1	20.00
9.	कृषि मशीनरी	2	2	0	0.00
10.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	3	3	0	0.00
11.	विविध मकैनिकल और इंजीनियरिंग उद्योग	23	16	7	434.40
12.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	3	1	2	28.88
13.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	2	0	2	25.50
14.	औद्योगिक उपकरण	17	14	3	54.04
15.	वैज्ञानिक उपकरण	2	1	1	250.00
16.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	68	46	22	7811.60
17.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	1	1	0	0.00
18.	औषध तथा भेषज	4	2	2	631.00
19.	वस्त्र(रंगे हुए, छपे हुए और प्रक्रियागत सहित)	12	4	8	1860.00
20.	कागज तथा लुगदी-कागज उत्पादों सहित	7	7	0	0.00
21.	फरमेंटेशन उद्योग	3	0	3	3509.00
22.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	15	7	8	1119.18
23.	साबुन, कासमेटिक तथा टायलेट विनिर्माण	1	0	1	25.00
24.	रबड़ का सामान	10	6	4	108.91
25.	चमड़ा, चमडे का सामान तथा फिक्कर्स	9	3	6	1267.00
26.	कांच	1	1	0	0.00
27.	सरेमिक	15	9	6	788.36
28.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	3	3	0	0.00

1	2	3	4	5	6
29.	परामर्शी सेवाएं	13	6	7	679.30
30	विविध उद्योग	46	12	34	10573.77
	योग	459	275	184	76754.50

"लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर"

3075 **श्री एन. डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "महेन्द्रगिरि", तमिलनाडु में "लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर" की गतिविधियां बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) महेन्द्रगिरि मे किये जा रहे क्रियाकलाप प्रमोचक राकेट नोदन द्रव की जांच से संबंधित है और ये बृहतर द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.)का भाग है, जिसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में है। हाल ही के महीनों में अन्तरिक्ष विभाग की ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट और भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट परियोजनाओं के लिए द्रव और क्रायोजेनिक इंजिनों की जांच की जरूरतों के कारण एल.पी.एस.सी. की महेन्द्रगिरि स्थित सुविधाओं में क्रियाकलाप बढ़ गए हैं।

भेषज कम्पनियां

3076. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ अग्रणी भेषज कंपनियां और सैकड़ो लघु औषध एकक कड़े औषध मूल्य नियत्रण आदेश से बचने के लिए अपने उत्पादों को विपणन जिन्सीय नामों के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं;

(ख) संगठित क्षेत्र में इन कंपनियों को ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन्सीय औषधों के उत्पादन में हुई वर्तमान वृद्धि का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, और

(घ) सरकार द्वारा ब्रांड उत्पादों के विपणन को समाप्त करने एवं जिन्सीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) किसी भेषज कम्पनी द्वारा जेनेरिक अथवा ब्रान्ड नाम से अंतर्गत सूत्रयोगों का विपणन समय-समय पर कम्पनी द्वारा अपनाए गए उत्पाद अथवा उत्पादों के संबंध में विपणन नीति पर निर्भर करता है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित

मूल्य नियंत्रित प्रपुंज औषधों पर आधारित ओर जेनेरिक नाम के अंतर्गत बेचे जाने वाले एकल संघटक सूत्र योग मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं, ताकि जेनेरिक नाम के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

तटीय तरंगों से विद्युत

3077. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को तटों पर चलने वाली पवन वाले क्षेत्र में तरंगों से विद्युत उत्पादन में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर इस आपरम्परिक ऊर्जा का उत्पादन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा महासागर विकास विभाग के तत्वावधान में केरल के तट पर त्रिवेन्द्रम के निकट विझीनजम स्थान पर 150 किवा. के एक प्रायोगिक दोलायमान वॉटर कॉलम लहर विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। तटीय क्षेत्रों में अन्य परंपरागत माध्यमों से उपलब्ध विद्युत की तुलन में अनुसंधान एवं प्रोद्योगिकी विकास के वर्तमान स्तर पर यह परियोजना लागत प्रभावी नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समहू के लिए लहर चालित लघु जल विद्युत के सिद्धान्त पर आधारित। मेवा के बाराबर लहर विद्युत के दोहन के लिए एक अन्य प्रायोगिक परियोजना पर विचार किया जा रहा है। स्वीडन के एक प्रतिष्ठान द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो अंडमान और निकोबार प्रशासन को विद्युत की बिक्री के लिए स्वयं बनाओ स्वयं चलाओ के आधार पर प्रौद्योगिकी और वित्तीय जोखिमी को वहन करेगा।

(ग) और (घ) विस्तृत परीक्षणों के दौरान प्रायोगिक और प्रदर्शन परियोजानाओं की तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के बाद भारतीय तट के अन्य स्थानों पर लहर विद्युत प्रौद्योगिकियों के विस्तार पर विचार किया जाएगा।

रक्षा उपादन में संयुक्त उद्यम

3078. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आयुध कारखाने ने रक्षा उत्पादों के उत्पादन तथा बिक्री के क्षेत्र में कतिपय गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ संयुक्त एकक स्थापित किये हैं;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयुक्त एककों का उक्त उत्पादों का निर्यात करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3079 **श्री मनोरजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) उद्योग मत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयनाधीन, 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	लागत (प्रत्याशित) (करोड़ रुपये)	मूल अनुमोदन की तारीख	पूरा होने का मूल निर्धारित समय	निर्धारित समय के बाद पूरा होने में विलम्ब	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. की तटवर्ती परियोजना	45.06	04/85	12/87	–	मार्च, 1986 से परियोजना पर कोई व्यय नहीं हुआ है, क्योंकि क्रयादेशों की प्राप्ति के बारे में अनिश्चितता रही है।
2	येरा गुटला में 10 लाख टनवाली सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. की परियोजना	307.00	04/81	9/86	–	निधियों की कमी और ठेकेदारों से हुए विवादों के कारण परियोजना प्रगति में बाधा पहुंची। अब यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना अव्यवहार्य है और सरकार को इस परियोजना से संबंधित कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
3	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	51.47	07/88	1/94	2 महीने	46.88 करोड़ रुपये

की आप्टिकल फाइबर परियोजना, इलाहाबाद					(संशोधित) की लागत वाली परियोजना को, तीन चरणों में 66 महीने में कार्यान्वयन के लिए दिनांक 6-7-85 को मंजूरी दे दी गई थी। अब मार्च, 94 में इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है अर्थात दो महीने का विलम्ब होगा। अधिक समय लगने का कारण है -विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सामग्री की समय सारणी का पुनर्निर्धारण तथा इलाहाबाद में कानून और व्यवस्था की समस्या जिसके कारण नवम्बर/ दिसम्बर, 1990 में कर्फ्यू लगाना पड़ा था।
4. हैदराबाद में हिन्दुस्तान केबल्स लि. द्वारा पेपर कोर से जेली पूरित केबल्स में परिवर्तन।	36.36	09/90	11/92	16 महीने	एशियाई विकास बैंक से, जो कि परियोजना के लिये आंशिक रूप से निधियां जुटा रहा है, निधियां जुटाने में हुई देरी से केबल्स विलम्ब हुआ। परियोजना को अब मार्च, 94 तक पूरा कर लेने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	रूपनारायणपुर की इकाई–III में हिन्दुस्तान केबल्स लि. द्वारा पेपर कोर से जेली पूरित केबल्स में परिवर्तन।	32.03	09/90	11/92	16 महीने	–वही–
6.	रूपनारायणपुर की इकाई-I में हिन्दुस्तान केबल्स लि. द्वारा पेपर कोर से जेली पूरित केबल्स में परिवर्तन।	48.89	09/90	11/92	15 महीने	–वही–
7.	"नेपा" लि. द्वारा उत्तर प्रदेश न्यूजप्रिंट परियोजना	622.30	10/89	10/93	–	इस परियोजना को गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
8.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की काकीनाड़ा इकाई का आधुनिकीकरण।	102.98	02/88	3/91		28 महीने आयात लाइसेंस की प्राप्ति विलम्ब के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को खरीद के आदेश देने में विलम्ब हुआ। किए गए उपायों में स्वीकृतियां देना, निधियों को प्रतिबंधित करना और डिलिवरी प्रभावी करना शमिल है। इस परियोजना पर परीक्षण उत्पाद शुरू होने की सूचना मिली है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

3080. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोक प्रतिनिधित्व में संशोधन करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों के चुनाव में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन सुधारों के संबंध में प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने पर दोनों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे।

(ग) से (ङ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में, उसमें वर्णित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों की निरर्हता के बारे में पहले से ही उपबंध हैं। इस संबंध में कोई और प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विकलांगों के लिए लिपिक परीक्षा

3081. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बधिरों के लिए विशेष रूप से एक प्रतिशत आरक्षित कोटा के लिए कितनी रिक्तियों का विज्ञापन दिया;

(ख) 1991 और 1992 में अलग-अलग कितने बधिर उम्मीदवार उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए,

(ग) उपरोक्त परीक्षाओं के आधार पर वर्षवार कितने बधिरों को अवर श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति हेतु श्रेष्ठता सूची में शामिल किया गया;

(घ) क्या कर्मचारी चयन आयोग बधिरों और विकलांगों, जो शारीरिक रूप से विकलांगों की अलग-अलग श्रेणियां हैं, के लिए अलग से निर्धारित मानदण्डों में छूट देता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बधिरों के लिए इन आरक्षित पदों को भरे जाने तथा उन्हें पिछले/तीन वर्षों से आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1990 के लिए बाधिर विकलांग उम्मीदवारों की आयोग को अलग से रिक्तिया सूचित नहीं की गई थीं। तथापि लिपिक श्रेणी परीक्षा 1991 तथा 1992 के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1991 - 35

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1992 - 57

(ख) लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1991 - 804

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1992 - 1000

(ग) लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1991 - 17

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1992 - 17

(घ) और (ङ) बधिर तथा अस्थि विकलांग उम्मीदवारों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने अलग से शिथिल मानदण्ड अपनाएं हैं।

उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्र

3082. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के वन निर्मित जिलों में जिला उद्योग केन्द्र नहीं खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन जिलों में ये केन्द्र कब तक खोले जायेंगे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्र योजना, राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गई है। उड़ीसा सरकार का अपने नव-निर्मित जिलों में जिला उद्योग स्वयं ही स्थापित करने होंगे।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में औद्योगिक पार्क

3083. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से औद्योगिक पार्क के आवंटन हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना

3084. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण एवं सूखा पीड़ित क्षेत्रों, विशेषत: आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में नये नलकूप लगाने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अब तक इन क्षेत्रों में कुल किने नलकूप लगाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि/अनुमानित लागत
1.	बिलासपुर जिले में बैगा अनुसूचित जनजाति के 17 गांवों हेतु पेयजल	57.90
2.	सरगुजा जिले में पांडो जनजाति को पेयजल सप्लाई	122.93
3.	बस्तर जिले के लिए पेयजल सप्लाई हेतु समन्वित परियोजना	1244.93
4.	उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए धनिया परियोजना	341.50
5.	छिंदवाडा जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए तमिया/संसर परियोजना	439.11

क्रम संख्या 1-3 पर दर्शाई गई योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। क्रम संख्या 1-2 पर दर्शाई गई योजनाओं के बारे में खर्च को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 1993-94 में राज्य सरकार को रिलीज किए गए 46 करोड़ रुपये में से पूरा किया जाएगा। बस्तर परियोजना के संबंध में खर्च की वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्य सरकार को रिलीज की गई त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की निधियों में से पूरा किया जाएगा। क्रम संख्या 4-5 पर दर्शाई गई शेष दो योजनाएं राज्य सरकार को उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत तकनीकी अनुमोदन हेतु लौटाई गई थीं।

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत लगाए गए टयूबवैलों की संख्या की निगरानी केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं की जाती है। तथापि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 30-9-93 तक 2,56,397 टयूबवैल लगाए गए थे।

[अनुवाद]

गैस और नेप्था की उपलब्धता

3085. **श्री ताराचन्द्र खण्डेलवाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे उर्वरक उद्योग को गैस और नेप्था किस लागत पर उपलब्ध कराए जाते है; और

(ख) उर्वरक उद्योग को उचित लागत पर गैस और नेप्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस समय रायल्टी कर और परिवहन प्रभार को छोड़कर उर्वरक संयंत्रों को आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस का स्थलावतरण मूल्य 1750.00 रुपए प्रति हजार घन मीटर है। एच.बी.जे. पाइप लाइन पर आपूर्ति की जाने वाली गैस के लिए 850.00 रुपए प्रति हजार घन मीटर की दर से परिवहन प्रभार देय है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में गैस का मल्य 100.00 रुपए प्रति हजार घन मीटर है, जिसमें 400 रुपए प्रति हजार घन मीटर तक की मामले से मामले के आधार पर अधिकतम रियायत दी जाती है। उर्वरक इस्तेमाल के लिए आपूर्ति किए जाने वाले नेप्था के लिए 3723 रुपए प्रति टन का भण्डारण केन्द्र के बाहर (करों तथा शुल्कों एवं परिवहन की लागत को छोड़कर) का रियायती मूल्य उपलब्ध है।

रसायन प्रसंस्करण उद्योगों को मार्गनिर्देश

3086. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रसायन प्रसंस्करण उद्योगों में सुरक्षा नियंत्रण व्यवस्था को सुधारने हेतु कुछ मार्गनिर्देशों की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन रसायन प्रसंस्करण उद्योगों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है, जो कि इन मार्गनिर्दशों का उल्लंघन करते हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ख) और (ग) रसायन प्रसंस्करण उद्योगों में सुरक्षा कारखाना अधिनियम में दिए गए उपबन्धों के अन्तर्गत विनियमित की जाती है। सुधार और सुरक्षा नियंत्रण व्यवस्था के लिए समय-समय पर मार्गनिर्देश जारी किए जाते हैं और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

एच.ए.एल. और फोक्कर के बीच समझौता ज्ञापन

3087. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, लिमिटेड और नीदरलैंड के फोक्कर ने हाल ही में भारत में एक रख-रखाव और सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौता ज्ञापन में भारत में संचालित फोक्कर विमानों का निजी एयरलाइनों द्वारा रख-रखाव करना भी शामिल किया गया है, और

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस सुविधा को स्थापित करने के लिए कानपुर को अनंतिम रूप से चुना गया है।

(ग) जी, हा।

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और फोक्कर एयरक्राफ्ट बी. वी., नीदरलैंड के बीच 24 फरवरी 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो जुलाई 1994 से हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत और एशिया प्रशान्त क्षेत्र में उड रहे फोक्कर एफ-27 वायुयान की मरम्मत और रख-रखाव करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त करता है और इसमें एफ-50 वायुयान के रख-रखाव के काम को भी शामिल किए जाने का प्रावधान है।

''मिलियन वेल स्कीम''

3088 **श्री गोपीनाथ गजपति :**
श्री मुमताज अंसारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मिलियन वेल स्कीम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं,

(ख) क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने कुएं खोदे गए, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दस लाख कुओं की योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के छोटे तथा सीमान्त किसानों का निःशुल्क खुले कुएं उपलब्ध कराना है। जहां भौगोलिक कारणों से कुएं खोदना सम्भव नहीं है, वहां दस लाख कुओं की योजना के संसाधनों का उपयोग जल एकत्रीकरण ढांचों, सिंचाई, तालाबों जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं और भूमि विकास पर किया जा सकता है। दस लाख कुओं की योजना के आवंटन की कम से कम दो तिहाई राशि को अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लोगों के लाभ के लिए खर्च की जानी है।

(ख) जी, हा।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990–91 आबंटन	1990–91 खर्च	1990–91 खोदे गए कुएं	1991–92 आबंटन	1991–92 खर्च	1991–92 खोदे गए कुएं	1992–93 आबंटन	1992–93 खर्च	1992–93 खोदे गए कुएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3833.24	3858.75	3388.60	3833.24	4019.84	12755.00	3738.64	4267.64	11457.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.14	0.00	0.00	66.14	0.00	0.00	64.50	17.80	0.00
3.	असम	1022.93	242.33	309.00	1022.93	174.71	629.00	1225.53	370.29	1162.00
4.	बिहार	7693.36	6978.67	17886.00	7693.36	7754.30	50836.00	9178.10	10149.84	50689.60
5.	गोवा	71.45	0.00	0.00	71.45	0.00	0.00	1.88	1.30	12.00
6.	गुजरात	1618.14	800.26	3331.00	1618.14	1855.88	6364.00	2770.21	1798.98	4874.90
7.	हरियाणा	385.36	132.47	264.00	385.36	353.50	394.09	432.86	427.54	983.96
8.	हिमाचल प्रदेश	227.06	101.76	165.00	227.05	189.15	49.00	250.94	185.35	34.00
9.	जम्मू व कश्मीर	322.30	5.30	185.60	322.30	284.40	1440.00	214.35	158.65	725.00
10.	कर्नाटक	2411.94	1340.34	1960.00	2411.94	2372.19	191706	2875.55	2678.56	3903.00
11.	केरल	1279.24	307.91	444.00	1279.24	376.06	172.00	1531.86	583.79	3893.00

12. मध्य प्रदेश	3260.50	2339.23	1743.00	5280.50	7137.61	30729.00	6258.46	6093.02	43396.00
13. महाराष्ट्र	4084.92	2106.78	5754.60	4084.98	1943.35	7997.00	4266.64	1555.11	6739.00
14. मणिपुर	84.76	6.75	35.00	84.76	26.72	108.00	89.28	39.77	189.00
15. मेघालय	99.19	2.31	12.00	99.19	57.52	413.00	96.74	67.76	798.00
16. मिजोरम	41.78	97.83	711.00	41.79	46.58	329.00	48.90	40.44	322.00
17. नागालैंड	106.31	23.80	238.00	100.31	0.00	0.00	125.35	77.40	774.00
18. उड़ीसा	2618.99	1127.61	6183.00	2618.99	2621.64	21394.00	2701.39	3101.41	21126.00
19. पंजाब	335.13	2.00	0.00	335.13	0.00	0.00	396.51	0.00	0.00
20. राजस्थान	2561.11	1794.75	5309.00	2561.64	2945.69	11500.00	3031.65	1797.14	9973.00
21. सिक्किम	38.71	27.33	35.00	38.71	0.00	0.00	46.39	0.00	0.00
22. तमिलनाडु	3444.74	260.98	274.00	3444.74	1346.76	2872.00	4039.11	2348.16	7162.00
23. त्रिपुरा	110.19	104.93	637.00	110.10	57.83	354.00	130.77	64.72	716.00
24. उत्तर प्रदेश	10218.65	3767.97	2777.00	10218.65	12541.02	8780.00	12064.32	12218.48	5437.00
25. पश्चिम बंगाल	4557.39	2632.86	4789.00	4357.39	3459.36	11792.00	5184.78	5349.78	5718.00
26. अंडमान और निकोबार द्वीप	31.31	0.00	0.00	31.31	7.83	5.00	30.54	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	दादरा व नागर हवेली	17.00	2.85	0.00	17.00	22.33	20.00	18.21	8.01	30.00
28.	दमन व दीव	36.84	0.00	0.00	36.84	0.00	0.00	9.77	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	15.31	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	30.65	7.87	4.00	30.65	24.12	10.00	35.18	10.98	13.00
	योग :	5244.94	27974.26	56433.00	52444.94	49518.50	172328.00	60465.06	53404.63	180995.00

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड

3089. **श्री ताराचन्द खण्डेवाल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) को कुछ परियोजनाए स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्रदान की जाएगी;

(ग) यह सहायता राशि किस प्रकार से खर्च की जाएगी; और

(घ) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड किस हद तक अपने उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेअिव लि. (इफको) की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 215.72 मिलियन अमरीकी डालर की कुल विश्व बैंक सहायता का उपयोग किया गया है।

(घ) इफको वर्ष 1993-94 के लिए संपूर्ण उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होगी।

कैंसर पैदा करने वाले रसायन

3090. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे रसायनों का आयात, उत्पादन, वितरण और उपयोग करने पर रोक लगाने का है, जो कैंसर रोग पैदा करने वाले पदार्थ हैं तथा जिन पर अमरीका ने रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे रसायनों का ब्यौरा क्या है, जिनका देश में अभी भी उपयोग किया जा रहा है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारत सरकार ने लदन गाइडलाइस का समर्थन किया है, जिसके अनुसार जहरीले/खतरनाक माने जाने वाले रसायनों के आयात को प्रतिबंधित करने/सीमित करने के लिए सूचित निर्णय लेना अपेक्षित है। यह निर्णय जिनेवा में संभावित जहरीले रसायनों के लिए हुए संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के अन्तर्राष्ट्रीय रजिस्टर से निर्णय विषयक मार्गदर्शी कागजातों के माध्यम से उपलब्ध सामग्री पर आधारित होना है। इस समय रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, जिसे रसायनों के राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है, को निम्नलिखित रसायनों के संबंध में सूचना/मार्गदर्शी कागजात मिले हैं :

1.	क्रोसिओलाइट	(मानव और परीक्षण पशुओं पर कैन्सर पैदा करने वाले)
2.	पॉलीब्रोमिनेटिड	बाइफिनाइल्स
3.	पॉलीक्लोरिनेट	बाइफिनाइल्स
4.	पॉलीक्लोरिनेटिड	टरोफेनाइल्स
5.	ट्रिस 2,3,-डाइब्रोमोप्रोपाइल	फास्फेट

आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और या अन्य प्रतिबन्धों के संबंध में अन्तिम निर्णय पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान

3093. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में "नो फंड्स टु पब्लिश रिसर्च आन न्यू बिल्डिंग टेकनीक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के पास अपने अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए पर्याप्त धन है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए पर्याप्त धन निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थान के अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए निधियों का अभाव नहीं है, जैसा कि समाचार में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेरोजगारी की स्थिति

3094. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल की सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश में बेरोजगारी तथा गरीबी की स्थिति 1991 से खराब हुई है और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय में कटौती की गई है और 1980 से चलाए गए रोजगारोन्मुख तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्यन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यूएनडीपी रिपोर्ट "भारत : रोजगार, गरीबी और आर्थिक नीतियां" (दिसम्बर, 1993) में यह कहा गया है कि स्थिरीकरण उपायों से गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पर सार्वजनकि व्यय में कटौती आई है, इस प्रकार अस्सी के दशक में चालू रोगर सृजन और गरीबी उन्मूलन प्रक्रिया स्थिरीकरण के दौर में पलट गई है, और 1991 से बेरोजगारी और गरीबी दोनों के स्तर सम्भवतया बढ़ गए हैं। तथापि, रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि "इसे अनुभव सिद्ध आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।" गरीबी के व्यापक अनुमान 1987-88 के बाद की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है। 1991-92 के दौरान रोजगार वृद्धि लगभग 1 प्रतिशत कम होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण जी.डी.पी. की वृद्धि दर में गिरावट है और 1992-93 के दौरान 2 प्रतिशत तक बढ़ गई है। अस्सी के दशक में आरम्भ की गई रोजगार सृजन प्रक्रिया और गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों में कोई पलटा नहीं आया है। बदले में आठवीं योजना में ऐसे कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 1993-94 के दौरान गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पर सार्वजनिक व्यय भी बढ़ा है और 1994-95 के दौरान इसके और अधिक होने का अनुमान है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 1992-93 के दौरान 2430.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 1993-94 के दौरान 4560 करोड़ रुपये और 1994-95 के दौरान 5730 करोड़ रुपये हो गया है।

[हिन्दी]

सेना की संचार प्रणाली

3095. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री सत्य देव सिंह :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में आर्मी रेडियो इंजीनियरिंग नेटवर्क की अति आधुनिक संचार प्रणाली आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी है; और

(घ) इस प्रणाली के प्रयोग से भारतीय सेना की सक्षमता कहां तक बढ़ेगी; ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) वास्तविक युद्ध के दौरान कमांडरों को स्वचालित, सुरक्षित और इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सुदृढ सचार प्रणाली का उपलब्ध कराया जाना, सेना के बल में बढोत्तरी करने की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है, जिससे वे युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

विवरण

"अरेन" अनुक्रमी और रैखिक संचार प्रणाली के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली एक बहु-अक्षीय, पूरी तरह स्वचालित, प्रभावी, टिकाऊ एवं सुरक्षित संचार प्रणाली है। इसमें दो स्तरीय स्विचिंग व्यवस्था है और विशिष्ट संक्रियात्मक क्षेत्रों में कार्य करने के उद्देश्य से ग्रिड बनाने के लिए परस्पर सम्बद्ध संचार नोडों (केन्द्रों) से युक्त है। फार्मेशन हैडक्वार्टर्स सामरिक योजना के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवस्थित और तैनात होते रहते हैं। संचार सुविधा के लिए ये फार्मेशन हैडक्वार्टर्स अपने समीपवर्ती क्षेत्र में कार्यरत "संचार केन्द्र" के साथ अपना सम्पर्क "जोड़" लेते हैं। इस तरह ग्रिड बनाने वाले मुख्य सचार व्यवस्था फील्ड फार्मेशन हैडक्वार्टर्स से अलग होती है और इस प्रकार फील्ड फार्मेशन हैडक्वार्टर्स का कार्यभार हल्का हो जाता है और उनके सैनिक सामरिक युद्ध क्षेत्र के भीतर उनकी संचार व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक जगह से दूसरी जगह तेजी से आ-जा सकते हैं। हमारी सामरिक फार्मेशनों के लिए इस संचार प्रणाली को 1989 में शुरू किया गया था और तब से इस कार्य में अच्छी प्रगति हुई है।

गरीबी उन्मूलन हेतु वित्तीय सहायता

3096. **श्री एन.जे. जेठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना भेजी है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना का अनुमानित व्यय कितना है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्यन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

लाइसेंस शुल्क/क्षतिपूर्ति शुल्क की देय राशि

3097. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 तक प्रत्येक मंत्री पर सरकारी आवास के लाइसेंस शुल्क/क्षतिपूर्ति शुल्क की कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ख) ऐसे प्रत्येक मंत्री से 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि वसूल की गयी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट तथा प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

3098. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट तथा प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में कथित रूप से बडे पैमाने पर धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के सिन्दरी एकक और प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. में वित्तीय अनियमितताओं के संबध में कुछ आरोपों सहित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इन आरोपों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है।

केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

3099. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कराई गई है,

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या 360 सरकारी क्षेत्र उपक्रम परियोजनाओ के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु तरीके और साधन का सुझाव देने के लिए योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन की अध्यक्षता के अधीन कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) समिति द्वारा दिए गए सुझाव किस हद तक राज्य सरकारों को संप्रेषित किए गए है; और

(च) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 14 फरवरी, 1994 की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और परियोजनाओं के पूरा होने में असाधारण विलंब पर चिन्ता व्यक्त की तथा विलंब को कम करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई किए जाने की इच्छा व्यक्त की।

(ग) विभिन्न कारकों से होने वाले विलंब को कम करने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का सुझाव देने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है। दल ने 7-3-1994 की अपनी बैठक की।

(घ) से (च) दल में अपने सुझावों को एक महीने के अन्दर ही अंतिम रूप प्रदान करना है।

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. मामले

3100 **श्री रामकिशोर राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनाक 10 जनवरी, 1994 के "वन्दे मातरम" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है, जिसमें प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि उन वरिष्ठ अधिकारियों (सेवा निवृत्त) के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच कराई जा सकती है, जो सरकार की पूर्वानुमति के बिना निजी कम्पनियों में शामिल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निवृत्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जो गत दो वर्षों के दौरान 1994 में आज की तारीख तक बिना पूर्वानुमति के निजी कम्पनियों में शामिल हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई नए अनुदेश जारी करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) प्रधान मंत्री ने विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों में निजी रोजगार प्राप्त करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों (सेवा निवृत्त) के मामलों में जांच करने के लिये खुफिया अभिकरणों को कोई निर्देश नहीं दिये हैं, जैसा कि दिनांक 10 जनवरी, 1994 के "वन्दे मातरम" में प्रकाशित समाचार में कहा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में पहले ही सुस्पष्ट अनुदेश विद्यमान है : अखिल भारतीय सेवा नियमावली तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अनुसार क्रमशः अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा समूह "क" केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, यदि वे अपनी सेवानिवृत्त की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है।

मारुति उद्योग लिमिटेड का संयुक्त उद्यम

3101 **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने अनिवासी भारतीयों के साथ मारुति वाहनों के कलपुर्जों का उत्पादन करने हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समझौते को अपनी स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु यू.के. स्थित मैसर्स कैपरो ग्रुप लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक अनिवासी भारतीय, श्री स्वराज पाल, और एक भारतीय नागरिक तथा संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में मारुति से सम्बद्ध श्री एम.डी. जिंदल के स्वामित्व में है। कैपरो मारुति लिमिटेड के रूप में निगमित यह नई परियोजना मारुति को बाडी प्रेस पैनलों की आपूर्ति करेगी। इस परियोजना पर लगभग 3700 लाख रुपये का निवेश किया जाएगा। परियोजना में ऋण इक्विटी अनुपात 2:1 होगा। संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच इक्विटी का अंश इस प्रकार होगा :

कैपरो = 60 प्रतिशत, मारुति उद्योग लिमिटेड = 20 प्रतिशत, जिंदल = 20 प्रतिशत

(ग) और (घ) कैपरो मारुति लिमिटेड ने भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं। इस परियोजना के अप्रैल, 1995 तक पूरा हो जाने की आशा है।

उर्वरक उद्योग संबंधी समिति

3102. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग की कार्य-प्रणाली के अध्ययन हेतु कोई समिति/कार्यदल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति/दल द्वारा यदि कोई सिफारिशें की गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर मैसर्स मार्केटिंग एण्ड डेवलपमेंट रिसर्च एसोएिट्स (एम.डी.आर.ए.) नई दिल्ली को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ.आई.सी.सी.) के कार्यालय के कार्यकरण का अध्ययन कार्य सौंपा गया है। मैसर्स एम.डी.आर.ए. की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों की जांच

3103. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 सितम्बर, 1993 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में जनसंख्या,

रोजगार, साक्षरता और निम्न स्तर पर नियोजन के संबंध में इस परिषद् की समितियों की सिफारिशों की जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशें की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 18 सितम्बर, 1993 को आयोजित 46वीं बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जनसंख्या, रोजगार, साक्षरता तथा माइक्रो-स्तरीय आयोजना संबंधी उप-समितियों की रिपोर्टों तथा निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर विचार-विमर्श दिया गया।

(ख) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) की 46वीं बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार तथा माइक्रो-स्तरीय आयोजना संबंधी उप-समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन दिया गया और नोडल मंत्रालयों अर्थात् जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, साक्षरता के लिए मानव संसाधन विकास तथा रोजगार एवं माइक्रो-स्तरीय आयोजना के लिए योजना आयोग को निर्देश दिए गये, ताकि वे अगली कार्रवाइं शुरू कर सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद् की जनसंख्या, रोजगार/साक्षरता तथा माइक्रो-स्तरीय आयोजना संबंधी उप-समितियों की सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं तथा निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी निम्नानुसार है :

जनसंख्या

1. वास्तविक सुविधाएं उपलब्ध कराकर, रिक्त पदों को भरकर आवश्यक ड्रग्स, ड्रेसिंग्स की आपूर्ति सुनिश्चित करके तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा तथा परिवार कल्याण सेवाएं देने के लिए आधारभूत संरचना सुदृढीकरण संबंधी कार्य आरंभ करना चाहिए।

2. गर्भावस्था/बंध्यीकरण के चिकित्सकीय निष्पादन हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधाए सृजित की जानी चाहिए।

3. अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वयन हेतु परिवार कल्याण सहित सभी विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

4. महिला विकास तथा परिवार कल्याण के लिए लक्षित कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में मिश्रित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों की आयोजना तथा क्रियान्वयन में पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए।

5. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-निदेशों, कार्य योजना, कार्यक्रम के सिंहावलोकन तथा निगरानी की तैयारी तथा सरकार के भीतर तथा बाहर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कार्यविधि विकसित की जानी चाहिए। उसी प्रकार की कार्यविधि राज्य तथा जिला स्तर पर विकसित की जानी चाहिए।

6. खराब निष्पादन वाले जिलों के विशेष सन्दर्भ में क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम निरूपण तथा क्रियान्वयन में विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

7. लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों तथा धार्मिक नेताओं सहित नेतृत्व की प्रतिबद्धता तथा समर्थन हासिल करने के लिए कार्यविधि तैयार की जानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रयासों में संगठित क्षेत्रकों तथा व्यावसायिकों, व्यापार एवं उद्योग, पत्रकारों, एन.जी.ओ. आदि के संघों को शामिल किया जाना चाहिए।

8. विवाह की उम्र, महिलाओं की साक्षरता स्थिति को बढ़ाने तथा लिंग अंतराल को पाटने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

9. मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

10. पर्यावरणीय महत्व, संचलन और कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

11. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन स्कीमों का उपयोग परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रचार के प्रभावपूर्ण उपकरणों के रूप में दिया जाना चाहिए।

12. समिति ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अतिरिक्त वित्तीय आवंटन दिए जाने की भी सिफारिश की है, ताकि समिति द्वारा बताए गए नए दायित्वों को कार्यान्वित किया जा सके।

13. समिति द्वारा प्रोत्साहनों तथा हतोत्साहनों के एक सैट की भी सिफारिश की गई है, जो इस व्यवस्था के साथ हैं कि एक बार सिद्धांत रूप में स्वीकृत हो जाने के बाद इनकी विधिक और प्रशासनिक पेचीदगियों की जांच भी की जाए।

14. समिति ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने और उसके द्रुत तथा प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यविधियों के विकास की भी सिफारिश की है।

15. योजना आयोग को चाहिए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सिंहावलोकन करे और एक एकीकृत रूप से उसकी प्रगति की निगरानी करे और संबंधित गतिविधियों अर्थात् साक्षरता, ग्रामीण विकास, रोजगार, पोषाहार, पर्यावरण इत्यादि और इसके लिए एक उपयुक्त कार्यविधि विकसित करनी चाहिए।

साक्षरता

1. साक्षरता पर राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक उपकर लगाकर वित्तीय संसाधन बढ़ाने की संभावनाएं खोजना थी।

2. प्रौढ शिक्षा के और/अथवा विकास के लिए कार्य कर रहे विविध सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के उद्देश्यपूर्ण नेटवर्क को माइक्रो-योजना तकनीकों द्वारा मूल स्तर पर प्रभावित किए जाने की आवश्यकता है। आरंभ में सहयोगी माइक्रोयोजना तकनीकी के लिए चयनित क्षेत्रों में और स्थानीय लोगों की भागीदारी के आय वाले अनुसंधान के तरीके

से पायलट परियोजनाएं आरंभ की जा सकती हैं। ए.ई. और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु योजना परियोजनाएं आरंभ करने हेतु स्वयंसेवी संस्थानों को प्रोत्साहन तथा सहयोग दिया जाना चाहिए।

3. वर्तमान प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि वे गैर-सकरारी संगठनों को मजबूत बनाने में सहायता दें और नियमित आधार पर साक्षरता और आगे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग और उनकी फ़लदायक अंतःक्रिया को सुविधाजनक बना सके।

4. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निरक्षरता उन्मूलन हेतु जितनी जल्दी हो सके, और किसी भी दशा में 2000 एडी तक जिला कार्ययोजनाओं के माध्यम से विस्तृत जिला योजनाएं बनानी चाहिए।

5. संसद और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों का उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में निरक्षरता के उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा दे सार्वभौमिकरण के लिए समयबद्ध योजनाओं को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

6. शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में जहां स्वैच्छिक शिक्षकों की कमी और सीखने वालों की अधिकता है, साक्षरता के लिए अनुकूल परिस्थितियों वाले ब्लॉकों का पता लगाने का दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि उनमें साक्षरता अभियान समय से सफल हो सके। ऐसे ब्लॉकों का प्रदर्शन प्रभाव अन्य पिछड़े ब्लॉकों के लिए एक उदाहरण का कार्य करेगा और उन्हें आवश्यक तैयारी का समय उपलब्ध कराएगा।

7. ढांचा सृजन और क्रियाविधि उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रौढ शिक्षा कार्य में संलग्न स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ विशेष परामर्श करके समाज के कमजोर वर्गों की विशेष रूप से महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की समस्या।

8. साक्षरता के बाद के प्रावधान और निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित मुक्त शिक्षण पर कोर ग्रुप द्वारा सिफारिश की गई सीखने की ओपन तकनीकों को उपयोग की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।

रोजगार

रोजगार संबंधी एन.डी.सी. उप-समिति देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति में रुझान पर प्रकाश डालती है। यह सिफारिश करती है कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के आधार पर प्रत्यक्ष रोजगार सृजन हालांकि अल्प और मध्यम अवधि में आवश्यक है, कि आने वाले वर्षों में समग्र रोजगार सृजन में उत्तरोत्तर रूप से कम होती हुई भूमिका देनी चाहिए। रोजगारोन्मुख विकास कार्यनीतियों, नीतियों और विशेष रोजगार कार्यक्रमों के प्रभावशाली अनुसरण से दीर्घ अवधि में बेरोजगारी की समस्या का स्थाई समाधान उपलब्ध होगा।

माइक्रो स्तरीय आयोजना और आरंभिक स्तर पर लोगों की भागीदारी

माइक्रो स्तरीय आयोजना संबंधी एन.डी.सी. समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों में योजना

का उप-जिला स्तर तक विस्तार, ग्रामीण विकास से संबंधित निकायों का एकीकरण और माइक्रो-स्तरीय आयोजना के लिए पंचायत संस्थान अपनाना, वित्तीय संसाधनों सहित कार्यक्रमों और क्रियाविधियों का माइक्रो स्तरीय संस्थानों को हस्तांतरण, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना, लोगों की भागीदारी पर बल देना आदि शामिल है।

भूमि सुधार कानून

3104. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे कुछ राज्यों में लागू करने हेतु अंतिम निर्णय भी ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भूमि की अधिकतम सीमा में उन कंपरियों को छूट देने का है जो भूमि का निर्यात उत्पादों के उत्पादन के लिये उपयोग करेंगी, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान की नौंवी अनुसूची में 27 भूमि सुधार कानून शामिल करने का निर्णय लिया है।

(ख) संविधान की नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को शामिल करने के बारे में निर्णय लिये जाने का कारण इन कानूनों को संविधान के भाग-3 में निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालयों में चुनौती दिये जाने से संरक्षण प्रदान करना है।

(ग) और (घ) नौवीं अनुसूची में, जिन राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को शामिल करने का प्रस्ताव है, वे हैं, बिहार, कर्नाटक, केरल, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

(ङ) और (च) मुख्य मंत्रियों के जुलाई, 1972 में हुए सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गयी भूमि जोतों की अधिकतम सीमा संबंधी मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत पहले ही रियायतें दी गयी हैं।

परिवहन विकास परियोजना

3105. **श्री राम नाईक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2,300 करोड़ रुपये की परिवहन विकास परियोजना तैयार की है, जिसमें से लगभग 1400 करोड़ रुपये स्थानीय रेलवे के लिए निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक इस परियोजना के लिये सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय रेलवे के विकास हेतु योजनाओं को अंततः स्वीकृति दे दी है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत शामिल मुम्बई लोकल रेलवे (पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे) परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य तथा मंत्री जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) बम्बई नगर परिवहन परियोजना-II, बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नवम्बर, 1991 में तैयार की गई है। इस परियोजना प्रस्ताव के अनुसार परियोजना की कुल लागत 2248 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें 1034.86 करोड़ रुपये उप-नगरीय रेलवे परियोजनाओं की लागत शामिल है। विश्व बैंक के प्राधिकारियों के साथ हुए प्रारम्भिक विचार-विमर्शों में उल्लेख किया गया था कि यदि परियोजना के उप-नगरीय रेलवे घटक के निधियन की व्यवस्था की जा सकती हो तो परियोजना के निधियन पर वे विचार कर सकते हैं। तदनुसार, बम्बई की उप-नगरीय रेलवे परियोजनाओं के निधियन से सम्बन्धित मुद्दे हल करने के लिए 17-12-93 को केन्द्रीय रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के बीच एक बैठक आयोजित की गई। तब यह निर्णय लिया गया था कि उप-नगरीय रेलवे परियोजनाओं की लागत रेलवे मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में बांटी जाएगी। उप-नगरीय परियोजनाओं से सम्बन्धी विशिष्ट परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा इन परियोजनाओं की सूची में संशोधन भी किया गया। परियोजनाओं की संशोधित लागत अब 1526.57 करोड़ रुपये आंकी गई है। तदनुसार योजना आयोग से इन परियोजनाओं की 50 प्रतिशत लागत को वहन करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावित रेलवे परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

(1) बोरीविली-विरार लाइन को चौहरा करना।

(2) अन्धेरी और गोरेगांव के बीच अतिरिक्त लाइनों का प्रावधान।

(3) कार्नेक बन्दर (बलाई स्टेट) और रावली जंक्शन के बीच छठे कोरिडोर के एक अंग का प्रावधान।

(4) बान्द्रा-कुर्ला रेल लिंक।

(5) रावली जंक्शन से भनदूप तक छठे कोरिडोर के एक अंग का प्रावधान।

उपर्युक्त के कारण, परियोजना रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जा रहा है। विश्व बैंक से सहायता हेतु मामले को उठाने सम्बन्धी प्रश्न परियोजना रिपोर्ट में संशोधन के बाद ही उत्पन्न होगा।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

3106. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री लाल बाबू राय :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में पहले से प्रतिकूल परिस्थितियां थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दशक की तुलना में कृषि क्षेत्र में निवेश में सकल कमी कितनी है; और

(ङ) पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू तथा स्थिर दोनों कीमतों पर कृषि क्षेत्र में किए गए निवेश का परिमाण निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	चालू कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर (1980-81)
1990-91	11674	4595
1991-92	13338	4581
1992-93	15633	4567

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले दशक (1980-81 से 1989-90) के लिए 1980-81 की कीमतों पर औसत सकल कृषि पूंजी निवेश 4382 करोड़ रु. वार्षिक था, जबकि चालू दशक (1990-91 से 1992-93) के पहले तीन वर्षों के लिए औसत सकल पूंजी निवेश 4581 करोड़ रु. वार्षिक था।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के तहत बागवानी, मत्स्य पालन, वर्षा सिंचित कृषि, लघु सिंचाई हेतु आधार संरचना के सृजन, कृषि पश्चात प्रबंध आदि जैसे महत्व दिए जाने वाले क्षेत्रों के पक्ष में निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है।

बंगाल की खाड़ी में विषैले पदार्थ

3107. **डॉ. असीम बाला :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी ध्वज-वाहक पोत बंगाल की खाड़ी में बड़ी मात्रा में जहरीले औद्योगिक पदार्थ छोड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किन-किन देशों ने भारतीय जल क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ फेंके हैं और किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां फैले हैं; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जहरीली औद्योगिक पदार्थ डालने की किसी भी घटना की समुद्रवर्ती क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने वाले भारतीय तटरक्षक द्वारा न तो रिपोर्ट प्राप्त हुई और न ही देखी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्षजी, केरल के कालीकट से शालीमार बुक एजेंसी की ओर से इस्लामिक इनसाइक्लोपिडिया प्रकाशित हुआ है। उसमें इस्लामिक देशों का मानचित्र लिया हुआ है। मेरे पास उसकी कापी है। उसमें बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर इस्लामिक देशों का एक हिस्सा है। उसमें और भी जानकारियां दी गई हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। आपके नेतृत्व में इन सदन में जम्मू-कश्मीर के ऊपर एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। अभी यू.एन.ओ. के मानवाधिकार सम्मेलन में माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे देश का एक प्रतिनिधिमंडल भी गया था। उसने वहां अच्छा काम किया। हम सभी उसका अभिनन्दन करते हैं और वाजपेयी जी का भी अभिनन्दन करते हैं। ऐसे समय पर केरल से इस प्रकार की आवाज आना कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, यह बड़ा गम्भीर मामला है। जो प्रकाशित करने वाली संस्था है, केरल के एजुकेशन मिनिस्टर उसकी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार तुरंत बयान दे और इस किताब पर पाबन्दी लगाई जाये। सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में सदन को बताया जाये।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इस पर सरकार को जरूर कहना चाहिए, यह गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उन्होंने, शिक्षा मंत्री का उल्लेख किया, जो बोर्ड के सदस्य थे, सामान्य तौर पर ये सब बातें शिक्षा मंत्री की जानकारी में नहीं लाई जा सकतीं। निस्संदेह इस मामले पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। शिक्षा मंत्री के नाम का, जो संयोग से प्रबंध समिति अथवा उप-समिति के सदस्य हैं, उल्लेख करना उचित नहीं है।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमें सही स्थिति का पता लगाना होगा। तभी मैं सभा को बता सकूंगा।

[हिन्दी]

राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, जब टाडा का निर्माण किया गया था, तो यह तय किया गया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ टेरेरिस्ट्स के खिलाफ किया जायेगा, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को इस सदन में फिर उठाना पड़ रहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है। पूरे देश में और खासकर माइनरटीज के खिलाफ हो रहा है। मैं अभी 10-12 तारीख को मुम्बई गया था तो मुझे मालुम हुआ कि वहां के डोगरी, पायढोनी, बाइकुला और धारावी थानों में कम से कम 400-500 लोगों को टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। सबसे बडे दुःख की बात तो यह है कि गरीब और निर्दोष लोगों को पकड़ जाता है। इसमें भी धारा 151 के अन्तर्गत एक दिन के लिये और दूसरी एक धारा 3 के अंदर 14 दिन तक रखा जाता है और फिर टाडा का इस्तेमाल करके डिटेशन की जाती है। वही हाल दिल्ली में चल रहा है, तो मैं मंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूं कि जिन लोगों ने कम्युनल रायट्स में सहायता का काम किया, उनको ही टाडा में बंद कर दिया गया ?

श्री राम नाईक : ऐसा एक नाम भी बताइये। मैं इसकी जानकारी रखता हूं।

श्री राम विलास पासवान : यह तो सरकार बतायेगी। मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : दाढी तो आपके पास है, तिनका यहां पर कैसे आ सकता है ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिन निर्दोष लोगों को टाडा के अंदर बंद किया गया है, इस बात की इन्क्वायरी कराये और सरकार बताये कि उनको छुडवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है, यह मंत्री जी बतायें।

[अनुवाद]

श्री शंकरराव दे. काले (कोपरगांव) : वार्षिक रूप से पुनः काम में लाये जा सकने योग्य कृषि अवशेष जैसे खोई, चावल की भूसी, गेहूं का भूसा, पटसन, पटसन के अपशिष्ट पर आधारित मिलों को 28 फरवरी, 1994 तक उत्पादन-शुल्क से छूट थी। सरकार ने यह छूट मुख्य तौर पर पर्यावरण की सुरक्षा और विशेष रूप से वन संसाधनों के तेजी से समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए दी थी।

बजट प्रस्तावों में स्वदेशी अपशिष्ट पदार्थों के मुकाबले आयातित का कच्चे माल को अधिक महत्ता दी गई है, क्योंकि 50 प्रतिशत तक आयोतित कच्चे माल से निर्मित कागज अथवा लुगदी बनाने की प्रक्रिया में, जो मिलें 75 प्रतिशत तक अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल कर रही हैं, उनके द्वारा निर्मित कागज पर लगभग 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क की दर है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वार्षिक रूप से पुनः काम में लाये जा

सकने योग्य कृषि अवशिष्ट पदार्थों, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, से बनने वाले कागज पर उत्पादन-शुल्क से छूट को पुनः बहाल किया जाय तथा जैसी व्यवस्था पहले मोडवेर ऋण की सीमा भी 800 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक सीमित किया जाय।

अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुझे डर है कि जो क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में 7.7 लाख टन से भी अधिक कागज का उत्पादन कर रहा है, बद हो जायेगा और जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे तथा जो कृषक अतिरिक्त आय प्राप्त किया करते थे, वे इससे वंचित हो जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री संतोष गंगवार को बोलने के लिए बुलाता हूं। आपको दूसरे विषय पर नहीं, बल्कि आत्म-दाह करने के बारे में जो सूचना दी गई है, उस पर बोलना है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े हुए हजारों अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिये पिछले कई महीनों से धरना और प्रदर्शन किये हैं। उन्होंने 17 जनवरी को सभी मुख्यालयों पर धरना दिया और 31 जनवरी को दिल्ली में एक रैली भी आयोजित की, लेकिन खेद की बात है कि उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इनकी मांगों को मानने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इस स्थिति में केवल शिक्षा मंत्री ही हस्तक्षेप करके कार्यवाही कर सकते हैं। इनकी संयुक्त समिति के सदस्यों के विरुद्ध अकारण ही कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में प्रशासनिक धोखा-धड़ी कर संगठन के लगभग 150 आवेदकों को साक्षात्कार से वंचित कर दिया गया है, जिनकी प्रोन्नति होनी है, उसे भी रोक दिया गया है। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और माननीय शिक्षा मंत्री इन कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करे और इनकी समस्या का समाधान करे।

[अनुवाद]

डा. श्रीमती के.एस. सौन्द्रम (तिरुवेन्नगौड़) : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा बॉयलर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्य के लिए, चालू संसद के सत्र में एक विधेयक पुनःस्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में एक तीसरे पक्ष के एजेंट द्वारा क्षमता का ऊर्जा परीक्षण करने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वंय इस बात का फैसला करेंगे कि वहां किस प्रकार का कानून होना चाहिये।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम : वर्तमान में, सभी कुटीर तथा लघु उद्योग पुनः बेचे गये बॉयलरों का भौतिक तथा रासायनिक रूप से परीक्षण करने और सरकार द्वारा स्वीकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् उनका प्रयोग कर रहे हैं। वे अच्छी दशा में हैं। लेकिन अगर हम यह संशोधन लाते हैं, तो उन्हें नये बॉयलर खरीदने पड़ेंगे और हरेक कुटीर और लघु उद्योग इससे प्रभावित होगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, इसे इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि हमें इस विधेयक पर विचार करने का अवसर मिलेगा। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी और आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री असलम शेर खां (बेतुल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान कल के समाचार पत्र में छपी उस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें हमारे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के द्वारा ओलम्पिक गेम्स में जीते गये गोल्ड मैडल बेचने की बात कही गयी है। वे गोल्ड मैडल उसने हिन्दुस्तान की तरफ से खेलते हुए ओलम्पिक खेलों में जीते थे। आप जानते हैं कि भारत को किसी ओलम्पिक में कोई गोल्ड मैडल प्राप्त करने के लिये कितनी मुश्किल होती है, हमारे खिलाड़ियों को कितना श्रम करना पडता है। हमारे पंजाब के एक खिलाड़ी जगजीत सिंह ने बाहर आयोजित एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीते थे, आज उसकी हालत कितनी खराब हो गयी है, वह कल के समाचार पत्र में हमें पढ़ने को मिला। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसने उक्त समाचार का कोई नोटिस लिया है। यदि कोई नोटिस नहीं लिया है, तो यह हम सबके लिये बड़े ही शर्म की बात है, क्योंकि 85 करोड की आबादी का हमारा देश है, वैसे ही हम लोग ओलम्पिक के मामले में बहुत पीछे हैं और दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ियों की हालत ऐसी है, जिन्होंने भारत के लिये इज्जत दिलाई, नाम कमाया और गोल्ड मैडल हासिल किया, आज उनकी हालत इतनी खराब हो गयी है। क्या सरकार उन्हें कोई नौकरी देगी, क्योंकि आज वह महान खिलाड़ी भूखों मर रहा है और उसे अपना गोल्ड मैडल बेचने को मजबूर होना पड़ा है। यदि हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों की हालत यहां तक खराब हो जायेगी तो क्या यह इस बात को साबित नहीं करता कि हमारी जो लम्बी-चौड़ी योजनाएं हैं, वे सब बेकार हैं। हमारा इंडियन हॉकी फैडरेशन, जो कि एक जिम्मेदार एजेंसी है, क्या सरकार उसको बर्खास्त करने पर विचार करेगी। आप जानते हैं कि किसी मुल्क की पहचान दो जगहों पर होती है-एक तो लड़ाई के मैदान में, जहां यदि किसी देश की फौजें जीतती हैं तो कहा जाता है कि वह देश लड़ाई जीत गया, और दूसरी उसकी पहचान खेल के मैदान में होती है, जहां खिलाड़ियों की हार-जीत होती है। जिस तरह की हालत आज स्पोर्ट्स के मामले में हमारे देश की है, कल के समाचार पत्र में जगजीत सिंह के बारे में जो कुछ छपा है, सामने आया है, उसके कारण पूरे भारत का सिर शर्म से झुक गया है। क्या सरकार कुछ जिम्मेदारी फिक्स करेगी और इसके लिये क्या करने का सरकार का विचार है, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है और अगर जो सूचना मिली है, वह सच है तो हम चाहेंगे कि यह सभा सरकार से उस चैम्पियन को मदद करने को कहे।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : सांसदों को एक करोड़ रुपया देने के लिए प्रधान मंत्री महोदय को धन्यवाद, जिसे वे निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष के एक करोड़ की परियोजना के रूप में ले सकते हैं। परियोजना की पहचान करने के लिए मैंने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक **पद यात्रा** की थी। अपने संपूर्ण मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी-झोंपड़ियों में गया। यहां मैं सभी संसद

सदस्यों से इस सामाजिक समस्या पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करूंगा। लगभग 62 प्रतिशत जनसंख्या झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रही है। हरेक व्यक्ति झुग्गी-झोंपड़ियों में जाता है.....

अध्यक्ष महोदय : अन्बारासु जी, यह क्या है ?

श्री आर. अन्बारासु : मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सरकार, प्रत्येक उत्तरोत्तर सरकार झुग्गी-झोंपड़ियों में, विशेष रूप से महानगरों में रहने वाले लोगों की दयनीय दशा के बारे में भूल जाती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण अथवा बजट पर ही चर्चा करते समय उठा सकते थे।

(व्यवधान)

श्री आर. अन्बारासु : कृपया मुझे अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, गरीबों का कल्याण भुला दिया गया है; उनमें से 62 प्रतिशत झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे शून्य काल के दौरान नहीं उठाना चाहिये। अगर आप इस बारे में इतने गंभीर हैं, तो इसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय उठाना चाहिये था। अन्बारासु जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से ला एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। कानून के राज के बदले गुंडा राज चल रहा है। वहां पर एक स्थान पर एक व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया,...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिये। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, यह कैसे चलेगा (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह किसी न्यायाधीश का न्यायालय नहीं है; यह कोई पुलिस थाना नहीं है। कृपया बैठ जाइये। अगर आप वास्तव में आदिवासियों की मदद करना चाहते हैं, तो आपको या तो पुलिस थाने जाना चाहिये या न्यायालय जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में भारतीय क्षेत्र से बर्मा के अतिआधुनिक शस्त्रों से लैस कुछ व्यक्तियों ने भारत के पुलिस कर्मियों सहित 8 व्यक्तियों को चंदेल जिले के मोरोचन गांव से 5 ट्रकों सहित उठा लिया है। खेद का विषय है कि आज इस बात को 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने बर्मा सरकार से उनको वापस करने का कोई आग्रह नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि उनको वापस करने के लिए बर्मा सरकार से कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की बातचीत तो आपस में होती रहती है।

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस सत्र में आपने पहली बार बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, किन्तु उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की कोई शुरुआत नहीं की गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले साल मैंने ही इस विषय को इस सदन में उठाया था, तो उस समय मंत्री जी ने इसको केन्द्र सरकार के अधीन ले लिया, परन्तु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तब से अब तक इसमें पढ़ाई कराने के लिए कोई कारगर प्रयत्न नहीं किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय पिछले साल 14 अप्रैल को केन्द्र सरकार ने अपने अधीन लिया था। मेरा सरकार से निवेदन है कि अब इस वर्ष 14 अप्रैल से पहले-पहले वहां पर प्राध्यापकों, विशेष अधिकारी तथा शिक्षक, गैर-शिक्षक अधिकारी, कर्मचारियों की नियुक्ति करे। ताकि पठन-पाठन का जो अभी तक नहीं हो रहा है, वह तेज गति पकड़ सके तथा पढ़ाई की कार्यवाही भी शुरू हो जाए।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : अध्यक्ष महोदय, बड़े आत्मविश्वास और अनुग्रह की भावना से मैं, आपका ध्यान निम्नलिखित कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन पर तत्काल सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, 1985 में दिल्ली परिवहन निगम ने केवल अनुसूचित जाति के 500 लोगों को दैनिक मजदूरी पर संवाहक भर्ती किया। शर्तों के अनुसार, उन्हें दैनिक मजदूरी पर छह महीने काम करना था; उसके पश्चात् उन्हें एक वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाना था और उसके पश्चात् उनकी

सेवाओं को नियमित किया जाना था। कुछ समय के बाद दैनिक मजदूरी पर इन संवाहकों की समय अवधि को बढ़ा दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मरे विचार से दिल्ली परिवहन निगम से संबंधित मामलों को दिल्ली विधान सभा में उठाया जाना चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मेरा यह विश्वास है कि देश की सबसे ऊंची विधि-निर्माता संस्था को इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिये कि हमारे देश के उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस देश के लोगों के लिए दो अति महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर दी हैं।

पहली यह कि इसने यह बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है और कोई भी दल एक ही समय पर राजनीतिक दल और धार्मिक दल होने का दावा नहीं कर सकता। हम उच्चतम न्यायालय के इस अति महत्वपूर्ण निर्णय की सराहना करते हैं। निर्णय का दूसरा पहलू यह है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिये न कि केन्द्र में मौजूद सत्तारूढ़ दल की मनमर्जी से। इस देश के सत्तारूढ़ दल से सीख लेनी चाहिये। हमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सारे सदन को इस निर्णय की सराहना करनी चाहिये और व्यवहार में इसे अपनाना चाहिये।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश व राजस्थान के लगभग 2 लाख किसान, जो अफीम की खेती करते हैं, इस समय अत्यधिक संकट में हैं। नारकोटिक्स विभाग के एक ऐसे आदेश के कारण, जो मध्य सत्र में दिया गया, पूर्व में निर्धारित किया गया था कि वे औसतन 40 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर लेंगे, लेकिन बीच में आकर कहा गया कि 65 किलोग्राम लिया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश राजस्थान के तमाम वे काश्तकार, जो इसकी खेती करते हैं, अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। अफीम ऐसी काश्त है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंदसौर में 70 हजार किसान, श्री जसवन्त सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 40 हजार किसान, श्री जाटिया जी के निर्वाचन क्षेत्र में 10 हजार, श्री दाऊ दयाल जोशी के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 25 हजार, तथा अन्य ऐसे लगभग दो लाख से अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। यदि पहले नीति घोषित होती तो किसान सम्भवतः उतनी उपज देने के लिए तैयार होते, लेकिन मध्य सत्र में नीति घोषित होने के कारण वे संकट में हैं। उनके सामने भविष्य यह है कि उनके सारे पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। अभी उच्च स्तर की समिति विचार कर रही है, उसने अपना कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है, ऐसे अवसर पर सरकार का इस प्रकार का निर्णय ठीक नहीं है। मैं इस पर पुनर्विचार की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से घातक बीमारियों तथा टी.बी.,

मलेरिया तथा प्लेग के बड़े संघातिक रूप में वापिस आने से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक देशों को, विशेष रूप से एशिया के देशों को सावधान किया है। कई वर्षों से हमारा देश औषधि प्रतिरोधी तपेदिक मलेरिया और प्लेग की रोकथाम करने में समर्थ हो गया है। हमारा विश्वास है कि इनका इलाज किया जा सकता है। औषधि प्रतिरोधी बीमारियों जैसे तपेदिक, मलेरिया और प्लेग के संबध मे हाल ही में दी गई चेतावनी हमें खतरे के प्रति सावधान करेगी। चूंकि हमारे देश के लोग स्वच्छता का अच्छा स्तर बनाकर नहीं रखते, इसलिए वे आसानी से इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इससे देश पर निश्चय ही महा विपदा आ जाएगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशो को, विशेष रूप से एशिया के देशों को चेतावनी दी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थिति पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठाये, ताकि इन बीमारियों का इलाज उपयुक्त दवाओं तथा अन्य सावधानियों के साथ हो सके।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं यह मुद्दा आज इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि श्री एडुआर्डो फैलीरो, जो औषधि तथा औषध निर्माण के प्रभारी है, यहां उपस्थित हैं। उनके मंत्रालय के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की तीन अति महत्वपूर्ण कम्पनिया तथा पुराने प्रतिष्ठान - बंगाल कैमिकल्स, बगाल इम्यूनिटी एण्ड स्मिथ स्टेनस्ट्रीट को पहले ही बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया गया है। वे उन्हें अर्थक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको अर्थक्षम बनाने के लिए जो योजना बनाई गई है। वह उन्हीं पारम्परिक तरीकों पर आधारित है, जिन पर वे पहले कार्य कर रहे थे, लेकिन अब विश्व बदल गया है और प्रत्येक व्यक्ति अब अतीत की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोग अब आयुर्वेदिक तथा अन्य स्वदेशी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इन प्रतिष्ठानों का उपयोग करने की उनकी कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई दूर दृष्टि नहीं है। मुझे जांच से पता चला है कि अधिकतर आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादक छोटी कम्पनियां हैं। उनके पास कोई उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं है और न ही परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यदि इन संस्थाओं का, जिन्हें रुग्णावस्था में बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा गया है, एलोपैथी दवाओं के साथ-साथ आयुर्वेदिक प्रणाली को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाए तो यह भारत के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को विकसित करने का अच्छा अवसर होगा। यह निर्यात का एक उत्तम अवसर भी प्रदान करेगा। चीन पहले से ही अपनी स्वदेशी प्रणाली अपना कर यही कर रहा है। मंत्री जी को इस संबंध में एक आश्वासन देना चाहिए। **(व्यवधान)**

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, हमारी परपरागत चिकित्सा प्रणालियों तथा स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी इत्यादि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह बात बिल्कुल सही है।

यहां मैं यह कहूं, महोदय कि प्रधान मंत्री जी ने हमें अर्थात स्वास्थ्य मंत्रालय जो वस्तुत: इससे संबंधित मंत्रालय है, और हमारे अपने मंत्रालय को इन चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। यह इस मामले का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जहां तक इन कम्पनियों का संबंध है, हम यह देखेंगे कि उन्हें कैसे इस कार्य में लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राष्ट्र में लगभग एक करोड़ जैन समाज के लोग रहते हैं। वे भगवान महावीर और पार्श्वनाथ के सिद्धांतों से अपने सांस्कृतिक और धार्मिक समाज को चलाते हैं। बिहार के गिरिडीह में पार्श्वनाथ हिल्स व मन्दिर है। इनको टेक-ओवर करने की कार्यवाही चल रही है। इससे पूरे राष्ट्र का एक करोड़ जैन समाज चिन्तित है। भारत सरकार के गृह मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दें कि उनकी धार्मिक, सामाजिक विरासत को बरकरार रखा जायेगा, आराध्य स्थल सुमेर सिखर जी के मंदिर का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। यह एक आस्था का प्रश्न है। हजारों सालों से जैनी लोग जिस प्रकार से पूजा-पाठ करते थे, वैसा ही प्रबन्ध किया जाये और उनके स्वामित्व में उसे रखा जाये। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इस पर वक्तव्य देकर स्पष्टीकरण दें। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति इसको स्वीकृति न दें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री शरद यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके में गया था। माननीय सदस्य ने जो बात उठायी हैं, वह सही नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है पार्श्वनाथ के इलाके को बिहार सरकार बढ़िया और बेहतर बना रही है। टेक-ओवर करने की खबर सही नहीं है.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा : एक अध्यादेश है, जिसे प्रस्तुत किया गया है **(व्यवधान)**

मेरे पास वह अध्यादेश है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैनियों के दो समुदायों के बीच आपस में विवाद है। दोनों पक्षों ने बिहार सरकार से इस विवाद के संतोषजनक निपटारे के लिये हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। हमारी जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण परिसम्पत्ति टेक-ओवर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसी बात बता रहे हैं तो भारत सरकार को वहां की सरकार से जानकारी लेकर, पूरी जानकारी सदन को देनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जूट उद्योग सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है। यह उद्योग निर्यात की संभावना में वृद्धि के साथ-साथ प्रगति पर है। लेकिन सरकार की नीति के कारण यह जूट उद्योग बहुत बड़े संकट में फंस रहा है। जूट से बने सामान पर विशेष उत्पाद शुल्क के स्थान पर यथामूल्य 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगाकर इसे युक्तिसंगत बनाने के वित्त मंत्रालय के नए निर्णय से इसमें जो वृद्धि होगी, वह लगभग 11.5 प्रतिशत होगी।

जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में ही केन्द्रित है और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी ने पहले ही प्रधान मंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृषित किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मुद्दे बजट पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जूट उद्योग को एक अच्छा विदेशी मुद्रा उपार्जक बनाने के लिए और हज़ारों जूट कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाएं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5538/94]

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : महोदय, मैं योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5539/94]

परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेकनालॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं, श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेकनालॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5540/94]

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेकनालॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री चित्र तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेकनालॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5541/94]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954, इत्यादि।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नांकित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 2146, जो 17 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स पांडिचेरी म्यूचुअल बेनिफिट फण्ड लिमिटेड, पांडिचेरी को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(दो) का.आ. 123, जो 23 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ब्लिस बेनिफिट फण्ड लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 163, जो 27 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय कम्पनियों को "निधियां" घोषित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 272, जो 5 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय कंपनियों को "निधियां" घोषित किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 291, जो 12 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय कंपनियों को "निधियां" घोषित किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 292, जो 12 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इनकान म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, लखनऊ को एक "निधि" घोषित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 5542/94]

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1993, जो 26 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या•सा.का.नि. 721 (अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5543/94]

(3) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5544/94]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत, 31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5545/94]

पेटेन्ट, डिजाइनस और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, श्रीमती कृष्णा साही की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :- पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अंतर्गत पेटेन्ट, डिजाइनस और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5546/94]

कॅयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॅयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5547/94]

एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5548/94]

(3) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5549/94]

(4) वर्ष 1994-95 के रक्षा सेवा प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5550/94]

[अनुवाद]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1993 जो 1 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 1993 जो 1 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासिनक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1993 जो 1 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 6 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1993 जो 8 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 27 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1993 जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 1993 जो 22 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 42 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1993 जो 22 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 1993 जो 15 दिसंबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 755 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1994 जो 11 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1994 जो 11 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 95 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1994 जो 20 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 30 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5551/94]

(2) (एक) केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी 1992 से 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह को अस्वीकार करने के कारण दर्शाने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5552/94]

(3) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) वर्ष 1991-92 के लिए संघ लोक सेवा आयोग का बयालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त के अध्याय आठ में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को अस्वीकार करने के कारणों को दर्शाने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 5553/94]

(4) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5554/94]

ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5555/94]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 5556/94]

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर होर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा, खंड (ड) (चार) के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) जम्मू-कश्मीर होर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) जम्मू-कश्मीर होर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड श्रीनगर के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5557/94]

12.30 म.प.

[अनुवाद]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थाई समिति

(i) पांचवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, मैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1993 के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थाई समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(ii) साक्ष्य

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : महोदय, मैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1993 के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थाई समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.30 1/2 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बरहामपुर (उड़ीसा) में एक उच्च शक्ति वाला टीवी ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, उड़ीसा राज्य में बरहामपुर शहर और पड़ोसी गंजाम जिले के असंख्य लोग चिकित्सा, चतरापुर आदि जैसे क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण की आवश्यकता महसूस करते रहे हैं।

[श्री गोपी नाथगजपति]

बरहामपुर में स्थापित किया गया कम शक्ति का नया ट्रांसमीटर इससे अपेक्षित वृहद क्षेत्र को सेवा प्रदान नहीं कर पा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दूरदर्शन कार्यक्रमों के दौरान टेलीविजन पर तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। संयोगवश बरहामपुर जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा का दूसरा बड़ा शहर है जोकि विकसित हो रहा व्यापारिक केन्द्र है। पूरे क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का स्पष्ट रूप से न देखा जा सकना स्थानीय नागरिकों की एक वास्तविक समस्या है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से बरहामपुर में शीघ्र ही एक उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) नासिक (महाराष्ट्र) में खेलकूद परिसर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

डा. वंसत पवार (नासिक) : महोदय, महाराष्ट्र में नासिक कुम्भ मेले और अत्यधिक औद्योगिकरण और कृषि विकास विशेष रूप से बागवानी तथा चीनी मिलों के विकास के कारण तेजी से विकसित हो रहा है, इसकी जनसंख्या लगभग दस लाख तक पहुंच गई है। नासिक में लगभग 77 'स्पोर्ट्स क्लब' हैं। बहुत से प्रसिद्ध राष्ट्रीय खिलाड़ी, पुरुष एवं महिलाएं, नासिक के ही रहने वाले हैं। भारत सरकार की खेल नीति "कैच देम यंग" के अनुसार नासिक में एक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। नासिक में एस.पी.डी.ए. सेन्टर बहुत पहले स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन इस संबंध में आज तक कोई गतिविधि नहीं हुई है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को शीघ्रता से लिया जाए और नासिक में चिर प्रतीक्षित स्पोर्ट्स काम्पलैक्स पर काम शुरू किया जाए।

[हिन्दी]

(तीन) रांची क्षेत्र (बिहार) में कतिपय मार्गों को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के रांची क्षेत्र में सड़कों के अभाव में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। यह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र के निम्न सड़कों एवं पुलों को राष्ट्रीय मार्ग में सम्मिलित कर इनका निर्माण शीघ्र कराया जाना चाहिए।

1. गोला से इचागढ़, वाया सिल्ली, बंता, वरिन्द्रा सड़क एवं इस सड़क पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण।
2. रांची से गोला वाया कुच्चु, वोड़ेया सड़क का निर्माण एवं जुमार नदी में वोड़ेया के पास पुल का निर्माण।
3. चतरा से सता की वाया पईका सड़क का निर्माण एवं इस सड़क पर पड़ने वाला रादू नदी के पुल का निर्माण।
4. पतराहातू सिल्ली के पास रादू नदी पर पुल का निर्माण।

5. रांची शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, इसमें बाईपास सड़क का निर्माण।

6. रांची से राय सड़क वाया बुदूमू का पुल एवं सड़क का निर्माण।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जनहित में उक्त सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जाए ताकि, इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

(चार) संत राघव दास जी की वर्षगांठ मनाने तथा इस अवसर पर स्मारक टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के श्रेष्ठतम योद्धा बाबा राघव दास का जन्म शताब्दी समारोह 1995 से प्रारंभ हो रहा है। बाबा राघव दास ने पूज्य महात्मा गांधी के नेतृत्व में न केवल स्वाधीनता संग्राम में अगुवाई की, अपितु दलित उद्धार, स्त्री शिक्षा, आम साक्षरता, कुष्ठ सेवा, प्राकृतिक चिकित्सा और कुटीर उद्योगों के विकास में अद्वितीय योगदान किया है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा से त्याग पत्र देकर बाबाजी ने भूदान यज्ञ, ग्राम दान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार-प्रसार मंत्री की हैसियत से संपूर्ण भारत में राष्ट्र भाषा के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। वे गांधी स्मारक निधि के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सर्वोदय परिवार की बहुत सारी संस्थाओं के संचालक थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर आचार्य विनोबा जी ने उन्हें भूदान यज्ञ का हनुमान कहा था।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे संत और साधक का जन्म शताब्दी समारोह राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाया जाए और भारत सरकार उनकी समृति में एक डाक टिकट जारी करे।

(पांच) देश में सूती धागे की कीमतों पर अकुंश लगाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम (तिरुचेंगौड़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में सूती धागे की बढ़ती कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना इसका हल नहीं है क्योंकि इससे कपास उत्पादन करने वालों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ता है।

डिहैण्डलिंग और कालाबाजारी रोकने जैसे अन्य उपायों से कपास के बाजार भाव को नियंत्रित करने से सूती धागे की कीमतें स्थिर करने में सहायता मिलेगी। यदि सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि को नहीं रोका गया तो देश में और अधिक विद्युत करघे बेकार हो जाएंगे। तमिलनाडु में इन क्षेत्रों पर रंगाई तथा प्रसंस्करण पर भी निर्भर हजारों कामगारों को अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से देश में सूती धागे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(छह) कर्नाटक में नल मंगला और टुमकुर के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग को बेहतरीन करने के लिए पर्याप्त धन राशि आवंटित करने की आवश्यकता

श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : राष्ट्रीय राजमार्ग बेंगलूर और टुमकुर को जोड़ने वाला कर्नाटक के उत्तरी भाग की ओर जाता है और ऐतिहासिक नगर चित्रदुर्ग सहित अनेक महत्वपूर्ण

[श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा]

शहरों और कस्बों को जोड़ता है। यह राजमार्ग देश के अति महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक है। दक्षिण भारत में इस राजमार्ग पर यातायात का घनत्व सबसे अधिक है। इस राजमार्ग से बेंगलूर और तुमकुर के बीच दोहरा करने का प्रस्ताव है, क्योंकि इस सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेंगलूर और नालामंगला के बीच इस सड़क को दोहरा करने का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन नालामंगला और तुमकुर के बीच इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। हमारे बार-बार अनुरोध करने के बाद भी बहुत लम्बे समय से लंबित इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारी विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र, व्यापारी और बहुत से अन्य लोग इस सड़क पर ही निर्भर हैं। लोगों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा करने के लिए भी दुर्घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी है।

अतः मैं माननीय जल भूतल परिवहन मंत्री महोदय से इस मामले पर उच्च प्राथमिकता आधार पर गौर करने और इस काम को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(सात) मुम्बई दूरदर्शन से कार्यक्रमों का बाधा रहित प्रसारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, जलगांव में दूरर्शन ने लघुशक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया है, जिससे जलगांव क्षेत्र के लोग दिल्ली के साथ-साथ मुंबई दूरदर्शन पर मराठी कार्यक्रम भी देख सकते हैं। मगर तकनीकी खराबी के कारण जलगांव क्षेत्र के लोग मुंबई से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम ठीक तरह से नहीं देख पाते। दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम जैसे ही शुरू होते हैं, प्रक्षेपण एकदम साफ दिखाई देता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तकनीकी समस्या को शीघ्र खत्म करके जलगांव क्षेत्र के लोगों को मुंबई दूरदर्शन से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम स्पष्ट रूप से दिखाने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

12.42 1/2 म.प.

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक–जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 16 और 17 पर एक साथ चर्चा करेंगे। कल श्री भोगेन्द्र झा बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

12.43 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, 1994 का प्रस्तुत अध्यादेश संख्या-2 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से 25 जनवरी को जारी किया गया था। उस समय संसद के बजट सत्र के आहूत करने की बात का निर्णय हो चुका था और 21 फरवरी से यह सत्र प्रारंभ हुआ। इसमें धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे कदम के रूप में भारत सरकार द्वारा संसद के अधिकारों पर आघात करने की प्रवृत्ति का दृढ़ होने का यह सबूत है। हम यह नहीं मानते कि कभी भी अध्यादेश की आवश्यकता नहीं होगी। लगभग हर सत्र के ठीक पहले या सत्रावसान का निर्णय हो जाने के बाद अध्यादेश की बाढ़ चली आती है। मैं समझता हूं कि हमारे जनतंत्र और संसदीय प्रणाली पर इस आघात की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है इसीलिए इस अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए मेरा सांविधिक प्रस्ताव है तो मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार के इस जनतंत्र विरोधी प्रवृत्ति पर हम मिलजुलकर चोट करें ताकि जनतंत्र की परंपरा को मजबूत बनाया जाए, जो उद्देश्य इस अध्यादेश के लिए रखे गए हैं तो इनमें सही एक ही मालूम पड़ता है, वह यह है कि जो नयी वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति सरकार ने अमल में लाने के लिए अपनाई है। हमारे लिए वह गौरव का दिन था जब 1972-73 में देश की खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस समय भी मैं संसद में था। उस समय स्व. मोहन कुमार मंगलम उसके मंत्री थे तो मालूम पड़ रहा था कि जो निजी क्षेत्र के पूंजीपति हैं और खानों के मालिक बनाए हुए थे, वे बर्बाद कर देंगे। मुस्तैदी से रात-रात भर जागकर अपने विश्वसनीय अधिकारियों की मदद से खानों का यह कार्य किया गया।

कि खानों की सम्पत्ति को बर्बाद नहीं किया जा सके, उसकी सुरक्षा हो, खानों की सम्पत्ति को लूटा नहीं जा सके। उस लूट को पूरी तरह रोका नहीं जा सका, मगर लूट को रोकने का सतत प्रयास हुआ और खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसकी आवश्यकता केवल किसी सैद्धांतिक आधार पर नहीं थी। व्यक्तिगत पूंजीपति जो खानों के मालिक होते हैं, किसी भी उद्योग की तरह वे सिर्फ मुनाफे के लिए होते हैं। उन्होंने हमारी बहुत-सी खानों को बर्बाद कर दिया। जब लागत के बाद खानों से कोई भी खनिज सामान कम मात्रा में उपलब्ध होने लगता है तो उसको बर्बाद करके देश की सम्पत्ति को, खानों की जिन्दगी को लघु बनाकर अपने मुनाफे के लिए वे उसे बर्बाद कर देते हैं। यह काम अंग्रेज कम्पनी वालों ने किया है, क्योंकि पहले ज्यादातर कम्पनीज के मालिक अंग्रेज ही थे। उन्होंने हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति को बर्बाद किया। बाद में निजी क्षेत्र में हिन्दुस्तानी लोग मालिक हुए, उन्होंने भी बर्बाद किया। उन्होंने मजदूरों का पूरा शोषण किया। खासकर कोयला खदान को मजदूरों की हालत बंधुआ मजदूरों से भी बदतर थी। राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूरों की मजदूरी लगभग साढ़े तीन गुना बढ़ा दी गई। उनके अधिकारों में वृद्धि हुई और देश के एक सम्मानजनक उत्पादक नागरिक के रूप में उन्होंने स्थान पाया। आज फिर इस नई औद्योगिक और खनिज नीति के तहत सरकार राष्ट्रीय सम्पत्ति को, राजकीय सम्पत्ति को, देश की सामूहिक सम्पत्ति को व्यक्तिगत पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है।

[श्री भोगेन्द्र झा]

मैं फिर अपने विचार को दोहराना नहीं चाहता कि इस नीति के आधार पर 1991 का पिछला चुनाव नहीं लड़ा गया था। आज के शासक दल कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने अपनी इस छिपी हुई नीति को नहीं रखा कि हम देश की सामूहिक सम्पत्ति, राजकीय सम्पत्ति को निजी क्षेत्र कँ देशी और विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी समझ में इनको कोई जनादेश नहीं है। मतदाताओं से धोखा करके देश की वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह बदला जा रहा है, जहां निजी पूंजीपति सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं। देशी हो या विदेशी सबका यही लक्ष्य होता है। राजकीय क्षेत्र में किसी अधिकारी की गड़बड़ी, सरकार की गड़बडी, किसी मंत्री की गड़बड़ी, इन सबके बावजूद समस्त देश की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में देश का औद्योगिक विकास ही उसका लक्ष्य होता है। ऐसी गड़बड़ियों के बावजूद वह विकास के रास्ते पर चला है। उस पर यह आघात किया जा रहा है।

मं समझता हूं कि जो नई औद्योगिक नीति और खनिज नीति अपनाई गई है, उसी के तहत यह अध्यादेश जारी किया गया है। अगर ऐसा ही किया गया है तो संसद में इस पर व्यापक बहस कराई जानी चाहिए। अध्यादेश के जरिये यह करना और भी अनुचित है। अध्यादेश में चार बातें बताई हैं कि राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दिये जायेंगे, जिनको खनन का ठेका दिया जायेगा, उनके लिए अधिक स्थायित्व का उद्देश्य, विदेशी पूंजी ज्यादा आये, यह भी एक उद्देश्य है, चौथा है नई तकनीकी के लिए, आधुनिक तकनीकी के लिए ऐसी गुंजाइश खोलने के लिए, मैं समझता हूं इन सभी उद्देश्यों के लिए यहां ठीक उलट बात इस विधेयक में और अध्यादेश में हमें मिलती है। बहुत से खनिज द्रव्य हैं, जिनसे खानों के लिए, इस्पात कि मिलों के लिए पक्की ईंटें बनती हैं। क्या उस क्ले मिट्टी की खुदाई के लिए भी केन्द्र की अनुमति लेनी होगी ?

उपाध्यक्ष जी, बिहार में भी 14 खनिज द्रव्य हैं, जिनके लिये अनावश्यक रूप से केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ती है। जहां तक मुझे ज्ञात है केन्द्र ने ऐसे काम के लिये इनकार नहीं किया है चाहे उसने इसमें 8-10 महीने या साल लगा दिया हो। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में क्षति होती है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मेरे ख्याल से इस विधेयक ने इस प्रवृत्ति को और मजबूत किया है। यह हो सकता है कि भ्रष्टाचार में राज्य के अधिकारियों के अलावा केन्द्र के अधिकारी अथवा मंत्री भी हिस्सा चाहते हैं। इससे कौन से राष्ट्रीय हित की सम्पुष्टि होती है ? सोना की खानों को निजी क्षेत्र के हवाले किया जा रहा है। राज्य सरकारें प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई हैं और वहां इस तरह के उद्योग लगाने के लिये केन्द्र की अनुमति के बिना किसी को ठेके पर नहीं दे सकती है और यदि ऐसे उद्योग बढ़ाने ही हैं तो उसके लिये अनुमति ली जाये? इससे तो समय बरबाद होता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे सभी खनिज द्रव्यों को अनुसूची-1 में से अलग कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपने जवाब में इस सदन के सामने इस बात को रखेंगे कि 7 मार्च को केन्द्रीय स्तर पर कुछ उद्योगपतियों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इसमें यह सुझाव दिया गया कि खनिज द्रव्यों के लिये केन्द्र से अनुमति लेने के बाद खनन प्रारंभ हो, चाहे ठेके की स्वीकृति दी जाये। इस बात का सबने विरोध

किया था। इसके बाद तब सरकार ने विधेयक के रूप में उन बातों को लाने का तय किया है जो आज हमारे सामने हैं। इन सब का क्या औचित्य है ? इससे केन्द्र और राज्य संबंधों पर चोट पड़ती है जो राष्ट्रीय हित में नहीं है। इससे उत्पादन वृद्धि का हित नहीं है।

आयात-निर्यात समस्या नहीं है सिवाय इसके कि विलम्ब करने में एक निर्णायक कारण बन जाये। तो मैं आग्रह करूंगा कि इन सभी खनिज द्रव्यों को इससे बरी कर दिया जाये। सरकार यह विधेयक और अध्यादेश लायी है, सरकार को समझना होगा कि शासक दल सही रास्ते पर नहीं चल रही है। सरकार बहुमत के आधार प्रर विरोध करे और यह समझेगी कि वह गलत है, क्या इसके विरोध को स्वीकार नहीं करेगी ? इस तरह तो देश का अहित होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें खनिज द्रव्यों की रायल्टी की बात कही गयी है। यह तौल के आधार पर दी जाती है न कि कीमत पर। द्रव्यों का मूल्य कई गुणा बढ़ गया है और बहुत से राज्य वित्तीय संकट में हैं। जिन राज्यों को तौल के आधार पर रायल्टी दी जाती है, उनमें बिहार सर्वप्रथम है। बार-बार आग्रह के बावजूद सरकार इस पर अड़ी हुई है। इसलिये मेरी मांग है कि सरकार इसका तत्काल ऐलान करे कि यह रायल्टी तौल के आधार पर न होकर मूल्य के आधार पर दी जायेगी।

तो राज्यों की आय पर जो इस तरह चोट पड़ रही है, विकास कार्यों को करने से उन्हें पंगु बनाया जा रहा है, उस नीति को त्यागने का यह एक अवसर आया है और चूंकि आपने इसके उद्देश्यों में रखा है कि हम राज्यों के अधिकार बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिये आपने सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं चाहूंगा कि आज आप इस बात का एलान कर दें, क्योंकि अब यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गयी है। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है, बिहार पर सबसे कठिन चोट है, उड़ीसा का भी मामला है, पश्चिमी बंगाल का यह मामला है और कई खनिज पैदा करने वाले राज्यों का यह मामला है। अब चूंकि हम उपद्रव न करें, उपद्रवों को हिंसात्मक रूप न दें, इसलिये सरकार बहरी होकर बैठी रहे, हमारा वित्त मंत्रालय बहरा होकर बैठा रहे और देश के सामने इस गलतबयानी को करे कि राज्यों के अधिकार बढ़ाने के लिये हम काम कर रहे हैं, यह अब और अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, जबकि ठीक उसके विपरीत साधन आप इसके जरिये कर रहे हैं। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि 7 मार्च की जिस बैठक में सभी राज्यों के पदाधिकारी आये थे, उसमें बिहार के लोग भी शामिल थे, उन लोगों ने सुझाव दिया था कि इन खनिज द्रव्यों को आप अनुसूची-I से अलग कर दें, उसे आप स्वीकार करके अपने बोझे को हल्का करने का काम कीजिये। निरर्थक बोझा अपने माथे पर आप मत लीजिये क्योंकि इससे देश का कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इससे कुछ व्यक्तियों का, लूटपाट में हिस्सा लेने वालों का हित हो सकता है लेकिन देश का हित इसमें नहीं है, खनिज उत्पादन के मामले में इससे कोई कोई फायदा होने वाला नहीं है।

इसके साथ ही, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अभ्रक का मामला भी ऐसा ही है। संसार के अनेक देशों के मुकाबले में, अकेला बिहार सबसे आगे है जो कच्चा अभ्रक बाहर भेजता है, कच्चा लोहा हम गोवा होकर बाहर विदेशी भेजते हैं, अब हम विकासशील देश नहीं हैं, भारत अब अर्ध-विकसित देशों में आ गया है, अविकसित देशों में अगली कतार में और विकसित देशों में पिछली

[श्री भोगेन्द्र झा]

कतार में हम हैं, फिर हम क्यों कच्चा माल ही बाहर भेजते रहें। मैं चाहूंगा कि यदि अभी तक मंत्री जी ने कोई निर्णय न किया हो तो फिर सोच लें, ब्रिटिश जमाने से हम जिस तरह कच्चा माल भेजते आये हैं, उसी राह पर हम अब भी चलते जायें, अब तो अभ्रक की आवश्यकता भी तकनीकी मामलों में और कई दूसरे मामलों में बढ़ गयी है, जब उसकी उपयोगिता बढ़ गयी है, फिर भी हम भारत के लोग, बिहार के लोग केवल कच्चा अभ्रक ही बाहर भेजते रहे और ब्रिटिश राज में हम जितना पाते थे, वही कीमत हम आज भी पा रहे हैं। अतः मैं आग्रह करूंगा कि अब हमें कच्चे लोहे और कच्चे अभ्रक का निर्यात बंद कर देना चाहिये और उसके स्थान पर कुछ नई वस्तुएं उत्पादित करके, तैयार करके, कच्चे अभ्रक और लोह को किसी नई वस्तु में परिवर्तित करके, तैयार माल का निर्यात हम करें, उससे देश को भी लाभ होगा और विश्व में जो श्रम का संकट है, वह भी थोड़ा दूर होगा, क्योंकि हमारे यहां हाथ ज्यादा हैं। उतने हाथ अमेरिका में नहीं हैं, उतने हाथ यूरोप के किसी देश में नहीं हैं। हम अपने हाथों का उपयोग करें और कच्चे माल से कुछ नई वस्तुएं तैयार करके बाहर भेजें। यह हमारे औपनिवेशिक दासता की वित्तीय नीति का सबूत है कि कच्चा लोहा और कच्चा अभ्रक ही हम बाहर भेजते रहे। इससे स्वभावतः राज्यों को भी हित होगा, राज्यों में ज्यादा लोग इसका उत्पादन करने में लगेंगे।

उसी तरह मेरा यह भी आग्रह है कि स्टेबिलिटी के नाम पर आज क्या हो रहा है और यह कितना गंभीर लगता है कि जब तक राजकीय क्षेत्र है, उसके लिये आपने एक साल की या 6 महीने की अवधि रख दी कि इतने दिनों में यदि कार्य चालू न हो तो अनुमति के निर्णय को रद्द कर दिया जायेगा, लेकिन अब आप उस अवधि को 3 वर्ष के लिये बढ़ाने जा रहे हैं यानी निजी क्षेत्र के लोगों को रियायत देंगे। दूसरी ओर जहां ठेके की 20 वर्ष की अवधि थी, उसे आप 30 वर्ष कर रहे हैं, यह कितना भयंकर मामला है। राजकीय क्षेत्र का पता नहीं है। क्योंकि सरकार एक दुश्मन की तरह उस पर पिल पड़ी है और किसका यह क्षेत्र है। क्या भारत का जन-गण, भारत का श्रमजीवी इस सरकार के खिलाफ उठकर, इस सरकार के खिलाफ लड़कर राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा कर सकता है, क्या सरकार के जरिये वह रक्षा असंभव हो गयी है। मैं समझता हूं कि निजी क्षेत्र के लिये सहूलियतें इस नाम पर देना कि ज्यादा दिनों के लिये यदि ऐसा होगा तो वे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं...

01.00 म.प.

हो सकता है कल ये मिल्कीयत के खतरे पर पहुंचा दें, इस रूप में न रहने दें। वैसे भी नये इलाकों में नई खोजों का पता लगता है, तो उनको आरक्षित करने का काम राज्य सरकार करती है। अब उसके लिए भी केन्द्र सरकार से राज्य सरकार अनुमति ले, यह कहां का न्याय है। जो नया क्षेत्र राज्य को पता लगे, उसे सिर्फ आरक्षित करना है, उसमें अभी खनन नहीं होना है, इसमें केन्द्र सरकार का क्या बिगड़ता है। इसमें टकराव की आवश्यकता नहीं है। खुदाई नहीं होनी है, किसी को ठेका नहीं दिया जाना है, सिर्फ उस भूमि को आरक्षित कर के रख देना है, उसके लिए भी आपकी अनुमति चाहिए, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। जिसकी वह जमीन है उसका वह रूप बदल दें,

तो क्या होगा। जहां एक तरफ आप नौकरशाही को कम करने और लालफीताशाही को घटाने की कोशिश करना बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लालफीताशाही को बढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि वैसे ही देशी और विदेशी पूंजीपतियों के आने का रास्ता आपने खोल दिया है। आपने इस विधेयक में बहुत ही छद्म तरीके रखे हैं, जिनके जरिये वे यहां आ सकते हैं। इसके उद्देश्यों में इसको इस प्रकार से रखा गया है कि साधारण रूप से पढ़ने से किसी को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन इसमें उनके आने के रास्ते खोल दिए गए हैं। जहां तक आधुनिक तकनीक का मामला है, हमने इसका पहले भी प्रयोग किया है। हमने बहुत-सी खानों में आधुनिकता लाई थी। पोलैंड के राष्ट्रपति आए थे और बहुत ही लाभकारी बातें हुई थीं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने या वहां की सरकार की ओर से कोई यह शर्त नहीं थी कि निजी क्षेत्र को दी जाएगी तभी हम यह तकनीक देंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की यह बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति हो रही है। इसके मायने यह है कि देश की बहुमूल्य सम्पदा को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में दे दिया जाए।

हमारी आर्थिक सम्प्रभुता पर, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता पर एक के बाद दूसरी चोट पड़ती जा रही है। यह हम लोग समझ सकते ' जानते हैं। कल को हम रहें या न रहें। हम सभी इतिहास की एक कड़ी का काम कर सकते हैं, एक जंजीर के माध्यम से काम कर सकते हैं। कौन रहेगा, और कौन नहीं रहेगा, यह तो भविष्य पर निर्भर है, लेकिन भूत काल से भी हमको कुछ अनुभव लेना है। ऐसी स्थिति में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए हम अपनी खदानों के लिए भी फाटक खोल रहे हैं। आकाश में हमने इन लोगों के लिए मार्ग खोल दिया है, विमानों को चलाने की अनुमति देकर, धरती पर कई उद्योगों को लगाने की अनुमति देकर हमने धरती पर इनके आने के रास्ते को सुगम बना दिया है और अब हमने अपनी खनिज सम्पदा को उनके हाथों में सौंप कर इनको भूगर्भ में प्रवेश करने की भी अनुमति दे दी है।

हम क्या समझते हैं कि वे हमारे यहां आकर पूंजी लगाएंगे, वे तो हमसे और पूंजी लेंगे। वे तो यहां से मुनाफा कमाएंगे। हम नहीं समझते हैं कि इतने जाहिल हमारे देश के नेता हैं और जब तक हम इन चीजा को बर्दाश्त करते रहेंगे, तब तक ये लोग इन चीजों से फायदा उठाते रहेंगे। मैं समझता हूं कि हमारी स्वतंत्रता पर एक के बाद दूसरी चोट करने का प्रयास यह सरकार कर रही है। इसलिए मैं इस अध्यादेश का पूरा विरोध करता हूं। मैंने जो कहा कि जो-जो उद्देश्य रखे गए हैं, उन सभी की उलटी बात इस विधेयक में है। इसलिए राज्यों के अधिकारों के नाम पर खनिज सम्पदा के संरक्षण के नाम पर क्योंकि निजी पूंजीपतियों ने इसको बर्बाद किया है, विदेशियों ने इसको बर्बाद किया था और अब बड़े-बड़े मगरमच्छ आएंगे, तो क्या होगा। हमारा कच्चा लोहा जापान जाता है। वहां का अपना नहीं है, वह हम से लेता है।

हमारे कच्चे लोहे के खनन में हमारी सम्पत्ति की बर्बादी नहीं होगी, वह उसका लक्ष्य नहीं रहेगा। इसलिए इस गंभीर खतरे को देखते हुए मैं अध्यादेश का पूरा विरोध करता हूं और आग्रह करता हूं कि संसद इस अध्यादेश को ठुकराने के लिए दृढ़ता से कदम उठाए ताकि सरकार की इस मायने

[श्री भोगेन्द्र झा]

में राष्ट्रविरोधी नीति, जो नई आर्थिक नीति कही जाती है, एक के बाद दूसरे क्षेत्र को देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में करने की नीति को रोके, ठुकराए। हम समझते हैं कि यह आपकी नीति नहीं है, यह विदेशी मालिकों के हुक्म पर है। पूरे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की या विश्व बैंक की, डंकल प्रस्ताव की नीतियों का यह नतीजा है। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : चन्द्र शेखर जी डंकल प्रस्ताव का विरोध करेंगे।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : मैं किसी चीज का विरोध नहीं करना चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि नाम लिया है तो मैं कह दूं कि जब चन्द्रशेखर जी मंत्रिमंडल में नहीं थे, उन्होंने उस समय इस नीति का विरोध किया था।

मैं इस अध्यादेश का पूरा विरोध करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि वह इसे ठुकराए।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह अधिनियम देश में उपलब्ध खनिजों के विकास के लिए कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है। मूल अधिनियम के कुछ उपबन्धों की उपयोगिता समाप्त हो जाने और बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में यह जरूरी हो गया है कि भारतीय खनिज उद्योग मजबूत बना रहे ताकि विदेशी खनिज एवं धातु उद्योगों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक लाई जाए और पूंजी निवेश किया जाए।

खनिज विकास की गति में तेजी लाने के लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारों को और अधिक अधिकार प्रतिनिहित हों ताकि जहां तक संभव हो सके इस बारे में अंतिम निर्णय राज्य स्तर पर ही लिए जाएं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के वर्तमान उपबंधों की समीक्षा की गई और उसके कुछ उपबंधों में संशोधन प्रस्तावित है जो इस बिल के माध्यम से सदन के सामने विचार के लिए रखे जा रहे हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में इन संशोधनों को लागू करने में विलम्ब, देश के खनिज विकास के मार्ग में रुकावट बन रहा था, अतः प्रस्तावित संशोधनों को तत्काल लागू करना जरूरी हो गया। चूंकि संसद के दोनों सदन,

लोक सभा और राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए राष्ट्रपति जी ने 25-1-1994 को खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधित अध्यादेश, 1994 (1994 का नं.2) जारी किया। वर्तमान खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक उस अध्यादेश का स्थान ले लेगा।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1994 का उद्देश्य राज्य सरकारों को और अधिकार प्रदान करना, खनन पट्टों की अवधि में स्थिरता लाना, पूर्वेक्षण लाइसेंस देने की अवधि में वृद्धि करना, कुशल तकनीकी व प्रक्रिया को अपनाना तथा खनिज क्षेत्र में निजी पूंजी को आकर्षित करना है।

विधेयक द्वारा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अब तक शामिल 15 खनिजों को हटाना तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त किया जा रहा है। अभी-अभी हटाए गए खनिजों में ऐपेटाइट तथा फास्फेटिक अयस्क, बैराइटस, डोलोमाइट, जिप्सम, कायनाइट, मैग्नेलाइट, मोलिबेडेनम, निकिल, प्लेटिनम तथा अन्य कीमती धातुएं जैसे सिलिमैनाइट, चांदी, सल्फर तथा इसके अयस्क, टिन, टंगस्टन एवं वैनेडियम अयस्क शामिल हैं।

इन्हें हटाने के बाद राज्य सरकारों को केवल 11 गैरपरमाणु तथा गैरईंधन खनिजों के बारे में खनन या पूर्वेक्षण अधिकार प्रदान करने अथवा उनके नवीकरण के लिए ही केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यह 11 खनिज हैं : एसबेस्टोज, बाक्साइट, क्रोम अयस्क, ताम्र अयस्क, स्वर्ण, लौह अयस्क, सीसा, चूनापत्थर, (निर्माण सामग्री के रूप में चूने के निर्माण के लिए भट्ठों में उपयोग किया जाने वाला चूना पत्थर को छोड़कर) मैंगनीज अयस्क, बहुमूल्य पत्थर तथा जस्ता।

इस विधेयक का उद्देश्य खनन कंपनियों में अनुमत्य विदेशी इक्विटी होल्टिंग की सीमा को पुनर्निर्धारित करना भी है। विधेयक में इस संबंध में यह प्रस्तावित है कि भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी अब पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त करने की हकदार होगी।

वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि निवेश की गई पूंजी पर उचित लाभ किसी भी व्यवसाय में एक अभिन्न शर्त है। अतः विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि किसी भी पट्टे की न्यूनतम निर्धारित अवधि 20 वर्ष होगी। इसी प्रकार किसी भी खनन पट्टे की अधिकतम अवधि बढ़ कर 30 वर्ष कर दी गई है। साथ ही खनिज पट्टे के नवीकरण की अवधि 20 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। आगे के प्रत्येक 20 वर्ष का नवीकरण केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बाद होगा।

पूर्वेक्षण लाइसेंस की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है। इन लाइसेंसों का आगे नवीकरण राज्य सरकारों द्वारा अपने विवेकानुसार किया जा सकता है परन्तु ऐसे लाइसेंसों की कुल अवधि पांच वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

बिल में इस बात की भी व्यवस्था है कि राज्य सरकारों द्वारा माइनर खनिजों के मामलों में राज्य सरकारों द्वारा पारित आदेशों के संबंध में केन्द्र सरकार के समक्ष रिवीजन दायर नहीं किए

[श्री बलराम सिंह यादव]

जाएंगे। राज्य सरकारों को गौण खनिजों के पट्टों को समाप्त करने के लिए अब केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी। विधेयक में, राज्य सरकारों को गैर कानूनी रूप से खनन किए गए खनिजों की जांच तथा तलाशी करने के संबंध में और अधिक अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे अनधिकृत खनन को रोकने में सहायता मिलेगी।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के पूर्व प्रावधानों के अनुसार यदि लीज डीड के एक वर्ष के भीतर खनन कार्य आरंभ नहीं किया जाता था या एक वर्ष तक खनन कार्य बंद रहता था तो ऐसा खनन पट्टा स्वतः ही समाप्त हो जाता था। विधेयक में अत्याधुनिक और वैज्ञानिक खनन के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने में लगने वाले समय को देखते हुए पट्टा समाप्ति की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने गौण खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियम राज्य विधान मंडल के पटल पर अवश्य रखे जाँयें।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के लागू होने से पहले मंजूर किये गये कुछ पट्टों के नियम एवं शर्तें अधिनियम में निर्धारित नियम एवं शर्तों से भिन्न हैं। कानूनी अड़चनों के कारण इन्हें (नियम एवं शर्तों को) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित नहीं किया जा सका। विधेयक द्वारा इन पुराने पट्टों में संशोधन करने में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर किया जाना प्रस्तावित है।

मेरा सदन से प्रस्ताव है कि इस विधेयक को कृपया पारित कर दिया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

"कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन खान और खनिज अधिनियम में किया जा रहा है, मोटे तौर से मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, लेकिन इसमें अत्यन्त ही आपत्तिजनक, संदेहास्पद स्थिति है जिस के बारे में मंत्री जी स्पष्टीकरण करें। अधिनियम की धारा 5(2) में जो संशोधन किया गया है,-उसके द्वारा विदेशों में रहने वाले, जो लोग हैं··· **(व्यवधान)**

अन्य विदेशों में हैं, भारत के बाहर के विदेशी यहां आकर खनिज सम्पदा पर कब्जा कर सकते हैं। यह चोर दरवाजे से, जो संशोधन के द्वारा विदेशीकरण किया जा रहा है, हम उसके विरोध में हैं। हम उदारीकरण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विदेशीकरण के विरोध में हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात, अपना भाषण जारी रखें। अब सभा 02.15 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

01.15 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 02.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

02.22 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 02.22 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायमूर्ति लोढ़ाजी आप भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : मैं निवेदन कर रहा था स्वदेशीकरण और विदेशीकरण इस विधेयक के द्वारा इसकी धारा 5 और उसकी उपधारा 1 को लाते हुए जो एम्स और आब्जेक्ट्स क्लाज है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है "खान कम्पनियों में साधारण पूंजी धारण करने की विदेशियों पर निर्बन्धन शिथिल करना और भारत में रजिस्टर्ड किसी भी कम्पनी को पुनरीक्षण या खनन पट्टे के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए धारा 5 सब-क्लाज 1 को संशोधित किया गया है।" इसके लिए आवश्यक होगा कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 जो मूल बिल है, जिसको संशोधित किया जा रहा है, उसकी धारा 5 के क्लाज 1 का एक्सप्लनेशन का क्लाज 1 है, उसमें पहले लिखा हुआ था :

[अनुवाद]

"कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथा परिभाषित पब्लिक कम्पनी की दशा में, केवल तब समझा जाएगा जब कम्पनी के निदेशकों में बहुसंख्या भारत के नागरिकों की हो और उसकी शेयर पूंजी का कम से कम साठ प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो जो या तो भारत के नागरिक हैं या उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित कम्पनी है ...."

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

[हिन्दी]

यह 1956-57 से लगातार चल रहा था। अब इन्होंने इसको लोपित कर दिया है। अब 60 प्रतिशत शेयर होल्डर्स होने की आवश्यकता नहीं है, न डायरेक्टर्स की कम्पनी में मेजोरिटी होने की आवश्यकता है। जो भी कम्पनी एक्ट के नीचे यहां पंजीकृत है उसको यहां पर खान और खनिज के पूर्ण अधिकार स्वामित्व में लेने का अवसर दिया जा रहा है। यह अत्यन्त ही भयावह स्थिति है। आज स्थिति यह है कि यदि बिहार के अंदर कोयले की सारी खदानों को, जिससे हमारे देश के बड़े-बड़े उद्योग चलते हैं, अमरीका का, जर्मनी का या अन्य किसी देश का कोई व्यक्ति आकर अपने पैसे के बल पर खरीदने की कोशिश करे तो उसके लिए जो बाधा थी उसको हटा दिया गया है।

क्या हम उन बाधाओं को हटाने के लिये इस सदन में बैठे हुये हैं? यह एक गंभीर विषय है। आज तो स्थिति यह है कि यदि हमारे प्रधानमंत्री भी चाहें तो जम्मू कश्मीर में प्लाट का एक टुकड़ा तक नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन यदि क्लिंटन आये तो वह बिहार, राजस्थान और असम की खानें, गैस-आयल और बम्बई हाई के तेल खरीद सकता है। किसी युग में राबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से मिलकर या जाल बिछाकर या पैसे के बल पर खरीद कर भारत को गुलाम बना दिया था और क्या उसी ईस्ट इंडिया कं. की आवश्यकता रह गयी है? मेरे विचार से राबर्ट क्लाइव को अब कफन से निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे मंत्री उस राबर्ट क्लाइव या डलहौजी या जलियांवाला बाग के जनरल डायर को पैदा कर रहे हैं? जिन अंग्रेजों ने इस देश का शोषण किया और शहीदों पर गोलियां चलाई और सैकड़ों लोगों को भून कर रख दिया, क्या उन्हीं को रिलैक्सेशन दे रहे हैं? क्या सैकड़ों सालों के बाद उनको फिर से निमंत्रण दे रहे हैं? और हम रेड कारपेट बिछाकर कहते हैं कि आइये और इस देश का खनिज संभालिये, बिहार को संभालिये, राजस्थान को ले लीजिये और इस प्रकार सारे देश पर कब्जा कर लीजिये। यह एक प्रकार से सारे राष्ट्र की खनिज सम्पदा को विदेशी हाथों में पैसे के बल पर बेचने का षड्यंत्र है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम समझते हैं कि इसमें जो अन्य धारायें हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और केवल एक धारा के द्वारा सारे राष्ट्र की सार्वभौमिकता, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को उन हाथों में बेचा जा रहा है। आप स्वयं कह रहे हैं कि हमें अमेडमेंट करने की क्या आवश्यकता पड़ी है? हां, यदि यह समझा जाय जैसा कि मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह तो विश्व बैंक और आई.एम.एफ. का दबाव है या जो डंकल की प्रपोजल को एक एक करके स्वीकार कर कदम उठा रहे हैं? उन कदमों की संसद द्वारा छाप लगाकर यह छद्म प्रयास करते जा रहे हैं। जिन धाराओं को समाप्त किया जा रहा है उसके अलावा एक ऐसी धारा को रखना तो घातक परिणाम का द्योतक होगा। यदि इनको बारीकी से देखा जायेगा तो समझ में आयेगा कि यह आत्मघातक, राष्ट्र घातक, समाज घातक और हमारे वाणिज्य पर चोट करेगा, भारत की प्रभुता पर चोट करेगा जिसका फैसला हमारी संसद न करके इंग्लैंड की संसद करेगी या अमरीकी धन्ना सेठ यहां अकार हमारी सारी खानें खरीद लेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो धारा 5A का अमेंडमेंड जो क्लाज 2 है, डिलीट करके किया है। आपके पूर्व मंत्री ने

राष्ट्र हित में यह रखा था जिसको आपने हटा दिया है। आप पूर्ण रूप से खत्म करके कफन को दफना कर विदेशियों को निमत्रंण दे रहे हैं कि आओ यहां पर सब खनिजों पर कब्जा कर लो। क्या आपको मालूम है कि इसमें कुछ माइन्स एंड मिनरल्स डिफेंस से ताल्लुक रखती हैं? इसमें सामरिक दृष्टि से कुछ चीजें बनायी जाती हैं जिसकी सुरक्षा के लिये देश को आवश्यकता है। आप कल्पना करें कि यदि ऐसी ही माइन्स पर विदेशियों का कब्जा हो जाये तो क्या होगा? आज पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर अपने सैनिक भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसको तो यह आवश्यकता रहेगी कि किस प्रकार से कुछ पैसे भेजकर कम्पनियों की इक्विटी खरीद ली जाये।

पाकिस्तान इक्विटी यहां पर खरीद ले और उसके बाद यहां की जितनी संपदा है उस पर कब्जा कर ले और इस प्रकार से टेक ऑवर किया जा सकता है। इतना घातक यह कानून बनाया जा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको समाप्त कर दिया जाए, इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें। यदि इसको आप डिलीट नहीं करते हैं, तो बाकी कानून अच्छे होते हुए भी हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आत्मा कलुषित है।

महोदय, मैं 1-2 बातें और कहना चाहूंगा कि जब हम माइंस और मिनरल्स की बात करते हैं तो इस समय इस क्षेत्र के अंदर जो एनवायरमेंट के नाम के ऊपर मेरे क्षेत्र के अंदर छोटे-छोटे माइंस का काम करने वाले, जैसे जो पत्थर का काम करते हैं, चूना निकालते हैं वे अपना जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से करते हैं। अब दुनिया के लोग प्रदूषण के नाम पर खनिजों को चौपट करना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण या फोरेस्ट की संपदा की रक्षा करने का काम राज्य सरकारों को दें, क्योंकि जब आदमी भूखा-प्यासा होता है तो वह रोटी पाने के लिए संघर्ष करता है तो यह पर्यावरण के लिए ठंडी हवा आए, पौधों के द्वारा आनंद आए उसमें वे रहे, इन दोनों की तुलना करनी होगी। रोटी और पर्यावरण के बीच में यदि तुलना की गई तो हम रोटी को प्रेफरेंस देंगे, पर्यावरण के नाम पर खनिजों को रोका नहीं जा सकता है। पर्यावरण और फोरेस्ट विभाग लिखता है कि यह नहीं अनेक यहां पर रुकावटें डालने वाले विभाग हो गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनका दखल खनिजों से हटाने के लिए इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। आज इंसपेक्टर राज हो रहा है, हर व्यक्ति आकर कहता है कि आप लाइसेंस लीजिए। बेचारा गरीब साधारण मजदूर, जो छोटे-छोटे खनिज रखता है, उसे तबाह किया जा रहा है, इसलिए रोटी और पर्यावरण के बीच में यदि दोनों में से एक को तय करना है तो रोटी को तय करना होगा। आज बड़ी-बड़ी कम्पनियां लग रही हैं उनसे धुआं निकल रहा है। आज बहुत सी जगहों पर फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिनके द्वारा प्रदूषण होगा लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। साधारण खनिज निकालने वाले गरीब मजदूर सुबह से शाम तक जेठ की गर्मी में उसके शरीर से पसीना निकलता है, जिस पत्थर को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, वह अपने सिर के ऊपर ढोता है, उस पर आप इस प्रकार की रुकावटें डालते हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पर्यावरण और फोरेस्ट का दखल इसमें से रोका जाये, इसमें परिवर्तन किया जाए।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि स्टेट को आपने कुछ अधिक अधिकार दिए हैं यह अच्छा है लेकिन फिर भी आज भी कई जगह पर आपने उसमें लगा दिया है, सबजैक्ट टू एप्रूवल ऑफ दी सैंट्रल गवर्नमेंट, आपने अपना एक विटो पावर रख लिया वह समाप्त कर दिया जाए। हमारा फेडरल

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

कांस्टीट्यूशन है, यूनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हैं। भारत का संविधान बनाते समय उन महान लोगों ने यह सोचा था कि यह फेडरल फार्म ऑफ कांस्टीट्यूशन होना चाहिए और इसका अर्थ यह है कि हर प्रदेश के अंदर कम से कम केन्द्र के अधिकार हों, केन्द्र शक्तिशाली हो, लेकिन यूनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट इनको केवल शक्तिशाली बना करके और प्रदेश की सरकारों को मुहताज बना करके मंत्री यहां पर गलियारों में चक्कर लगाते रहे हैं, यह उचित नहीं है, इसलिए स्टेट को और अधिक पावर देने चाहिए।

इसके अलावा केन्द्र ने कुछ मिनरल्स अपने हाथ में रख लिये हैं और स्टेट्स को उनसे वंचित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि स्टेट्स को उनसे वंचित नहीं रखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं अंतिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस संशोधन बिल की धारा 5(1) में विदेशीकरण के प्रावधान को जब तक लोपित नहीं किया जाता, समाप्त नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, हम भारत के स्वदेशीकरण के पक्षधर होने के कारण, राष्ट्र की सार्वभौमिकता के पक्षधर होने के कारण, इस बिल का समर्थन करने में असमर्थ रहेंगे। यदि माननीय मंत्री जी इस धारा का लोपित कर देते हैं तभी हम उस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन कर पायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था जिसमें से एक घंटा पांच मिनट बाकी रह गये हैं। तेरह सदस्यों को अभी चर्चा में भाग लेना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर चर्चा के लिये अधिक से अधिक समय हमारे सदस्यों को मिलना चाहिये। इस पर दो घंटे का कोई बंधन आप मत रखिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार का सुझाव बहुत अच्छा है। परन्तु अभी कई विषय रह गये हैं। इसलिए सदस्यों को केवल सुसंगत मुद्दे ही प्रस्तुत करने चाहिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, मैं माननीय खान मंत्री श्री बलराम सिंह यादव द्वारा पुनःस्थापित इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्रावसान के दौरान प्रख्यापित किया गया था।

जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा कहा गया है, यह विधेयक खान क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा वर्तमान चुनौतियों का सामना करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को लाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए लाया गया है।

आज हम देख रहे हैं कि यह एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा वित्तीय कमी के कारण इस क्षेत्र में हम और राशि का निवेश नहीं कर सकते हैं। इस वित्तीय कमी के कारण छिपी हुई प्राकृतिक सम्पदा का उचित दोहन तथा उपयोग देश की समृद्धि और विकास के लिए नहीं हो पा रहा है।

इस क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का सूत्रपात करने पर भी जोर देना है तथा यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। दुर्भाग्यवश, हमने इस क्षेत्र के विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया था। हमारे देश में अथाह दौलत छिपी हुई है। हम प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल हैं। पिछले समय के दौरान वित्तीय कमी के साथ-साथ कई अनेक अन्य कारणों से भी हम इसका उचित दोहन नहीं कर पाये तथा देश के समुचित विकास के लिए उसका उपयोग नहीं कर पाये। सरकार द्वारा की गई यह पहल एक स्वागत योग्य कदम है तथा इस पहल के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से यह क्षेत्र सुदृढ़ होगा तथा इससे हमारी अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर और बल मिलेगा।

सर्वप्रथम मैं, इस विधेयक के माध्यम से राज्यों को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां देने के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का स्वागत करता हूं। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक छोटे-छोटे मामले के लिए राज्य स्तर के मंत्रियों, राज्य सरकार को दिल्ली आना पड़ता है तथा यहां मंत्रियों और सम्बन्धित अधिकारियों से मिलना पड़ता है और इसमें बहुत सा धन और समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए, राज्य सरकार को इस शक्ति के हस्तांतरण से राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यव्यय में तेजी आयगी। इस विधेयक का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू मेरी नजर में आया है।

जैसा कि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे रहे थे, इससे राज्यों को और अधिक शक्तियां मिलेंगी तथा इससे खनन के क्षेत्र में स्थिरता आयेगी। जैसा कि मैंने कहा है निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में स्थिरता लाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की उपेक्षा राष्ट्र के विकास में बाधा डालेगी। इस क्षेत्र की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसे समुचित रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

इस विधेयक के माध्यम से हम केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेने जैसे कुछ प्रतिबंध हटा रहे हैं। प्रत्येक मामले में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के पास आना पड़ता है। इस कानून के पारित होने के पश्चात राज्य सरकारों को हर बात के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा कि श्री गुमानमल लोढ़ा ने कहा है, इसके लिए कुछ प्रावधान भी हैं। उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस क्षेत्र को हमारी ओर से और अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के रोजमर्रा के मामलों को राज्य सरकारें समुचित रूप से देख सकती हैं। केन्द्र सरकार इन पर पूरी तरह से नजर नहीं रख सकती। और जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, तो शक्तियों के केन्द्र सरकार के पास निहित होने की स्थिति में प्रत्येक बात के लिए स्वीकृति लेना कठिन है। इसमें ढील देने से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार होगा। यह एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में संदेह व्यक्त किया गया था। निश्चित तौर पर मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि इस क्षेत्र को सावधानीपूर्वक खोला जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए, इस क्षेत्र में और खुलापन लाते हुए उचित सावधानी से काम लिया जाना चाहिए। अन्यथा, यह बात

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

लोगों के हितों के विपरीत जायेगी। मुद्दा यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में विदेशियों द्वारा निवेश एक हानिकारक बात नहीं है। बात केवल इतनी है कि इस सम्बन्ध में हमें उचित सावधानी और ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा, ताकि हमारे लोगों का वे शोषण न कर सकें। इसके अतिरिक्त हम वित्तीय समस्याओं से ग्रसित हैं। वित्तीय संकट भी व्याप्त है। हम और निवेश नहीं कर सकते उदाहरणार्थ, छिपे हुए संसाधन उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ, केरल के नीलाम्बुर क्षेत्र में किए गये भूगर्भीय सर्वेक्षण से वहां पर स्वर्ण भंडारों की उपलब्धता का पता चलता है। राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता दी है। इसके सर्वेक्षण इत्यादि भी करवाये हैं। वित्तीय संकट के कारण अब तक हम इस क्षेत्र में समुचित खुदाई कार्य नहीं करवा पाये। वहां पर प्रचुर मात्रा में विरल मृदा उपलब्ध है। क्विलोन में भी काफी मात्रा में हमारे पास विरल मृदा उपलब्ध है। वहां पर काफी मात्रा में मूल्यवान खनिज भी उपलब्ध है। परन्तु, दुर्भाग्यवश वित्तीय समस्याओं तथा इस क्षेत्र में और अधिक निवेश करने की अक्षमता के कारण हम संसाधनों के लिए खुदाई अथवा खोज का कार्य नहीं कर सकते हैं तथा इन खनिजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

एक और बात मुझे लीज अवधि के बारे में कहनी है। इसे बढ़ा कर 30 वर्ष कर दिया गया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। अन्यथा, इसमें बहुत सी अड़चने हैं। जब वास्तविक रूप में कार्यान्वय किया जाता है तो इसमें अनेक अड़चने आती हैं। इसलिए लीज की अवधि 40 वर्ष तक कर दी जानी चाहिए। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। मेरे विचार में मंत्री महोदय भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि लीज की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : ऐसा कीजिए परमानेंट लीज पर दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं श्री नीतीश कुमार से सहमत नहीं। वास्तविकता यह है कि आप यह कार्य एक महीने या एक वर्ष में नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, खनन का कार्य आरम्भ करने के लिए न्यूनतम अवधि एक वर्ष थी। यह अपर्याप्त थी। एक वर्ष के भीतर खनन कार्य आरम्भ करना किस तरह सम्भव है। यह वास्तविकता पर आधारित नहीं है। हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए यह कार्य बड़ा कठिन है। इसलिए, इस अवधि को बढ़ाया गया एक वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं थी। एक वर्ष में तो वे औपचारिकतायें भी पूरी नहीं कर सकते और इस प्रक्रिया में लीज की अवधि समाप्त हो जायेगी। अब इसमें दो वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। अगर आप इसके व्यावहारिक पक्ष का देखें, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है।

विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। अन्यथा, हमारी राष्ट्रीय समृद्धि तथा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

एक और मुद्दा मजदूरों की सुरक्षा का है। जब इन विदेशी कम्पनियों तथा अन्य लोगों को खनन कार्य में लगाया जायेगा तो वे केवल अपने लाभ को ही देखेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य मात्र पैसा

अर्जित करना होगा, वे केवल अपना लाभ देखेंगे और वे मजदूरों की समस्याओं और कल्याण की परवाह नहीं करेंगे।

इसलिए मेरे विचार में सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में आने की अनुमति देते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भी मजदूरों के कल्याण का ध्यान रखें।

इस क्षेत्र में हो रही चोरी के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। इस चोरी को रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए क्योंकि ये लोग अधिकारियों की सहायता से काफी दुर्लभ और बहुमूल्य खनिज उठा कर ले जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार से अनुरोध है कि इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

अन्ततः लोढ़ा जी ने प्रदूषण का उल्लेख किया है। मेरे विचार में पर्यावरण नियन्त्रण को सशक्त बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी हमनें इसके कारण काफी समस्याओं का सामना किया है। वर्तमान समय में इस पर बिल्कुल नियन्त्रण नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक स्थान से हमें यही शिकायत मिल रही है। इसलिए सरकार को प्रदूषण नियन्त्रण के लिए किए जा रहे उपायों को सुदृढ़ बनाना चाहिए अन्यथा, सामान्य लोगों को अनेक कठिनाइयों और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस बात का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने का निवेदन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय खान मंत्री द्वारा पुनःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं। समयबद्ध और चरण बद्ध तरीके से सरकार इस सदन के समक्ष विभिन्न विधायी प्रस्ताव ला कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा गैर समझौते में निहित अपनी वचन बद्धताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीयकरण तथा उदारीकरण के नाम पर हमने अपनी सभी सीमायें खोल दी हैं और एक खुली नीति को अपनाया है, और अब हम 'ओपन अर्थ पालिसी' को आरंभ करने वाले हैं। इसलिए, मैं इस विधेयक तथा अध्यादेश को अपने प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के उत्तरोत्तर समर्पण का एक कदम मानता हूं।

प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों तरह के हैं। गैट समझौते के अंतर्गत तथा पेटेंट अधिकरों के मामले में दोनों ही नवीकरणीय संसाधनों के सम्बन्ध में और उन प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में जो गैर-नवीकरणीय हैं हम अपने अधिकारो का त्याग कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक टन कोयले का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसे निकालने में शायद एक मिनट भी नहीं लगता। हम एक ऐसी वस्तु को नष्ट कर रहे हैं, जिसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है।

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्र को इसके गैर-नवीकरणीय संसाधनों को निकालने और दोहन से पूरा लाभ मिले। एक दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री महोदय को दोष नहीं दूंगा, वास्तविक विधेयक की परिकल्पना और संरचना औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 के परिप्रेक्ष्य में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों के हितो में भारत के लोगों के द्वारा भारत का विकास करना था, परन्तु आज मंत्री महोदय वर्ष 1990 की नई औद्योगिकी नीति सम्बन्धी संकल्प की शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, जिसके अनुसार नई सरकार भारत का अपने ही ढंग से विकास करने का प्रयास कर रही है, परन्तु शायद विदेशियों के हित में तथा विदेशियों की सहायता से और शायद जैसे कि श्री भोगेन्द्र झा का अनुमान है कि एक दिन हम अपने सारे अधिकार और नियन्त्रण का त्याग कर देंगे।

महोदय, मैं एक सांविधिक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। भारत राज्यों का एक संघ है और भूमि तथा उप-भूमि पर अधिकार भारत के राज्यों में अन्तर्निहित है। इसलिए, कुछ छूट देकर तथा दूसरी अनुसूची में कुछ परिवर्तन करके माननीय मंत्री महोदय ने कोई रियायत नहीं दी है। वर्ष 1957 में हमने यह कानून पारित किया था, जिसके प्रस्तावना अनुच्छेद के भाग-2 को मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है :

> "एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह जनहित में उचित होगा कि संघ सरकार खानों के विनियमन तथा खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले।"

जिस अंतर्निहित सांविधिक स्थिति का मैंने उल्लेख किया है, उसके कारण ऐसा प्रावधान पूर्णतया आवश्यक है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, उस समय विचार यह था कि संघ सरकार खनिज संसाधनों का विवाद करेगी और संघ के सभी राज्यों के सामान्य हित में खनिज सम्पदा की खान और दोहन करेगी।

इसलिए, इस समय मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिये इस सभा के समक्ष प्रस्तुत होते, जो खनिज उत्पादक राज्यों के हितों के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें सदैव के लिए भार पर आधारित न होकर मूल्य पर आधारित रायल्टी की दर लागू की गई है, जो आज के मुद्रास्फीति के समय में, जिसमें हम रह रहे हैं, अर्थहीन हो गई है, तो शायद मैं इसका स्वागत करता। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया मैं चाहता हूं कि वे सारे विधेयक का पुनः अध्ययन करें तथा अगर वे राज्यों के अधिकारों के प्रति इतने चिन्तित हैं, तो उन्हें इसे एक व्यापक दृषिकोण से देखना चाहिए था तथा इस विधेयक को भारत के सभी राज्यों के हित में बदलना चाहिए था।

महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अध्यादेश विदेशी हितों के दबाव में आ कर लागू किया गया जो कि माननीय मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट है। महोदय, उनका वक्तव्य हमारे सामने है। प्रथम दौरा के अन्त में उन्होंने कहा है :

"जब मामला विचाराधीन था इत्यादि इत्यादि''' इस दौरान ताप विद्युत संयंत्रों अंतर्गत कार्य कर रही कोयला खानों में निवेश तथा अन्य खनिजों पर इस अधिनियम में संशोधन के अभाव में प्रभाव पड़ रहा था।"

इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, आप यह देख सकते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रवेश से कुछ सम्बन्ध है तथा अब हमारी अर्थव्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विदेशी हितों का आक्रमण हो रहा है। विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रवेश को आसान बनाने के लिए माननीय खान मंत्री ने बड़े सुन्दर ढंग से इस अध्यादेश को और अब इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। क्या हम इतने दबाव में काम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय चार सप्ताह की भी प्रतीक्षा नहीं कर सके? 25 जनवरी को यह अध्यादेश जारी किया गया, मंत्री महोदय यह जानते थे कि संसद का सत्र तीन या चार सप्ताह में होने वाला है, तथा फिर भी दबाव इतना अधिक था, अन्तर्राष्ट्रीय लाबी दबाव डाल रही थी अथवा भारत सरकार की गर्दन इतनी जोर से जकड़ी हुई थी कि चार सप्ताह भी एक लम्बी अवधि बन गयी और वे इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सके। क्या सम्प्रभुता प्राप्त देश को चलाने का यह कोई तरीका है कि उन्हें कहां पर रुकना है। हम उनको यह दलील दे सकते थे कि चार सप्ताह कोई ज्यादा समय नहीं है, परन्तु सरकार निश्चित तौर पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बड़े हल्के ढंग से लेती है।

सरकार संसद की अवमानना करती है और इसे तिरस्कृत करती है, इसलिये इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि संयोजकों, प्रायोजकों तथा निवेशकों को खुश करने के लिये हम अध्यादेश जारी करें। इस प्रकार यह अध्यादेश हमारे सामने आया है। इसलिये मैं इस अध्यादेश को जारी करने को, इसके गुणदोषों को अलग रखते हुए एक अपकीर्तिपूर्ण कार्य मानता हूं और विदेशी दबाव के आगे आत्मसमर्पण समझता हूं। अतः यह अस्वीकार्य है।

मैंने आरंभ में ही कहा है कि यदि माननीय मंत्री इस अधिनियम की पूर्ण रूप से समीक्षा करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और इस सम्बंध मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

अगर आप इस अधिनियम का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि यह तेल तथा प्राकृतिक गैस पर लागू नहीं होता। तेल तथा प्राकृतिक गैस सर्वाधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों में से हैं, शायद सर्वाधिक मूल्यवान तथा फिर भी हमारे तेल क्षेत्रों और गैस क्षेत्रों को विनियमित करने तथा उनके विकास करने के लिए कोई कानून नहीं है। यह कार्यवाही निदेशों के अन्तर्गत किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है ?

मैं एक और उदाहरण देता हूं। कुछ खनिजों को यहां गौण खनिज कहा गया है। एक समय उनका मूल्य गौण था अब उनका मूल्य बढ़ गया है। मैं केवल ग्रेनाईट का उदाहरण देता हूं। आज लगभग 500 करोड़ रुपए मूल्य के ग्रेनाईट का निर्यात होता है। क्योंकि आप जानते हैं, मुझे विश्वास है कि ग्रेनाइट के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न निहित स्वार्थों, घरेलू तत्वों की इस सभा को जानकारी है। मैं यह काम सभा पर छोड़ता हूं कि वह यह पता लगाये कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें मालूम है कि समस्या कहां है।

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

2.57 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

मैंने रायल्टी के प्रश्न का उल्लेख किया था। बिहार जिसका मैं इस सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं, में कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। पश्चिम बंगाल भी इस दृष्टि से काफी समृद्ध है। कोयले का बाजार मूल्य बढ़ रहा है, जबकि रायल्टी बिल्कुल कम बनी हुई है। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री, मुद्रास्फीतिकारी अर्थव्यवस्था में, जिसमें हम काम कर रहे हैं, और जो नई उदारवादी नीति के तहत और अधिक स्फीतिक हो जायेगी, केवल कोयले ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक खनिजों के बारे में बाजार मूल्य के आधार पर रायल्टी निर्धारित करने के बारे में एक मूलभूत निर्णय लेने पर विचार करें। इसका तात्पर्य यह होगा कि फिर राज्यों को भी हमारे खनिजों और खानों के विकास में आवश्यक भाग होगा। ऐसा केवल कोयले के मामले में ही नहीं किया जाना चाहिये मेरे विचार से कोयले में केवल बिहार को ही प्रति वर्ष लगभग 250 रुपये से 300 रुपये का नुकसान हो रहा है और सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती। मुझे एक दिन सूचना दी गई थी कि सरकार ने समस्या पर विचार करने के लिए अब एक अन्य अध्ययन समूह का गठन किया है। मैं नहीं जानता कि आखिरकार कितने अध्ययन समूहों से माननीय मंत्री को हमारे मामले के औचित्य का विश्वास होगा। अब वह समय आ गया है जबकि सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया जाना चाहिये कि राज्यों को, जो भारत की मृदा और अवमृदा में निहित सभी पदार्थों के वास्तविक मालिक हैं, सभी रायल्टियां भार के आधार पर नहीं मूल्य आधार पर दी जानी चाहिये।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। मैंने विश्व का भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि किस प्रकार खनन कार्य से प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान हुआ है। मेरे विचार में खननकर्ता पर, निवेश पर, विकास करने वाले पर कानून के तहत इस आशय का प्रतिबंध लगाया जाये कि स्थान विशेष के खनन की दृष्टि से अनुपयोगी हो जाने पर वह उसे इस प्रकार से विकसित करे कि उसे किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग में लाया जा सके। इसका विकास किया जाना चाहिये; इसे धरती मां के शरीर पर एक धब्बे की भांति नहीं छोड़ा जाना चाहिये। धरती को इस प्रकार से लहुलुहान नहीं छोड़ना चाहिये और जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि वे इस अधिनियम में ऐसे संशोधनों पर विचार करें।

अब मैं उस संशोधन पर बोलूंगा, जिसका उन्होंने वास्तव में प्रस्ताव किया है।

3.00 म.प.

15 खजिनों के मामले में राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति लेने के बारे में जो प्रतिबंध था, उसे जिस सीमा तक हटाया गया है, स्वभावतः उसका हम सभी स्वागत करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर माननीय मंत्री ने इन 15 खनिजों का चयन किया। क्या यह इस आधार पर किया गया है कि वास्तव में वे आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं हैं और सोने

की खानों को उन्होंने अपने हाथ में रखा है ? केन्द्र ने सोने की खानों को अपने नियंत्रण में रखा है और अलामकर खनिज के क्षेत्र को उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक राज्यों को दे दिया है। अतः इस प्रावधान का स्वागत करते हुए मेरा सुझाव है कि अनुसूची एक का लोप किया जाये और केन्द्र सरकार का किसी प्रकार का उल्लेख किये बगैर विस्तार करने और लाइसेंस प्रदान करने के अधिकार पूर्णतः राज्यों को दे दिये जायें।

अधिनियम की धारा 5(1) विधेयक का मुख्य भाग है। यह वह जहरीली दवा है जिस पर मंत्री महोदय ने चीनी का कोट लगाने का प्रयास किया है। अन्य सभी सतहों संशोधनों को छोड़कर, जिनकी वास्तव में कोई अधिक महत्ता नहीं है, वास्तव में महत्वपूर्ण संशोधन लाये जाने चाहिये। धारा 5(1) इस विधेयक का मुख्य भाग है और देश के लिए यह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ जहर है। यह देश में विदेशी हितों को प्रवेश के लिए आमंत्रित करती है और इसके बारे में विदेशी कंपनियों या व्यक्तियों की सहभागिता के लिए कोई सीमा नहीं रखती। उस पर कोई सीमा नहीं है। विदेशी कंपनी को न केवल पूर्वेक्षण का, बल्कि हमारे देश में खनन करने की शतप्रतिशत प्राधिकार और पट्टा दिया गया है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि वह लेटिन अमरीका, अफ्रीका से और उन सभी देशों से सीख ले जिनकी अर्थव्यवस्था खनिजों के अवशोषण पर आधारित है जिन्हें उन विदेशी साम्राज्यवादियों, उपनिवेशवादियों और नव-उपनिवेशवादियों ने सम्मोहित किया और उनकी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति आई जब विदेशी निवेशक और पूर्वेक्षणकर्ता उन्हें असहाय अवस्था में छोड़कर चले गये। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश की भी यही स्थिति हो, वह शतप्रतिशत विदेशों के अधीन कंपनियों की दया पर हो। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि अगर हमारे पास अद्यतन प्रौद्योगिकी नहीं है तो हम कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में एक निश्चित अनुपात में विदेशी निवेश को आमंत्रित कर सकते हैं लेकिन मैं या कोई अन्य देशभक्त विदेशी कंपनी की जिसके मुख्यालय विदेश में हों, जिसके निदेशक विदेशी हों, जिनकी हमारे देश में कोई रुचि न हो, जिनको हमारे देश से कोई प्यार न हो, इस क्षेत्र में शतप्रतिशत सहभागिता को स्वीकार नहीं करेगा।

इसलिए मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से इस विधेयक के इस उपबंध का अर्थात् अधिनियम की धारा 5(1) को जिस प्रकार विधेयक की धारा (3) के द्वारा संशोधित किया गया है, बिना किसी संकोच के जोरदार विरोध करता हूं।

पुनः मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे पट्टे की न्यूनतम अवधि को 20 वर्ष रखने का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हुआ है। इसे 20 से 30 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। मैं उसकी प्रशंसा करता। लेकिन यह न्यूनतम अवधि इतनी क्योंकि रखी गई है कि इसे कम से कम 20 वर्ष के लिए दिया जाना चाहिये? इसे 30 वर्ष की अवधि के लिए देने का सरकार के पास अधिकार और स्वविवेक हमेशा से था, लेकिन मुझे उसमें संदेह लगता है। न्यूनतम अवधिक 20 वर्ष ही क्यों रखी गई है ? क्या यह उन शर्तों में से एक है, जिन्हें कोयले की खानों के संबंध में ऊर्जा विकास में रुचि रखने वाली विदेशी फर्मों ने थोपा है ? क्या इसी वजह से न्यूनतम अवधि को 20 वर्ष रखा गया है, ताकि सरकार इससे बाधित रहे और 20 वर्ष से कम रखने का स्वविवेक उसके पास न रहे ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को इसका स्पष्टीकरण दें।

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

विधेयक के धारा 17 (क) को इस रूप में संशोधित किया गया है ताकि केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के षोषण के लिए आरक्षित भूमि के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्राप्त हो सके। यह शक्ति केवल राज्यों की सहमति से ही उपयोग में लाई जाती थी। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उसने इस विधेयक में धारा 17 (क) को सम्मिलित करना आवश्यक क्यों समझा।

अंत में, जैसा कि मैंने कहा है, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह हमें प्रथम अनुसूची से इतनी उदारतापूर्वक ये 15 खनिज लेने का कारण बतायें। मैं उनसे जिन खनिजों का शोषण किया गया है, उनके वार्षिक मूल्य जानना चाहता हूं ताकि हम यह ठीक-ठीक जान सकें कि कहीं यह राज्यों के लिए किया गया धर्मार्थ कार्य तो नहीं है या फिर जैसा कि मैंने कहा है यह वास्तव में उन सातहो चीजों में से एक है, जिन्हें यहां उस दवा का जहर छिपाने के लिए लाया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को सुरक्षित करना है।

मुझे इसकी कोई वजह नहीं दिखती कि भारत का इस प्रकार से, इस घृणित तरीके से अपने सार्वभौमिक अधिकारों का समर्पण करे कि हम नव-उपनिवेशवाद के शिकार हो जायें अथवा ऐसी इच्छा रखें या नव-उपनिवेशवाद का समर्थन करें अथवा नई आर्थिक व्यवस्था को, जिसे विश्व पर सार्वभौमिकता के नाम पर थोपा जा रहा है, स्वीकार करें। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इस सांविधिक संकल्प का, जिसका उद्देश्य इस अध्यादेश को हटाना है, समर्थन करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विगत 25 से 35 वर्ष के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इसका व्यापक रूप से संशोधन अपेक्षित है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसमें वह राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए रचनात्मक प्रयास करेंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस बात पर रोष जाहिर करना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित उद्योग, जिनके बिना कोई औद्योगिक अर्थव्यवस्था जीवित नहीं रह सकती, को विकसित करने के लिए हमने इतने लंबे अरसे से कठोर परिश्रम किया है, उनसे संबंधित उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे रुग्ण क्यों हो रहे हैं, शायद विदेशी कंपनियों को राजी करने के लिए, उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें रुग्ण बनाया जा रहा है लेकिन तांबा, जिंक, निकल या एल्यूमीनियम आदि की विश्व में कमी है और हरेक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को उनकी जरूरत होती है। उत्तरी क्षेत्र, अमरीका, यूरोप और जापान को उनकी आवश्यकता है और जब हमें उनकी आवश्यकता होगी, तो हम उन पर निर्भर नहीं हो सकेंगे। अतः इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने पिछले पचास वर्षों में सामरिक महत्व के खनिजों में जिस क्षमता का निर्माण किया है, उसे देश को हर कीमत पर जीवित रखना है। हमें उनमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने देनी चाहिये।

इस अपील के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि आज इस हमारी धरती को, हमारे आकाश को खुला छोड़ने और अर्थव्यवस्था को खोलने की नीति स्वीकार करने के पश्चात् हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इस विधेयक का विरोध करने के जो हमारे सामने रखा गया है।

महोदय, बोलने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रेम चंद राम (नवादा) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन के सामने एक और दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन विधेयक, जिसका नाम तो बहुत अच्छा रखा गया है खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 45-47 वर्षों तक इस देश पर हुकूमत करते-करते जब देश की हालत जर्जर हो गई, जब बिल्कुल गिर गया, देश के कमाने वाले लोगों के लिये खाना, रहना दूभर हो गया और वे आंदोलित होना शुरू हो गये तो सरकार के सामने यह समस्या खड़ी हो गयी कि उन लोगों को कैसे शांत किया जाये ?

सभापति महोदय, यह जन विरोधी विधेयक इस सदन में अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिये देश की जनता के सामने "आंख के अंधे, नाम नयन सुख" के समान है। अफसोस तो इस बात का है कि जब-जब सरकार इस सदन में विश्वास का मत रखती है तब वह केवल एक पंक्ति लिख देती है कि यह सदन सरकार में विश्वास व्यक्त करता है। उसी तरह से यह सरकार एक लाईन में लिखकर दे सकती है कि यह सरकार विश्व बैंक और GATT तथा डंकल प्रपोज़ल्स में अपना विश्वास प्रकट करती है। तो इस प्रकार अफरा-तफरी में इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता है ? बाहर से विदेशियों को बुलाकर उनको सारा खर्चा, टी.ए.डी.ए. देने की क्या जरूरत है ? आपने इस पर एक नया तरीका अख्तियार किया है। जिस पर हमारा जनतंत्र टिकेगा या नहीं ? अब हम 19 तारीख को डंकल पर चर्चा करेंगे और घर चले जायेंगे और उसके बाद कोई स्टैंडिंग कमेटी इस पर अपना विचार करेगी तो फिर उसके बाद ही क्या होगा ? हम किस प्रकार से लुटे जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिये यह एक महत्वूपर्ण लेकिन खतरनाक बिल है। हम एक स्वर से इसका विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, आजादी के बाद लगातार कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला तो क्या अन्य जिन लोगों ने कुर्बानी दी, वे पागल थे ? और आज यह सरकार तेल-मालिश करके विदेशियों को बुला रही है। आपको ज्ञात है कि जो ईस्ट इंडिया कं. यहां पर व्यापार के लिये आयी थी तो उन्होंने 200 साल तक राज्य किया और उनसे आप हम सबने आजादी पायी। फिर उनको किस लिये बुलाया जा रहा है ? आज अपने देश की संप्रभुसत्ता, आर्थिक स्वतंत्रता और देश की साख को इस संसद के द्वारा दांव पर रखा जा रहा है और इस विधेयक को यहां लाया गया है। हम समझते हैं कि यह सरकार समझ नहीं पा रही है। क्या हम जलियावाला बाग की उस ऐतिहासिक घटना को भूल सकते हैं जब हजारों निहत्थे गोलियों से भून दिये गये थे ? क्या सरदार भगत सिंह इसलिये फांसी पर चढ़ गया कि आज फिर से इस देश को गुलाम बना दें ? आज हम अपने देश की धरोहर को आसानी से बेच दें ?

[श्री प्रेम चंद राम]

सभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूं जहां पर अभ्रक की बहुत बड़ी खानें हैं वहां पर पूरे विश्व का 80 प्रतिशत अभ्रक पैदा होता है। उसमें से 70 प्रतिशत हमारे बिहार में हैं और बिहार के जिस इलाके से मैं आता हूं, नवादा में है यानी पश्चिम बिहार में है। जिस समय मैं पढ़ता था, उस जमाने में मैं देखता था कि ठेकेदारों के माध्यम से सारे काम कराये जाते थे, कांट्रैक्ट बेसिस पर काम कराये जाते थे, लेकिन आज उन्हीं कामों को मल्टी-नेशनल कम्पनियों के हवाले करने के लिये, जो विधेयक सदन में लाया गया है, मैं समझता हूं कि उससे पहले ठेके पर जितने काम कराये जाते थे, उसके जो परिणाम सामने आये, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उस वक्त मजदूर तबाह होते थे, जिन्दा जलाये जाते थे, कोई मजदूरी बढ़ाने की मांग नहीं कर सकता था और खान दुर्घटना या माइन्स के धंसने आदि कारणों से जो मजदूर मारे जाते थे, दब जाते थे, उनकी खोजबीन का काम भी नहीं किया जाता था। पहले यद्यपि मल्टी-नेशनल कम्पनियां नहीं होती थीं, कुछ ठेकेदार ही होते थे, जिनका किसी न किसी रूप से किसी तत्कालीन मंत्री से या किसी ऊंचे अधिकारी से लगाव होता था, आज भी हमें उसी बात का डर है। उसके बाद जब नेशनेलाईजेशन हुआ तो अब कहा जा रहा है कि हमारे पब्लिक सैक्टर के उद्योग फेल्योर हो रहे हैं, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग फेल्योर हो रहे हैं, यह बात ज्यादा चलने वाली नहीं है। आपकी नीतियों के परिणामस्वरूप अब देश में कोका कोला, पेप्सी कोला जैसे उद्योगों की भरमार हो जायेगी और बबूल जैसे पेस्ट हमारे देश में आ जायेंगे। बबूल पेस्ट के बारे में प्रचार किया जाता है कि बबूल का प्रयोग करने से दांत दुरुस्त रहते हैं, जबकि कुछ कैमिकल्स को चेंज करके बबूल नाम का पेस्ट हमारे देश में चलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं बबूल से जुड़ी हुई हैं, जिसका वे किसी न किसी रूप में लोगों को प्रभावित करे फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बुराइयां हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिये कोई तैयार नहीं है। इन बातों को हम सब बखूबी जानते हैं, लेकिन इधर का उधर और उधर का इधर करके यह चाहते है, कि किसी भी तरह से हो, हम बराबर सत्ता में बने रहें।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में जो कुछ कहा गया है, लिखा है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि चूंकि संसद का सत्र आना बाकी था, संसद सत्र में नहीं थी, अतः राष्ट्रपति महोदय को उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 25 जनवरी, 1994 को खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 प्रख्यापित करना पड़ा, जिसका औचित्य हमारी समझ में नहीं आया। इससे पहले भी देश में अनेक आवश्यक चीजों के दाम बढ़ा दिये गये और कई ऑर्डिनैंस निकाले गये जिनकी चर्चा हम लोग संसद प्रारंभ होने के पहले दिन से ही करते आ रहे हैं और आज भी वही चर्चा चल रही है, वे ही बातें कही जा रही हैं। इस देश के लोग हमसे पूछते हैं कि गैट क्या है, डंकेल क्या है।, वे एक ही बात हमसे पूछते हैं। यह जरूरी है कि सरकार को देश की जनता के सामने जाना चाहिये और सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये कि किन हालात में विदेशी कम्पनियों को हम अपने देश में आमंत्रित करना चाहते हैं, क्यों उनके चक्कर में पड़ने जा रहे हैं। क्या हमारे पास दौलत नहीं हैं और हम अपने उद्योगों को खुद नहीं चला सकते

हैं। हमारे देश में भी अनेक पूंजीपति मौजूद हैं और उनमें से कई पूंजीपति ऐसे हैं, जो विदेशों में भी अपना कारोबार करते हैं, क्या उनकी पूंजी के आधार पर हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते, अपने देश में विकास के काम नहीं कर सकते। दूसरे देशों में भी तो वहीं के पूंजीपतियों के आधार पर काम हो रहा है फिर हमारे देश में अपने पूंजीपतियों के आधार पर हम क्यों देश का विकास नहीं कर सकते। हमारे अपने देश के लोग देश के विकास कामों में क्यों पूंजी नहीं लगा सकते, निवेश नहीं कर सकते। जब हमारे लोग विदेशों में जा सकते हैं, उन्हें यहां पूंजी निवेश का अवसर न दिया जाये, यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार का इरादा साफ है तो यहां के पूंजीपतियों को पूंजी निवेश करने का मौका मिलना चाहिये। उसके बाद, मैं आशा करता हूं कि जो विधेयक यहां लाया गया है, उसके आधार पर खान खनिजों को संरक्षण होना चाहिये खान खनिजों के संरक्षण की गारंटी सरकार को करनी होगी। जैसा अभी हमने भोपाल में देखा कि यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस रिसने से दो दुर्घटना हुई... उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके लिए क्या हुआ ? एक मल्टीनेशनल के आने के बाद जब ऐसी स्थिति है, तो सैकड़ों के आने के बाद क्या स्थिति होगी, यह आप स्वयं समझ लीजिए। यही हाल अब खान-खनिजों के अंदर भी होने जा रहा है। यह तो इससे भी डेंजरस है। जमीन के अंदर मजदूर लोग डेढ सौ, ढाई सौ और तीन सौ किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं और जब खान धंस जाती है, तो वे कहां चले जाते हैं, जब इस बात को इसी देश के लोग नहीं सोच सकते हैं, तो विदेशियों को क्या जरूरत है। इसलिए हम इसका एकमुश्त विरोध करते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि वह उस दिन को याद करे जिस दिन इस देश को आजाद करने के लिए इस देश के लोगों ने कुरबानी दी और खास कर के बिहार के साथ इनका शुरू से सौतेला व्यवहार रहा है। सबसे ज्यादा मिनरल्स बिहार में हैं और इसका सबसे प्रतिकूल असर भी पड़ेगा तो बिहार के अंदर पड़ेगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माइन्स हैं, उनको इससे बाहर रखें और उनको अपने उनको अपने बूते पर चलाने की कोशिश करें, जिससे कि सम्प्रभुता को बचा सकें।

श्रीमान यही कहकर मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, यह बात सही है कि सरकार ने अपनी औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन किया है और औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन करने के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, सरकार लगातार उनसे इंकार करती चली जा रही है। विरोधी पार्टियों की तरफ से बराबर यह चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि आप देश की सार्वभौमिकता को, देश की आजादी को और देश के अंदर आजादी के बाद जो स्वावलंबन की नीति अपनाई गई, उसको खतरे में डाल कर आपने पुरानी औद्योगिक नीति को तिलांजलि दी है, जिसका नतीजा अच्छा होने वाला नहीं है और देश आपको, भी माफ नहीं करेगा।

सभापति जी, ये गैर-जनतांत्रिक बहुमत के आधार जब से सरकार में आए हैं तब से जो कदम उठाया जा रहा है, वह देश के खिलाफ है। इस तरह के दम पहले कभी नहीं उठाए गए थे। तात्कालिक बहुमत आपने बना लिया है, ठीक है। ढाई साल और यह पार्लियामेंट चलने वाली है और अगर आप

[श्री विजय कुमार यादव]

अभी पार्लियामेंट के अंदर इस बहुमत के आधार पर मनमानी करना चाहते हैं, तो कर लें, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसका जवाब आपको निश्चित तौर मिलेगा। आपको जनता, पब्लिक, वोटर जवाब देगा। अभी जो जवाब दिया वह आपका भ्रम है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस इसी तरह भ्रम में रहे। आपको जो मिनी इलैक्शंस में वोट मिले हैं वह वोटिंग पॉजिटिव नहीं थी, बल्कि उस तरफ बैठने वाले लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में सत्ता न चली जाए, इस डर से आपको वोट मिला है जिसके आधार पर आपने कहीं-कहीं सरकार बना ली है। खैर वह इश्यू हमारा नहीं है।

सभापति जी, मैं चाहता हूं कि बिार खनिजों का भंडार माना जाता है, इस तरह का जो आपने संशोधन लाया है, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनको आपने अपने कंट्रोल में रखा है इसका असर राज्यों पर बुरा पड़ने वाला है, खासतौर पर बिहार पर, सभी जगहों पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम औद्योगिकरण और उदारीकरण के रास्ते पर चल रहे हैं और जब राज्यों का हित आता है तो आपकी नीति बदल जाती है। हम लोग शुरू से जानते हैं कि बिहार उद्योग के नक्शे पर कहां है। एक जमाना हो गया जब कि बिहार में उद्योगों के विकास के शुरुआत हुई थी और उसके बाद से जो उसकी उपेक्षा की जाती रही है, वह आज तक उपेक्षित है। अभी भी जब कभी रिजनल इमबैलेंस की बात की जाती है तो बिहार का नक्शा नं. एक का आता है। छोटे-मोटे उद्यमियों को जो बिहार की सरकार खनन करने का अधिकार देती रही है, आप उसमें राज्य सरकार को छूट को देना नहीं चाहते हैं और उनके सामने आप यह प्रतिबंध रखते हैं कि केन्द्र में आवें और केन्द्र में आ करके सालों वे दौड़ और उसके बाद भी उनको कुछ कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी और अब जब दूसरे लोग बाजार में आ जाएंगे तो हमारे यहां जो स्थिति हो रही है और जिस तरह से आप आर्थिक निर्भरता की बात करते हैं मैं नहीं समझता कि उसमें आर्थिक निर्भरता की बात होगी। सरकारिया कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया और देश में जब से एक पार्टी का राज समाप्त होता जा रहा है तब से राज्यों की राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा अधिकार की मांग करती रही हैं। खुद उनको अपने यहां के विकास के लिए केन्द्र पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। सारे जो आमदनी के रिसोर्सेज हैं, वे केन्द्र ने अपने हाथ में रखे हैं और ऐसी स्थिति में सरकारिया कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, उस पर न तो आज तक बहस हुई और न सरकार ने अपनी कोई राय बनाई। आवश्यकता इस बात की है कि अगर देश को चलाना चाहते हैं, अब वह जमाना नहीं है कि पूरे राज्य में कांग्रेस का असर है और कांग्रेस का कोई लीडर कह देगा तो पूरे राज्यों के मुख्य मंत्री हां में हां मिलाने लगेंगे। इसलिए कई राज्यों में विद्रोह की, बगावत की बू आ रही है। उनके अधिकारों को छीना जा रहा है और उनके रिसोर्सेज पर उनकी जो क्षमता है, उसका एक्सप्लायटेशन करके और दूसरी जगहों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप इन बातों को सोचें और इस तरह से देश के अंदर जो मल्टीनेशनल के इशारे पर, चूंकि उन्होंने आपके सामने शर्त रखी है और जैसे-जैसे दिन गुजरता जा रहा है आप सारे रिसोर्सेज उनके हवाले करते जा रहे हैं।

आप अध्यादेश लाये, इसकी क्या आवश्यकता थी ? ऐसा कौन-सा भारी नुकसान होने वाला था और इस अध्यादेश को लाये और फिर उसका बचाव भी कर रहे हैं। आप गलती मानने को तैयार नहीं हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग तंत्र में विरोधी पक्ष की भी अपनी गरिमा होती है। उसे भी

अपनी बात कहने का अधिकार है। वह देश हित में जो बात कहे, रूलिंग पार्टी उसको मान ले। आप जो कहते हैं कि सरकार ने जो नीति बनायी है, वह ठीक है और उसपर दृढ़ रहियेगा। अब चारों तरफ से इस बात का विरोध हो रहा है। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जब स्वयं कहते हैं कि हमारी नीति सफल हो रही है। लेकिन मुझे बतायें कि वहां पर सफल नजर आ रही है? क्या गरीबी हट रही है, बेकारी हट रही है या मंहगाई घट रही है ? आप तो केवल अपनी पीठ थपथपाकर उस नीति की शाबाशी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक विदेशी घुसपैठियों की बात है, आप थोड़ा-सा राष्ट्रीय हित की बात भी करिये। यदि बहुत सारी तकनीक हो, हाई सौफेस्टिकेटेड उद्योग हो या बहुत-सी पूंजी की आवश्यकता हो, टेक्नालॉजी की जरूरत हो, विदेशी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो ठीक है। लेकिन जो मामला खुद हिन्दुस्तान कर सकता है तो विदेशियों से मदद लेना कोई अच्छी बात नहीं है। आपने इस बात को इस अनुसूची में कई बार जोड़ा है और हटाया है और जहां तक बिहार का सवाल है, मेरी मांग है कि मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये। चूना, पत्थर, बाक्साइट आदि को इस अनुसूची से अलग करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि यह देशघाती है और इसको इस तरह से नहीं लाना चाहिये।

मेजर डी.डी. खनोरिया (कांगड़ा) : सभापति जी, माइन्स एण्ड मिनरल्स का, जो विधेयक पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि संसद के सत्र शुरू होने से पहले यह अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है, उसे बाद में भी किया जा सकता था। लेकिन ससंद को नज़रअंदाज करते हुये यह अध्यादेश जारी किया गया, यह समझ में नहीं आता है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने खानों के विकास और इसकी बढ़ोत्तरी के लिये कदम उठाये जाने की बात कही है परन्तु कांग्रेस सरकार ने जब-जब कहीं हाथ रखा है, तो अपने फायदे के लिये कंट्रोल में रखा है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के लोगों के पास धन है जो खानों के विकास के लिये लगा सकते हैं।

उनको लीज पर देना चाहिये और वह लीज एक दो साल की नहीं हो, बल्कि लम्बे अर्से की लीज होनी चाहिये, ताकि वे उस पर ठीक प्रकार से काम कर सकें। उस प्रांत की सरकार भी उससे फायदा उठा सके और जो कोई व्यक्ति उसको लगाना चाहता है, वह भी फायदा उठा सके। इस बिल में कहा गया है कि अब विदेशी कम्पनियों को यहां बुलाकर उनसे माइन्स और मिनरल्स का काम कराया जायेगा, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं। खानों में, मिनरल्स निकालने का काम आज तक हमारे देश के धनाढ्य लोग ही करते आये हैं, मैं चाहता हूं कि उनको ही यह काम आगे भी देना चाहिये। खनिज हमारे देश में बहुतायत से मिलते हैं जिनके मामले में हमारा देश आत्म-निर्भर हो सकता है बशर्ते कि हमारा उन पर पूरा कंट्रोल हो, उनका ठीक प्रकार से डेवलपमेंट किया जाये, ठीक प्रकार से प्रोग्रेस हो, बढ़ोत्तरी हो तो कोई कारण नहीं कि हमारा देश इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर न हो जाये। हम विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।

[मेजर डी.डी. खनोरिया]

मैं हां केवल हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहता हूं। वैसे हमारे प्रदेश में माइन्स ज्यादा नहीं हैं लेकिन वहां बड़ी मात्रा में स्लेट पत्थर निकलता है जो कि काफी अच्छी किस्म का होता है और जिसे कई-कई वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, परन्तु वहां इस क्षेत्र की ओर आज तक किसी ने समुचित ध्यान नहीं दिया, किसी ने उचित देखभाल नहीं की। न तो प्रांतीय सरकार का ध्यान उस तरफ जाता है और न दिल्ली की सरकार का ध्यान उसकी ओर जाता है। मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जहां-जहां स्लेट के पत्थर पाये जाते हैं, प्रदेश की सरकार या दिल्ली की सरकार उस ओर ध्यान दे। इस देश के एक्सपर्ट लोगों को वहां भेजा जाये ताकि अधिक से अधिक मात्रा में स्लेट पत्थर को निकाला जा सके। उससे जहां हिमाचल प्रदेश सरकार को फायदा होगा वहीं हिन्दुस्तान को भी फायदा होगा।

इसके साथ-साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में नमक भी काफी मात्रा में निकलता है, जिसका रंग काला होता है और जिसे लाहौरी नमक कहते हैं। उसकी किस्म बहुत अच्छी होती है लेकिन उसकी खानें आज भी बंद पड़ी हुई हैं, किसी ने उन पर हाथ तक नहीं लगाया। पूरे के पूरे पहाड़ जैसे के तैसे पड़े हैं। कई बार हमने प्रान्तीय सरकार और केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की, यहां पर मंत्री जी के ध्यान में भी इस बात को लाया, परन्तु किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां स्लेट निकालने के काम को विकसित किया जाये वहीं नमक की माइन्स के दोहन के काम को भी हाथ में लिया जाये, ताकि हम उनसे पैसा भी कमा सकें और साथ-साथ हमारे प्रदेश में जो अनएम्पलायमेंट है, उसको भी दूर किया जा सके।

जहां तक सरकार का काम है, हमारी खानों में अगर कोई पब्लिक सैक्टर का संस्थान या व्यक्ति काम नहीं कर सकता तो उसके काम को प्राईवेट सैक्टर को दिया जा सकता है, ताकि हम अपनी खानों का भरपूर दोहन और इस्तेमाल कर सकें और देश को उनसे लाभ मिल सके। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्र ऐसे हैं, जिनकी खोज करके हम काफी धन अर्जित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में तेल, पेट्रोल और गैस निकलने की काफी संभावनाएं हैं लेनिक उसके लिये पहाड़ों में खोज करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि खोज करके वहां माइन्स वगैरह का पता लगाया जाये।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां दिल्ली में बैठी सरकार खानों के काम पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है, उनके काम को अपने हाथ में रखना चाहती है, ताकि अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके, लेकिन इस काम में जिस तरह से प्रान्तीय सरकारों को हटाया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह केन्द्रीय सरकार सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, मैं उसका विरोध करता हूं। मेरी मांग हैं कि जहां-जहां हमारे देश में खानें है, उनका बंदोबस्त वहां की राज्य सरकारों के हाथ में देना चाहिये ताकि उनकी सही प्रोग्रेस हो सके। जैसा कि मेरे दोस्त यहां पर बता रहे थे कि हिन्दुस्तान की जितनी बड़ी-बड़ी खानें हैं, सोने की, लोहे की, पत्थर की, इनके ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिये, ताकि हम इसमें और बढ़ोत्तरी कर सकें।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय मैं इस खान और खनन (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं, जोकि 25 जनवरी को प्रख्यापित अध्यादेश कर स्थान लेने के लिये इस सभा के समक्ष रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन माननीय सदस्य यहां पर इस बात का विरोध कर रहे हैं। 25 जनवरी को जिस समय यह अध्यादेश प्रामाणित किया गया था, इस समय 22 फरवरी से शुरू होने वाले लोकसभा सत्र के लिये सम्मन जारी किये जाने बाकी थे; इन्हें जारी नहीं किया गया था। कुल मिलाकर इस सत्र में हमने जो भी विधेयक पारित किये हैं, वे सभी इन्हीं अध्यादेशों का ही परिणाम हैं, इन्हीं अध्यादेशों से संबंधित हैं और अन्य किसी एक भी विधेयक के बारे में यहां पर चर्चा नहीं हुई है। मैं इन अध्यादेशों से जुड़ी अनिवार्गता पर बल देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसाकि हम जानते हैं कि सरकार विगत दो सत्रों से अथवा ऐसे ही कुछ समय से इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर रही है, ताकि संसद द्वारा कानून बनाये जा सकें। जब कोई सूचना ही जारी नहीं की गई, तब इन अध्यादेशों के बारे में कोई आपत्ति भी क्यों हो ?

हमने सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया अपनाया है। नई आर्थिक नीति तथा नई औद्योगिक नीति अपनाने के बाद हर कोई यह जानता है और हमें इसके बारे में किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है कि देश में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं और तो और पूरी दुनिया ही इस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है।

महोदय, हम जानते हैं, कि पहले जो सोवियत संघ था, उसके साथ क्या हुआ है, कतिपय अन्य समाजवादी देशों के साथ क्या हुआ है और इन देशों में कौन-कौन से परिवर्तन हो रहे हैं तथा कौन-कौन से परिवर्तन वहां पर पहले से ही हो चुके हैं। हमें अपने देश के तीव्र विकास की चिंता है। जैसाकि आप जानते हैं, इसका अभिप्राय है हमारे खान और खनिजों का विकास। वास्वत में भारत को रत्न-गर्भा के नाम से जाना जाता है। हमारे पास खनिजों के बहुत बड़े भण्डार हैं। देश की खुशहाली के लिये तथा गरीबी से लडने के लिये इन खनिज भण्डारों के यथा संभव शीघ्र दोहन किये जाने की आवश्यकता है।

कौन नहीं जानता कि हमारी समस्या यह है अपेक्षित धनराशि और अपेक्षित निवेश की किस तरह से व्यवस्था की जाये? हमें निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि उससे इस प्रयोजन के लिये धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली किसी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिये कुंजी का काम करती है, लेकिन हमारे यहां बिजली का अभाव हो रहा है, बिजली की भारी कमी है, कुछ राज्यों में बिजली की कमी 43 प्रतिशत तक है। हमारे राज्य उड़ीसा में, श्री श्रीकान्त जेना भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, सर्दी के दिनों में भी तीन घंटे बिजली गायब हो जाती है। अत: इन सभी बिजली, कोयला, इस्पात तथा खान क्षेत्रों में हमें भारी निवेश की आवश्यकता है और इनके लिये धनराशि जुटानी होगी। यह धनराशि कहां से आयेगी।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

मुझे भय है कि बिजली क्षेत्र में आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि निजी निवेश न हो, कुछ निजी उद्यमी निवेश के लिये आगे न आयें। विदेशी निवेश का आमंत्रित करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि देश के अन्दर स्थिति बनी हुई है, उसका आकलन करते हुए और विश्व में हो रहे परिवर्तनों को उचित सतर्कता और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य के विदेशी निवेशक भी हमारे यहां आ सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य कुछ और बात कह रहे हैं उनके अपने ही मुख्य मंत्रियों के साथ क्या हो रहा है? क्या वे इधर-उधर नहीं जा रहे और विदेशी निवेशकों का भव्य स्वागत नहीं कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि यदि कुछ माननीय सदस्य विशेषकर जनता दल से संबंधित सदस्य अपने राज्यों में अपने ही मुख्य मंत्रियों से बात करें तो वे यहां पर इस विधेयक का विरोध नहीं करेंगे। क्या बिहार और उड़ीसा के मुख्य मंत्री इन सभी बातों का विरोध करते हैं ?

इस दिन उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने अमरीका स्थिति विद्युत कंपनी ए.ई.एस. का उन शर्तों पर स्वागत किया है जो स्वयं हमारी भी समझ के बाहर हैं, इसलिये मैं यह कहता हूं कि हमें विकास की आवश्यकता है। **(व्यवधान)** उनका लक्ष्य उनके ही दल में कोई और व्यक्ति है।

सभापति महोदय : अन्य लोगों को सम्बोधित करने की कोशिश न करें। कृपया अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वह हमें भी तसल्ली कराना चाहते हैं; केवल आपको ही नहीं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यदि हमारे सुविज्ञ साथी सोने का बहाना करके हकीकत में जागते रहना चाहते हैं, तो कौन उनकी मदद कर सकता है?

हमें विकास के प्रयोजन से निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है। कुछ विदेशी निवेशक भी हमारे पास आ रहे हैं। गत मार्च महीने में हमने अपनी नई खनिज नीति बनाई थी। इस नीति के अनुसरण में विभिन्न अधिनियमों में, जिनमें यह खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम भी शामिल है , परिवर्तनों तथा संशोधनों की आवश्यकता है। यह उसी के अनुसरण में किया गया है। हम तेरह खनिजों के मामले में परिवर्तन करना चाहते हैं, जोकि अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक ही आरक्षित थे। इन्हें अनारक्षित कर दिया गया है। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये यह एक आनुषांगिक अधिनियम है।

इसके साथ-साथ मैं सरकार को सचेत करना चाहूंगा। लगभग दो दशक पूर्व 70 के दशक के आरम्भिक वर्षों में श्रीमती इन्दिरा जी ने कोयला तथा अन्य खानों के राष्ट्रीयकरण के लिये मजबूत कदम उठाये थे और साहसिक पहल की थी। ऐसा किस लिये किया गया? सबसे पहली बात यह है कि इस समय इन स्थानों में श्रमिकों का कर्मचारियों आदि का भयानक शोषण किया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि निजी उद्योगपतियों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खनन नहीं किया जा रहा था। इसकी

वजह से वे बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर रहे थे। इसके बाद वे लोग खानों का पूरा शोषण करके इन्हें उसी हाल में छोड़-छोड़ कर चले जाते थे। **(व्यवधान)**

आप केवल विपक्ष के नाम पर यहां कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने अन्दरूनी मन से पूछें तो आपको हमसे सहमत होना ही पड़ेगा। यदि राष्ट्रीय हित और गरीब लोगों के कल्याण की बात आपके मन में है तो आपको हमसे सहमत होना ही पड़ेगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात को समाप्त करें। **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, लगातार टिप्पणी की जा रही है, चर्चा की जा रही है। स्वभावतः आपको मुझे कुछ अधिक समय देना चाहिये। **(व्यवधान)** खान सुरक्षा हमारे दिमाग में सबसे अहम मुद्दा होना चाहिये। नियमित खान सुरक्षा लेखा परीक्षा की जानी चाहिये। निजी कंपनियां भारत के लिये प्रेम अथवा देशभक्ति वश यहां नहीं चल रही हैं।

इस संशोधन विधेयक में कतिपय अच्छी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि राज्यों को अधिक शक्तियां सौंपना; खान और खनिज के बारे में राज्यों के विरुद्ध केन्द्र को कोई अपील नहीं की जाएगी और राज्यों का निर्णय इन मामलों में अंतिम निर्णय होगा और उद्योग आदि को स्थिरता प्रदान करने के लिये उनका कार्यकाल भी लम्बा होगा। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है; और यहां पर एक नये युग का सूत्रपात होने जा रहा है। इसके साथ-साथ जोखिम तत्व भी इसमें है, और सरकार को बहुत ही सावधान होना पड़ेगा, सरकार को सजग होना पड़ेगा; उन्हें कार्य निष्पादन को देखना होगा; इस पर उन्हें निगरानी रखनी होगी। जब कभी कोई गलती होती है और आवश्यकता अनुभव होती है, तब उन्हें बात को सही करने के लिये बिना किसी विलम्ब के हस्तक्षेप करना होगा। हमें मजदूरों की सुरक्षा, वैज्ञानिक तरीके से खनन करने और पर्यावरण पहलू आदि की चिंता है। कोयला क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट अधिक होता है। अतः जब कभी भी निवेशक आयें और जब कभी उनके साथ किसी समझौते को अंतिम रूप दिया जाये तो, ब्यौरो तथा मानदंड इस तरह से तैयार किये जाने चाहिये कि इन चीजों को उचित महत्व दिया जा सके। सामुदायिक विकास तथा भूमि से बेदखल किया जाना अलग-अलग बातें हैं। मैं जानता हूं कि उड़ीसा में बैथारी में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाना है; और मुख्य मंत्री जी इसके लिये लोगों की तलाश में दुनियाभर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न देशों का शायद एक से अधिक बार भी दौरा किया है। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य सरकार भूमि से दखल किये गये लोगों को रोजगार देने के लिये भारत सरकार द्वारा परियोजनाएं आरंभ करने पर बल दे रही है। जहां पर यह प्रावधान नहीं है, वहां पर वे समझौता कर रहे हैं। अतः भूमि से बेदखल किये गये लोगों के हितों को उनकी समस्याओं को और उन्हें उचित मुआवजा दिये जाने आदि बातों को ध्यान में रखना होगा। **(व्यवधान)** इन टिप्पणियों और इन सुझावों के बाद मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इन सब बातों पर सतर्कता बरती जाये। जैसा कि मैंने कहा है जिस युग में खान मंत्रालय प्रवेश कर रहा है। इससे एक नये युग का सूत्रपात होगा, एक नये दौर की शुरुआत होगी।

इसलिये हम यह मांग कर रहे हैं कि उड़ीसा राज्य सरकार नया ए.ई.एस. कारपोरेशन के बीच जो समझौता हुआ है, उस पर इस संसद में चर्चा आयोजित करायी जाये। लोगों का और अनेक कम्पनियों का भी यह विचार है कि उड़ीसा की इब घाटी के बानरपाली क्षेत्र में नये 210x2 के यूनिट,

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

अनुमानतः 1,(XX) करोड़ से भी कम की लागत में बनाए जा सकते हैं जबकि ए.ई.एस. निगम इसे 2,(XX) करोड़ की लागत से बनाएगा। इसलिए जहां बिजली 2.4() रु. या इसके आसपास की लागत पर उपलब्ध है, इस मामले में वह 3 रु. से भी अधिक पर उपलब्ध होगी। इसलिए यहां रिश्वतखोरी होने की पूरी आशंका है। उड़ीसा में हर कोई इस संबंध में रिश्वतखोरी की बात कर रहा है। वे लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा में चुनाव नवम्बर-दिसम्बर में होने हैं और वहां का सत्तारूढ़ दल वहां चुनाव करवाने के लिये धन संग्रह करने की हर कोशिश कर रहा है। मैं भारत सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि सभी शर्तें एकदम स्पष्ट होनी चाहिये। चर्चा के दौरान एक दिन मैं विद्युत के उद्देश्य से कैपटिव कोयला खनन का समर्थन कर रहा था, क्योंकि जो नई विद्युत कम्पनियां सामने आ रही हैं, वे भी यह मांग कर रही हैं कि खानों का संचालन उन्हें सौंपा जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि खान के मुहाने से कोयला सप्लाई करने की बजाए उन्हें खनन के अधिकार प्रदान किए जाएं। इसलिए जब हम उन्हें विद्युत यूनिट दे रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वे उन्हें कुछ सीमाओं में ही संचालित करें ताकि स्थानीय लोगों तथा कर्मचारियों एवं मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। इसलिए सरकार को इन शर्तों के संबंध में सावधानी बरतनी पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ, मुझे लगता है कि इस विधेयक का विरोध करने का कोई आधार नहीं है और मुझे हैरानी है कि हमारे मित्र डंकल, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा इस तरह के प्रत्येक कदम को बुरी नज़र से क्यों देखते हैं, जबकि इसके पीछे सरकार के इरादे बहुत नेक हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं इस अध्यादेश को लागू करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करती हूं और इस विधेयक का विरोध करती हूं। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करना, सरकार के लिए एक आम बात बन गयी है। मेरे विद्वान मित्र ने अभी कहा है कि अध्यादेश को लागू करते समय कुछ समुचित आधार थे क्योंकि उस समय बजट सत्र के लिये सम्मन नहीं भेजे गये थे। हालांकि सम्मन नहीं भेजे गये, तो फिर भी हम सब को मालूम था कि सत्र आरंभ होगा और 28 तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। क्या कोई ऐसी आशंका थी जिससे कि इस अध्यादेश को इतनी जल्दी में लागू किया गया? हमें नहीं लगता कि इस जल्दबाजी की कोई आवश्यकता थी। वक्तव्य में कहा गया है कि इसमें होने वाले संशोधनों में विलम्ब खनन उद्योग के विकास के लिए हानिकारक होगा। अब वह एक बडी बात है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि विधेयक को कुछ दिनों के लिए लम्बित करने से हानिकारक प्रभाव कैसे पड़ सकते थे।

4.00 म.प.

यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। 1990 तथा 1993 की खनन नीतियों में विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था। उनमें सात उद्देश्य हैं जैसे खनिजों की खोज, खनिज स्रोतों को विकसित करना, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ाना, वातावरण के प्रदूषण को रोकना तथा खनन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि। यह सभी बहुत प्रशंसनीय परियोजनाएं हैं।

लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इस विधेयक के द्वारा इनमें से कौन-सा उद्देश्य तत्काल पूरा होने की संभावना है। यह इस विधेयक के विषय से बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हम देखते हैं कि जहां तक इन घोषित उद्देश्यों का संबंध है वह 1990 में घोषित हो चुके थे। लेकिन 1990 के बाद भी तीन वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन खनन क्षेत्र में हालात वास्तव में सुधरे नही है। हम देखते हैं कि शोध तथा विकास के क्षेत्र में बहुत कम काम हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में यह बिल्कुल बंद होने का है हम देखते हैं कि जिंक तथा तांबे का खनन क्रमशः हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, यह दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब संकट में हैं। हम देखते हैं कि भारत गोल्ड माइन्स में सोने के अवशिष्ट ढ़ेरियों में छोड़ दिए जाते हैं और उनका उपयोग नहीं किया जाता है। हमें बताया गया है कि इसके लिए एक मशीन की आवश्यकता है जिसकी कीमत 27 करोड़ है। लेकिन एक बार यह यह मशीन लग जाए तो इन सोने के अवशिष्टों से 60-70 करोड़ रु. का लाभ होने की संभावना हो सकती है। मैंगनीज़ उद्योग के मामले को ही लीजिए ! हमारे देश में मैंगनीज के विशाल भंडार हैं फिर भी मैंगनीज़ के खनन के क्षेत्र में ब्राजील हमसे काफी आगे है। ऐसा क्यों है? इस प्रकार की स्थिति के क्या कारण हैं? हम देखते हैं कि पर्यावरण में काफी मात्रा में प्रदूषण है और यह प्रदूषण सार्वजनिक क्षेत्र की ओर भी बढ़ रहा है। खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी पर्यावरण को होने वाली क्षति को नहीं रोका गया है। हम देखते हैं कि खनन श्रमिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार 1990 की नीति में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया है। हम उन उद्देश्यों के पूरा होने के आसपास भी नहीं हैं। जो बात हमारे लिए उलझन पैदा कर रही है वह यह है कि इसी एक विधेयक को एक तरह का रामबाण समझा जा रहा है। इस संशोधन को एक तरह का रामबाण समझा जा रहा है, जिसके द्वारा खनन क्षेत्र को सारी खामियों को हमेशा के लिए दूर करने की बात सोची जा रही है।

इसलिए, महोदय, चूंकि हमें इस विधेयक को इतनी जल्दबाजी में लाये जाने का कोई कारण नजर नहीं आता; इसलिए क्या इसके पीछे कोई अन्य दबाव है। हमें ध्यान आता है कि 1990 की नीति के वक्तव्य और 1993 की नीति के वक्तव्य में एक अन्तर है। यह हमें 1993 की खनन नीति के अध्याय 11 धारा 7 द्वारा पता चलता है, जोकि खनन को वित्तीय सहायता देने के संबंध में है। अब, यहां हम देखते हैं कि हालांकि नीति के पिछले वक्तव्य में, विदेशी तकनीक तथा खानों के अन्वेषण में विदेशी भागीदारी नीति का एक अंग थी, लेकिन अब 1993 में कुछ नया सा है। वह क्या है? यदि भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रोत्साहित खनन के संयुक्त उपक्रम में विदेशी इक्विटी निवेश, को बढ़ावा दिया जायेगा। न केवल यही बल्कि यह भी कहा गया है कि सामान्यतः विदेशी निवेश के मामले में इक्विटी 50 प्रतिशत तक सीमित होगी, लेकिन विशेष मामलों में इक्विटी धारिता को 50 प्रतिशत से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। यह 1993 की नीति में विशेष पैराग्राफ है जिसे इस विधेयक द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक बात है। यह एक सूत्री परियोजना है। यह इस विधेयक का एक सूत्री कार्यक्रम है।

यह इस संशोधन का महत्वपूर्ण भाग है जैसा कि श्री शहाबुद्दीन ने कहा है। यह संशोधन विधेयक के तीसरी धारा में शामिल है और यह मूल अधिनियम की पांचवीं धारा से लिया गया है। हम

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

देखते हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी की अनुमति दी जानी है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि खनन क्षेत्र के विकास के लिए, खनन क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिये एकमात्र उपाय ऐसी कम्पनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना है जिनका राष्ट्रीय कम्पनी होना जरूरी नहीं है बल्कि वे ऐसी कम्पनियां हों जिनके निवेश में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विदेशी इक्विटी हो, जबकि पहले यह अनुमति केवल राष्ट्रीय कम्पनियों को ही दी जाती थी। सरकार यह किस प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त हो गई है? यह सरकार की इस धारणा को बताता है कि केवल विदेशी निवेश द्वारा ही खनन क्षेत्र का विकास हो सकता है।

यदि हम खनन उद्योग की वर्तमान स्थिति को देखें तो हमें उन कुछ कारणों का पता चल सकता है जिनसे कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित हो जाने के बावजूद, निवेश में वृद्धि होने के बावजूद और हमारे देश का वास्तव में रत्नगर्भा होने के बावजूद, जैसा कि हमारे मित्र ने अभी कहा है, यह क्षेत्र सम्पन्न नहीं हो पाया है। क्या कारण है और खनन उद्योग में भविष्य उज्ज्वल क्यों नहीं प्रतीत होता है? एक कारण है विश्व अर्थव्यवस्था में भारी मंदी और बाजार में कुछ धातुओं की मांग न होने के कारण विश्व बाजार में कुछ धातुओं की कीमतों में अचानक कमी होना। दूसरा कारण है हमारी सरकार की नई आर्थिक नीति और धातुओं तथा धातुओं के उत्पादों तथा परिष्कृत उत्पादों के आयात पर सीमाशुल्क में कमी। तीसरा कारण जो हम देख रहे हैं वह है निजी क्षेत्र के खनन के प्रबंधकों का अक्षम होना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास विशेषज्ञता नहीं है। हमारे पास इस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध उपलब्ध हैं और बहुत श्रेष्ठ आंकड़े हमारे पास हैं। खनन क्षेत्र में प्रबंधकों की अकुशलता के कारण ही हम देखते हैं कि स्थिति बहुत उज्ज्वल नहीं है। क्या सभी कमियों को केवल निज़ी पार्टियों को आकर्षित करके तथा निवेश में 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली विदेशी कम्पनियों को अनुमति देकर दूर किया जा सकता है?

क्या हमें यही सबक लेना चाहिए ?

महोदय, कोई भी यह पूछ सकता है कि इस विधेयक में क्या है ? कोई भी इन कंपिनयों द्वारा हमारी खोज और अनुसंधान का लाभ लेने से रोकने और अन्धाधुन्ध निर्यात को रोकने के लिए कह सकता है, जिससे अपूर्ण संसाधन एक साथ समाप्त हो जाएंगे। इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे मित्र ने सुरक्षोपायों की बात की है। सुरक्षोपाय कहां हैं ? मुझे कोई सुरक्षोपाय नहीं दिखता। यद्यपि 1993 की नीति में एक परन्तुक है कि ऐसे निर्यात की अनुमति देने से पहले उत्पादन का निर्धारित भाग घरेलू बाजार के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन यदि वर्तमान आयात उदारीकरण नीति जारी रहती है और आयातित खनिजों की बाजार में भरमार रहती है और देश में औद्योगिक मंदी भी बनी रहती है, तो घरेलू बाजार स्थिर हो जाएगा और फिर इस बहाने का इस्तेमाल करना कि घरेलू बाजार को इन खनिजों की आवश्यकता नहीं है, हमारे संसाधनों का अंधाधुंध निर्यात किया जा सकता है और उन्हें समाप्त किया जा सकता है। आपने इसके लिए कोई सुरक्षोपाय नहीं छोड़ा है।

इन कम्पनियों की लूट की इस प्रक्रिया को चलाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। खनन पट्टे के लिए अनुमत न्यूनतम समय दस वर्ष से बढ़ाकर बीस वर्ष और अधिकतम समय तीस वर्ष तक कर दिया गया है। रॉयल्टी की दरें कैसे निर्धारित करने जा रहे हैं? हमें मालूम है कि विशेष रूप से गैट समझौते के बाद हम पर रॉयल्टी की दरें कम करने के लिए अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय दबाव

पड़ा है और ये दबाव अप्रैल के बाद और बढ़ेंगे। आप क्या करने जा रहे हैं ? हमें यह कैसे मालूम होगा कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगी नहीं। ये कम्पनियां सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल करेंगी। वे स्वयं वैज्ञानिक और तकनीकी आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने उत्कृष्ट नक्शे तैयार किए हैं और आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं। अब ये आंकड़े किसकी संपत्ति होंगे ? जब वे भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा एकत्र आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी ? क्या वे अपनी जानकारी का हमारे साथ आदान-प्रदान करेंगे या उस जानकारी को एकदम गुप्त रखा जाएगा ? वास्वत में, कनाडा की जिस कम्पनी ने 60 और 70 के दशक में आपरेशन हार्ड रॉक चलाया था, उसने हमारे साथ अपनी जानकारी आदान-प्रदान नहीं किया।

हमारे पर्यावरणीय नुकसान के बारे में क्या कहना है ? हमारे कामगारों के लिए सुनिश्चित किए जाने वाले संरक्षण के बारे में क्या कहना है ? सार्वजनिक क्षेत्र में भी सुरक्षा रिकार्ड अच्छा नहीं है। मैं निजी क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब खनन कतिपय क्षेत्रों में निजी हाथों में था, तो हमें उसका सुरक्षा रिकार्ड भी मालूम है। यह सरकार के हाथ में आया, सुरक्षा रिकार्ड में तब भी सुधार नहीं हुआ। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में क्या कहना है ? जहां तक विकासशील देशों के पर्यावरणीय नुकसान का संबंध है, आज सुबह भोपाल दुर्घटना और बहुराष्ट्रीय कम्पनी के बुरे रिकार्ड पर एक प्रश्न था। 1990 और 1993 की नीति के बीच एक और अन्तर है, और वह अन्तर है धारा 4 जिसमें राज्य की भूमिका का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कि 1993 की नीति में राज्य के महत्व को कम किया गया है और अस्पष्ट वक्तव्य दिए गए हैं। राज्य की भूमिका क्या हो, इस बारे में कहा गया है कि इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। इसका क्या मतलब है ? इसका मतलब है कि राज्य खनन क्षेत्र से धीरे-धीरे अपने अधिकार को वापस ले लेगा। क्या खान मंत्रालय अपने किसी तरह के स्वतः परिसमापन की ओर बढ़ रहा है ? हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं।

हमें बताया गया है कि विधेयक में राज्य सरकारों के लिए कुछ स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसमें राज्य सरकारों को और अधिकार दिए गए हैं। जी हां, यह कुछ बातों की राज्य सरकारों को अनुमति देता है और कुछ बातों को खनिज अधिनियम की पहली सूची जो अब अनुमति के लिए राज्य सरकारों के समक्ष हैं, यह अधिकार केवल एक मजाक के तौर पर राज्य सरकारों को दिया जा रहा है ताकि राज्यों को इसे विदेशी कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने के लिए बाध्य किया जा सके क्योंकि केन्द्र सरकार से कोई बजट सहायता नहीं है। यदि वे न भी चाहें तब भी उन्हें कुछ चीजें निजी क्षेत्र को देनी होंगी।

मैं, अन्त में एक दूसरा प्रश्न रखता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जो प्रथम अनुसूची में रह गई हैं। यूरेनियम, कोयला, सोना इत्यादि जैसे कुछ खनिज जो महत्वपूर्ण हैं, वे पहली अनुसूची में हैं। यूरेनियम विशेषक रूप से महत्वपूर्ण सामग्री है। जहां तक पहली अनुसूची में रखे गए खनिजों का संबंध है, यदि सरकार उनके बारे में ऐसा सोचती है तो केन्द्रीय सरकार उनकी खोज और खनन के बारे में विदेशी कम्पनियों को अनुमति दे सकती है।

क्या इन महत्वपूर्ण खनिजों को इस प्रकार से विदेशी कम्पनियों को दिया जा सकता है ? हम महसूस करते हैं कि मूल्यवान प्राथमिक संसाधनों को, जो अपूर्य हैं, विदेशियों के लिए खोलना, पूर्ण समर्पण और खतरनाक है और इससे केवल हमारे देश के संसाधन समाप्त होंगे।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : सभापति महोदय, माननीय भोगेन्द्र झा जी खान और खनिज से संबंधित अध्यादेश के निरनुमोदन का जो प्रस्ताव सदन में लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार की ओर से प्रस्तुत खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इस सरकार को आखिर क्या जल्दी है, यह सरकार किस जल्दबाजी में थी कि उसे अध्यादेश लाना पड़ा। इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्टस एण्ड रीजन्स में जो कुछ कहा गया है, उसके मुताबिक सरकार माइनिंग के क्षेत्र में देशी और विदेशी धन को अधिक से अधिक आकर्षित करने तथा राज्यों को और अधिकार देने के उद्देश्य से इस बिल को सदन में लाई है। लगातार आर्थिक नीति में उदारीकरण के बाद इस देश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें प्रत्येक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आयेंगी। सरकार की ओर से बहुत खुशी जाहिर की गयी है कि पिछले वर्ष मार्च के महीने में जिस नेशनल मिनरल पॉलिसी की घोषणा की गयी थी, वैसे तो यह सरकार अब तक अनेक पॉलिसियों को घोषणा समय-समय पर करती रही है, पिछले ढाई पौने तीन साल के अर्से में, अपनी उपलब्धियों को दिखाते हुए कई पॉलिसीज की घोषणा यह सरकार करती आयी है और ऐसा लगता नहीं कि आज जो पार्टी सत्ता में है, उसका पहले की कांग्रेस के साथ किसी तरह का रिश्ता है, क्योंकि आज तक जितनी पॉलिसीज इस देश में कांग्रेस शासन में घोषित की गयी हैं, हम लोग जिस विचारधारा को मानने वाले हैं,जिस स्कूल ऑफ थॉट के विद्यार्थी हैं, उसके हिसाब से हम पंडित जवाहर लाल नेहरू की 90 प्रतिशत नीतियों से असहमत थे। हम मानते थे कि उनकी नीतियों में घालमेल है, स्पष्टता नहीं है और वे नीतियां देश को सही दिशा में नहीं ले जायेंगी, लेकिन हमारा जिन बिन्दुओं पर उन नीतियों से विरोध था, वह अलग थे। हम उन पर आरोप लगाते थे कि इन नीतियों को अपना कर कांग्रेस गांधी जी के स्वदेशी और स्वावलम्बन के सिद्धांत से अलग हट रही है लेकिन यहां तो आप गांधी जी की बात को तो छोड दीजिये, पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों में जो 10 परसेंट अच्छाईयां थीं, उनको भी इन्होंने तिलांजलि दे दी है।

4.17 म.प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

जब भी यह सरकार अपनी नीतियों को यहां रखती है तो जोर से चिल्ला कर कहती है कि उसमें इतनी गड़बड़ी थी, जिसको ठीक करने के लिये हम यह विधेयक लाये हैं या नीति लाये हैं लेकिन प्रश्न यह है कि वह गड़बड़ी किसके चलते थी? क्या वह गड़बड़ी इस देश में डा. लोहिया की नीतियों के आधार पर चली आ रही थी या जय प्रकाश नारायण की नीतियों के कारण चल रही थी। आप ही इस देश में आजादी के बाद तमाम पॉलिसियां चलाते आये हैं, कोई पॉलिसी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चलाई थी, किसी को इंदिरा गांधी जी ने चलाया था किसी को राजीव गांधी जी ने चलाया था लेकिन जब नरसिंह राव जी की सरकार आयी है, उन्होंने हर क्षेत्र में नई पॉलिसी की घोषणा की है और उसी क्रम में नेशनल मिनरल पॉलिसी की घोषणा भी की गयी थी। मैं नहीं जानता कि उस नेशनल मिनरल पॉलिसी में क्या है, उसे तो यह सरकार जाने, लेकिन पहला काम तो इन्होंने यह किया कि 13 आईटम्स को डी-रिजर्व कर दिया, जिसमें सरकार का एकाधिकार था, उसे ही इन्होंने डी-रिजर्व कर दिया। वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, उनके विस्तार में जाकर मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना

चाहता और कौन-कौन से क्षेत्र हैं। मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसके बारे में अपनी बात रखी है और उसको गिनाया है। डीरिजर्व कर दिया है कोयले को, कीमती चीजों को डीरिजर्व कर दिया है। विदेशी कम्पनियां आएं एक्सप्लाइट करें, सम्भावनाओं का पता लगाएं, उसका दोहन करें और फिर सीधे यहां से माल उड़ाकर ले जाएं और यहां आप बड़ी खुशी जाहिर करते हैं कि हम इसको एक्सप्लाइट करना चाहते हैं यानी नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लाइट करना चाहते हैं अर्थात् इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। प्रकृति प्रदत्त चीजों को समाप्त करते चले जा रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी मुझे गोवा जाने का मौका मिला। मैं पोर्ट पर पहुंचा तो वहां से लौह अयस्क को जापान लदते हुए देखकर ठगा-सा रह गया कि किस प्रकार से हमारे यहां के कच्चे माल को उठाकर बाहर भेजा रहा है और वह उससे फिनिश्ड स्टील बनाकर हमारे यहां और दूसरे देशों में बेच रहा है और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। हम विदेशी कम्पनियों को यहां आहूत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो टेक्नालॉजी लाना चाहो लाओ और यहां की सम्पदा को ढो कर अपने यहां ले जाओ। जो कुछ बचा खुचा है, उसको खत्म करो। इसके बाद क्या होगा, मंत्री जी, आप तो हमेशा के लिए मंत्री नहीं रहने वाले हैं। जो इस दुनिया में आया है वह जाएगा भी जरूर। आप भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। एक तरफ दूसरे देश यहां से कच्चा माल ले जाकर उसको फिनिश करके उसकी चीजें बनाकर अपने यहां और दूसरे देशों में बेचें और अपनी चीजों को बचाकर रखना चाहते हैं और तीसरी दुनिया के मुल्कों से ऐसी चीजों का पूरा-पूरा दोहन कर के अपने यहां जाना चाहते हैं। आपको नेचुरल रिसोर्सेज से बिलकुल महरूम कर देना चाहते हैं। जब आप महरूम हो जाएंगे, तो मरहूम भी हो जाएंगे।

यह जो आपकी नेशनल मिनरल पॉलिसी है, उसके आलोक में बिल लाएं। सवाल उठेगा कि स्टेट को इससे क्या फायदा होगा, तो कहिए कि हम ज्यादा अधिकार राज्यों को देना चाहते हैं, ताकि राज्यों को फायदा पहुंच सके। आपने कहा कि वैसे मिनरल को शेड्यूल । से नहीं हटाएंगे, लेकिन जिन मिनरल से कुछ मिलने वाला नहीं है उनको शेड्यूल । से हटा दिया और एक विचित्र स्थिति यह है कि पहले जो शेड्यूल । में नहीं था, 1986 में लाइम को और बाक्साइट को शामिल कर दिया और अब उसमें से 15 चीजों को हटा रहे हैं, लेकिन बाक्साइट और लाइम स्टोन को नहीं हटाया है। मतलब यह है कि इनके बारे में राज्यों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी आप बिलकुल हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि राज्यों को किसी प्रकार की लीज देने का अधिकार नहीं होगा बिना केन्द्र की इजाजत के और इजाजत लेने में कितना समय लगता है, इसका मैं एक उदाहरण अभी आपके सामने देना चाहता हूं। इसी सदन में जबाव दिया गया है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तारांकित प्रश्न संख्या 150 है, जिसका 13 दिसंबर 1993 को जवाब दिया गया है। सवाल पूछा गया कि :

[अनुवाद]

गुजरात में खनन पट्टे मंजूर करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं, इस संबंध में उत्तर था :

> "खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति के लिए गुजरात सरकार के प्रस्तावों की स्थिति पिछले दो वर्षों के लिए नीचे दी गई है।"

[श्री नीतीश कुमार]

"1992 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 55,1992 में निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या 45 लंबित प्रस्तावों की संख्या 10, 1993 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 51, निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या लम्बित प्रस्तावों की संख्या 21"

[हिन्दी]

क्या मतलब हुआ इसका ? साल-साल भर ये क्लीयरेंस नहीं करते हैं और खास-खास प्रपोजलों को ये दबाकर रखते हैं। क्यों दबाकर रखते हैं, इसलिए कि कंसर्न्ड पार्टी इनके गलियारों के चक्कर लगाए। पाणिग्रही जी चले गए, अनयथा इनको बतलाता कि ऐसा क्यों है। प्रपोजल को महीनों-महीनों पैंडिंग रखना किस बात को इंगित करता है, यानी 8 से 10-12 महीने प्रपोजल रखें और जो राज्यों को. जिससे आमदनी हो सकती है, उसमें कोई रियायत नहीं देना और शेड्यूल से नहीं हटाना। दूसरी तरफ दावा करना स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्शन रिजंस में, कि हम राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान करना चाहते हैं यह बात आंख में धूल झोंकने के समान है। ये राज्य को कोई अधिक अधिकार देना नहीं चाहते हैं बल्कि उसके बहाने सीधे इस जुमले का प्रयोग करके ये चाहते हैं कि इस देश की जो प्राकृतिक संपदा है। उसका दोहन और लूट करने के लिए विदेशी कम्पनियां आएं और जितनी मनमानी करनी हो वे यहां पर करें। इस देश की जो संपदा है वह बर्बाद हो जाए। इस बिल का कोई दूसरा उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आता और जब यह उद्देश्य हमारे सामने है तो हम नहीं समझते कि इसके बाद इसको समर्थन देने की कोई गुंजाइश बचती है।

महोदय, स्टेट को अधिक पावर देने की बात हुई है। यह इस प्रकार से यह एक्ट लाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्होंने क्यों आर्डीनेस लाया।

[अनुवाद]

"जो इकाइयां वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए खानों का विकास करना चाहती हैं, जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी है, उन पर प्रत्येक मामले के आधार पर फारेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। इस संशोधन से इस क्षेत्र में और अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित होने की संभावना है। वास्तव में यहा समझा जा रहा है कि यहां पर खनन कार्यों के लिए खान मंत्रालय को आस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका ने बहुत पूछताछ की है।"

[हिन्दी]

ये कारण हैं। इनके जो विदेशों में लोग बसते हैं, वे रोज-रोज इनसे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये सब जो अखबारों में बातें छपती हैं, इनकी ब्रिफिंग होती है, ये आफिशियल कुछ नहीं करते। जो बातें अखबारों में छपती हैं ये किसी से छिपी नहीं हैं इनके ही लोग इन बातों को बताते हैं। तो जो विदेशों से बार-बार बातें पूछी गई हैं कि तुम क्या कर रहे हो इसलिए इनको बेसब्री थी और इसीलिए

ये इस बिल को ले लाए। तो राज्यों को क्या अधिकार दिए ? इस सदन में जब आज ये दो साल पहले 1992 में एक बिल इन्होंने लाया था तो हम लोगों ने कहा था काम्प्रीहेसिव बिल लाइए और उस समय हम लोगों ने उस बिल पर चार घंटे तक अड़े रहे इस बिल के लिए निर्धारित अवधि एक घंटा से ज्यादा की नहीं थी, जो पूर्वी राज्यों के माननीय सदस्य थे उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की थी और कहा था कि आप बताइए रायल्टी का क्या फिकसेशन होगा, रेट कैसे निर्धारित होगा। जब यह सवाल पूछा जाता है तो यह जो इनका एक्ट है इसके तहत ये बताते हैं कि तीन साल में हम रायल्टी का रिवीजन करेंगे।

महोदय, अभी शहाबुद्दीन जी ने कहा था कि किस प्रकार एक-एक मिनरल पर रायल्टी निर्धारित है और कितनी कम राशि निर्धारित है और हम लोगों ने बार-बार इस सवाल को उठाया, यह सवाल वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकारों ने भी उठाया लेकिन चाहे कोई भी सवाल हो उसका रायल्टी के आधार कीमत के आधार पर अभी तक तय करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। पिछले सत्र में सदन में देर तक चर्चा हुई थी और सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया था, बाद में कई राज्यों के मंत्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि सरकार विचार करेगी, ऐड वेलोरम रायल्टी देने पर, लेकिन नहीं मिलती, उसके बारे में फैसला नहीं होता। पता नहीं ये राज्यों को कौन-सा अधिकार देना चाहते हैं, हो सकता है कुछ अंदर की बात हो मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है कि कुछ ये भी लें और कुछ राज्यों के भी लोग लें। मैं नहीं जानता कि क्या मामला है। मेरा यह कहना है कि राज्यों को अधिक अधिकार मिले, रायल्टी ऐड वेलोरम होगा तो राज्यों को पैसा मिलेगा। इससे वे तरक्की कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं जो पहले शेड्यूल में है, उसको शेड्यूल के बाहर इस्तेमाल करके, फिर इसी में शामिल रखना और फिर कहना कि 15 मिनरल्स को हम इसमें से हटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राज्यों को अधिक अधिकार देना है।

तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि राज्य को किस तरह से अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं ? यह तो पूर्ण रूप से उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। लीज़ की अवधि बढ़ा दी गयी है। अभी श्री चैन्नित्तला बोल रहे थे लीज़ की कितनी अवधि दी जाये। वे इसमें और छूट चाहते हैं। पहले 20 साल तक की गयी थी और 10 साल बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया और जब 20 साल हो जायेंगे तो 20 साल का और रिन्युअल हो सकता है तो मैं नहीं समझ पाया कि 30 और 20 मिलाकर 50 वर्ष हो गये फिर और छूट क्यों देनी चाहिये ? मैं तो कहूंगा कि लीज़ का शब्द हटा दें। आप कहिये कि इसकी नीलामी कर दी है इसके मालिक विदेशी कम्पनी वाले हो जायेंगे। सिविल मामलों में भी तो यह लीज़ 99 साल की मिलती है, जो ऑनरशिप के बराबर हो जाती है। आप उनकी ऑनरशिप कर दें, ऐसी मांग उठा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद तो लगता है कि लीज़ की अवधि का अमेंडमेंट आ जाये। जब 50 साल हो गया है तो और इसके आगे क्या बचेगा ? वह सचमुच में दोहन हो जायेगा और इसमें भी आप संतुष्ट नहीं हैं। तो रियायतें किसको हैं ? विदेशी कंपनियों को इसमें ला रहे हैं। आप प्राइवेट सैक्टर को किस बात के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं ? कौन-सा ऐसा काम प्राइवेट सैक्टर का मल्टी नेशनल कंपनियां करेंगी ? क्या हमारा विकास करने के लिये आयेंगी या लूट करने के लिये आयेंगी ? यहां पर तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादा से ज्यादा दोहन करना चाहती हैं। साल्वे

[श्री नीतीश कुमार]

साहब बैठे हुये हैं। किस प्रकार से किन शर्तों पर यहां पर विदेशी कंपनियों को इजाजत दे रहे हैं। मुझे पता चला है। यदि गलत है तो उसका मंत्री महोदय खंडन करें। कहते हैं कि हम सुधार करेंगे लेकिन मुझे पता चला है कि बाहर से 5 प्र. पर कंपनियां सूद पर कर्ज लेती हैं और यहां आकर लोन टर्न में, इक्विटी टर्न में नहीं, प्राइवेट सैक्टर में जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, उनको 16 प्र. गारंटी रेट आफ रिटर्न देती हैं और जैसे-जैसे बढ़ता जायेगा, 7 प्र. रेट आफ रिटर्न की गारंटी बढ़ती जायेगी। वे लंदन से 4 प्र. दर पर ले रहे हैं और यहां पर इन्वैस्ट कर रहे हैं और वहीं लोग 32 प्र. लेकर जायेंगे। अब पता नहीं वे कौन-सा व्यापार करेंगे ? 5 प्र. खुद ले सकते हैं और खुद लगाइये, एनपीटीसी को दीजिये। सवाल यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर रह जाये।

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : नीतीश जी बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं, पर उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि विदेशी लोगों को 16 प्र. गारंटी दे रहे हैं वह गलत है। हम जेनेरेटिंग कंपनी को इक्विटी पर रिटर्न देंगे, जो हिन्दुस्तानी कंपनियां हैं, वे इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी 16 प्र. मिलेगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : और उन जेनेरेटिंग कंपनियों को कैपटिव मनी अंडर द न्यू अमेंडेड एक्ट देंगे ?

श्री नीतीश कुमार : एक-एक कंपनी के पहले विदेशी कंपनी को उसकी इजाजत देंगे चूंकि आप उदारीकरण की ओर बढ़ चले हैं। उन्मुक्त व्यापार की ओर बढ़ चले हैं, बाजार तय करेंगे।

श्री एन.के.पी. साल्वे : नीतियों और तथ्यों पर जब बात आयेगी तो डिमांड के समय करेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारत की जेनेरेटिंग कंपनियों को गारंटी कर रहे हैं और इसका फर्क समझ सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : वह ठीक बोल रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं कि 16 प्र. गारंटेड रेट आफ रिटर्न है। एन.टी.पी.सी. जो बढ़िया काम कर रहा है, उसको भी आपने 12 परसेंट से अधिक नहीं दिया।

श्री एन.के.पी. साल्वे : एन.टी.पी.सी. के जो नये प्लांट्स लग रहे हैं, उनमें भी वहीं टर्म्स हैं जो उनको दिया जा रहा है।

श्री नीतीश कुमार : जब विदेशी कम्पनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, कैपिटल माइन्स का काम उनको मिलेगा, हर प्रकार की सुविधायें मिलेंगी, उनको अपनी इंवेस्टमेंट का काफी रिटर्न मिलेगा, भारी पररसेंटेज में रिटर्न मिलेगा जबकि उनको कुछ करना नहीं है, पैसा उनका नहीं है, विदेशी बैंकों का पैसा होगा, वे सिर्फ कम्पनियां बनाकर, ऋण लेकर पैसे को यहां इंवेस्ट करेंगे। उस इंवेस्टमेंट पर उनको बड़े पैमाने पर सर्विस चार्ज कहिये या कुछ भी नाम दे दीजिये, वह मिलेगा। मैं समझ नहीं

पा रहा हूं कि भारत सरकार को क्या पता नहीं है कि हमारे जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको मारकर, उनको समाप्त करके, पंगु बनाकर, हर क्षेत्र में जब विदेशी कम्पनियां आ रही हैं और कहा जा रहा है कि हमारी कम्पनियां अक्षम हैं, लेकिन अगर वे अक्षम हैं तो उनकी अक्षमता के लिये कौन जवाबदेह है। हमारे सार्वजनिक उपक्रमों में यदि भ्रष्टाचार है, लालफीताशाही है तो उसके लिये कौन दोषी है, कौन जवाबदेह है। इसकी सारी जिम्मेदारी या जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि यह सरकार सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है। कांग्रेस सरकार की नीतियां ही इस देश में आज तक चलती रही हैं और अधिकतम समय तक आपने ही इस देश में राज किया है। यदि आज आप उसको बदलना चाहते हैं, देशभर में उसका प्रचार कर रहे है मानो किसी दूसरे के करने से वे नीतियां इस देश में चलती रहीं, जिनको अब बदल कर आप धरती पर स्वर्ग उतार रहे हैं। इस तरह आप धरती पर स्वर्ग नहीं उतार पायेंगे बल्कि आप इस देश को डूम्स डे के नजदीक लेकर चले जा रहे हैं जहां इस देश का कुछ भी नहीं बचेगा, न हमारे जंगल बचेंगे, न फिर पर्यावरण की समस्या बाकी रहेगी और न इंसानियत ही बचेगी। हमारे पास कुछ नहीं होगा।

इस बिल में सरकार कहती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को छूट देंगे। स्टेट गवर्नमेंट में भी कई पब्लिक सैक्टर ऐसे हैं, कॉपर के मामले में जिनकी मोनोपोली है, उस मोनोपोली को अब आप हटा रहे हैं। आपने उन्हें डी-रिजर्व कर दिया। अब उस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां आयेंगी। बिहार में एक लाख एकड़ एरिया में कॉपर मिलने की संभावना है जिसमें से 25 हजार एकड़ एरिया हिन्दुस्तान कॉपर कार्पोरेशन लिमिटेड ने लीज पर लिया हुआ है और उसमें से मात्र ढाई हजार एकड़ क्षेत्र का ही अभी तक दोहन हुआ है, बाकी सब एरिया ऐसे ही पड़ा है। अब इस क्षेत्र में बिहार की सरकार को दोहन का कोई अधिकार नहीं होगा, उसे कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी। एक तरफ जो आप राज्यों को अधिकार देना चाहते हैं ताकि उनको फायदा हो सके और उनको आर्थिक रूप से मदद मिल सके परन्तु उन उपायों पर इस बिल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें एक भी क्लॉज ऐसी नहीं जिससे राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आप राज्यों के अधिकारों को बढ़ाना नहीं चाहते। सारे बिल का उद्देश्य यही है कि हम किसी न किसी तरह इस क्षेत्र में अधिक से अधिक विदेशी कम्पनियों को न्यौता दें, अधिक से अधिक उनको छूट दें। इसलिये हम संसद में प्रस्तुत बिल का विरोध करना चाहते हैं। यदि इस सरकार में जरा सी भी राष्ट्रीय भावना है, क्या वह इस सदन में कह सकती है कि हम इस बिल के पास होने के बाद किसी मल्टीनेशनल कम्पनी को यहां आने नहीं देना चाहते हैं। जब भी यहां से कोई सवाल उठाया जाता है तो उधर से कह दिया जाता है कि हमें राष्ट्र की चिंता है लेकिन राष्ट्र की चिंता इस प्रकार बोलने से नहीं होती, उसके लिये कुछ करके दिखाना पड़ता है, जनता को बताना पड़ता है कि हम हर क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में, हम मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहेंगे कि इस बिल के पास होने के बाद देश को कैसे फायदा होने वाला है और किस तरह राज्यों को फायदा होगा। किस प्रकार हम लूट से बच सकते हैं, सरकार को इस संबंध में स्पष्टता से उत्तर देना चाहिये। यदि आपमें तनिक भी भारतीयता की भावना है, मैं जानता हूं कि यादव साहब, आप तो संघर्ष करने वाले आदमी हैं, लेकिन आपको तो उत्तर प्रदेश से ही फुरसत नहीं है। आपको मजबूरी में मुलायम सिंह की सरकार का वहां समर्थन करना पड़ रहा है। आप वहां ज्यादा

[श्री नीतीश कुमार]

व्यस्त रहते हैं। हमें लगता है कि आप भले आदमी हैं, लेकिन जो लोग विदेशी कम्पनियों को यहां खुला न्यौता देना चाहते हैं, उदारीकरण के पक्षधर हैं, उन तमाम लोगों ने मिलकर, आपके पास चूंकि वक्त कम है, इसलिये वे आपको गुमराह करते हैं। अभी भी वक्त है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन सारी चीजों को आप व्यक्तिगत तौर पर देंखे। इटावा और मैनपुरी की यात्रा को आप छोड़िये और मंत्रालय में बैठकर सारी चीजों को देखिये। मुलायम सिंह जी का समर्थन करना आपकी मजबूरी है क्योंकि आप साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने मंत्रालय में अधिक ध्यान देना पड़ेगा। सारी बातों की अपने स्तर से छानबीन करनी और और विद्रोह का झण्डा बुलन्द करना पड़ेगा। अगर आपमें राष्ट्रीयता की भावना है, तो सदन में खड़े होकर आपको कहना चाहिये कि हम इस विधेयक को वापस लेते हैं। ऑर्डिनैंस को आप लैप्स हो जाने दीजिये और सभी दलों से विचार विमर्श करके, जो राष्ट्र हित में हैं, जिससे राज्यों को अधिक अधिकार दिये जा सकें, क्योंकि अगर प्राईवेट इंवेस्टमेंट होगा तो अधिक से अधिक नेशनल इंटरैस्ट में हम उसको रैगुलेट,कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुये आपको एक कांप्रीहैंसिव बिल लाना होगा।

सभापति, महोदय, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए और जो भी बिल आप लाइए उसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि रॉयल्टी एट वेलोरियम होगी। ऐसा बिल लाइए हम सब उसका समर्थन करेंगे और आपको मजबूती प्रदान करें, लेकिन अगर आप हमारे सुझावों को नहीं मानते हैं, तो सभी स्तरों पर आपका विरोध होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सभापति महोदय आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : सभापति महोदय, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक मुख्य रूप से अनेक बातों के बारे में संशोधन करने के लिए पुर्नःस्थापित किया गया है।

पहली बात यह है कि वे राज्य सरकारों को कुछ और शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं, ताकि वे विभिन्न श्रेणियों और विभिन्न समय सीमा के लिए पट्टे की शर्तों के आधार पर कुछ योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें। उन्होंने इसके निवेश भाग में कुछ उदारीकरण भी अपनाया है। उन्होंने विदेशी निवेश की मौजूदा 40 प्रतिशत की सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ा भी दिया है। संभवतः उन्हें यह और अधिक प्रतिबंध लगाते हुए किया है और कहा है कि यह केवल उच्च प्रौद्योगिकी और विशेष चीजों के लिए उन जगहों पर होगा, जहां पर वे इस तरह की रियायतें दे सकते हैं। उन्हें विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहिए था कि केवल विदेशी कम्पनियों और विदेशी निवेश और विशेष मामलों के लिए है, जो देश के हित में हैं।

हमें मालूम है कि कोयले की स्थिति बहुत खराब है, जबकि चीन एक बिलीयन टन से अधिक कोयले का उत्पादन कर रहा है। हम उसका एक तिहाई उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टि

से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है और विद्युत उत्पादन पूरे देश, उद्योग कृषि और सभी अन्य कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि केवल उच्च प्रौद्योगिकी और विशेष क्षेत्रों के लिए यह दिया जा सकता है।

इन सभी दबावों के होते हुए, हमें कोयला खानों में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान करते हुए भी सुरक्षा/एहतियात के पहलू को भी सुनिश्चित करना होगा।

विधेयक में श्रम के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि खनन कार्य एक घातक कार्य है। इन परिस्थितियों में जब तक हम विशेष प्रावधान नहीं करते हैं, पट्टे की अवधि देने से पहले विशेष एहतियात और शर्तें नहीं तय करते हैं, तब तक यह देश के व्यापक हित में उत्साहवर्धक नहीं होगा।

हमें तांबे और अन्य खनिजों के विशेष मामले मालूम हैं जिनमें हम देश में पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। हम यहां आकर खनिजों और धातुओं के निर्यात, जिनसे हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है, के विकास करने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे देश में कोयले और कोक के साथ इस्पात का भी अधिक उत्पादन होना चाहिए ताकि हम केवल लौह अयस्क का निर्यात करने के स्थान पर और अधिक इस्पात का निर्यात कर सकें। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए।

उन्होंने पट्टे की अवधि बढ़ाने का उल्लेख किया है। यहां पर उन्हें यह बात और अधिक स्पष्ट करनी चाहिए थी। यदि वे एक निश्चित समय के भीतर विकास के लिए उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें और आगे समय नहीं दिया जाना चाहिए। अन्यथा उन्हें पर्याप्त प्रमाण और उन्हें जो अड़चनें पेश आईं या उनके समक्ष जो समस्याएं आईं, उनकी सूची देनी चाहिए जिसके कारण यह नहीं कर सके। निर्यातोन्मुखी अपेक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हम विशेष चीजों का विकास कर सकेंगे।

अनुसूची एक के मामले में, जिसमें उन्हें 13 से 15 खनिज दिए गए हैं, जिन्हें वे उदार बनाना चाहते हैं, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और निजी संगठनों को देने से पहले हर एक मद को देखना चाहिए।

इस विधेयक के इन अति महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे पर्याप्त प्रावधान करते हैं, तो हम इसका समर्थन कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध और इसके निरनुमोदन के संकल्प का समर्थन करता हूं। संसद में किसी बहस से पहले यह अध्यादेश जारी क्यों किया गया ? विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को खुश करने के अलावा मुझे इसका और कोई कारण नजर नहीं आता और इसका कारण यह दिखाना था कि हम लोग बहुत आज्ञाकारी लोग हैं।

1956 के संकल्प में इन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है। पंडित नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहा था। लेकिन अब वे विकसित पूंजीवादी देशों पर निर्भरता की नीति का अनुसरण करना चाहते हैं।

[श्री शिवाजी पटनायक]

राष्ट्रीय खनिज नीति का अर्थ देश की कीमत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के सिवाय और कुछ नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971-73 के दौरान कोयला-खदानों को राष्ट्रीयकृत क्यों किया था ? उस समय, इसका स्वागत किया गया था। जिस ढंग से आप चल रहे हैं, इस तरीके से तो हो सकता है कि आप आणविक ईंधन तथा अन्य ऐसी सामरिक महत्व की वस्तुओं को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप सकते हैं। सरकार कोयला-खदानों को विदेशी ताप विद्युत ताप विद्युत केंद्रों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को सौंपने के लिए पहले ही सहमत हो चुकी है। इसके लिए दलील क्या दी जाती है ? इसके लिए केवल यही दलील दी जाती है कि वित्तीय एवं तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण ऐसा किया गया है। लेकिन विदेशी प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए इससे पहले के अधिनियम में पहले ही प्रावधान है। अतः आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने पर सरकार पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इस अधिनियम में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी भागीदारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। अतः आप पहले अधिनियम को इसलिए संशोधित करना चाहते हैं, ताकि धीरे-धीरे राज्य सरकारें इस क्षेत्र से बाहर हो जायें।

इसके अतिरिक्त, हमारे वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी काफी अच्छा अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने आंकड़े प्रकाशित किये हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप उन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वित्तीय-संकट आपके कुप्रबंधन एवं गलत नीति के कारण उत्पन्न हुआ है। आपने प्राथमिक उत्पादों अर्थात् खनिज उत्पादों को बेच दिया है। आपने देश में औद्योगिकरण तथा खजिनों पर आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठायें। आप प्राथमिक उत्पादों को इनका वास्तविक मूल्य पहचाने बिना ही बेचना चाहते हैं।

अब क्या घटित हुआ है ? पश्चिमी देशों का संकट हमारे देश में इस क्षेत्र में प्रतिबिम्बित हुआ है। जापान में, जापानी लोग अब ज्यादा मात्रा में कच्चा लोहा नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि इस समय वे संकट की स्थिति में हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के इस्पात उद्योग इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं। उनमें एक प्रकार के संघर्ष की स्थिति चल रही है। अतः, इसके परिणामस्वरूप, हम हानि उठा रहे हैं। उनके संकट के कारण, हम हानि उठा रहे हैं। उड़ीसा में स्थित कच्चे लोहे की खानों को बंद किया जा रहा है। खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, क्योंकि हम 350 रुपये प्रति टन की बहुत सस्ती दर से उन्हें कच्चे लोहे बेचते हैं तथा उनसे इस्पात खरीदते हैं। हम इस्पात का 2000 रुपये प्रति टन की दर से निर्यात करते हैं तथा पुनः इसका 10000 रुपये प्रति टन की दर से आयात करते हैं। यह सब कुछ आपकी नई आर्थिक नीति के कारण हो रहा है। इसी वित्तीय संकट के कारण, हम अपने इस्पात उद्योग को विकसित नहीं करते। अपने निजी उद्योगों का विकास करने संबंधी सरकार की गलत नीति के कारण ही हमारा देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। अतः, यह संकट सरकार की नीतियों की उपज है। वे तांबे की खानों का विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इसका आयात करते हैं। बाक्साईट प्रचुर मात्रा में यहां उपलब्ध है, परन्तु एल्युमिनियम उद्योग भी रुग्ण है। हमारा देश मैगनीज तथा अभरक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन कुप्रबंधन ने हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें परिष्कृत माल का आयात करना पड़ता है।

हमारे देश में क्रोम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश का नब्बे प्रतिशत क्रोम उड़ीसा में निकाला जाता है लेकिन क्रोमयुक्त खानों का निजीकरण निर्बाध गति से हो रहा है। इस नये खनिज विकास विधेयक से बड़े पैमाने पर खदानों के निजीकरण के लिए रास्ता खुल जायेगा। वे इन खदानों का निजीकरण करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपना चाहते है।

देश में खनिज उद्योगों का विकास करने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई निश्चित नीति नहीं है। जिसके बिना उड़ीसा एवं बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का कोई भविष्य नहीं हैं।

सरकार ऐसा ढोंग करती है, जैसे कि वे राज्यों को कुछ अधिकार दे रहे हों। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। केवल पट्टे की अवधि 20 अथवा 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जा रही है और ऐसा निजी पूंजीपतियों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से उन्हें यहां अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए लम्बा समय देकर किया जा रहा है। वे राज्यों को जो भी अधिकार प्रदान कर रहे हैं, उनका इस विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक कि राज्यों को रायल्टी देने का प्रावधान भी इस विधेयक में नहीं किया गया है। अतः, राज्यों को इससे कोई लाभ ही नहीं होगा।

तत्पश्चात्, खान-कर्मचारियों के बारे में क्या स्थिति है ? हमें विदित है कि वे निजी खदानों में किस स्थिति में काम कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार द्वारा संचालित खदानें उनके लिये स्वर्ग हैं, लेकिन फिर भी इन खानों में उनके लिए कुछ न कुछ किया जा रहा है। लेकिन निजी खदानों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति भयानक है। वे कर्मचारियों के लिए कोई कल्याणकारी उपाय नहीं करते, चाहे यह शिक्षा अथवा स्वास्थ्य की देखभाल अथवा आवास अथवा पीने का पानी उपलब्ध कराने जैसे विषय ही क्यों न हों। अब निजीकरण के माध्यम से सरकार कर्मचारियों को भेड़ियों के सामने फेंकना चाहती है।

जब कभी भी खनन-क्षेत्रों में निजी ठेकेदारों की नियुक्ति की जाती है, तो वे कर्मचारियों के कल्याण अथवा उनके इलाके के लिए कुछ नहीं करते। वे ऐसे इलाकों में विकास संबंधी कोई कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे इसके बारे में सोचते तक नहीं। पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने अथवा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, वे कोई सुरक्षा-उपाय भी नहीं करते। ऐसे इलाकों में कोई सुरक्षा उपाय नहीं किये गये हैं।

अतः, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या यह नई खनिज नीति को भारत में अथवा वाशिंगटन में कुछ विदेशियों की सह पर तैयार की गयी है ? जिसमें इन सभी बातों के बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और यदि यह विधेयक वापिस हो जाये, तो यह इस देश के हित में होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध तथा सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। मेरे द्वारा विरोध करने का प्रमुख आधार यह है कि यह विधेयक उस अनर्थकारी नीति अर्थात देश के हितों को बेचने की नीति के अनुसरण में लाया गया है, जिसे कि सरकार ने शुरू किया है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि यह विधेयक विनियमन की बजाय अविनियमन करता है। मैं इस विधेयक का इस बात के लिये भी विरोध करता हूं, क्योंकि यह विधेयक इस देश के राष्ट्रीय संसाधनों के विकास की गति तेज करने में सहायक नहीं होगा, बल्कि यह विधेयक अंततोगत्वा हमारे देश के विकास की प्रक्रिया की गति को कम करने तथा इस देश को उद्योग विहीन देश बनाने का साधन बन जायेगा।

महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि यह विधेयक किसी ऐसे देश के आदेश पर लाया जा रहा है, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं रखता। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

महोदया, जैसा कि आपको विदित ही है कि मैं 1993 की खनिज नीति से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा अगला तर्क यह है कि उस विधेयक के माध्यम से 1993 की खनिज नीति को भी ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। यह विधेयक 1993 के नीति संबंधी दस्तावेज का भी उल्लंघन करता है। मुझे नीति संबंधी इस दस्तावेज में मात्र पढ़कर सुनाने की अनुमति दी जाये। 1993 के नीति संबंधी कथन के पैरा 1.2 में जो कहा गया है, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "देश की रक्षा एवं विकास की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं का ध्यान रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की इस घड़ी में प्रमुख औद्योगिक उत्पादन के अवरुद्ध होने से बचाने के लिए मूलभूत एवं सामरिक महत्व के खनिजों की घरेलू उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना अनिवार्य है।"

मैं श्री शहाबुद्दीन जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया नोट करें तथा स्मरण करें कि इस पैरा में "देश की रक्षा एवं विकास की भावी जरूरतों" जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : इस बात पर मैं प्रारंभ से ही जोर देता जा रहा हूं।

श्री चित्त बसु : महोदया, यहां आपको नीति संबंधी उस कथन का कोई प्रभाव नजर आता है ? इस कथन में रक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है; इस कथन में महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। इस विधेयक में रक्षा तथा औद्योगिक प्रगति के लिए राष्ट्र की चिन्ता के बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा जहां तक मैंने सुना है, मंत्री महोदय द्वारा भी न तो देश की सुरक्षा के प्रति राष्ट्र की चिन्ता और न ही कभी राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है।

यहां तक कि 1993 की नीति में इसका उल्लेख था। 1994 में यह दावा किया गया है कि यह विधेयक इस नीति को लागू करने के लिए पेश किया गया है। यहां तक कि 1993 की नीति भी देश के हितों को बेचने की नीति है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसे भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है तथा उस नीति की भी पूर्ण उपेक्षा कर दी गई है।

05.00 म.प.

महोदया, मैं उस कथन का एक और पैरा, जोकि इस नीति के उद्देश्य से संबंधित है। उद्धृत करने के लिए आपसे अनुमति मांगता हूं। इस पैरे में कहा गया है:

> "अन्य बातों के अलावा, इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, खनिज संसाधनों का विकास तथा वर्तमान एवं भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित करना है।"

क्या इससे राष्ट्र की चिन्ता प्रदर्शित होती है ? यह राष्ट्रीय चिन्ता का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। आप उस नीति से एक कदम आगे जा रहे हैं, जिसे मैं अपने राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल मानता हूं। आप हमारे राष्ट्रीय हितों को बेच ही नहीं रहे बल्कि इन्हें तीव्र गति से बेचने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। किसी ने आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, और आपने इसका आधार तैयार करना प्रारंभ कर दिया। मेरा दूसरा सवाल यह है कि खान और खनिज मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए, जो देश की रक्षा एवं औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भी जरूरी था वह नहीं कर सका।

अब जरा हम इस विभाग की गत पांच वर्षों के योजनागत आंबटन पर नजर डाल लें। 1988-89 में योजनागत आबंटन 427 करोड़ रुपये था तथा 1993-94 में घटकर यह 209.45 करोड़ रुपये रह गया। 1989-90 में योजनागत 166 करोड़ रुपये तथा गैर-योजनागत व्यय 154 करोड़ रुपये था। 1991-92 में योजनागत व्यय 66 करोड़ रुपये तथा गैर योजनागत व्यय 99 करोड़ रुपये था। इसके बाद 1992-93 में योजनागत व्यय 84 करोड़ रुपये तथा गैर योजनागत व्यय 96 करोड़ रुपये था। वर्ष 1993-94 में योजनागत व्यय 117 करोड़ रुपये तथा गैर योजनागत व्यय 92 करोड़ रुपये था। इन आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि इस विभाग को किये जाने वाले आबंटनों में हर वर्ष बड़ी तेजी से कमी आई है। मैं यही कह सकता हूं कि ऐसा पूर्वनियोजित था तथा ऐसी योजना हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी।

अब जरा हम एक नज़र बालको, इनडाल, नेल्को आदि कम्पनियों की क्षमता उपयोग पर डाल लें। 'बालको' की स्थापित उत्पादन क्षमता 100000 टन की थी। वास्तव में, 1992-93 में यह उत्पादन क्षमता घटकर 68,423 टन पर आ गई थी। नेल्को का मामले में स्थापित उत्पादन क्षमता 218000 टन है तथा वास्तव में इसका वास्तविक उत्पादन 144577 टन है। यदि इन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाये, तो इनकी सकल अनुमानित स्थापित उत्पादन क्षमता 635000 टन है तथा इनका वास्तविक उत्पादन 355000 टन है। अतः यही परिणाम घोर एवं जानबूझकर बरती गई लापरवाही का है। फिर, नेल्को प्रतिभूति घोटाले से भी अत्यधिक जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बारे में जानकारी है। मैं उद्योग से संबंधित विभाग से सम्बद्ध संसदीय स्थाई समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहता हूं। समिति का कहना है :

> समिति ने यह नोट किया है कि प्रतिभूति घोटाले पर जानकीरमन समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के बाद भी नेशनल ऐयूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नेल्को) ने मैसर्स

[श्री चित्त बसु]

> कैनफिना तथा ए.बी.एफ.एस.एल. के पास अपनी अतिरिक्त धनराशि में से निम्नानुसार काफी बड़ी-बड़ी रकमें जमा करवा रही हैं।

कैनफिना बैंकों को क्रमशः 20 करोड़ रुपये, 60 करोड़ रुपये तथा फिर 80 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके बाद ए.बी.एफ.एस.एल. को क्रमशः 20 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस समिति ने इन लेनदेनों को अलाभकारी मानती है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि इससे संबंधित समूचे आंकड़े सभी स्रोतों से एकत्रित किये जाएं तथा विस्तृत जांच हेतु समिति को उपलब्ध कराये जायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या समिति द्वारा मागें गये सभी आंकड़े समिति को पेश कर दिये गये हैं ? जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है ? क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ? इस बारे में आपने क्या विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्णय लिया है ?

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने तबाही का रास्ता अपनाया है। कृपया इससे पीछे हट जाइए और इस संकट से छुटकारा पाइये और यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्र के हित सुरक्षित हैं, उन्हें बढ़ावा मिल रहा है और हमारा देश वास्तव में आत्मनिर्भर बन सके। मैं आपको अन्य विदेशी कम्पनियों पर भरोसा न करने की सलाह दूंगा, जो कि हमारे देश का विकास नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके अपने हित हैं। यदि आप इस तरह ध्यान नहीं देंगे तो देश इस बात को याद रखेगा और राष्ट्र हितों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी पर शायद थाईलैंड यात्रा का असर है या अमेरिका के एक नगर में भारतीय मूल के, जो लोग उनसे मिले थे, उसका असर है और उसी से प्रभावित होकर वे इस बिल को यहां लाये हैं। जब माननीय मंत्री जी भारतीय मूल के लोगों से मिले थे और उन्होंने आपसे कहा था कि हम अपनी पूंजी को भारत में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या अफ्रीका के दबाव में आकर, वहां के लोगों को यहां के उद्योगों में कुछ अधिकार देना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि देश का कौन-सा ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति होगा कि जब हमारे लोगों के हाथ से उद्योग छिन जाये और विदेशी लोगा आकर, आधुनिकरण के नाम पर, मशीनीकरण के नाम पर, हमारे रोजगारोन्मुखी उद्योगों को छीन लेंगे और हम चुपचाप सब कुछ सहन करते जायेंगे। मैं समझता हूं कि आपके और आपकी पार्टी के अलावा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता।

आज के आधुनिक युग में, मशीनीकरण की दौड़ में, तेजी से आधुनिकीकरण के कारण, यह समझ में नहीं आता कि आप किसका भला करना चाहते हैं। मंत्री जी हमारे उद्योगों में इस समय कितनी बड़ी मानव शक्ति लगी हुई है, क्या इन उद्योगों को विदेशी लोगों के हाथों में सौंपने से पहले आपने थोड़ा भी विचार किया है कि जब मशीनें हमारे देश में आ जायेंगी, तो हमारे उद्योगों में काम करने वाले लोगों का क्या होगा, वे क्या करेंगे। वैसे ही आज देश के सामने अनेकों समस्याएं हैं। एक ओर जहां हमारे देश में जनसंख्या की प्राब्लम है, तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको रोकने का प्रश्न हमारे सामने है, वहीं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक छोटा-सा राजस्थान है, उसमें खनिज उद्योगों के अंदर 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। यह उद्योग हमारे राजस्थान के अंदर इन्कम का सबसे बड़ा जरिया है। 157 करोड़ रुपयों का राजस्व इस खनिज उद्योगों से प्राप्त होता है और 647 करोड़ रुपए की इस उद्योग से राजस्थान को आय है। आखिकार राजस्थान इतना खुशकिस्मत प्रदेश है, जिसमें 42 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। 16 प्रकार के मेजर मिनरल प्राप्त होते हैं और 28 प्रकार के माइनर मिनरल प्राप्त होते हैं। आप इन सारे उद्योगों को विदेशियों को सौंपना चाहते हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा है।

माननीय मंत्री जी, मैं कोटे से आता हूं। दुनियाभर के अंदर कोटा स्टोन प्रसिद्ध है। लघु उद्योगों का कोटे के अंदर एक मेला लगा था और उसके अंदर मैंने पहली बार देखा था कि लघु उद्योगों में पत्थर का कितना विकास और उपयोग किया है। माननीय जसवंत सिंह जी के क्षेत्र में बड़े-बड़े पहाड़ टूट कर आ गिरे हैं। मैंने उनसे कहा कि इसके बारे में आपने क्या सोचा है। उन्होंने कहा कि दाऊदयाल जी आप इसके आधार पर जो मेला लगा है उसको चलकर देखिए जिसमें स्वदेशी तकनीक पर, स्वदेशी पूंजी पर एक-एक कण का उपयोग करेंगे। आने वाले 5-6 सालों से हमारा एक इंच पत्थर भी बेकार नहीं आएगा क्योंकि कोटा स्टोन स्वनामधन्य है और यह विश्वभर में निर्यात होता है और इसके माध्यम से हम विदेशी पूंजी अर्जित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पर ऐसा कौन-सा भूत सवार हो गया है कि आप इन उद्योगों के ऊपर विदेशियों को बुला रहे हैं ?

मेरा क्षेत्र ऐसा है, जहां शानदार लाइमस्टोन और जस्ता मिलता है। सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ लाइम स्टोन का भंडार हमारे यहां प्राप्त हुआ है। विदेशी लोग यहां आ-आ कर बड़े-बड़े पट्टे ले लेंगे और हमारे यहां के आदमी जो दाने-दाने को मोहताज हैं, जो भूखे मरते हैं और दाने-दाने के लिए टुकुर-टुकुर देखते हैं, तो उनको काम नहीं मिलेगा और उनकी जगह पर मशीनें काम करेंगी और विदेशों से लोग आकर यहां की पूंजी को विदेश में भेज देंगे। यह कौन सहन करेगा? राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश पूरे देश में है जहां व्हाइट सीमेंट के देश के 4 कारखानों में से 3 कारखाने हैं। आप ऐसे प्रदेश के लोगों के साथ क्यों मजाक उड़ाने नहीं जा रहे हैं।

महोदय, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां योजनाएं बनें और उनको कार्यान्वित करने के लिए लक्ष्य बनें और उन लक्ष्यों का हम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त न कर सकें। अभी प्रधान मंत्री जी ने एक योजना की घोषणा मेरे कोटा में की है कि रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

जिसके अंतर्गत कोटा में पिछले महीने 3 हजार फार्म आए हैं, जिनमें से स्क्रूटिनी कर के 400 फार्म रह गए हैं। मैं माननीय नाथू राम जी मिर्धा का ध्यान भी आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आप क्यों राजस्थान के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन फार्मों में से केवल 47 लोग सिलैक्ट किए गए हैं। इस प्रकार से आप इस देश के नौजवानों के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं।

आप विदेशियों को किसी भी उद्योग के लिए आहूत मत कीजिए, वरना ये विदेशी हमारे धन का प्रयोग कर के हमारी ही चीजों का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए इस पर आप गम्भीरता से विचार करिए। आपने लीज 20 के बजाए 30 साल कर दी है। राजस्थान के भी कुछ धनाढ्य लोगों ने कई किलोमीटर क्षेत्र की लीज ले रखी हैं और आप 20 को भी 30 साल करने जा रहे हैं तथा उसमें भी 5 साल की गारंटी देने जा रहे हैं।

21 साल की लीज होगी, 5 साल की गारंटी होगी, उसके बाद फिर बढ़ा दी जाएगी। विदेशों से आए हुए लोग बड़ी लीज लेकर यदि डेढ़ सौ वर्ष तक भी उसका उपयोग न करें तो भी वह उनके पास रहेगी। मेरा आग्रह है कि आप इस तरह की नीति का उपयोग न करें।

माईनिंग में सबलैटिंग होती है। उसके आधार पर क्या नहीं होता है। यह सही है कि सिस्टमैटिक तरीके से खनिज का दोहन हो। इसका विरोधी कोई नहीं है? आप जरा कोटा जाकर देखिए, हमनें किस प्रकार से ग्रेनाइड को खड़ा किया है। हमारे स्वर्ण भंडार हैं। दुनिया में हिन्दुस्तान के सिवाय ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है, जिसके पास इतनी बड़ी खनिज सम्पदा हो। राजस्थान में हीरे के उद्योग में हजारों लोग काम में लगे हुए हैं। क्या आप हीरे की तलाशी के लिए, सफाई के लिए विदेशों को प्रोत्साहित करके सारा उद्योग चौपट करना चाहते हैं। आप कृपया इस पर गंभीरता से विचार कीजिए।

आप अपना जवाब देते समय यह स्पष्ट करें कि 25 जनवरी के बाद आपने किन-किन विदेशियों को आमंत्रित करके खनिज की लीज दी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध और श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत किए गए सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। विधेयक में जो कुछ भी कहा गया है वह वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाला है और यह केवल उद्देश्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे।

मंत्री महोदय ने अपने कथनों और कारणों के विवरण में कहा है कि विदेशी पूंजी आने के कारण और प्रौद्योगिकी की स्थिति के कारण सरकार यह कदम उठा रही है और कुछ खण्डों को संशोधित कर रही है। इस उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र के लिए तत्काल और अधिक पूंजी प्राप्त करने

के लिए सरकार को इस अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा। विशेष रूप से जो भी खनिज भण्डार हैं, वे वास्तव में राज्यों की संम्पति हैं, केन्द्र सरकार की नहीं। संसद ने विधान द्वारा कतिपय विनियम बनाए हैं और उसके बाद खनन पट्टों की कार्यवाही को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। सरकार ने राज्यों के लिए जो खनिज छोड़े हैं, मैं इस संबंध में उड़ीसा का उदाहरण दूंगा। जमीन के नीचे जो भी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, आपको वे सभी तरह के खनिज पदार्थ उस राज्य में पाए जाते हैं इस देश में उपलब्ध कुल क्रोम का 96 प्रतिशत उड़ीसा में उपलब्ध है। एशिया का सबसे अधिक क्रोम अयस्क भण्डार उड़ीसा में है। आप देखेंगे कि विश्व में क्रोम अयस्क के भण्डार केवल चार स्थानों पर मिलते हैं और दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया को छोड़कर क्रोम अयस्क का सबसे अधिक भण्डार उड़ीसा में है। लेकिन क्रोम अयस्क को अनुसूची 'क' में रखा गया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को क्रोम अयस्क निकालने की अनुमति नहीं दी है। कोयले के बारे में यह आंकड़ा 19 प्रतिशत नहीं है उड़ीसा में 30 प्रतिशत गाडवाना कोयला उपलब्ध है।

देश में बाक्साइट के सबसे अधिक भण्डार उड़ीसा में हैं। उत्तम किस्म का मैगनीज अयस्क उड़ीसा में उपलब्ध है। उत्कृष्ट किस्म का लौह अयस्क उड़ीसा में उपलब्ध है। बहुत अच्छी किस्म का तेल उड़ीसा में उपलब्ध है। आपने राज्य के लिए क्या छोड़ा है? आपने राज्य के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। आपने सब कुछ अपने पास रखा हुआ है और आप कहते हैं कि आपने राज्य सरकार को 15 अन्य खनिजों को निकालने की अनुमति दे रखी है। आपको राज्य की आर्थिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति मालूम हैं। उड़ीसा और बिहार के मुख्य मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में इस प्रश्न को उठाते रहे हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों में भी यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को कम से कम अपनी खानों पर नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस सभा के प्राधिकार से राज्य की वास्तविक सम्पत्ति को ले लिया है और अन्ततः राज्य में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। राज्य के लिए तीन या चार खनिज पदार्थ छोड़े गए हैं। मैं टाटा के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। टाटा समूह वार्षिक रूप से एक मिलियन टन क्रोम अयस्क का उत्पादन कर रहा है और वह इस क्रोम अयस्क का 99.9 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं। उनके पास अमेरिका में एक और भण्डार है। वह भण्डार को सुरक्षित रखते हुए वह अमेरिका में एक अन्य क्रोम अयस्क खान का निर्माण कर रहा है। वह अपना व्यवसाय केवल अमेरिका में कर रहा है। इसकी अनुमति क्यों दी गई? इसकी अनुमति हमारी स्वतंत्रता से पूर्व दी गई थी, लेकिन भारत सरकार ने पट्टे का हाल ही में नवीकरण किया है। मुझे मालूम है कि राज्य सरकार ने भी इसकी सिफारिश की है। मैं उसका भी विरोध करता हूं, यद्यपि वहां पर मेरी पार्टी सत्ता में है। इसे राज्य क्षेत्र में रखा जाना चाहिए था। 1977 में यह कहा गया था कि क्रोम अयस्क और मैगनीज अयस्क पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा। लेकिन अब यह केवल निजी क्षेत्र के लिए ही खुला नहीं है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भी खुला है। एक बार ऐसी अनुमति देने पर होगा यह कि हम देखेंगे कि इस देश में क्रोम अयस्क समुद्री जहाजों के माध्यम से अमेरिका ले जाया जा रहा है। वह खाड़ी के देशों से पेट्रोलियम उत्पाद ले रहा है और वह भारत से विशेष रूप से गरीब राज्य से खनिज पदार्थ ले रहा है और इसको अपने देश में जमा कर रहा है। मुझे निजी क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आएंगी और आकर निवेश करेंगी। लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वे यहां कितना निवेश करेंगी?

[श्री श्रीकान्त जेना]

क्रोम अयस्क पर 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक रायल्टी दी जाती है। लेकिन खनन कार्य की लागत 400 रुपये से 500 रुपये तक है और इसका विक्रय मूल्य 3500 रुपये से 4000 रुपये प्रति टन तक है। राख की कम्पनी एक वर्ष में एक ही बार में केवल उड़ीसा से प्राप्त क्रोम अयस्क से 120 करोड़ रुपये का मुनाफा प्राप्त कर रही है। वह पिछले 30 वर्षों से मुनाफा कमा रही है और आपने उसे और 30 वर्षों के लिए ऐसा करने की अनुमति दे दी है। यह कुल भण्डार का दसवां हिस्सा होगा। अब टाटा का खनन कार्य कुल लीजहोल्ड क्षेत्र का केवल दसवां भाग है और उससे वह प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित कर रहा है। तुलन-पत्र में उसने वास्तविक लाभ 200 करोड़ रुपये दर्शाया है। जब उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री से धन की मांग की तो मैं कहता हूं कि आप उड़ीसा को कोई पैसा मत दीजिए आप उड़ीसा को केवल क्रोम अयस्क दीजिए। आप क्रोम अयस्क उड़ीसा राज्य को दे दीजिए। फिर आप देखेंगे कि उड़ीसा सरकार न तो किसी चीज के लिए आपके पास आएगी और न ही यह कहते हुए योजना आयोग के पास आएगी कि हमें बजटीय समर्थन दीजिए। यह क्रोम अयस्क उड़ीसा की समस्या को हल कर देगा। किसी अन्य राज्य में क्रोम के भण्डार नहीं हैं। यह केवल उड़ीसा में हैं।

उत्कृष्ट किस्म का मैगनीज अयस्क यहां उपलब्ध है। टाटा कम्पनी ने जमशेदपुर में सबसे अच्छी लौह अयस्क खानों को अपने हाथ में ले लिया है और उनका भरपूर दोहन हो रहा है। जैसा दोहन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और बिहार के एक भाग में इस तरह का दोहन हो रहा है। इस तरह से इसका दोहन किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि कम्पनियां इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। वह इतने प्रसन्न थे कि वह एक निजी कम्पनी की नींव रखे जाने के समारोह में भाग लेने के लिए दौड़ पड़े, यद्यपि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उस कम्पनी को अभी तक तकनीकी, आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से अभी तक मंजूरी नहीं दी है। लेकिन उन्होंने उस कम्पनी की नींव का पत्थर रखने के समारोह में जाना उचित समझा। किसलिए?

मंत्री महोदय ने कहा है कि हम केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही नहीं बल्कि भारतीय कम्पनियों को भी 16 प्रतिशत लाभ की गारन्टी देते हैं। साल्वे साहब हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में क्या नीति अपनाई है? वे कहते हैं कि निवेश चाहे कितना भी हो, उसकी हमें चिन्ता नहीं है लेकिन वे 6.5 सेंट प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेंगे। यदि आप इसकी परिगणना करें तो यह 2 रुपये प्रति यूनिट बैठता है। यहां पर आपने क्या अनुमति दी है? आपने 16 प्रतिशत लाभ की अनुमति दी है और उस पर 0.7 प्रतिशत प्रोत्साहन की अनुमति दी है। पूंजीगत माल के संबंध में उन्होंने एक रुपये का माल तैयार करने पर उसकी कीमत एक रुपया और बढ़ा दी है। यह दो रुपये के बराबर बैठता है और इसका मतलब है कि दर को दुगनी कर दी गई है।

वास्तव में वे कोई पूंजी नहीं ला रहे हैं, वे विभिन्न बैंकों से पैसा ला रहे हैं और उस पर 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहे हैं और यहां पर उन्हें 32 प्रतिशत गारन्टीशुदा लाभ मिल रहा है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : नीतिगत मामलों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसकी लागत केवल 6 सेंट है। यहां पर उत्पादन लागत एक रुपया आती है। यदि आप तुलना करना चाहते हैं तो सही बात की सही बात से तुलना कीजिए। आपको यह देखना चाहिए कि 1997-98 में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और उसी समय तक भारत में क्या होने जा रहा है। यदि आपके पास इस संबंध में आंकड़े हैं। तो इस बारे में बोलिए। ऊर्जा क्षेत्र का निरंतर उल्लेख किया जा रहा है। श्री शहाबुद्दीन ने कहा है कि ग्रहीत(कैप्टिव) खानों को दे दिया जाएगा। ग्रहीत खानों में यदि कोयले को ऊर्जा में बदला जाता है तो उस ऊर्जा की इग्लैण्ड, अमेरिका या अन्यत्र आपूर्ति नहीं की जाएगी। आपके नीतिगत मामलों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि हम इसे इसलिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप रहे ताकि वे इसे हम से दूर ले जा सकें, बिल्कुल गलत है। अतः जहां तक ऊर्जा क्षेत्र का संबंध है, जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है और मेरे पास आपके प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है तब तक आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... आप सभी जिम्मेदार और सुविज्ञ सदस्य हैं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस पर नियमों के अनुसार उठाए गए प्रश्न के रूप में चर्चा होनी चाहिए, जिसमें मेरे पास आपके प्रश्नों उत्तर देने का पर्याप्त अवसर होगा।

• श्री जेना ने कहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से उस निजी कम्पनी को मंजूरी नहीं दी है। क्या उन्हें मालूम है कि तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मतलब क्या है और इस संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का क्या प्राधिकार है? इसे मंजूरी दे दी गई है।

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने खान एवं खनिज संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान ऊर्जा के संबंध में एक विशेष चर्चा की बात स्वीकार कर ली है।

वास्तव में, मैं उसी को उद्धृत कर रहा था, जो कुछ उन्होंने अपनी नीति में घोषणा की है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : आप पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे तथा यह बता रहे थे कि यह देश 6.5 सैंट प्रति यूनिट की दर से विद्युत खरीद रहे हैं। आज, उन्हें इसकी लागत 2 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है तथा हमारी औसतन उत्पादन लागत एक रुपया प्रति यूनिट आती है।

श्री श्रीकान्त जेना : मंत्री महोदय, उन्होंने विद्युत क्षेत्र से सम्बन्धित विदेशी निवेशकों को यह पेशकश की है कि वे केवल इसी ढंग से विद्युत की खरीद करेंगे।

05.29 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे किसी भी तरीके से विद्युत के बारे में उल्लेख करना चाहते हैं, तो फिर इस कार्य को नियमानुसार किया जाना चाहिये

[श्री एन.के.पी. साल्वे]

ताकि मुझे इसका निपटान करने का मौका मिल सके। लेकिन जबकि खनिजों पर चर्चा हो रही है और वे विद्युत पर बोलेंगे तो फिर मेरे लिये उस विषय पर उत्तर देना अत्यंत कठिन हो जाता है।

सभापति महोदय : श्री जेना जी, कृपया आप अपने आपको खनिजों पर चर्चा तक ही सीमित रखिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, ये खान को विदेशों के हवाले कर रहे हैं; यह कैसे संभव है।

सभापित महोदय : कृपया हस्तक्षेप मत कीजिये। वह संबंधित विषय से काफी भटक चुके हैं, अतः अब उन्हें अपना भाषण जारी रखने दीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, न तो मैं संबंधित विषय से भटका हूं और न ही मैंने पूरे मुद्दे को किसी अन्य विषय की ओर मोड़ा है। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जिन भी खंडों में संशोधन किया जा रहा है, इसके उद्देश्यों में मंत्री महोदय ने कहा है कि वे विदेशी पूंजी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करना चाहते हैं। खनिजों से संबंधित इस अधिनियम में संशोधन किसलिये किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि विदेशी निवेशक हमारे देश में निवेश करेंगे। इन खनिजों एवं खानों के विकास हेतु निवेश करने के लिए हमारे पास कोई बजटीय-सहायता उपलब्ध नहीं है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में विशेष तौर पर उल्लेख किया है। विद्युत क्षेत्र को इन कैप्टिव खानों की जरूरत है, इसीलिए यह संशोधन करना जरूरी है। अतः मैं इस अवसर पर विद्युत क्षेत्र के बारे में जिक्र करना चाहता था। कोई बात नहीं, जब ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अथवा जब कोई विशेष चर्चा होगी, तब हम विद्युत क्षेत्र पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय : ऐसा करना उचित होगा।

श्री श्रीकान्त जेना : यह विषय एक-दूसरे से परस्पर जुड़ा है। वास्तव में मैं यहां पर उल्लेख करने की कोशिश कर रहा था कि मंत्री महोदय यहां यह स्पष्ट करें कि कौन-कौन से खनिज राज्यों के लिए छोड़े गये हैं। क्रोमाइट, मैगनीज, कच्चा लोहा तथा कीमती पत्थर जैसे खनिज पदार्थ हैं। उड़ीसा में आपको विश्व में सबसे बढ़िया किस्म की रुबी मिलेंगी। कालाहांडी जिले में रुबी नामक पहाड़ स्थित है। आप इस कार्य को उड़ीसा राज्य पर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आपने इसे केन्द्रीय क्षेत्र के

अंतर्गत क्यों रखा हुआ है? 'जेम', 'डायमंड' जैसे अन्य कीमती पत्थर हैं जोकि वहां पाये जाते है; लेकिन आपने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। उनकी तस्करी हो रही है। आप देखेंगे कि जयपुर में तस्कर बहुमूल्य पत्थर, और ऐसे ही अन्य पत्थर, जेम, रुबी तथा अन्य किस्मों के कीमती पत्थर ला रहे हैं। वहां एक बहुत बड़ा तस्करी-घोटाला चल रहा है। गत पांच वर्षों के दौरान कालाहांडी, बोलिनगिर, कोरापुत जिलों से लगभग 20,000 करोड़ रुपये के बहुमूल्य पत्थरों की तस्करी करके जयपुर लाया गया है। आप इस क्षेत्र को राज्य के लिये क्यों नहीं छोड़ सकते? वे यह कार्य बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यहां तक कि वहां मौजूद राज्य की खनिज एवं अन्य निगमें इस कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं। लेकिन आपने यहां पर कहा है कि आप मैगनीज तथा यहां तक कि बॉक्साइट के संबंध में भी उन्हें अनुमति नहीं देंगे। अतः, यह सर्वथा राज्य के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा है। आप को विदित है कि क्या होगा? मान लीजिये आप दिल्ली से किसी कम्पनी को उड़ीसा में जाकर क्रोमाईट का खनन कार्य करने की अनुमति देते हैं, तो वहां के आदिवासी आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इस देश में एक असैनिक युद्ध छिड़ जायेगा। यदि आप उन्हें इस कार्य को करने की अनुमति देते हैं तथा यदि आप इस कार्य को करने की अनुमति उड़ीसा राज्य को देते हैं, तब क्या होगा। तब वहां रह रहे आदिवासी तथा स्थानीय लोग असैनिक युद्ध शुरू कर देंगे, मैं आपको यह चेतावनी देता हूं।

रायल्टी के बारे में आप कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि गत तीन वर्षों से क्रोमाइट खनन पर रायल्टी की दर 100 रुपये से 150 रुपये ही रही है, जबकि इसकी प्रतिटन वास्तविक लागत लगभग 4000 रुपये आती है। इसके खनन की लागत मुश्किल से 400 रुपये से 500 रुपये तक आती है। कोई कम्पनी, चाहे यह जो भी हो, प्रति टन 2000 रुपये से अधिक लाभ कमा रही है। क्या आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि इससे टाटा कम्पनी वाले कितना धन अर्जित कर रहे हैं? वे हर वर्ष केवल अमरीका तथा अन्य देशों को छह से सात लाख टन क्रोमाइट का निर्यात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में, सम्भवतः इस प्रकार के खनिज पदार्थ नहीं पाये जाते। लेकिन उड़ीसा के बारे में, स्थिति यह है कि यदि आप उड़ीसा को भारत के खनिज के नक्शे से हटा दें, तो आपके पास किसी प्रकार के खनिज नहीं रहेंगे। इसके बाद मंत्री महोदय, आपको यहां केंद्र में अलग से खनिज मंत्रालय की जरूरत नहीं पड़ेगी। उड़ीसा राज्य की वजह से ही आप यहां एक मंत्रालय चला रहे हैं।

[हिन्दी]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि उड़ीसा मिनरल्स के मामले में बाकी स्टेट्स से रिच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उड़ीसा को अगर अलग कर दिया जाए तो देश के किसी हिस्से में मिनरल्स पैदा नहीं होते।

श्री श्रीकान्त जेना : थोड़ा बहुत है, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। उड़ीसा राज्य खनिजों के मामले में सबसे समृद्ध राज्य है। वह ऐसा कह रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि अन्य राज्यों में खनिज पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं।

सभापित महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखिये। आप पिछले पांच मिनट से यही बात कह रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं कृपया राज्यों को अनुमति दीजिये। इसके अतिरिक्त, यदि आप इस कार्य के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दे रहे हैं, तो मैं आपको यह बता दूं कि हम इसका विरोध केवल यहीं नहीं करेंगे, बल्कि सभा के बाहर भी हम इसका विरोध करेंगे। मैं यह जानता हूं कि जैसे तैसे आपने बहुमत प्राप्त कर लिया है और इसी वजह से यह विधेयक यहां पारित कर दिया जाएगा। लेकिन हम इसका सभा में भी एवं सभा के बाहर भी इसका विरोध करेंगे। जब आप इसकी अनुमति दे दें और जब वास्तव में ये लोग गांवों में जायेंगे, तो इसका इससे भी ज्यादा विरोध होगा। यदि वे वहां खनन कार्य प्रारम्भ कर देंगे, तो इस मुद्दे पर एक गृहयुद्ध छिड़ जायेगा। कृपया इससे आगे मत बढ़िये तथा इस विधेयक को वापिस ले लीजिये।

सभापति महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जी। यह अंतिम वक्ता होंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जहां तक समय का सवाल है, हम सभी सीमाओं को पार कर चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। आप बिल पर बोलने के लिये कैसे रोक सकते हैं? आप नयी परिपाटी स्थापित मत करिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहे हैं। मैं संबंधित दल द्वारा दी गई सूची का ही अनुसरण कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अनुभव किया है कि सदस्यगण बोलने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : विधेयक में ऐसा क्या है?

सभापति महोदय : कार्य मंत्रण समिति ने इस विषय पर चर्चा के लिए मात्र दो घंटे का समय आंबटित किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस विषय पर चर्चा के लिए मात्र दो ही घंटे का समय आबंटित किया है तथा हम इस विषय पर कल से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा करना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन की भावनाओं को देखते हुए यह जरूरी है कि सदन को अहमियत दीजिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय का पालन करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियम समय का अवश्य पालन करना चाहिये। अन्यथा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठकें करने की क्या तुक है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठकें करने की बिल्कुल कोई तुक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इसमें थोड़ा-सा टाइम की लिमिट लगा दीजिये और यदि सभी थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे तो सब को अवसर मिलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। मैं उनको बोलने की अनुमति दे दूंगा, लेकिन उन्हें अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कहनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, खान और ,खनन (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में जो संशोधन करने वाला विधेयक लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और श्री भोगेन्द्र झा ने जो सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

सबसे पहली बात यह है कि इस पर बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है और मैं सरकार से संक्षेप में पूछना चाहता हूं कि सरकार विधेयक में धारा 5(1) संशोधन के लिए लायी है, उसका क्या मतलब है? इसमें विदेशी कंपनियों को लाने की बात की गयी है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? इस संदर्भ में डुंकल की बात चल रही है। सरकार कहती है कि हम प्रतियोगिता चाहते हैं, लेकिन कैसे करेगी? सवाल यह है कि हमारे यहां पर लोहा है, उसकी कोई वस्तु बनाकर क्यों नहीं भेजते हैं? आप कच्चा माल जापान को भेज देते हैं और यदि हम चाहें भी तो प्रतियोगिता में कैसे आ सकते हैं?

सभापति महोदय, बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां पर काफी खनिज पदार्थ हैं, जिसे जापान भेजने से सारा खनिज विदेशी कंपनियों को दे देंगे। बिहार का बहुमूल्य खनिज अभ्रक है, जिसका सुरक्षा के सामान में इस्तेमाल होता है। अब हम इसको भी बाहर भेज देते हैं, तो कैसे प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं?

जो देश हमसे कच्चा माल लेते हैं, उससे दूसरी वस्तुएं बनाकर वे हमारे देश को ही भेजते हैं, जिसका काफी ज्यादा मूल्य हमें चुकाना पड़ता है। यह कैसी विडम्बना है, समझ में नहीं आता कि आप इस बिल के जरिये क्या चाहते हैं। सरकार इस सदन में जो बिल लेकर आयी है, मैं समझता हूं कि वह सारे देश को फिर से उपनिवेशवाद के सुपुर्द करने जा रही है। कोई अच्छी चीज देश हित में आप इस बिल के जरिये नहीं करने जा रहे हैं। आप किस आधार पर ऐसा समझते हैं कि देश के वर्तमान आर्थिक ढांचे को बदल कर एक मजबूत ढांचा इस बिल के पास होने के बाद आप देश को देंगे। आपकी मंशा क्या है, वह देखने में तो अच्छी लग सकती है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे इस देश में किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कम्पनी आयी थी, उस समय हमारा भारत देश सोने की चिड़िया माना जाता था, लेकिन उसने यहां आने के बाद न केवल इस चिड़िया के मांस को खाया, बल्कि पंखों तक को खा लिया। अब भारत में जो कुछ बचा हुआ है, उसे भी आप बर्बाद कर देना चाहते हैं।

यह देश वैसे तो सभी का है, केवल आपका ही नहीं है, लेकिन आज चूंकि आप सत्ता में हैं और हम विपक्ष में है, लेकिन विरोध पक्ष का काम खाली यह नहीं है कि आपकी बराबर निंदा करे। यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम आपके कामों की सराहना भी करेंगे। हमारा आग्रह है कि यदि सचमुच आप देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं तो इस देश की निजी कम्पनियों के जरिये ही आपको सारी व्यवस्था करनी चाहिये। विदेशी कम्पनियों को बुलाना हम उचित नहीं मानते हैं।

यहां प्रतियोगिता की जो बात कही जा रही है, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कहीं नहीं टिक पायेंगे, यह बात निर्विवाद सत्य है। जब कोई आधुनिक सामान लेकर हमारे सामने आयेगा, जो सब तरह से विकसित हैं, हम उतने विकसित नहीं हैं, हमारे उद्योगपति उतने विकसित नहीं है, जब विकसित देशों की टैक्नोलोजी हमारे देश में आयेगी, हम एक विकासशील देश हैं, तो दोनों के सामान में अंतर को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां के पूंजीपति और विदेश के पूंजीपतियों के सामान में काफी विषमता रहेगी, दोनों के द्वारा तैयार किये गये सामान के मूल्य में भी विषमता होगी, सारी चीजें अलग अलग होंगी। कल हमारे एक साथी मिनिस्टर ने तो हमसे यहां तक कहा कि बाहर के गेहूं का बीज जब यहां डाला गया तो पौधे से उसकी बाल बड़ी निकली, हमारी समझ में उनकी बात नहीं आयी। जितना बड़ा पौध है, इसमें बड़ी बाल होने की बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आयी। पौधे और बाल दोनों को देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी बात सिर्फ प्रचार के लिये कही जा रही है। हम अपने देश में जिस तरह से विभिन्न फसलें तैयार करते हैं, उससे कुछ अंतर तो हो सकता है, साइंटिफिक तरीके से जो चीज तैयार की जाये, उसमें कुछ अंतर तो मिल सकता है। इन सब बातों को देखते हुए, हम कहना चाहते हैं कि मंत्री जी सदन में जो बिल लाये हैं, उसे वे देश हित में वापस ले लें।

***श्री हाराधन राय** (आसनसोल) : महोदय, मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1994 का विरोध करता हूं और अपने माननीय मित्र श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं इस विधेयक का केवल विरोध करने के लिए ही विरोध नहीं कर रहा हूं। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने के लिए 2 घंटे या 4 घंटे का समय लिया गया है। इस विधेयक के पारित होने से हमारे देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव होगा। सत्तारूढ़ दल देश को विदेशी हाथों में बेच रहा है। इस सम्मानीय सभा के लिए हमें जनता ने चुना है। हमें यहां अपने लोगों और देश के लिए बोलने के लिए भेजा गया है। हमारे देश में किस बात की कमी है ? किसी भी चीज का अभाव नहीं है। वास्तव में हमारे देश में अपार प्राकृतिक और खनिज संपदा है। यहां पर सभी प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। जिन खनिज संसाधनों का अन्य देशों में अभाव है, वे हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे यहां 90 करोड़ की श्रम शक्ति है। हमारे यहां समुद्र, नदियां, फव्वारे, भूमि और सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि इस संबंध में हमारा राष्ट्र बहुत समृद्ध है। हमारे यहां श्रम-शक्ति है और खनिज संसाधन हैं। यदि सरकार ने श्रम शक्ति की सहायता से इन संसाधनों को एकत्र किया होता, तो देश की संप्रभुता को विदेशी हाथों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बेचने की आवश्यकता न होती। उन्हें विदेशी शक्तियों के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। इसमें प्राकृतिक और खनिज संसाधन काफी मात्रा में उपलब्ध हैं।

सरकार का कहना है कि उनके पास धन नहीं है। देश में अपार अनगिनत काला धन है। वह काले धन को जब्त क्यों नहीं करती है? हमने इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला-प्रत्यामूति घोटाला देखा है। हजारों, करोड़ों रुपये देश से बाहर भेज दिए गए। उस राशि को वापिस क्यों नहीं लाया

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री हाराधन राय]

गया? सरकारी क्षेत्र के 'इक्विटी शेयर' बेच दिए गए और उस धन से विदेशी ऋण पर ब्याज के भुगतान किया गया। इस धन को देश और उद्योगों के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता था। उस धन को हमारे उद्योगों के विकास हेतु निवेश करने के बजाय उसे हमारे उद्योगों को बर्बाद करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि शेयरों के अपनिवेश के बारे में बजट में उल्लेख किया गया है। वे हमारे स्वदेशी उद्योगों को बर्बाद कर उन्हें धीरे-धीरे रुग्ण बना रहे हैं। हमारे पास धन का, श्रम शक्ति का और प्राकृतिक संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। हमारे यहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, तकनीशियन, इंजीनियर, अनेक कुशल कामगार और निवेशक हैं। हमारी बौद्धिक शक्ति का विदेशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा देश इन उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन यह अत्यंत शर्म और खेद की बात है कि उनके लिए हमारे देश में कोई उपयुक्त अवसर नहीं हैं। इससे हमारे देश में अत्यधिक प्रतिभापलायन हो रहा है।

उनका कहना है कि उनके पास धन नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने और उच्च योग्यता प्राप्त व्यावसायिक व्यक्तियों के होने से भी वे संसाधनों को एकत्र नहीं कर पा रहे और उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में यह प्रथा है कि लोग उधार पर देय ब्याज को लौटाने के लिए अपनी भूमि या घर के सामान या आभूषणों को गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं। इसी प्रकार हमारी सरकार हमारे देश को विदेशी हाथों में बेच रही है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बड़े ब्रिटिश करोड़पति थे। वे कोयला खान स्वामी थे और उन्होंने कोयला बेचकर करोड़ों रुपये कमाए तथा लाभ कमाकर अपने देश में ले गए। उन्होंने बंगाल और बिहार के कोयला खनिकों को लूटा था। उन्होंने उस क्षेत्र की स्थानीय जनता की कीमत पर लाभ कमाया। अब उस क्षेत्र के गरीब व्यक्ति जो गांवों और कस्बों में रहते हैं, बेसहारा हो गए हैं और उनके पास खाने को रोटी तथा रहने के लिए आवास तक नहीं है। उनका उचित पुनर्वास किए बिना ही उन्हें वह क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। गैर-सरकारी भारतीय खान स्वामियों ने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। भारत सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। वह भी उसी प्रकार उनका शोषण करती रही। मुझे इन लोगों की चिंता है। उनकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है और उन्हें वहां से हटा दिया गया है। उन्हें वहां से हटकर कहीं और बस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वे लोग कहां जाएंगे? वे किस प्रकार रहेंगे? सरकार का दावा है कि विदेशी और गैर-सरकारी निवेश जनता के विकास के लिए लाभदायक होगा, लेकिन उन्होंने जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया है। हम आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता की सहायता किसा प्रकार की होगी। वे जनता से रोटी व उनका आवास छीन रहे हैं और उन्हें बर्बादी तथा मौत की ओर धकेल रहे हैं।

महोदय, मुझे ठीक सुनाई देता है और मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही है।

वे जनता का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनकी जीविका नष्ट कर रहे हैं। वे उनके साथ भिखारियों से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं।

हमने मीर जाफर, जगत सेठ उमीचन्द, राजा राय बल्लभ के बारे में सुना है। उन्होंने मातृभूमि को धोखा दिया और ब्रिटेन को अपनी स्वतंत्रता बेच दी। मेरी बाईं ओर बैठे व्यक्ति उन्हीं देशद्रोहियों के उत्तराधिकारी हैं। अतः महोदय मैं इस विधेयक का विरोध और सांविधिक संकल्प का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं श्री भोगेन्द्र झा जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करने के लिए और यह जो विधेयक खान और खनिज विनियमन और विकास संशोधन के लिए आया है, इसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, आपके जरिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 जनवरी को जो यह अध्यादेश जारी किया गया है और जिस अध्यादेश को विधेयक के रूप में आज सदन में लाया गया है, ऐसी कौन-सी बात थी कि संसद के सत्रारम्भ होने से 3 सप्ताह पहले इस विधेयक के बदले अध्यादेश जारी कर के इस कानून को बनाने का और थोपने का काम हुआ? हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि खनिज सम्पदा के क्षेत्र में ऐसी कौन-सी समस्या थी कि संसद सत्र प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह पहले इसे लाया गया। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार हमेशा अध्यादेश के जरिए कानून को बदलने का काम, विदेशी ताकतों के हाथों खेलते हुए, करती जा रही है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

इस विधेयक में राज्यों को और अधिक अधिकार देने की बात कही गई है। हम जानना चाहते हैं कि आपने कौन से अधिकार बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश में सभी राज्य सरकारों के द्वारा, देश के आम लोगों के द्वारा काफी समय से यह मांग होती रही है। हम बिहार से आते हैं। बिहार की जनता भी इस सवाल पर आन्दोलित हुई। हमने समय-समय पर सड़कों पर आकर भी भारत सरकार से मांग करने का काम किया है, संसद में भी सवाल उठाए हैं कि खनिज संपदा में रायल्टी देने के सवाल को मूल्य से जोड़ा जाए। बिहार को हर साल रायल्टी की गलत नीति के कारण सिर्फ कोयले में 300 करोड़ का नुकसान होता है। देश में सबसे ज्यादा कोयला बिहार में पाया जाता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कोयला, जस्ता, तांबा, ऐल्युमिनियम, बॉक्साइड, अभ्रक के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन रायल्टी के लिए तीन साल से समीक्षा करने की बात कही जाती है। यह कैसा न्याय है?

मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार समय-समय पर आप लोहा, तांबा, अभ्रक के दाम बढ़ाते हैं, यदि आप में आज भी हिम्मत है तो घोषणा कीजिए कि आज से खनिज संपदा की रायल्टी मूल्य के आधार पर होगी।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की धारा 5 (1) और (2) में आपने जो चर्चा की है, खानों को विदेशी कंपनियों के हाथों में देने की बात की है, क्या इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, क्या इस देश में और कठिनाई पैदा नहीं होगी?

क्या आप यह चाहते हैं कि विदेशियों के हाथों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में अपनी खनिज संपदा और खानें दे दें। लाखों लोग आज इनमें लगे हुए हैं। क्या आप इसे विदेशियों को देकर

[श्री नवल किशोर राय]

बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हैं? सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम से कम 10 करोड़ आंकी गई है। विदेशियों के हाथों इसे देकर बेरोजगारी को बढ़ावा देंगे। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें और एक कान्प्रीहैंसिव बिल लायें, जिसमें रायल्टी को मूल्य के आधार पर लगाये। देश हित का ध्यान रखते हुए आप सभी दलों के नेताओं से इस बारे में विचार-विमर्श करके ही कॉम्प्रीहैंसिव बिल लायें। इन्ही शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का घोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कहूंगा, क्योंकि उन्हीं दलों ने अपने सदस्यों के नाम दिए हैं और विभिन्न दलों को जो समय दिया गया था, वह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। मुझे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनता दल के सदस्यों के नाम मिले हैं, लेकिन इन पार्टियों के अनेक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं श्री तेज नारायण सिंह को बुलाता हूं। आपको तीन मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और भोगेन्द्र झा जी द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। सरकार देश का विकास करना चाहती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक से देश का विकास होगा, बल्कि कहा जा सकता है कि इससे विनाश हो सकता है।

जहां तक इसमें संशोधन का सवाल है, तमाम संशोधनों के अलावा एक संशोधन महत्वपूर्ण संशोधन है कि सरकार चाहती है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर अपनी जड़ जमायें और जितना कमाना है कमायें। फिर यहां की कमाई लेकर विदेश में चली जायें। इसके अलावा दूसरा कोई संशोधन इस विधेयक में नहीं है।

ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई और उसने देश का दिवाला निकाल दिया। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आयेंगी तो आने वाले समय में देश भूखों मरेगा। एक जमाना गांधी जी, नेहरू जी और इंदिरा जी का था। वह स्वदेशी चीजों का ज्यादा विकास चाहते थे। वह कहते थे कि विदेशी कपड़ा न पहना जाये। वह कांग्रेस पार्टी से ही थे, लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य इस देश का है कि उसी पार्टी के लोग आज विदेशी चीजों का इस्तेमाल करने को अधिक जोर दे रहे हैं। सरकार को फेल होने वाली कंपनियों का पता लगाना चाहिये और उनमें होने वाली त्रुटियों को दूर करना चाहिये, जिससे वे घाटे में न चलें-चाहे फोलार गोल्ड माइन्स हो, बर्नपुर का इस्को हो, घाटशीला का माइन्स हो या

चाहे बिहार का दूसरा कोई खनिज माइन्स हो। देश के कोई भी माइन्स के घाटे में चलने का कारण यह है कि वहां जो चोरी होती है, उसको हम रोक नहीं पाते हैं। सरकार उसको आड़े हाथों में लेते हुए कहती है कि पुरानी मशीन है। हर किसान ट्रैक्टर से खेती नहीं करता है, हल से भी खेती करता है, लेकिन किसान का नाथा और पैना खूंटी पर नहीं टांगा जाता है। सरकार सिर्फ बहाना बनाती है कि वह घाटे में चल रही है और वहां पुरानी मशीनें हैं। ऐसे में वह उसे किसी बड़े पूंजीपति के हवाले कर देती है। असलियत यह है कि वह तमाम कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जिम्मे देना चाहती है। वह पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कनवर्ट करना चाहती है। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

6.00 म.प.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं श्री भोगेन्द्र झा जी के द्वारा जो संकल्प सदन के सामने है, उसका समर्थन करता हूं, लेकिन यह जो विधयेक है उसका मैं विरोध करता हूं और इसलिए करता हूं कि जो उद्देश्य इस विधेयक का दिया गया है वह है, राज्यों को अधिक अधिकार देने के संदर्भ में, लेकिन राज्यों के अधिकार को कटौती करने का इतना बड़ा दस्तावेज है, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

महोदय, यह विधेयक न केवल राष्ट्रीय कंपनी को विदेश में लाने के लिए रास्ता खोलने वाला दस्तावेज है, बल्कि मैं समझता हूं कि खनन व्यवस्था जो है, जो पहले से चली आ रही है वह संपूर्ण रूप से इसको विनाश के कगार पर पहुंचाने का काम होगा और विदेशी ताकत के हाथ में अपने देश की व्यवस्था को गिरवी रखने का यह दस्तावेज है। इस विधेयक के जरिए बहुत ही खतरनाक एक प्रयास शुरू किया गया है। इस देश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए खतरनाक है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं एक बात बड़ी परेशानी से कहना चाहता हूं, क्योंकि इस विधेयक का जो ऐंगल है कि यह कहता कुछ है और जा कहां जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की सर्वोच्च संस्था लोकसभा, यह सदन है। सदन के गेट नं. 1 के सामने हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता की शानदार प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सबसे ज्यादा सत्ताधारी पार्टी के लोग जपने का काम करते हैं, लेकिन आज इनका जो स्वदेशीपन है, जो स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता है इस विधेयक के जरिए सबसे ज्यादा उन पर प्रहार किया गया है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। जहां तक राज्यों का सवाल है, लाइसेंस देने का, किसी भी राज्य में, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या उड़ीसा हो, जो खनन प्रदेश हैं खासकर के जहां अधिक खनिज है, उसको दो तरह का लाइसेंस राज्यों के द्वारा दिया जाता है। एक खनन पट्टा का दिया जाता है, माइनिंग लीज का, इसका अर्थ होता है 20 वर्ष से बढ़ा करके इस विधेयक के जरिए 30 वर्ष किया गया है और दूसरा लाइसेंस होता है पी.एल., (प्रोसपेक्टिंग लाइसेंस) इसका मतलब है कितने खनिज का भंडार कहां है, किस स्थिति में है। इसका पता लगाने का लाइसेंस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है।''' **(व्यवधान)**''' उसके लिए दो वर्ष पहले था, नवीकरण था एक-एक वर्ष पर, अब इस विधेयक में तीन वर्ष नवीकरण दो वर्ष, इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब साफ हो गया है कि खनन

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

का, खनिज का क्या विकास होगा और जो खनन का काम है, उसमें जानबूझ कर अड़ंगा लगेगा, अवरोध पैदा होगा। इसीलिए केंद्र से यदि अनुमति लेने की बात इसमें भी की गयी है, इसका पता लगाने में कि कितने खनिज का कहां भंडार है। इसीलिए यह विनाश का विधेयक है, विकास का नहीं है। ... **(व्यवधान)** ...

समापति महोदय, मेरा अंतिम कहना है कि राज्यों का अहित करने वाला विधयेक है और उनकी जिस प्रकार से उपेक्षा की जाती है, मैं उदाहण के रूप में कहना चाहता हूं कि 1987 से बिहार सरकार 40 प्रतिशत ऐड वेलोरम मूल्य के आधार पर सेस लगाती थी, जो 1990 तक वसूल हुआ था, परन्तु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद इससे बिहार राज्य वंचित हो गया और 40 प्रतिशत सेस लगाते थे तो रायल्टी साढ़े पांच रुपया प्रति टन मिलता था, लेकिन 1-8-91 से रायल्टी की दर केंद्र सरकार ने रिवीजन किया तो एवरेज औसतन 80 रुपया प्रति टन रायल्टी फिक्स हुआ।

1987 से 1990 तक जो रायल्टी वसूल की गई, उससे जनता में कोई ग्रेवांसेस नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से राज्य सरकार की उपेक्षा की गई है। यदि पुरानी दर 40 परसेंट के हिसाब से सेस चालू रहता तो 80 रुपए प्रति टन के हिसाब से 700 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त होता, जो कि एक्स्ट्रा मिलता, जिसकी क्षति हो रही है। अनुसूची (1) में कल तक 26 चीजों को रखा गया था, लेकिन 5-5-86 को बढ़ा कर 38 कर दिया गया। यह बात खासतौर से बिहार से संबंधित है, जिसको मैं कहना चाहता हूं। अनुसूची (1) में चूना पत्थर, बाक्साइड, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, बहुमूल्य पत्थर, गारलिक स्टोन, टोपाज, शेल्फर, इन सब को अनुसूची (1) से हटा दिया गया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर यह विधेयक सदन में पारित नहीं होना चाहिए, इस बात से सारे सदस्य सहमत हैं और सरकार को पुनर्विचार करके एक कंप्रीहैंसिव विधेयक यहां पर प्रस्तुत करना चाहिए तथा इस विधेयक को वापिस लेना चाहिए।

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : समापति महोदय, मैं खान तथा खनिज संपदा विधेयक 1994 का विरोध करता हूं तथा भोगेन्द्र झा जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। इस बिल का विरोध इसलिए भी करना चाहता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से इस देश की खनिज संपदा का दोहन का अधिकार विदेशी शक्तियों को जाता है। हमारे देश की खनिज संपदा का दोहन देश के लिए होना चाहिए और इसका उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए, न कि अमरीका के लिए। गैट के अंतर्गत जो समझौता होने वाला है, उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आई.एम.एफ., विश्व बैंक आदि सारी एजेंसियां विकसित देशों के लिए काम करेंगी, जिससे हमारे देश की खनिज संपदा से विकसित देश और अधिक मालामाल होंगे, इसलिए भी मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

जहां तक बिहार की बात है, बहुत से साथियों ने बिहार की बता को यहां पर अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। रायल्टी का सवाल यहां पर पहले भी क़ई बार उठाया गया है, लेकिन उसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। आज सारी खनिज संपदा का 45 प्रतिशत बिहार से आता है, इससे

देश को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन बिहार को इससे बहुत कम मिलता है। यदि कीमतों के आधार पर रायल्टी तय की जाती है तो बिहार का 600 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त होती, जिससे बिहार का विकास होता।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, 1991 में आने के बाद मैंने मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री महोदय को पत्र लिखा था कि मेरे क्षेत्र के जिला जमुई के सोनो प्रखंड के करमटिया में बड़े पैमाने पर स्वर्ण खनिज संपदा है, जिसकी वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। प्रधान मंत्री ने इस बारे में निर्देश भी दिए, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य सरकार से प्रपोजल भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका से बड़ा सोने का भंडार वहां पर मिल सकता है, यदि करमटिया में गहराई तक खुदाई की जाए। अगर पूंजी निवेश वहां पर भारत सरकार करें तो हमें काफी सोना प्राप्त हो सकता है। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोने का क्या मूल्य है, खासकर आर्थिक व्यवस्था में उसका क्या महत्व है। इसलिए बायलोजिकल रिपोर्ट में करमटिया में जो स्वर्ण भंडार के बारे में बताया है, उसको देखते हुए वहां खुदाई होनी चाहिए।

यह विधेयक सामरिक क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। इससे हमारी रक्षा प्रभावित होगी। इस विधेयक के द्वारा हिन्दुस्तान का जो सामरिक क्षेत्र है, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जायेगा। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और मंत्री जी से अपील करते हैं कि इसको वापस लें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : महोदय, मैं विधेयक के विरोध में और संकल्प के समर्थन में संक्षेप में अपनी राय रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि देश में जिन-जिन इलाकों में खनिज हैं, वहां सबसे ज्यादा गरीबी है और सबसे ज्यादा हिंसा भी वहीं हो रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के आने के बाद क्या उन इलाकों में जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे? यदि नहीं मिलेंगे तो हमें बन्दूकों की आवाजें और सुनने को मिलेंगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार नासमझी से आग से खेलने का काम कर रही है, वह यह काम न करें। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को जानता हूं। 1972 में इसने एक 'मिटको' (MITCO) नामक संस्था अभ्रक के लिए बनाई। उस समय भारत अभ्रक का 1400(चौदह सौ) करोड़ रुपये का निर्यात करता था और उस काम में दो लाख आदमी लगे हुए थे तथा 650 खदानें अभ्रक की थीं। लेकिन जैसे ही सरकार ने अपना अपवित्र हाथ उसमें लगाये और मिटको (MITCO) का गठन किया तो कुछ ही दिनों के बाद 650 की जगह केवल 35-36 खानें ही रह गईं और दो लाख की जगह केवल दो-चार हजार मजदूर ही रह गये। क्या सरकार ने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम इस देश का और खनिज पदार्थ की सर्वनाश करके छोड़ेंगे? ठीक है आपकी दोस्ती बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के साथ है। आप दोस्ती निभाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। उनको अपने घर में बुलाकर दावत देते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, उनको घुमाते-फिराते हैं, इसमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन यदि जो हमारी छिपी हुई खनिज संपदा है उन्हें सुपुर्द करते हैं, तो यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। इसका नतीजा हमें और आपको भी मालूम है। मैं यही कहूंगा कि आप सोच-समझकर काम करें और जो बिल पेश किया है, उसको वापस लें।

[श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा]

हमारे कोयले की खान में पचास वर्षों से आग लगी हुई है, उसमें अरबों और खरबों रुपये का कोयला जल गया। आप अपने दोस्त बहुराष्ट्रीय कम्पनी वालों को वहां बुलाये। हमारे बिहार में प्रचुर मात्रा में अच्छा कोयला है, उसके खनन की इजाजत नहीं है और आप विदेश से कोयला मंगा रहे हैं। आप इस मुल्क के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। अब यह चलने वाला नहीं है।

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापस लें और जो झा जी ने संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के.एच. मुनियप्पा** (कोलार) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री बलराम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत खान और खनिज(विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे देश में खानों के विकास में मदद मिलेगी। देश में खानों का विकास करने के लिए भारत सरकार और विशेष रूप से माननीय मंत्री विदेशों से नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अतः, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

अब मैं कर्नाटक की भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहूंगा। यह बहुत प्रसिद्ध और सौ वर्ष पुरानी कंपनी है। इस क्षेत्र में, विशेष रूप से कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के उत्तर की ओर स्वर्ण अयस्क उपलब्ध हैं। स्वर्ण अयस्क कोलार स्वर्ण क्षेत्र से 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में फैला हुआ है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ पहले ही एक सर्वेक्षण कर चुके हैं और उनका मत यह है कि इस क्षेत्र में लगभग 5 से 6% सोना उपलब्ध है। अतः, माननीय मंत्री को इस क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करवाना चाहिये। अब केन्द्र बी.जी.एम.एल. को पुनः चलाने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये दे रही है। कम्पनी को नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करनी होंगी और विकासात्मक गतिविधियां आरम्भ करनी होंगी। अतः मैं सरकार से प्रतिवर्ष कम से कम 75 करोड़ रुपये देने का अनुरोध करता हूं। अगर यह धनराशि उन्हें दे दी जाती है तो इस क्षेत्र में खानों का विकास तीन वर्ष की अवधि में किया जा सकता है और वे प्रति वर्ष लाभ अर्जित करेंगे। कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में बी.जी.एम.एम. की 12 एकड़ भूमि है, जिसका कई वर्षों से उपयोग नहीं किया गया है। खान मंत्रालय के सचिव ने इस भूमि का विकास करने के लिए कुछ उपाय किये हैं। मैं इस भूमि के विकास के लिए माननीय मंत्री से और अधिक धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। अगर सभी विकासात्मक कार्य गंभीरता से आरम्भ किये जायें तो मुझे विश्वास है कि बी.जी.एम.एल. अगले 100 वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य करती रहेगी।

महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस विषय पर आज यहां पर चर्चा हुई है, माननीय सदस्यों ने इसमें गहरी रुचि दिखाई है। इस चर्चा में 22-23 सदस्यों ने भाग लिया है।

सभापित महोदय, मैं अपने प्रारम्भिक भाषण में बहुत-सी बातों का उल्लेख कर चुका हूं और यहां इतना ही कहना चाहता हूं कि धारा 5(1) का भूत जिस तरह से इस सदन में आज छाया रहा, उससे मुझे आश्चर्य होता है। विपक्ष के सदस्यों ने यह आशंका जाहिर की है कि हमारी सरकार इस मुल्क को बेच देना चाहती है या हमारी सरकार उनको गिरवी रख देना चाहती है और कांग्रेस सरकार को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन से भारत आजाद हुआ है, इस देश को कांग्रेस ने बनाया है। यह हमारी पार्टी की नीतियों का ही नतीजा है कि आज देश इस आयाम और मुकाम पर पहुंचा है। इसी कारण से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हम प्रतिस्पर्द्धा के काबिल हुये हैं और उसी से आर्थिक क्षेत्र में खड़े होकर आर्थिक विकास को मजबूत करना है। इसीलिये हमारी सरकार ने इस देश में आर्थिक नीतियों में उदारीकरण किया और उसी के परिणामस्वरूप गत वर्ष हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारतवर्ष की मिनरल पॉलिसी में लाये। उस मिनरल पॉलिसी को और इफैक्टिव बनाने के लिये कतिपय संशोधन करने की हमें आवश्यकता पड़ी, जिनको लेकर हम इस सदन के सामने आये हैं।

मान्यवर, मुझे उन दिनों का समय स्मरण हो आया, जब यहां कुछ माननीय सदस्य चारों तरफ से चिन्ता जाहिर कर रहे थे, हमारे विरोध पक्ष के कुछ सदस्य कह रहे थे, तो मुझे फिफ्टीज का जमाना याद आ गया, जब मैं एक विद्यार्थी था और नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा सारे देश में बड़े-बड़े खाद के कारखाने लगाये जा रहे थे, स्टील के प्लांट्स लगाये जा रहे थे, कुछ बिजली के प्रोजैक्ट्स लगाये जा रहे थे, जिनमें भाखड़ा नांगल प्रोजैक्ट भी शामिल था। उस समय हमारे देश में इतने रिसोसेंज मौजूद नहीं थे, इफ्रास्ट्रक्चर और टैक्नोलौजी मौजूद नहीं थी और उनको स्थापित करने में हमें विदेशी सहायता लेनी पड़ी, विदेशी धन और टैक्नोलौजी के आधार पर हमने कुछ बड़े प्रोजैक्ट्स की शुरुआत इस देश में की। जब आज यहां कुछ माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय भी हमारे विपक्ष के मित्र इसी तरह के आरोप हमारे नेता पंडित नेहरू पर लगाते थे, कांग्रेस सरकार पर लगाते थे कि जैसे-तैसे करके तो देश को आजादी मिली है, फिर कांग्रेस क्यों फिर से अंग्रेजों को बुलाकर देश को गुलाम बना देना चाहती है, आर्थिक रूप से गुलाम बना देना चाहती है। आज भी कहा जा रहा है कि यह मुल्क फिर विदेशी हाथों में चला जायेगा। उस समय जब हमारे एफट्र्स के रिजल्ट सामने आने लगे, तो दूसरा प्रोपागैंड़ा हमारे विरुद्ध यह किया गया कि हम जो बिजली देश में पैदा करते हैं और किसानों को पानी देते हैं तो वह बिजली निकला पानी होता है, जिससे खेत खराब हो जाते हैं और जो बिजली हम पानी से निकालते हैं वह सिर्फ बड़े लोगों को दी जायेगी। दूसरी बात कही गयी कि हमारे जितने फर्टीलाईजर के कारखाने हैं, उनमें ऐसा फर्टीलाईजर पैदा होगा, जिससे खेती बर्बाद हो जायेगी। मान्यवर,

[श्री बलराम सिंह यादव]

इस तरह के आरोप उस समय भी हमारी सरकार और हमारे नेता के विरुद्ध लगाये जाते थे। कुछ समय बाद जब किसानों ने उनकी उपयोगिता को समझा और जब फर्टीलाईजर का इस्तेमाल इस देश में होने लगा, उसी पानी का इस्तेमाल हुआ, फिर जब बिजली की कमी पड़ी, फर्टीलाईजर की कमी पड़ी तो फिर हमारे मित्र हमको ही दोष देते हैं कि देश में बिजली का उत्पादन नहीं होता, फर्टीलाईजर का उत्पादन नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमारे मित्र समय की मांग को नहीं समझते। विद्वान तो वे हैं, लेकिन ऐसी एक से एक विद्वत्तापूर्ण दलील देते हैं कि सच बात भी गलत नजर आने लगती है और गलत बात सच लगने लगती है। इस कला में हमारे विपक्ष के मित्र बहुत माहिर हैं।

मान्यवर, उन्हें तो हमारे हर कदम का विरोध करना है और विरोध करने के लिये विरोध करना है, हालांकि वे खुद भी ऐसा महसूस करते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार और हमारी सरकार जो कदम उठा रही है वे बिल्कुल उचित हैं, देश-हित में हैं, इसका उन्हें पूरा आभास है, लेकिन चूंकि उनको विरोध करना है, इसलिये वे विरोध कर रहे हैं, यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

अब मैं कुछ उन बिन्दुओं पर आता हूं, जिनको हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यहां उठाया था। उनमें चार-छः बातें ऐसी हैं जो आमतौर पर कॉमन हैं और जिनको लेकर इस सदन में चिन्ता जाहिर की गयी है। एक बात कही गयी कि धारा 5(1) में जो संशोधन किया जा रहा है उसके कारण हमारे देश में विदेशी कम्पनियां आयेंगी और वे यहां आकर इस देश पर कब्जा कर लेंगी जो राष्ट्र-हित में नहीं हैं। इस संबंध में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देशी और विदेशी कोई भी कम्पनियां आ सकती हैं, एन.आर.आई.ज. भी आ सकते हैं, मगर इस संभावना को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिये कि उनका यहां आना राष्ट्र हित में नहीं होगा, क्योंकि जो भी कम्पनी इस देश में आयेगी, वह यहां के कानूनों से गवर्न होगी, हमारे देश के कम्पनी लॉज से गवर्न होगी और भारत सरकार उसकी हर चीज पर, हर स्थिति पर नजर रखेगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कीमत पर अपने देश के हितों के साथ समझौता करेंगे। आज समस्या यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत से मिनरल ऐसे हैं जो पाए तो जाते हैं, मगर हमारे पास टैक्नोलोजी नहीं है। आज मिनरल्स के क्षेत्र में रिस्क बहुत है और इसके जो भी प्रोजैक्ट्स लगते हैं वे बड़े भारी प्रोजैक्ट होते हैं। 4 हजार करोड़ और 6 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट्स होते हैं। मसलन कापर को ले लें, यह हमारे देश के अंदर पाया तो बहुत जाता है और हमारी जरूरत का सिर्फ 1/3 कापर ही हमारे देश में पैदा होता है और बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। हमारे कापर ओर में 1% कापर है जबकि विदेशों में यह 3% पाया जाता है। इसलिए अगर हमको कहीं से टैक्नोलौजी मिलती है और इन्वेस्टमेंट करने वाले मिलते हैं, तो यह हमारे मुल्क के हित की बात है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जैना : टैक्नोलौजी 1% को 3% कैसे करेगी? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार कोई चर्चा मत कीजिये। मंत्री महोदय आप पीठासीन अधिकारी को संबोधित करके बोलिये और पहले हो चुकी चर्चा का जवाब दीजिये।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : इसी तरीके से गोल्ड का मामला है और भी मिनरल्स हैं, जो उनकी टैक्नोलौजी से वाएबल बनाए जा सकते हैं तो वे आएं, उनका स्वागत है। उससे हमारा फायदा ही फायदा है, नुकसान का कोई सवाल नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : फारेन टैक्नोलौजी लाइए, फारेन करेंसी लाइए। **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले जवाब सुन लीजिये।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : रायल्टी के बारे में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि खनिजों की रायल्टी टनों के आधार पर निश्चित की जाती है। 1968 में रायल्टी जमीन में से जितना खनिज निकलता था उसकी कीमत के आधार पर निश्चित की जाती थी। उस समय राज्य सरकारों ने भारत सरकार को यह बताया कि इस प्रकार से उनके सामने कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और इस सम्बन्ध में काफी मामले अदालतों में विचाराधीन हैं और इस प्रकार खनिज मूल्य जिसके आधार पर रायल्टी निर्धारित की जाती थी वह एक बहस का विषय बन जाता था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकारों ने भारत सरकार से प्रार्थना की, तो उसके आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि रायल्टी की दरें टनों के आधार पर निश्चित की जाएं। इस बारे में राज्य सरकारों ने पुनः विचार-विमर्श किया था और किसी भी राज्य सरकार ने रायल्टी की इस प्रणाली के बारे में कोई भी आपत्ति नहीं की। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने कहा है कि हमको रायल्टी नहीं मिल रही है। **(व्यवधान)**

श्री बलराम सिंह यादव : सभापति महोदय, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आदरणीय शहाबुद्दीन साहब ने कुछ जिज्ञासा जाहिर की है और चाहा है कि ग्रेनाइट जो देश का बहुत बड़ा मिनरल बन गया है, क्योंकि इसका 400-500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और इससे काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है तथा इससे फारेन एक्सचेंज भी काफी मात्रा में मिल रही है और आपने कहा है कि इसे मेजर मिनरल बनाया जाए। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार इसके बारे में चिन्तित है और हम लोग इसके बारे में काफी जागरूक हैं। ग्रेनाइड से संबंधित इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनको हमने अभी बुलाया था, उनकी राय ली है। साथ-साथ प्रदेश सरकारों के मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर भी मैं बात कर चुका हूं। इस संबंध में मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इसका कोई न कोई नतीजा निकलेगा।

20 से 30 वर्ष माइनिंग लीज कोई कन्ट्रोवर्सी का विषय नहीं है। हमें विचार करना होगा कि जब हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का अपने देश में 4-5-10 हजार करोड़ का इनवैस्टमैंट चाहेंगे

[श्री बलराम सिंह यादव]

तो उसे एक मिनिमम पीरियड की गारंटी देनी पड़ेगी। 10 साल के लिए इतना बड़ा इनवैस्टमैंट करके कोई प्रोजैक्ट नहीं लगाना चाहेगा, वह 10 साल की लीज में आपके देश में नहीं आ सकता। इसलिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, हमें कम से कम उनको एक आकर्षक पैकेज देना होगा, तभी तो वह हमारे देश में आ सकता है। इसलिए यह किया गया है। यह संभावना जाहिर की गई है कि विदेशी कंपनियों के आने से हमारे देश में बेरोजगारी होगी, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि यह रोजगार जनरेट करने के लिए ही है। जो मिनरेल नीति हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है।

आपने जिक्र किया कि पहले कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी। विदेशी कंपनी पहले भी भारत में आ सकती थी, लेकिन उसका इक्विटी पार्टीसिपेशन 40 प्रतिशत था। अब, जैसा कि मैं पहले रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिन मिनेरल्स के मामले में हमारे पास टैक्नोलौजी नहीं है, उसको आकर्षित करने के लिए हमने उसे 50 प्रतिशत किया है। जहां हम बिल्कुल जीरो हैं, जहां हम कुछ कर नहीं सकते, यदि बाहर के लोग आकर हमारे मिनेरल्स को एक्सप्लॉयट करके हमें दे दें तो हम केस टू केस बेसेस पर 50 प्रतिशत से ज्यादा भी इक्विटी दे सकते हैं। ये चन्द मुद्दे थे जो माननीय सदस्यों ने उठाए थे। ... **(व्यवधान)** ...

राज्य सरकारों को काफी अधिकार दिए गए हैं। आपने अभी शायद पूरा पढ़ा नहीं है। अधिनियम की प्रथम अनुसूची में 38 खनिज हैं, जिन्हें विशेष कहा जाता है, उनके लिए पूर्वेक्षण लाईसेंस तथा खनन पट्टे की मंजूरी एवं नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन जरूरी है। इस सूची में से 15 खनिजों को निकाल दिया गया है और उनके लिए अब राज्य सरकारें खुद ही पूर्वेक्षण लाईसेंस, खनन पट्टे की मंजूरी दे सकती हैं तथा नवीनीकरण भी कर सकती हैं। ... **(व्यवधान)** ... अब राज्य सरकारें माईनर मिनरल्स के खनन पट्टे को बिना केंद्र सरकार की अनुमति के समाप्त कर सकती हैं। पूर्वेक्षण लाईसेंस की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन यदि उसे आगे बढ़ाना है तो केंद्र सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर उसे बढ़ा सकती हैं, लेकिन पूर्वेक्षण लाइसेंस की कुल अवधि 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। माइनर मिनेरल्स के बारे में जो डिस्प्यूटस होते थे, उनकी अपील राज्य सरकारों के आदेशों के खिलाफ केंद्र सरकार के पास आती थी। उसको हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है और उन्हीं को माइनर मिनेरल्स से संबंधित अपीलों का निपटारा करने का अधिकार दे दिया है। वहां पर आने से बहुत समय बर्बाद होता था। इससे वे खुद ही निपटारा कर लेंगे।

अभी जिक्र किया गया कि इल्लिगल माइनिंग जैम्स वगैरह की हो रही है। एम.एम.आर.डी. ऐक्ट से गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। अवैध चीजों को पकड़ने का उसके पास अधिकार नहीं था। हमने इसमें यह अधिकार भी दिया है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का गैजेटिड आफिसर जिस किसी को डिप्यूट किया जायेगा, वह उसकी जांच कर सकता है, अवैध खनिज को सीज कर सकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। हमने स्टेट गवर्नमेंट को काफी अधिकार दिये हैं।

श्री श्रीकांत जैना : जो 15 आइटम्स स्टेट्स को दिये हैं, उसमें क्रोम ओर तथा मैगनिज को क्यों कंसिडर नहीं किया है?

श्री बलराम यादव : जो मिनरल्स बहुत ज्यादा राष्ट्रीय महत्व के हैं, वे हमने अपने पास रख लिये हैं और बाकी दे दिये हैं।

चित्त बसु जी ने नैलस्को के बारे में बात उठायी। जैसे ही हमने न्यूज पढ़ी और जानकीरमन की रिपोर्ट देखी, तो पाया कि नैलक्को ने पैसा स्कैम में इनवैस्ट किया है तो हमने तुरन्त सेक्रेटरी को डिप्यूट किया और उसकी जांच करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी माइन्स को दी। उसने जांच करके रिपोर्ट भी दी। हमने वह केस सी.बी.आई. को रैफर किया। सी.बी.आई. ने प्रीलिमनरी जांच करने के बाद हमको रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि इसमें प्राइमाफेसी केस इस्टैबलिश होता है। हमने केस रजिस्टर करने की इजाजत दी। ऐसे में चेयरमैन नैलक्को को सस्पैंड किया और दो डायरैक्टर्स को सस्पैंड किया।

श्री चित्त बसु : सी.बी.आई. ने चार्ज शीट दी या नहीं?

श्री बलराम सिंह यादव : इनवैस्टिगेशन अभी हो रही है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं सामरिक महत्व के खनिज यूरेनियम के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या उनमें भी विदेशी कंपनियों को प्रवेश दिया जा रहा है? **(व्यवधान)** प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : अब श्री भोगेन्द्र झा बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, मंत्री जी ने साहस दिखाया और इतिहास में जाकर अच्छा किया। वह बचपन और छात्र जीवन के इतिहास में गये, लेकिन तथ्यों का अभाव रहा। जो बिंदु माननीय सदस्यों ने उठाये, उनका वह जवाब नहीं दे सके।

जब भिलाई, हटिया या बोकारो इन सब का आगमन हुआ तो अमरीका ने एक छठा इस्पात पैदा करने का कारखाना खोलने की रजामंदी जाहिर नहीं की। अमेरिकी प्रतिनिधि ग्रेडी ने उदकमंडल कांफ्रेंस में कहा था कि भारत हल और चर्खे का देश है। इसको पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिये, मशीनीकरण की नकल नहीं करनी चाहिये। जब खुश्चेव बुलगारिन आये और जब लोहे की चारपाई टूटी तो उन्होंने कहा कि यह कच्चा लोहा मालूम पड़ता है, बिना इस्पात के इतना बड़ा देश कैसे आगे बढ़ेगा। नेहरू जी ने बंगलौर में कहा कि हमें इस्पात भी नहीं मिलता है। फिर भलाई की बात हुई। आज सोवियत संघ नहीं है, जब बोकारो के लिये करार अमरीका में करके इस्को उजाड़े गये थे और 31-32 करोड़ हमारा खर्च हो गया। अमरीका ने इंकार कर दिया, कहीं कोई विदेशी कंपनी तैयार नहीं

[श्री भोगेन्द्र झा]

हुई, कोई पूंजीवादी देश तैयार नहीं हुआ। फिर हम सोवियत संघ के पास गये। उसने बोकारो बनाने का भार लिया। बोकारो का जनक हटिया बनाने को तैयार हुआ। एक हटिया हर साल एक बोकारो बना सकता है। बोकारो पूर्ण क्षमता प्राप्त करने पर एक करोड़ टन सालाना इस्पात तैयार कर सकता है, उस समय में उस संभावना से हम बढ़े और खदानों का भी जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो मंत्री जी को याद होगा कि इंदिरा जी कांग्रेस से निकाल दी गईं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर, ये इतिहास की बात कर रहे हैं कांग्रेस का संगठन, संगठन उन्हीं के हाथ में था जो बाहर रहे। इंदिरा जी कांग्रेस से निकाल दी गईं। ...**(व्यवधान)**... आज हम जहां खड़े हैं मैं समझता हूं कि फिर हमारा नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व एक सहारा खोज कर रहा है, आगे बढ़ने का सहारा नहीं पराश्रय का सहारा, हमें विदेशों से दुश्मनी नहीं है। अमेरिका से भी नहीं है। जार्ज वांशिगटन भी अमेरिकी थे, जिन्होंने अमेरिका की आजादी के लिए विलायती माल से लदे जहाज को समुद्र में डूबो दिया था और यहां यह कि ये उद्योगों को डूबो रहे हैं, हमारी आर्थिक गुलामी को नजदीक लाने के लिए, इसलिए अमेरिका में जो दुर्गुण हैं वे सीखने आप जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो गुण थे, उन्हें सीखने की हिम्मत नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हम आज सारे संसार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस देश के 90 करोड़ लोगों को भी रहने का अधिकार है, इनको भी अपने अस्तित्व की रक्षा का अधिकार है और चूंकि वित्तीय नीति को हम इस तरह से बदलते जा रहे हैं, इसलिए आज अमेरिका को साहस होता है, क्लिंटन को साहस होता है और वह कहता है कश्मीर भारत का अंग है यह भी हम नहीं मानते हैं। ...**(व्यवधान)**... उनको यह भरोसा हो गया है कि यह सरकार झुक सकती है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस विरोध पक्ष की निंदा कर रहे हैं। विरोधी पक्ष ने पहल की और एक मत से इस संसद में पारित करके आपके हाथ को मजबूत किया कि आप 90 करोड़ भारतीयों की ओर से आवाज दें कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। ...**(व्यवधान)**... इसलिये मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी में हमारे मंत्री जी न जाएं और जहां तक अभी की बात है अब पूंजी के लिए ये विदेशी मदद लेंगे। ...**(व्यवधान)**... इंग्लैंड में लोहा कभी नहीं था सिर्फ कोयला था, कोयले के खनिज के आधार पर लोहा बाहर से मंगा कर उसने अपनी औद्योगिकीकरण की नीति अपनाई और भारत को लूट कर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई। ...**(व्यवधान)**... मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विदेशों के सामने अपने मस्तक को न झुकने दें।

महोदय, जहां तक इस विधेयक के विरोध का सवाल है मैं समझता हूं कि विदेशी पक्ष ने किसी भी महत्व के मुद्दे पर एक मत हासिल करने में अगवानी की है, लेकिन गुलामी का फंदा लाने के लिए आगे क्या पीछे भी हम आपका साथ देने को तैयार नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जयचंद बहुत ही प्रमुख आदमी थे उन्होंने समझा मुहम्मद गौरी लुटेरा है, लूट कर चला जाएगा पृथ्वीराज को मार कर, हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। पृथ्वीराज गए, बाद में जयचंद भी गए। ...**(व्यवधान)**... जो काम राणा संग्राम ने किया,

...**(व्यवधान)**... संग्राम सिंह ने यह सोचा कि बाबर आएगा, इब्राहीम लोदी चला जाएगा। मीर जाफर ने सोचा कि सिराजुद्दौला खत्म हो जाएगा और वह नवाब बन जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। लेकिन इतिहास हमारे सामने है, हम सब जानते हैं कि इन सब का क्या हश्र हुआ है। इसलिये ऐसा काम मत कीजिए, आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन भारत रहेगा।

जहां तक तकनीक का मामला है, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके दोष मत दीजिए। आपकी नीति औद्योगिक नीति नहीं है, बल्कि वित्तीय नीति है।... **(व्यवधान)**...

वित्तीय नीति के अलावा यह और कुछ नहीं है। यह वित्तीय नीति स्वावलंबन की नहीं है, इसके जरिए एक ही बात की जाती है कि हम निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे और निर्यात के लिए आयात जरूरी है। यह 90 करोड़ का भारत आयात-निर्यात का भारत नहीं है, जिसको आप आयात-निर्यात का देश समझ रहे हैं। इस देश को अपने पैरो पर खड़ा होना है, स्वावलंबन की नीति हमारी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, तथ्य के मामले पर जो इन्होंने कहा है।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात को समाप्त करें।

...**(व्यवधान)**...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इन्हें उत्तर देने का अधिकार है, क्योंकि इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : झा जी, अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले आपके सांविधिक संकल्प के बारे में मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, आपके पास भी इसका उत्तर देने का सीमित अधिकार है। कृपया उस तक सीमित रहें। आप पूरे विधेयक पर नये सिरे से भाषण नहीं दे सकते।

...**(व्यवधान)**...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह अध्यादेश विधेयक के रूप में बदला जा चुका है।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, आप तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अभी मैंने विधेयक पर तो कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो अध्यादेश पर बात कर रहा हूं। इसलिए विदेशी के मामले पर धारा 5 में जो बात कही गई है, हमारे हाथ में विदेशी पूंजी नहीं है। सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा रोग "एडिंग" पैदा हो गया है, भारत सरकार जिसकी शिकार हो चुकी है। स्वाभिमान, देशभक्ति का ख्याल नहीं है, बस "डालर-देहि" "डालर-देहि" के नारे पर देश को चलाया जा रहा है।

इसलिए मेरा आग्रह है कि यह कोई मामूली खतरा नहीं है, जो कदम आप बढ़ा रहे हैं। कहीं आपने अपने आकाश पर विदेशियों को अधिकार दे दिया, कहीं धरती के ऊपर उद्योगों में अधिकार

[श्री भोगेन्द्र झा]

दे दिया है और अब इस विधेयक के जरिए भूतल के नीचे भी आप विदेशियों को अधिकार देने जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा इतिहास बनाकर मत जाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी निंदा करेगा, अमरीका के अमीरों का मुकाबला, क्या हमारे टाटा-बिड़ला कर पाएंगे। जापान के बड़े-बड़े लोगों का मुकाबला क्या हमारे यहां के लोग कर पाएंगे? यह तो वही बात हो रही है कि बाघ और बकरी को एक घाट पर बांध दो, बकरी को बाघ खा लेगा और जो बचेगा वह बच जाएगा। यह पुरानी साम्राज्यवादी नीति है। तेरी चीज मेरी और मेरी चीज मेरी या यह कहा जाता है कि उनका देश उनका है और हमारा देश उनका है। आप इस चीज पर चलने का साहस न करें और धारा-5 को वापिस लें। सात मार्च को आपने विभिन्न राज्यों के खनिज मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन सभी ने इसका विरोध किया था। **(व्यवधान)**

श्री बलराम सिंह यादव : आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। माईन्स मिनिस्ट्री के सुझाव लेने के लिए नहीं, बल्कि ग्रेनाईट पालिसी के बारे में बैठक बुलाई थी। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा : संविधान में भूमि राज्य का मामला है। आपने ठीक से नहीं बताया और राय भी नहीं ली। विभिन्न राज्यों में आप जमीन लेंगे और विदेशी का हवाला करेंगे तो यह अधिकार कहां से आया? आप संविधान की मार्फत आए हैं। आप इसको स्थगित करें और सभी राज्यों के खनिज मंत्रियों की बैठक बुलाएं। **(व्यवधान)**

श्री बलराम सिंह यादव : एम.एम.आर.डी. एक्ट में संशोधन करने से पहले तमाम इंडस्ट्री के लोगों से जो माईन्स मिनिस्ट्री से संबंधित हैं, तमाम राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभागों से राय ली गई थी ... **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा : ग्यारह की सूची है... **(व्यवधान)** मंत्रियों ने कहा कि इसको एक सूची में न रखें। जो राज्य सरकार करेगी उसको छोड़िए... **(व्यवधान)** तौल या कीमत के बारे में मंत्री जी ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार इसकी मांग नहीं कर रही है। हमारी जानकारी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इसकी मांग है... **(व्यवधान)** अगर राज्य सरकार चाहेगी तो रायल्टी का हिस्सा मूल्य पर दिया जाएगा, इस बारे में बता दें। इन्होंने गलत बयानी की है और वह गलत साबित हो गया है। आप अभी बोल सकते हैं कि अगर राज्य सरकार चाहेगी तो मूल्य पर रायल्टी मिलेगी। आप सदन को और देश को भ्रम में न रखें। मैं शासक दल से कह रहा हूं कि साहस बटोरे।... **(व्यवधान)** मैं विपक्ष के सदस्यों से कह रहा हूं कि विरोध पक्ष की भूमिका निभाएं और मेरे सांविधिक संकल्प को सफल बनाएं और इस अध्यादेश को रद्द करें। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

अनेक माननीय सदस्य : हम इस पर मतविभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें। दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित खान और खनिज (वियिनमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या-2

पक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

कापसे, श्री राम

कुमार, श्री नीतीश

कौरी, श्री गया प्रसाद

*कौल, श्रीमती शीला

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भूवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा. परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्रीमती शीला

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी.एस.

*जांगड़े, श्री खेलन राम

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

जायनल अबेदिन, श्री

जैना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

तेजनारायण सिंह, श्री

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

पटनायक, श्री शिवाजी

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री चित्त

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्री सुब्रत

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल सिंह

यादव, श्री राम लखन सिंह

राजनारायण, श्री

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द्र

राय, श्री एम. रमन्ना

राय, डा. सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रेड्डी, श्री बी.एन.

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

सिंह, श्री राजवीर

सुर, श्री मनोरंजन

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अडईकलराजू, श्री एल.

अन्बारासु आर., श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अरुणाचलम, श्री एम.

अहमद, श्री कमालुद्दीन

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उमराव सिंह, श्री

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो. पी.जे.

कुली, श्री बालिन

केनिथी, डा. विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

खां, श्री असलम शेर

गोगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपीनाथ

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गुडाडिन्नी, श्री बी.के.

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी

चाक्को, श्री पी.सी.

चार्ल्स, श्री ए.

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चिदम्बरम, श्री पी.

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री नारायण सिंह

जगबीर सिंह, श्री

जाखड़, श्री बलराम

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जावाली, डा. बी.जी.

जीवरत्नम, श्री आर.

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डेनिस, श्री एन.

तंगकाबालु, श्री के.वी.

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थामस, श्री पी.सी.

थुंगन, श्री पी.के.

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

नवले, श्री विदुरा बिठोवा

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पांडियन, श्री डी.

पटनायक, श्री शरत्

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पवार, डा. बसंत

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाटील, श्री विजय एन.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रभु, श्री आर.

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नांडीज, श्री ओस्कार

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा. कृपासिन्धु

मनफूल सिंह, श्री

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

माथुर, श्री शिवचरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीण, श्री भेरूलाल

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री रामलखन सिंह

यादव, श्री सत्यपाल सिंह

राजेश्वरन, डा. वी.

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री कल्पनाथ

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री ए. वेंकट

रेड्डी, श्री एम. बागा

रेड्डी, श्री एम.जी.

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

वर्मा, कु. विमला

वान्डायार, श्री के. तुलसिऐया

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी.एस.

शंकरानन्द, श्री बी.

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सईद, श्री पी.एम.

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सिल्वेरा, डा. सी.

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कु. पुष्पा देवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंहदेव, श्री के.पी.

सुखराम, श्री

सुन्दरराज, श्री एन.

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोडी, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

सभापति महोदय : *शुद्धि के अध्याधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 58

विपक्ष में 114

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नीतीश कुमार : हम पुनः मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विनिमयन और विकास) अधिनियम, 1957, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री सैयद शहाबुद्दीन, श्री हरि केवल प्रसाद तथा श्री नवल किशोर राय

विपक्ष में : श्रीमती शीला कौल, श्री लाईता उम्ब्रे, सर्वश्री एम. कृष्ण स्वामी, पीटर जी. मरबनिआंग, श्री शंकरराव दे. काले तथा श्री खेलन राम जांगडे।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

7.03 म.प.

मत-विभाजन संख्या-3

पक्ष में

अडईकलराज, श्री एल.

अय्यर, श्री मणि शंकर

अरुणाचलम, श्री एम.

अहमद, श्री कमालुद्दीन

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उमराव सिंह, श्री

उम्ब्रे, श्री लाईता

काले, श्री शंकर राव दे.

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो. पी.जे.

कुली, श्री बालिन

केनिथी, डा. विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

गोगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गुडाडिन्नी, श्री बी.के.

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.

चाक्को, श्री पी.सी.

चार्ल्स, श्री ए.

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, श्री नारायण सिंह

जंगबीर सिंह, श्री

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जावाली, डा. बी.जी.

जीवरत्नम, श्री आर.

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डेनिस, श्री एन.

तंगकाबालु, श्री के.वी.

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थामस, श्री पी.सी.

थुंगन, श्री पी.के.

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

नवले, श्री विदुरा विठोबा

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पांडियन, श्री डी.

पटनायक, श्री शरत

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पवार, डा. बसंत

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाटील, श्री विजय एन.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रभु, श्री आर.

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नांडीज, श्री ओस्कार

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

भगत, श्री विश्वेश्वर

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा. कृपासिन्धु

मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी.

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

माथुर, श्री शिवचरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भेरूलाल

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री रामलखन सिंह

यादव, श्री सूर्यनारायण

*राजनारायण, श्री

राजेश्वरन, डा. वी.

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री कल्पनाथ

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री ए. वेंकट

रेड्डी, श्री एम. बागा

रेड्डी, श्री एम.जी.

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

वर्मा, कु. विमला

वान्डायार, श्री के. तुलसिऐया

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सईद, श्री पी.एम.

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सिल्वेरा, डा. सी.

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कु. पुष्पा देवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंहदेव, श्री के.पी.

सुखराम, श्री

सुन्दरराज, श्री एन.

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोडी. श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

*अन्बारासु आर., श्री

आचार्य, श्री बसुदेव

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

कापसे, श्री राम

कुमार, श्री नीतीश

खन्डुरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा. परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवती, प्रो. सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी.एस.

जायनल अबेदिन, श्री

जैना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

तेजनारायण सिंह, श्री

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

पटनायक, श्री शिवाजी

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री हरि केवल

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्री सुब्रत

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

राम, श्री प्रेमचन्द्र

राय, श्री एम. रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, डा. सुधीर

राय, श्री हाराधन

रेड्डी, श्री बी.एन.

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

सिंह, श्री राजवीर

सुर, श्री मनोरंजन

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

सभापति महोदय : *शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 115

विपक्ष में : 56

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 3 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अब दीर्घायें खाली कर दी गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या-4

पक्ष में

अडईकलराजू, श्री एल.

अन्बारासु आर., श्री

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री बी. शंकरानन्द, चिरंजीलाल शर्मा, एम. कृष्ण स्वामी, मनोरंजन भक्त, बीरबल तथा आर. अन्बारासु।

विपक्ष में : सर्वश्री सुदर्शन रायचौधरी, राजेश कुमार, राज नारायण, गया प्रसाद कोरी तथा सुरेशानन्द स्वामी।

अय्यर, श्री मणि शंकर

अरुणाचलम, श्री एम.

अहमद, श्री कमालुद्दीन

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उमराव सिंह, श्री

उम्ब्रे, श्री लाईता

काले, श्री शंकर राव दे.

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो. पी.जे.

कुली, श्री बालिन

कैनिथी, डा. विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

गोगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गुडाडिन्नी, श्री बी.के.

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.

चाक्को, श्री पी.सी.

चार्ल्स, श्री ए.

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चौधरी, श्री नारायण सिंह

जगबीर सिंह, श्री

जांगड़े, श्री खेलत राम

जाखड़, श्री बलराम

जावाली, डा. बी.जी.

जीवरत्नम, श्री आर.

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

डेनिस, श्री एन.

तंगकाबालु, श्री के.वी.

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थामस, श्री पी.सी.

थुगन, श्री पी.के.

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

देवरा, श्री मुरली

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

नवले, श्री विदुरा बिठोवा

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पांडियन, श्री डी.

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पवार, डा॰ बसंत

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री प्रकाश वी॰

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाटील, श्री विजय एन॰

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री वी॰आर॰ नायडू

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रभु, श्री आर॰

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नांडीज, श्री ओस्कार

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा॰ कृपासिन्धु

मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी॰

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

माथुर, श्री शिवचरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भेरू लाल

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री रामलखन सिंह

यादव, श्री सूर्यनारायण

राजेश्वरन, डा. वी.

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री कल्पनाथ

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री ए. वेंकट

रेड्डी, श्री एम. बागा

रेड्डी, श्री एम.जी.

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

वर्मा, कु. विमला

वान्डायार, श्री के. तुलसिऐया

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी.एस.

शंकरानन्द, श्री बी.

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सईद, श्री पी.एम.

साय, श्री ए. प्रताप

सिल्वेरा, डा. सी.

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कु. पुष्पा देवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंहदेव, श्री के.पी.

सुखराम, श्री

सुन्दरराज, श्री एन.

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सोडी, श्री मानकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

कापसे, श्री राम

कुमार, श्री नीतीश

कोरी, श्री गया प्रसाद

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा. परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौतम, श्रीमती शीला

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी.एस.

जायनल अबेदिन, श्री

जैना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

तेजनारायण सिंह, श्री

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

पांडियन, श्री डी.

पटनायक, श्री शिवाजी

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

बर्मन, श्री पलास

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द्र

राय, श्री एम. रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, डा. सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रेड्डी, श्री बी.एन.

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

सिंह, श्री राजवीर

सुर, श्री मनोरंजन

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

सभापति महोदय : *शुद्धि के अध्याधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया

पक्ष में : सर्वश्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी, चिरंजीलाल शर्मा, शरत् पटनायक . एम. कृष्ण स्वामी, रमेश चेन्नित्तला तथा सुधीर सांवत।

विपक्ष में : श्री हरि केवल प्रसाद।

पक्ष में : 115

विपक्ष में : 57

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 4 से 13 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम मत-विभाजन चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह हमारा अधिकार है। हम मत-विभाजन चाहेंगे। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसके बारे में नियम है। अध्यक्ष महोदय को यह देखना होता है कि मत-विभाजन अनावश्यक तौर पर न कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय ने मत-विभाजन के लिये किये गये निरर्थक अनुरोधों की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हम मत-विभाजन चाहते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : दीर्घायें पहले से ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या-5

पक्ष में

अडईकलराजू, श्री एल.

अन्बारासु आर., श्री

अय्यर, श्रीमणि शंकर

अरुणाचलम, श्री एम.

अहमद, श्री कमालुद्दीन

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उमराव सिंह, श्री

उम्ब्रे, श्री लाईता

काले, श्री शंकर राव दे.

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो. पी.जे.

कुली, श्री बालिन

केनिथी, डा. विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

गोगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.

चाक्को, श्री पी.सी.

चार्ल्स, श्री ए.

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चिदम्बरम, श्री पी.

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, श्री नारायण सिंह

जगबीर सिंह, श्री

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जावाली, डा.बी.जी.

जीवरत्नम, श्री आर.

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डेनिस, श्री एन.

तंगकाबालु, श्री के.वी.

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थुंगन, श्री पी.के.

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

देवरा, श्री मुरली

नवले, श्री विदुरा बिठोवा

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पांडियन, श्री डी.

पटनायक, श्री शरत चन्द्र

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पवार, डा. बसंत

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह

पाटील, श्री विजय एन.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रभु, श्री आर.

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नांडीज, श्री ओस्कार

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा. कृपासिन्धु

मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी.

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री रामनिवास

मीणा, श्री भेरूलाल

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री सूर्यनारायण

राजेश्वरन, डा. वी.

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री कल्पनाथ

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री एम. बागा

रेड्डी, श्री एम.जी.

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

वर्मा, कु. विमला

वान्डायार, श्री के. तुलसिऐया

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी.एस.

शंकरानंद, श्री बी.

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सईद, श्री पी.एम.

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सिल्वेरा, डा. सी.

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कु. पुष्पा देवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंहदेव, श्री के.पी.

सुखराम, श्री

सुन्दरराज, श्री एन.

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोंडी, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

कुमार, श्री नीतीश

कोरी, श्री गया प्रसाद

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा. परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गोपालन, श्रीमती सुशीला

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी.एस.

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

तेजनारायण सिंह, श्री

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाण्डेय, डा॰ लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री हरि केवल

बर्मन, श्री उद्धव

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

राजनारायण, श्री

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द्र

राय, श्री एम॰ रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, डा॰ सुधीर

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रेड्डी, श्री बी.एन.

सिंह, श्री राजवीर

सुर, श्री मनोरंजन

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

सभापति महोदय : *शुद्धि के अध्याधीन मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 115

विपक्ष में : 47

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

कुछ माननीय सदस्य : हम मतविभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घायें पहले से ही खाली कर दी गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री बी.के. गुडाडिन्नी, ए. वेंकट रेड्डी, एम. कृष्ण स्वामी तथा प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख।

विपक्ष में : सर्वश्री चित्त बसु, शिवाजी पटनायक, ब्रह्मानन्द मंडल, अनिल बसु, प्रो. सुशान्त चक्रवती, सर्वश्री सुब्रत मुखर्जी, हाराधन राय, देवेन्द्र प्रसाद यादव, उपेन्द्र नाथ वर्मा, श्रीमती शीला गौतम तथा श्री राम कापसे।

पक्ष में

7.18 म.प.

मत विभाजन संख्या-6

अडईकलराज, श्री एल.

अन्बारासु, श्री आर.

अरुणाचलम, श्री एम.

अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, श्री कमालुद्दीन

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उमराव सिंह, श्री

उम्रे, श्री लाइटा

काले, श्री शंकरराव दे.

कुमारमंगलम, श्री पी.आर.

कुरियन, प्रो. पी.जे.

कुली, श्री बालिन

कैनिथी, डा. विश्वनाथम

कोंताला, श्री राम कृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

गजपति, श्री गोपी नाथ

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गुडादिन्नी, श्री बी.के.

गोगोई, श्री तरुण

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.

चाक्को, श्री पी.सी.

चार्ल्स, श्री ए.

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई, खोड़ाभाई

चेंन्नीत्तला, श्री रमेश

चौधरी, श्री नारायण सिंह

जगबीर सिंह, श्री

जाखड़, श्री बलराम

जावाली, डा. बी.जी.

जीवरत्नम, श्री आर.

टाईटलर, श्री जगदीश

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डेनिस, श्री एन.

तंग्काबालू, श्री के.वी.

तारासिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थुंगन, श्री पी.के.

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

देवरा, श्री मुरली

देशमुख, श्री अनन्तराव

देखमुख, श्री अशोक आनन्दराव

नवले, विदुरा बिठोबा

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड़, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पांडियन, श्री डी.

पवार, डा. बसंत

पटनायक, श्री शरत

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल्ल

पांजा, श्री अजीत

पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.

पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाटिल, श्री विजय एन.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रभु, श्री आर.

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नांडीज, श्री ओस्कर

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री बिश्वेश्वर

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा. कृपासिन्धु

मनफूलसिंह, श्री

मरबानिआं, श्री पीटर जी.

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

माथुर, श्री शिवचरण

मिर्धा, श्री राम निवास

मीणा, श्री भेरू लाल

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरण, श्री के.

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री सूर्य नारायण

राजेश्वरन, डा. वी.

राजेश्वरी, श्रीमती बासव

रामचंन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री कल्प नाथ

रेड्डी, श्री ए. वेंकट

रेड्डी, श्री एम.जी.

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

वर्मा, कुमारी विमला

वान्डायार, श्री के.टी.

वासनिक, श्री मुकुल

विजयराघवन, श्री वी.एस.

शंकरानन्द, श्री बी.

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कुमारी पुष्पादेवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह देव, श्री के.पी.

सिलवेरा, डा. सी.

सुखराम, श्री

सुंदरराज, श्री एन.

सुरेश, श्री कोडीकुन्नील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्णदत्त

सैयद, श्री पी.एम.

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

कापसे, श्री राम

कुमार, श्री नीतीश

कोरी, श्री गया प्रसाद

खंडूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा॰ पी॰आर॰

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गोपालन, श्रीमती सुशीला

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोत राव

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी॰एस॰

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

तेजनारायण सिंह, श्री

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारका नाथ

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

पटनायक, श्री शिवाजी

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाण्डेय, डा॰ लक्ष्मीनारायण

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री हरि केवल

बर्मन श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानंद

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री रामकृपाल

राज नारायण, श्री

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेम चन्द

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री एम॰ रमन्ना

राय, श्री लालबाबू

राय, डा॰ सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रेड्डी, श्री बी.एन.

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

सिंह, श्री राजबीर

सुर, श्री मनोरंजन

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

सभापति महादेय : *शुद्धि के अध्याधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 114

विपक्ष में 58

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6 से 11 विधेयक में जोड़े गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

कुछ माननीय सदस्य : हम मतदान चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घायें पहले ही खाली करवा दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री एम. बागा रेड्डी, मोहनलाल झिकराम, मनकूराम सोड़ी, ए. इन्द्रकरन रेड्डी, एम. कृष्णा स्वामी और खेलन राम जांगड़े।

विपक्ष में : श्रीमती शीला गौतम।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

पक्ष में

7.21 म.प.

मत विभाजन संख्या-7

अडईकलराज, श्री एल.

अन्बारासु, श्री इरा

अरुणाचलम, श्री एम.

अहमद, श्री कमालुद्दीन

उम्ब्रे, श्री लाईता

उमराव सिंह, श्री

उपाध्याय, श्री स्वरूप

काले, श्री शंकरराव दे.

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुली, श्री बालिन

कुरियन, प्रो. पी.जे.

कैनिथी, डा. विश्वनाथम

कोंतल, श्री राम कृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खान, श्री असलम शेर

गजपति, श्री गोपी नाथ

गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव

गुडादिन्नी, श्री बी.के.

गोगोई, श्री तरुण

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चाक्को, श्री पी.सी.

चालिहा, श्री किरिप

चार्ल्स, श्री ए.

चिदम्बरम, श्री पी.

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, श्री नाथायण सिंह

चौहान, श्री पृथ्वीराज डी.

जगबीर सिंह, श्री

जावाली, डा. बी.सी.

जांगड़े, श्री रेशम लाल

जाखड़, श्री बलराम

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जीवरत्नम, श्री आर.

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

तंग्काबालू, श्री के.वी.

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थुंगन, श्री पी.के.

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

देवरा, श्री मुरली

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

डेनिस, श्री एन.

नवाले, श्री विदुरा बिठोवा

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड़, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पवार, डा. बसंत

पटनायक श्री शरत

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पांजा, श्री अजीत

पांडियन, श्री डी.

पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह

पाटिल, श्री विजय एन.

पाटिल, श्री प्रकाश वी.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री बी.आर. नायडू

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रभु, श्री आर.

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नांडीज, श्री ओस्कर

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बारबल, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री बिश्वेश्वर

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा. कृपासिन्धु

मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी.

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

माथुर, श्री शिवचरण

मिर्धा, श्री राम निवास

मीणा, श्री भेरू लाल

मुरलीधरण, श्री के.

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री सूर्य नारायण

राजेश्वरन, डा. वी.

राजेश्वरी, श्रीमती बासव

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री कल्प नाथ

रेड्डी, श्री ए. वेंकट

रेड्डी, श्री एम.जी.

रेड्डी, श्री एम. बागा

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

वर्मा, कुमारी विमला

वासनिक, श्री मुकुल

विजयराघवन, श्री वी.एस.

शंकरानन्द, श्री बी.

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सईद, श्री पी.एम.

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सिंह, श्री के.पी. देव

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह श्री मोतीलाल

सिंह, कुमारी पुष्पादेवी सिंह

सिलवेरा, डा. सी.

सुंदरराज, श्री एन.

सुखराम, श्री

सुल्तानपुरी, श्री के.डी.

सुरेश, श्री कोडीकुन्नील

सोड़ी, श्री मानकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

कापसे, श्री राम

कुमार, श्री नीतीश

कोरी, श्री गया प्रसाद

खंडूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा. पी.आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौतम, श्रीमती शीला

घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी.एस.

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

द्रोण, श्री जगत वीर

पटनायक, श्री शिवाजी

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री हरि केवल

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानंद

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

राज नारायण, श्री

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेम चन्द

राय, श्री एम. रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री लाल बाबू

राय, डा. सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रेड्डी, श्री बी.एन.

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

सिंह, श्री राजवीर

सुर, श्री मनोरंजन

सैयद शहाबुद्दीन, श्री

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

सभापति महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 113

विपक्ष : 57

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 12 विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री बलराम सिंह यादव : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापित महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

...**(व्यवधान)**...

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री मणिशंकर अय्यर, ए. इन्द्रकरन रेड्डी, एम. कृष्णास्वामी, के.टी. वान्डायार और के.एच. मुनियप्पा।

विपक्ष में : श्री तेजनारायण सिंह और श्री सुरेशानन्द स्वामी।

सभापति महोदय : जो सदस्य पहले बोल चुके हैं वे अब नहीं बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, मैं एक मिनट इस पर बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विधेयक की तृतीय वाचन अवस्था में केवल उन्हीं सदस्यों को विधेयक पर बोलने की अनुमति दी जायेगी, जो इस पर पहले नहीं बोले हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इस पर नहीं बोला हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, नई बात आई है, इसलिए मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम यह है कि आप एक ही विषय पर दो बार नहीं बोल सकते। मैं श्री आचार्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

... **(व्यवधान)** ...

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह विधेयक जो कि सभा के समक्ष है, एक कठोर विधेयक है। आज के दिन को काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता तथा संप्रभुता के सिद्धान्तों को छोड़ दिया गया है।

महोदय, उन्होंने खनन के संबंध में एक नीति अपनाई और संरकार ने यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इशारे पर अपनाई है। ... **(व्यवधान)** ...

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, आपको तो पावर है, आप तो समय दे सकते हैं

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहिए, मैं आपको दो मिनट का समय दूंगा।

... **(व्यवधान)** ...

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीद व्यक्ति आत्मनिर्भरता के सिद्धान्तों पर कायम रहे और उन्होंने कहा था कि हम विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपनी संपदा

को हड़पने के लिए अपने देश में आने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन अब यह सरकार आत्मनिर्भरता के सिद्धान्तों को त्यागने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। अब वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने देश में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वे हमारे देश की संपदा को लूटने के लिए आएंगे और हमें गुलाम बना देंगे। फिर हम अपना सिर नहीं उठा सकेंगे। वे हमारी आर्थिक संप्रभुता को उनके हाथों में क्यों सौंपना चाहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? हम अपनी खनिज संपदा का दोहन क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त का अभयर्पण क्यों कर रहे हैं। हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अपने दरवाजे क्यों खोल रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...**(व्यवधान)***...

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मजदूर भी संघर्ष कर रहे हैं। 6 अप्रैल को लाखों किसान और मजदूर सरकार की नई आर्थिक नीतियों के प्रति अपना विरोध करने के लिए दिल्ली आए थे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुन्जा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं नियम 94 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। इस अवस्था में लंबे भाषणों की अपेक्षा नहीं की जाती है। वह विधेयक के समर्थन में अथवा विरोध में केवल संक्षिप्त मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन वह बहुत विस्तार में जा रहे हैं और इस अवस्था में इस सब की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

सभापति महोदय : नियम बताने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। श्री आचार्य जी कृपया उस नियम के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखिए।

...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जाये, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये।

...**(व्यवधान)***...

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे पास लौह अयस्क के प्रचुर मात्रा में भण्डार हैं, जो विश्व में उत्तम कोटि के हैं। यदि हम उनका दोहन करें और इस्पात निर्माण में उसका इस्तेमाल करें, तो उससे हम बहुत धनराशि अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान समय में हम लौह अयस्क के निर्यात से लगभग 300 करोड़ रुपए अर्जित कर रहे हैं। यदि हम इस लौह अयस्क का इस्तेमाल कर सके और इस्पात

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

[श्री बसुदेव आचार्य]

निर्माण कर सकें तो हम उससे 4000 करोड़ रुपए अर्जित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ हजार बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जा सकता है। इस काले विधेयक को पारित करके सरकार हमारी खनिज संपदा को बेच रही है। हमारे देश में डोलोमाइट, तांबा, अभ्रक आदि, बहुत कीमती खनिज हैं। बिहार में आज अनेकों अभ्रक की खानें बंद कर दी गई हैं, जिससे आज हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

आप कुन्डामुल में अभ्रक की खानों में काम कर रहे श्रमिकों की खराब दशा देख सकते हैं। हजारों अभ्रक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। हमारे यहां बढ़िया किस्म के चूने के पत्थर हैं। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा है। विदेशी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देने की क्या आवश्यकता है कि वे आयें और हमारे बहुमूल्य संसाधनों से लाभ अर्जित करें और उन्हें लूट कर ले जायें। कोयले की खानों का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। वे उन खानों को गैरराष्ट्रीयकृत करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

अब मैं हिन्दी में अपनी बात कहूंगा। इस विधेयक का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा समझ लें। ***(व्यवधान)*** थोड़ा समझने के लिये मैं हिन्दी में अपनी बात कह रहा हूं। ऐसे कानून की क्या जरूरत है ? हमारे देश की प्रभुसत्ता, स्वाधीनता और स्वाभिमान को बेचा जा रहा है। ऐसे में हम कैसे इसका समर्थन कर सकेंगे ***(व्यवधान)*** अभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। हम अपनी आजादी को ऐसे नहीं गंवाने देंगे और देश में विदेशी पूंजी को ऐसे नहीं आने देंगे। देश को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और आत्मनिर्भर बनायेंगे। आज सरकार को क्या हो गया है ? वह एक के बाद दूसरा गलत कदम उठा रही है। ***(व्यवधान)***

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया गंभीर रहें और अपने वक्तव्य को समाप्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अन्यथा, आपको एक ही भाषा में बोलना पड़ेगा। जब आप अपना वक्तव्य अंग्रेजी में आरम्भ करते हैं, तो आपको अंग्रेजी में ही अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम आज देश को किधर ले जा रहे हैं? इसीलिये हमारे देश की जनता, हमारे देश का मजदूर और हमारे देश के किसान सरकार की इस नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : भाषण में हस्तक्षेप करके आप स्वयं चर्चा का समय बढ़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम भी लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे देश की आजादी खतरे में है हम कैसे बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मै अनुरोध करता हूं कि वे समझदारी बरतें और पुनः विचार करें। हम अपनी स्वाधीनता और प्रभुसत्ता को नहीं छोड़ सकते। **(व्यवधान)**

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार भी इस विधेयक को पारित करने के लिए दबाव न डाले।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

सभापति महोदय : मैं आपको केवल 2 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मै इस विश्वास के साथ अपनी बात जारी रखता हूं कि वोट देने का यह तरीका *... यह इस विश्वास के साथ है कि मैं अपना निवेदन करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

मैंने केवल इतना कहा है कि मैं उनकी देशभक्ति पर विश्वास करता हूं, यदि वे इस पर आपत्ति करते हैं *...। मुझे इसके लिए बहुत खेद है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आपको इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ूंगा और जो अंश आपत्तिजनक होंगे उन्हें निकलवा दिया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उन्हें केवल यह याद दिलना चाहता हूं कि यह सब कार्य पट्टे पर आरम्भ किए गए थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हमारे देश के कुछ भागों को पट्टे पर लेने की इच्छा व्यक्त की थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यह एक विदेशी कम्पनी थी, जो हमारे देश में भूमि पर कब्जा करना चाहती थी। वे बंगाल में कपास के स्थान पर नील की खेती करना चाहते थे। मैं आपकों याद दिलाना चाहता हूं कि इसे बचाने के लिए ही उन्होंने कड़वाहट उत्पन्न की और प्लासी का युद्ध हुआ और उन्होंने इस देश पर विजय प्राप्त की। **(व्यवधान)**

*पीठासीन अधिकारी के आदेशनुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

यह वक्तव्य कि विदेशियों को 50 प्रतिशत इक्विटी की और अनुमति नहीं दी जाएगी, सही नहीं है। माननीय मंत्री द्वारा यह बात कही गई है। परसों एक प्रेस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इन संकेतों और शुभकामनाओं के बावजूद भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बाजार में 51 प्रतिशत शेयर धारित कम कर दी गई है और उसे गौण के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। वे यह जानते है। मारूति की स्थिति के बारे में हमें आश्वासन दिया गया है कि भारत सरकार 51 प्रतिशत की शेयर धारित बनाए रखेगी और उस स्थिति को छोड़ देगी।

इसलिए हमें यह डर है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ 190 वर्ष के पट्टे को क्या एक बार पुनः दोहराया जा रहा है। यह पचास वर्ष नहीं है, वे 1757 से 1947 तक 190 वर्ष के लिए उस पर डटे रहे। इस नीति द्वारा हम एक बार फिर उस ओर बढ़ रहे हैं। चाहे उनका इरादा है अथवा नहीं। **(व्यवधान)**

मैं आपको बताता हूं कि मैं इतना उत्सुक क्यों हूं। समस्या यह है कि हम जानते हैं कि उन्हें बचाने के लिए उन्हें 1757 वाली स्थिति को दोहराना होगा। वर्तमान इतिहास से भी हम जानते हैं कि लैटिन अमरीकी देशों में ऐसे पट्टों से बचने के लिए अमरीका को अपने दस्ते भेजने पड़े थे और उन देशों में देशद्रोहियों पर निर्भर रहना पड़ा था। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह वर्तमान इतिहास है और यह 200 वर्ष पूर्व का इतिहास है। यह दोनों हमारे डर हमारी समझ की पुष्टि करते हैं कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की व्याख्या करनी है कि ऐसी भावनाएं मेरे मस्तिष्क में इतनी मजबूत क्यों है? कृपया कल्पना कीजिए कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की दो विशेषताएं हैं : एक तो यह कि इसमें औद्योगिक मंदी है और दूसरे उन देशों में बाजार की कमी है, इसलिए क्षमता का कम उपयोग हुआ है और धनराशि का आधिक्य है। मंदी और धनराशि का आधिक्य उन देशों की विशेषता बताता है, जहां से बहुर्राष्ट्रिक आते हैं। हमारे देश के लिए यह खतरनाक स्थिति है। हम यह पहले ही जान गए हैं कि 13 बिलियन डालर के विदेशी मुद्रा कोष के ऊंचे दावे के बावजूद दो बिलियन डालर प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि शेयर बाजार से आता है। धनराशि उपलब्ध है।

श्री मुरली देवरा (दक्षिण बम्बई) : क्या आप बजट पर बोल रहे हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी नहीं, मै इस विधेयक पर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात इस विधेयक तक ही सीमित रखिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी, हां। मेरा मुद्दा यह है कि उद्योगों में मंदी के कारण प्रौद्योगिकी को नहीं ला सकते। वे ऐसी उत्पादक शक्तियों को उत्पन्न नहीं करना चाहते, जो उन देशों में सुस्थापित उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करें। इसलिए वे इतनी अधिक धनराशि के आधिक्य को या तो शेयर बाजार में लगाना चाहते हैं, जिसमें उनकी अपनी औद्योगिक सुविधाओं के साथ कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं होती है अथवा वे विभिन्न देशों के खनिजों तथा प्राकृतिक सम्पदा में लगायेंगे, क्योंकि इसमें भी उनके साथ कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं होती है। वे अपनी धनराशि का उन क्षेत्रों में उपयोग करेंगे, जिनमें भारत का एकाधिकार है अथवा वे एकाधिकार के करीब है अथवा उस क्षेत्र में अधिपत्य है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने दो मिनट तक बोलने का वचन दिया था। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अतः वह मंदी इस भय की पुष्टि करती है कि यद्यपि इतिहास स्वयं को कभी नहीं दोहराता और 1757 का अधिनियम नहीं बनाया जा सकता *...

चाहे वे इसके बहुत इच्छुक हों, क्योंकि यहां ऐसे लोग हैं, जिन्होंने स्वतन्त्रता का स्वाद चखा है, यहां ऐसे लोग हैं, जो 200 वर्ष पूर्व विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए थे। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : किसी भी व्यक्ति में देशभक्ति की भावना न होने का आरोप लगाए जाने जैसी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। मुझे उन टिप्पणियों को निकालना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं उन्हें केवल सुझाव दे रहा हूं कि यदि वे इसके इच्छुक हों, क्योंकि जब मैंने उनका हवाला देशभक्त के रूप में दिया था तो उन्होंने उस पर आपत्ति व्यक्त की है। मैंने बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं कहा कि वे गैर देशभक्त हैं। मैं अब भी यह विश्वास करता हूं कि उनकी देशभक्ति को उनके मन से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आखिरकार हम सभी ने 15 अगस्त, 1947 का दिन देखा है... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपको जो समय दिया था, आपने उससे अधिक समय ले लिया है, मैंने आपको दो मिनट का समय दिया था। आपने 5 मिनट ले लिए हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब मैं समाप्त कर रहा हूं, इसलिए इस अन्तिम स्थिति में भी देशभक्ति के नाम पर, जनता के नाम पर, जिनसे कि आपने अगले चुनाव प्रक्रिया में मिलना है, मैं उनसे अपील करता हूं, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस अन्तिम चरण में इस विधेयक पर सभा में मत करवाने पर दबाव न डालें विधेयक को वापस लेने दें।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति जी, इनकी नीति ठीक नहीं है, इसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे, जिस प्रकार से माइनिंग के क्षेत्र में व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो इससे स्वदेशी कंपनियों को आघात पहुंचेगा। आपने कहा कि हमारे पास तकनीकी नहीं है और नो-हाऊ नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय तकनीकी का आपने अपमान किया है। हम जानकारी नहीं रखते हैं, तो क्या करते आ रहे हैं। यह विधेयक राज्य सरकारों के अधिकारों पर हमला करने वाला है। विदेशी तकनीकी और कम्पनियों को लाकर आप सीधे-सीधे भारतीय कंपनियों को, जो इस समय काम कर रही हैं, उनको अलग करना चाहते हैं, उदारीकरण के नाम पर यह विदेशीकरण करना गलत है। डंकल प्रस्ताव आप स्वीकार करने जा रहे हैं और उसके दबाव के अंतर्गत चाहे माईनिंग, बैंकिंग या अन्य क्षेत्रों में आप उनको सीधे प्रवेश दे रहे हैं और विदेशों के हाथ में खेलने जा रहे हैं ... **(व्यवधान)** इसलिए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आप अन्य पूरा विधेयक लायें।

श्री बलराम सिंह यादव : सभापति जी, मैं अपने प्रारंभिक भाषण में माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों को क्लीयर कर चुका हूं। एम.एम.आर.डी. एक्ट के अंतर्गत जितने विपक्षी दल के सदस्य हैं, वे ह्रदय से ह्रदयंगम कर रहे हैं, चूंकि विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं।

*पीठासीन अधिकारी के आदेशनुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

" कि विधेयक पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

7.52 म.प.

मत-विभाजन संख्या-8

पक्ष में

अडईकलराज, श्री एल.

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अय्यर, श्री मणि शंकर

अन्बारासु इरा, श्री

अरुणाचलम, श्री एम.

आदित्यन, श्री आर. धनुषकोडी

बनर्जी, कुमारी ममता

भगत, श्री विश्वेश्वर

भक्त, श्री मनोरंजन

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोई, डा. कृपासिन्धु

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

चाक्को, श्री पी.सी.

चालिहा, श्री किरिप

चन्द्राकर श्री चन्दूलाल

चार्ल्स, श्री ए.

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चेन्नित्तला, श्री रमेश

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

डेका, श्री प्रबीन

डेनिस, श्री एन.

देवरा, श्री मुरली

देशमुख, श्री अनंतराव

देशमुख, श्री अशोक आनंद राव

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार

गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव

गजपति, श्री गोपी नाथ

घाटोवार, श्री पवन सिंह

गोगोई, श्री तरुण

गोमांगो, श्री गिरिधर

गुडाडिन्नी, श्री बी.के.

जाखड़, श्री बलराम

जंगबीर सिंह, श्री

जांगडे, श्री खेलंन राम

जावाली, डा. बी.जी.

जीवरत्नम, श्री आर.

झिकराम, श्री मोहनलाल

काले, श्री शंकरराव दे.

कैनिथी, डा. विश्वानाथम

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीद, श्री सलमान

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कुली, श्री बालिन

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो. पी.जे.

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी.

माथुर, श्री शिवचरण

मीणा, श्री भेरू लाल

मेघे, श्री दत्ता

मिर्धा, श्री नाथू राम

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर

नवले, श्री विदुरा विठोबा

नायक, श्री सुबास चन्द्र

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू

पंडियन, श्री डी.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पांजा, श्री अजित

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाँटील, श्री विजय एन.

पटनायक, श्री शरत् चन्द्र

पवार, डा. वसंत

पायलट, श्री राजेश

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रभु, श्री आर.

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

राही, श्री रामलाल

राय, श्री कल्पनाथ

राजेश्वरन, डा. वी.

राजेश्वरी, श्रीमती वासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रेड्डी, श्री ए. वेंकट

रेड्डी, श्री एम.जी.

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सईद, श्री पी.एम.

शैलजा, कुमारी

शंकरानन्द, श्री बी.

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सिलवेरा, डा. सी.

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सोड़ी, श्री मानकूराम

सुख राम, श्री

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दरराज, श्री एन.

तारा सिंह, श्री

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

तंग्काबालू, श्री के.वी.

थामस, श्री पी.सी.

थुंगन, श्री पी.के.

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

टाईटलर, श्री जगदीश

उम्ब्रे, श्री लाईता

उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु, प्रो.

उमराव सिंह, श्री

उपाध्याय, श्री स्वरूप

वर्मा, कुमारी विमला

विजयराघवन, श्री वी.एस.

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री सूर्य नारायण

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौहान, श्री चेतन पी.एस.

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दास, श्री द्वारका नाथ

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

गंगवार, डा. परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

गोपालन, श्रीमती सुशीला

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

जेना, श्री श्रीकान्त

झा, श्री भोगेन्द्र

जोशी, श्री दाऊ दयाल

खां, श्री सुखेन्दु

कुमार, श्री नीतीश

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मंजय लाल, श्री

मोल्लाह, श्री हन्नान

मुखर्जी, श्री सुब्रत

पाल, श्री रूपचन्द

पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पटनायक, श्री शिवाजी

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

राय, श्री लाल बाबू

राय, श्री एम. रमन्ना

राज नारायण, श्री

राम, श्री प्रेम चन्द

राय, डा. सुधीर

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रेड्डी, श्री बी.एन.

राय, श्री हाराधन

संघानी, श्री दिलीप भाई

सिंह, श्री राजवीर

सुर, श्री मनोरंजन

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

सैयद शहाबुद्दीन, श्री

तेजनारायण सिंह, श्री

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

जायनल अबेदिन, श्री

[अनुवाद]

सभापति महोदय : *शुद्धि के अध्याधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 116

विपक्ष में : 51

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

07.54 म.प.

(अध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आज हमने बहुत काम किया है, इसलिए अब छुट्टी करें।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके लिए ही है, अगर नेक्स्ट आइटम नहीं लेंगे, तो सामान्य बजट के लिए समय कम रहेगा। इसलिए सहयोग करें। कृपया मेरी बात को समझिये तथा मुझे सहयोग दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : हमने बहुत कोआपरेट किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कक्ष में सब कुछ सुन रहा था।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : हमने विचार-विमर्श में पूरी रुचि ली है।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया।

पक्ष में : सर्वश्री कोडीकुन्नील सुरेश, एम. कृष्ण स्वामी तथा धर्मपाल सिंह मलिक।

विपक्ष में : श्री हरि केवल प्रसाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने 8 बजे तक ही बैठने की सहमति व्यक्त की थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि आपको अपने विचार व्यक्त करने दिया जा सके। हम 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं बढ़ा सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना संभव नहीं है। आपको निर्धारित कार्यक्रम के बारे में विदित नहीं है। इस विधेयक को इस सदन द्वारा पारित किया जाना है और इसके बाद यह विधेयक राज्य सभा को भेजा जाना है तथा अनेक अन्य विषय भी निपटाए जाने हैं।

(व्यवधान)

07.55 म.प.

बैंककारी विनियमन (संशोधन), अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
बैंककारी विनियमन (संशोधन), विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन), अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि आवश्यक हो, तो हम 29, 30 तथा 31 तारीख को भी बैठक करेंगे। इस विधेयक पर चर्चा के लिए तीन दिन का समय उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से यह कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा सभी नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद किया जा रहा है। हमने इस बारे में चर्चा की है तथा हमने सभी नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद ही ऐसा किया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बात से सहमत होना पड़ेगा। जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता, सदन की बैठक जारी रहेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह एक गंभीर विधेयक है। इस विधेयक पर देर रात तक चर्चा कैसे हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप जितने घंटों तक बैठना चाहते हैं, बैठक जारी रहेगी।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : ऐसा प्रतीत होता था कि हमें 8 बजे तक बैठना है। वास्तव में जिन सदस्यों ने हमारी पार्टी की ओर से इस चर्चा में भाग लेना था, वे भी उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात को समझिये। नेताओं की बैठक में इस प्रकार का फैसला किया गया था ...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने स्वयं ही देखा है कि आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उतना ही समय दिया गया है जितना कि आपको चाहिये था। हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमें केवल यही कार्य नहीं करना है, बल्कि और भी बहुत-से कार्य करने बाकी हैं। चूंकि आपके समक्ष पूर्ण कार्य-सूची नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे सहयोग देंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आज हम 8 बजे के बाद नहीं बैठ सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति जी, आपको सहयोग देना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विश्व के अन्य देशों की संसदों में सारी रात तक बैठकें चल रही हैं तथा कार्य किया जा रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : रेल बजट पर चर्चा के लिए भी हम रात देर तक बैठे थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक होने के कारण, हम मत-विभाजन के लिए भी कह सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर हम अब चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति जी, सदस्यों को इस तरह से उत्तेजित करने का, मैं विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आपने इससे पहले भी एक बार इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आपको बोलने के लिए जितना समय चाहिए, हम आपको उतना समय दे देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : इस समय, इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकती। आप हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा का अभिमत प्राप्त करके निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, वित्तीय प्रणाली पर नरसिंहम समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये, बशर्ते कि, वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित प्रारम्भिक पूंजी और अन्य उपेक्षायें पूरी करते हों और लेखा, प्रावधान और प्रचालन के अन्य पहलुओं संबंधी विवेकसम्मत मानदंडों को पूरा करते हों।

बैंकिंग प्रणाली में अधिक उत्पादकता और दक्षता लाने के लिये नरसिंहम समिति की उपर्युक्त सिफारिश के आलोक में तथा अधिक प्रतिस्पर्द्धा लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करते हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिये किये जा रहे प्रयासों के संदर्भ में और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों को नियंत्रित करने वाले सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना की मानीटरिंग के कार्य को कारगर ढंग से करने के लिये उस योग्य बनाने के लिये, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में कतिपय संशोधन जरूरी समझे गये। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और ये संशोधन शीघ्र किये जाने थे, इसलिये राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 1994 को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 प्रख्यापित किया। इस बिल का उद्देश्य उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।

बैंकिंग कम्पनियों के साथ ख्यातिप्राप्त लोगों को संबद्ध करने के काम को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से , बैंकिंग कम्पनियों में अंशकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे अंशकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन की जा सकेगी। यदि किसी बैंकिंग कम्पनी का अध्यक्ष अंशकालिक होगा तो उस कम्पनी का प्रबंध एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक को सौंपा जायेगा जो निदेशक बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। किसी शेयरधारक के वोटिंग अधिकार पर लगी सीमा को 1 प्र. से बढाकर बैंकिंग कम्पनी के सभी शेयर होल्डरों के कुल वोटिंग अधिकार के 10 प्र. तक करने का प्रस्ताव है। प्रवर्तक संस्थाओं और नयी बैंकिंग कम्पनी के दरमियान और अधिक प्रभाव समन्वय: सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ताकि कार्य संस्कृति नैतिक नियम और व्यावसायिक दृष्टिकोण की प्रवर्तक की कुछ परम्परायें रखी जा सकें, बैंकिंग कम्पनियों के बोर्ड पर प्रवर्तक संस्थाओं के अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान केवल गैर-सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग कम्पनियों के बारे मे लागू होंगे और जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, उन पर उनको नियंत्रित करने वाले कानूनों के सम्बद्ध प्रावधान लागू रहेंगे।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दिये जाने वाले दण्ड में उपयुक्त वृद्धि की गयी है, ताकि उनका आवश्यक निवारक प्रभाव पड़े। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस दण्ड को निर्धारित करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है।

राज्य सभा ने पहले ही 7-3-94 को इस विधेयक को पारित कर दिया है। इसके साथ ही मैं सदन के समक्ष इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बात स्पष्ट कर दूंगा । यदि हम इस विधेयक को आज ही पारित नहीं करते, तो फिर हमें लेखानुदान पर भी चर्चा करनी है तथा 19 तारीख के बाद, हमारी यहां बैठक नहीं होगी। हमे लेखानुदान को 31 मार्च से पहले पारित करना है; एक बात तो यह है, यदि हम लेखानुदान तथा विनियोग विधेयक कल ही सभा में पारित कर देते हैं, तो कल इन्हें राज्य सभा में भेजा जा सकता है और इन्हें उस सभा में पारित किया जाना है। इन्हें राज्य सभा में भेजना अति अनिवार्य है। जब तक इन्हें राज्य सभा में नहीं भेजा जाता, तब तक इन्हें पारित नहीं किया जा सकता । समयाभाव के कारण, हम ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा हमने कोई भी कार्य कभी भी सदस्यों पर नहीं थोंपा है। समय की कमी है, कृपया इस बात को समझें तथा मुझे सहयोग दें। अन्यथा, हम ऐसा न करते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम क्या करें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें दो बाधाएं हैं। इस प्रकार का अध्यादेश छह सप्ताह के अन्दर–अन्दर पारित किया जाना होता है। एक बात तो यह है और उसका समय भी समाप्त होने जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाना है तथा इसे राज्य सभा को भेजा जाना है। तभी सरकार को धनराशि उपलब्ध होगी, इसमें यही अड़चन है, कृपया इस बात को समझिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा नहीं कर सकते, इसी कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा, हम इसके लिए दबाव ही नहीं देते। कृपया इस बात को समझें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अब अगर काफी संख्या में माननीय सदस्य चाहते हैं कि बैठक न चले तो हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि कल हम इस विधेयक को भी पास करेंगे और वोट ऑन एकाउंट को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर बजट पर डिस्कशन के लिये कम समय मिलेगा तो वह हम सबका ही समय है, जो हमारे हिस्से में कम आयेगा। इसमें सत्ता पक्ष और विरोधी दल का सवाल नहीं है। इसका प्रस्ताव आ सकता है लेकिन अभी तो, अध्यक्ष महोदय, सचमुच में उम्मीद यह थी कि 8.00 बजे तक दोनों विधेयक हम पास कर लेंगे और इसीलिये 8.00 बजे तक बैठने का फैसला हुआ था, हमारे मित्रों ने बिल को लम्बा चला दिया तो यह संसद है और कभी-कभी लम्बी चलाना भी हमारी संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चूंकि मंत्री जी ने बैंककारी विनियमन (संशोधन), विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया है, मंत्री जी बोल चुके हैं, इसलिये कल हम दोनों काम खत्म कर लेंगे। मैं समझता हूं कि अभी बैठक समाप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : आप क्यों कल के लिये कह कर संकट को और पैदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी जो हिसाब आपने सबके सामने बताया है, उसे देखते हुए, हम लोग सुन भी रहे थे और बाहर लॉबी में चर्चा भी हो रही थी कि बहस चलती रहेगी, लेकिन वोट ऑन एकाउंट भी हो जायेगा और उसके बाद बहस भी चलती रहेगी। राज्य सभा की सिटिंग को देखते हुए आपने जो समय का हिसाब बताया है, उसके अनुसार, 19 मार्च तक तो हम लोग बैठ ही रहे हैं, तो उस समय तक जनरल

बजट पर डिबेट भी हो सकती है और यह बिल भी पास हो सकता हैं। यदि उसके लिये जरूरत पड़ी उस हाउस के बैठने की तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी की यह जवाबदेही है कि वहां बात करें और एक दिन अधिक वहां पर बैठें तथा इसको वहां से पास करायें, क्योंकि यह दूरगामी नतीजों वाला बिल है।

अध्यक्ष महोदय : हम सब लोग चाहते हैं कि आपका भी काम हो और सरकार का भी काम हो।

[अनुवाद]

हम एक काम करते हैं। सबसे पहले, कल हम लेखानुदान पारित करेंगे। इसके बाद हम इस विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक सामान्य चर्चा का संबंध है, हम यह चर्चा कर सकते हैं। मेरे विचार से, इस तरीके से इस कार्य को किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल आप इसका विरोध नहीं करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस मामले में हमें आपकी सलाह/विनिर्णय/मार्गदर्शन का अनुकरण करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों द्वारा सुस्पष्ट तौर पर समझौता करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी इस बात से सहमत हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम सभी ने यह कहा था तथा निर्णय लिया था कि यह दोनों अध्यादेश एक ही दिन में पारित किये जाएंगे। **(व्यवधान)** लेकिन दो दिन में भी, हम इन्हें पारित नहीं कर पाये हैं। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अध्यक्षपीठ से आज जो निदेश दिये हैं, उनका पालन किया जायेगा। **(व्यवधान)** मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि आपकी उपस्थिति में सर्वसम्मति से जो समझौते किये जाते हैं, बाद में उनका पालन नहीं किया जाता है। **(व्यवधान)** यही एक समस्या है। यदि आपकी उपस्थिति में सर्वसम्मति से जो समझौते किये जाते हैं, किन्तु उनका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इससे समस्या पैदा होती है।

अब आपने इसका एक समाधान सुझा दिया है। हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कल कोई सदस्य यह एतराज न करे कि नहीं, हम लेखानुदान पारित नहीं करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर सभा ने अपनी सहमति दे दी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो कुछ आपने कहा है, हम उसका पालन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सिर्फ एक शर्त है। जब जनरल डिबेट पर बहस होगी, तो ये कोरम पूरा करने में मदद करेंगे। हमेशा औपोजीशन की तरफ से कोरम पूरा किया जाता है, सत्ता पक्ष के लोग बैठते नहीं हैं। इनकी तरफ से एक मंत्री होते हैं और 1-2 और लोग होते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : यदि वे सदस्यों को सभा में नहीं लेकर आते हैं, तो सम्भवतः लेखानुदान पारित न भी हो पाये। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेखानुदान पारित होना अत्यंत जरूरी है। समूची धनराशि के लिए विनियोग विधेयक तब तक कोई महत्व नहीं रखता, जब तक उसमें पारित किया हुआ लेखानुदान न हो।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अतः, इसे पारित करवाने में कोई परेशानी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। अब, सभी सदस्यों ने आश्वासन दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : दूसरी तरफ, मैं सामान्य बजट पर चर्चा हेतु समय में कटौती करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इस वर्ष का आम बजट अनेक मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर चर्चा के लिए रात भर बैठना होगा। हम बहुत अच्छे नागरिक हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे विचार से, आप मुझ से सहमत होंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रूलिंग पार्टी के सिर्फ 54 सदस्य बैठें, हम रात भर बैठने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम इस बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं। बजट पर चर्चा किये बिना, मध्य रात्रि के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता। अतः मैं सुझाव देता हूं कि यह कह कर कि 29 तथा 30 तारीख की बजाय इस तरीके से हम तीन दिन का समय ले लेंगे, समय देना अभी भी सम्भव है। 28 तारीख को हम नहीं बैठ सकते। लेकिन 31 तारीख को बैठना सही है। अतः इस तरीके से हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह अवसर मिलेगा। आपको विदित है कि मैंने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि हमारे पास जो थोड़ा-सा समय उपलब्ध है—उसमें इन विधेयकों को पारित नहीं किया जायेगा। मैंने पहले ही यह पूर्वानुमान लगा लिया था। आपको अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही, हम सभी का यह भी कर्त्तव्य है कि हम यह ध्यान रखें कि सरकार का काम भी न रुके। शायद हमें यह लेखानुदान तथा विनियोग विधेयक चर्चा किये बिना ही पारित करना पड़ेगा। पार्टियों के बीच सहमति से, आप सामान्य बजट पर लम्बी-से-लम्बी चर्चा कर सकते हैं।

अब, सभा कल दिनांक 17 मार्च, 1994 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनःसमवेत होने के लिए स्थगित होती है।

08.09 म.प.

तत्पश्चात, लोक सभा बृहस्पतिबार, 17 मार्च। 1994। फाल्गुन 26, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/29/14/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।